

विषय-सूची

7/

१ भद्रवाहु-संहिता (प्रन्थपरीक्षा)	
लेखक, श्रीयुत बाबू जुगलकिशोर	जी
मुख्तार।	५२१
२ हिन्दी-जैनसाहित्यका इतिहास	
३ सभापतिका व्याख्यान-व्या०,श्रीत	
बाबू माणिकचन्दजी जैन बी. ए. प	रुख
एल. बी. वकील	. ५६९
४ लड़ना धर्म है या क्षमाभाव रर	ब-
ना -ले॰, श्रीयुत वाडीलाल मोतीलाल इ	
५ स्याद्वाद महाविधालयकी भीत	
द्शा—छे०, श्रीयुत बाबू निहालक	रण
सेठी एम. एस. सी	
६ उन्माद (कहानी)- ले॰, श्रीयुत ब	ाब्
पदुमलाल बक्षी वी. ए	. ५९९
७ विधवा-विवाह विचार	. ६०२
८ विविध प्रसङ्ग	६१०
९ अहिंसाका अर्थ (कविता)—रे	
श्रीयुत प॰ रामचरित उपाध्याय	६२३
१० विश्वप्रेम (कविता) ले॰ श्रीयुत	बाबू
મોતીलाळ जैन बी. ए	६२४

नियमावली ।

वार्षिक मूल्य उपहारसिंहत ३) तीन रुपया पेशगी है। वी. पी. तीन रुपया एक आनेका भेजा जाता है।
 उपहारके बिना भी तीन रुपया मूल्य है।
 प्राहक वर्षके आरंभसे किथे जाते हैं और बीचसे अर्थात् ७ वें अंकसे। बीचसे प्राहक होनेवालोंको उपहार नहीं दिया जाता। आधे वर्षका मूल्य १।) रु॰ है।
 प्रत्येक अंकका मूल्य पाँच आने है।
 सब तरहका पत्रव्यवहार इस पतेसे करना चाहिए।
 मैनेजर—जैनग्रन्थरत्नाकर कार्यालय.

प्रार्थनायें।

१. जैनहितैषी किसी स्वार्थबुद्धिसे प्रेरित है। कर निजी लामके लिए नहीं निकाला जाता है। इसमें जो समय और शांक्तिका व्यय किया जाता है वह केवल अच्छे विचारोंके प्रचारके लिए। अत: इसकी उन्नतिमें हमारे प्रत्येक पाठककी सहायता देनी चाहिए।

 जिन महाशयोंको इसका कोई लेख अच्छा मालूम हो उन्हें चाहिए कि उस लेखको जितने मित्रोंको वे पढ़कर सुना सकें अवस्य सुना दिया करें।

 यदि कोई लेख अच्छा न मालूम हो अथवा विरुद्ध मालूम हो तो केवल उसीके कारण लेखक या सम्पादकसे द्वेष भाव न धारण करनेके लिए सर्वि-नय निवेदन है।

४. लेख भेजनेके लिए सभी सम्प्रदायके लेखकींको
 आमंत्रण है।
 —सम्पादक।

हमारे हिन्दी ग्रन्थोंकी कद्र।

हिन्दी-अन्थरताकरके प्रन्थोंके प्रेमी यह जानकर बहुत प्रसन्न होंगे कि इन्दौरको 'महाराजा होलकर्स हिन्दीसाहित्य-समिति 'ने हमारी नीचे लिखी पुस्त-कोंपर प्रसन्न होकर उनके लेखकोंको नीचे लिखे अनुसार परितोषिक प्रदान किया है:—

१ स्वावलंबन (हिन्दी सेल्फहेल्प) - ले॰, बाबू मोतीलाल बी. ए, ४५) र सफलता और उसकी साधनाके उपाय-ले॰, बाबू रामचन्द्र वर्मा, ... २०) र युवाओंको उपदेश-ले॰, बाबू दयाचन्द्र वी. ए.,

४ ट्यापाराज्ञिक्षा-ले॰,पं॰ गिरिधर शर्मा,२०) इसके सिवाय मध्यप्रदेश (सी. पी.) के शिक्षा-खातेने अपने यहाँकी छायब्रेरियोंके और विद्यार्थि-योके पारितोषिकके लिए नीचे लिखी पुस्तके मंजूर की हैं और हमें इस प्रकारके नैतिक शिक्षाप्रद प्रन्थ प्रकाशित करनेके लिए बहुत ही उत्साहित किया है:-**१ मितव्ययता** (किफायतशारी) २ चरित्रगठन ओर मनोबल ३ अच्छी आदतें डालनेकी शिक्षा " =)11 8 स्वावलम्बन (सेल्फ हेल्प) 911) ५ पिताके उपदेश ६ शान्ति वैभव 11=) ७ युवाओंको उपदेश

हितं मनोहारि च दुर्छभ वचः ।



सारे ही संघ सनेहके सूतसौं, संयुत हों, न रहे कोउ देवी। प्रेमसौं पालैं स्वधर्म सभी, रहें सत्यके साँचे स्वरूप-गवेषी ॥ बैर विरोध न हो मतभेदतैं, हों सबके सब बन्धु शुभैषी। भारतके हितको समझें सब, चाहत है यह जैनहितेषी॥

महबाहु-संहिता ।

(ग्रन्थ-परीक्षा-लेखमालाका चतुर्थ लेख ।)



[हे॰ श्रीयुत बाबू जुगलंकिशोरजी मुख्तार।]

ाकि यह ग्रंथ (भद्रवाहुसंहिता) भद्रवाहु श्रुत-केवलीका बनाया हुआ है-आजसे लगभग २३०० वर्ष पहलेका बना हुआ है-उन्हें पिछला लेख पढ़नेसे मालूम होगया होगा कि यह ग्रंथ वास्त-वमें भद्रबाहु श्रुतकेवलीका बनाया हुआ नहीं है, न उनके किसी शिष्य-प्रशिष्यकी रचना है और न विक्रमंसंवत् १६५७ से पहलेहीका बनाहुआ है। बल्कि इसका अवतार विकमकी १७ वीं शताब्दिके उत्तरार्धमें-संवत् १६५७ और१६६५

जिन लोगोंका अभीतक यह खयाल रहा है के मध्यवर्ती किसी समयमें - हुआ है। अस्तु। इस ग्रंथके साहित्यकी जाँचसे मालूम होता है कि जिस किसी व्यक्तिने इस ग्रंथकी रचना की है वह निःसन्देह अपने घरकी अकल बहुत कम रखता था और उसे ग्रंथका सम्पादन करना नहीं आता था। साथ ही, जाली ग्रंथ बनानेके कारण उसका आशय भी शुद्ध नहीं था। यही वजह है कि उससे, ग्रंथकी स्वतंत्र रचनाका होना तो दूर रहा, इधर उधरसे उठाकर रक्खे हुए प्रकरणोंका संकलन भी ठीक तौरसे नहीं



होसका और इसिलए उसका यह ग्रंथ इधरउध-रके प्रकरणोंका एक बेंटंगा संग्रह बन गया है। आज इस लेखमें इन्हीं सब बातोंका दिग्दर्शन कराया जाता है। इससे पाठकों पर ग्रंथका जाली-पन और भी अधिकताके साथ खुल जायगा और साथ ही उन्हें इस बातका पूरा अनुभव हो जायगा कि ग्रंथकर्ता महाशय कितनी योग्यता रखते थे:—

(१) इस ग्रंथके तीसरे खंडमें तीन अध्याय-चौथा, पाँचवाँ, और सातवाँ-ऐसे हैं जिनका मल प्राक्त भाषामें है और अर्थ संस्कृतमें दिया है। चँकि इस संहिता पर किसी दूसरे विद्वान की कोई टीका या टिप्पणी नहीं है इस लिए उक्त अर्थ उसी दृष्टिसे देखा जाता है; जिस दृष्टिसे कि शेष सम्पूर्ण ग्रन्थ । अर्थात् वह ग्रंथकर्ता (भद्रबाहु) का ही बनाया हुआ समझा जाता है: परन्तु ग्रंथकर्ताको ऐसा करनेकी जरूरत क्यों पैदा हुई, यह कुछ समझमें नहीं आता । इसके उत्तरमें यदि यह कहा जाय कि प्राकृत होनेकी वजहसे ऐसा किया गया तो यह कोई समुचित उत्तर नहीं हो सकता । क्योंकि प्रथम तो ऐसी हालतमें, जब कि यह सारा ग्रंथ संस्कृतमें रचा गया है, इन अध्यायोंको प्राकृतमें रचकर ग्रंथकर्ताका डबल परिश्रम करना ही व्यर्थमालम होता है। दूसरे, बहुतसे ऐसे प्राकृत ग्रंथ भी देखनेमें आते हैं जिनके साथ उनका संस्कृत अर्थ लगाहुआ नहीं है । और न भद्रवाहुके सम-यमें, जब कि प्राकृत भाषा अधिक प्रचलित थी, ग्रंथोंके साथ उनका लगानेकी कोई जरूरत थी। तीसरे संडके तीसरे अध्यायमें 'उवसँगगहर ' और 4 तिजयंपहुत्त ⁷ नामके दो स्तोत्र प्राकृत भा-

षामं दिये हैं, जिनके साथमं उनका संस्कृत अर्थ नहीं है। चौथे, पहले खंडके पहले अध्या- यमं कुछ संस्कृतके श्लोक भी ऐसे पाये जाते हैं जिनके साथ संस्कृतमें ही उनकी टीका अथवा टिप्पणी लगी हुई है। ऐसी हालतमें प्राकृतकी वजहसे संस्कृत अर्थका दिया जाना कोई अर्थ नहीं रखता। यदि कठिनता और सुगमताकी दृष्टिसे ऐसा कहा जाय तो वह भी ठीक नहीं बन सकता। क्योंकि इस दृष्टिसे उक्त चारों ही अध्यायोंकी प्राकृतमें कोई विशेष भेद नहीं है। रही संस्कृत श्लोकोंकी बात, सो वे इतने सुगम हैं कि उनपर टीका-टिप्पणीका करना ही व्यर्थ है। नमूनेके तौरपर यहाँ दो श्लोक टीका-टिप्पणीसहित उद्धृत किये जाते हैं:—

9-पात्रान्संतर्ध्यं दानेन भक्तया भुंजेत्स्वयं पुनः । भोगभूमिकरः स्वर्गप्राप्तेरत्तमकारणम् ॥ ८० ॥

दीका-पात्रानिति बहुवचनं मुनि आर्थिका श्रावक श्राविका इति चतुर्विचपात्रश्रीत्यर्थे । एते- ध्वन्यतमं पूर्वमाहारादिदानेन संतर्ध्य पुनः स्वयं भुजेत् । पात्रदानं च भोगभूमिस्वर्गप्राप्तेहत्तमकारणं ज्ञेयमित्यर्थः ।

२-कांस्यपात्रे न भोक्तव्यमन्योन्यवर्णजैः कदा । इद्भरत्वपक्षं पक्षं वा न भुंजेदन्यपंक्तिषु ॥ ८४ ॥ टिटपणी-पंक्तिषु इति बहुवचनाद्वर्णत्रयपंका-वेव पक्षमपक्षं वा न भुंजेत् इत्यर्थः ।

इससे पाठक समझ सकते हैं कि श्लोक कितने सुगम हैं, और उनकी टीका-टिप्पणीमें क्या विशेषता की गई है। साथ ही मुकाब-लेके लिए इससे पहले लेखमें और इस लेखके अगले भागमें उद्धृत किये हुए बहुतसे कठि-नसे कठिन श्लोकोंको भी देख सकते हैं जिन पर कोई टीका-टिप्पण नहीं है। और फिर उससे नतीजा निकाल सकते हैं कि कहाँ तक ऐसे श्लोकोंकी ऐसी टीका-टिप्पणी क-रना श्लाकेवली जैसे विद्वानोंका कांम होसकता

१-२ थे दोनों स्तोत्र देताम्बरोंके 'प्रतिक्रमणसूत्र' में भी पाये जाते हैं; परन्तु यहाँ पर उक्त प्रतिक्रमण सूत्रसे पहले स्तोत्रमें तीन और दूसरेमें एक ऐसी चार गाथायें अधिक हैं।

है। सच तो यह है कि यह सब मूल और टीका-टिप्पणियाँ भिन्नभिन्न व्यक्तियोंका कार्य माल्रम होता है। मूलकर्ताओंसे टीकाकार भिन्न जान पड़ते हैं। सबका ढंग और कथन- है। चौथे और सातवें अध्यायोंकी टीकामें बहुतसे स्थानों पर, 'इत्य-पि पाटः '-ऐसा भी पाठ है-यह लिसकर, मूलका दूसरा पाठ भी दिया हुआ है, जो मूलका उल्लेखयोग्य पाठ-भेद होजानेके बाद टीकाके बननेको सूचित करता है। यथा:-

१-'वाहिमरणं (व्याधिमरणं)'-'रायमरणं (राजमरणं) इत्यपि पाठः' ॥ ४-३०॥

२-'मेहंतर (मेघान्तर-) '-'हेमंतर (हेमा-न्तर-) इत्यपि पाठः '॥ ४-३१ ॥

३- 'अण्णेणवि (अन्थेनापि)- ' अण्णो-ण्णवि (अन्योन्यमपि-परस्परमपि) इत्यपि पाठः' ॥ ७-२१॥

इससे मूलकर्ता और टीकाकारकी साफ तौरसे विभिन्नता पाई जाती है। साथ ही, इन सब बातोंसे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि ग्रंथकर्ता इन दोनोंसे भिन्न कोई तीसरा ही व्यक्ति है। उसे संभवतः ये सब प्रकरण इसी रूपमें (टीका-टिप्पणीसहित या रहित) कहींसे प्राप्त हुए हैं और उसने उन्हें वहाँसे उठाकर बिना सोचे समझे यहाँ जोड दिया है।

(२) हिन्दुओं के यहाँ ज्योतिषियों में 'वराह-मिहिर' नामके एक प्रसिद्ध विद्वान आचार्य-हो गये हैं। उनके बनाये हुए ग्रंथों में 'बृहत्संहिता' नामका एक खास ग्रंथ है, जिसको छोग 'वाराहीसंहिता' भी कहते हैं। इस ग्रंथका उछेल विकमकी ११ वीं शताब्दिमें होनेवारुं 'सोमदेव' नामके जैनाचार्यने भी अपने 'यशस्तिलक' ग्रंथमें किया है। साथ ही 'जैनत्तत्वादर्श' आदि श्वेताम्बर ग्रंथों में भी इसका उल्लेख पाया जाता है। इस तरह पर दोनों संप्रदायोंके विद्वानों द्वारा यह हिन्दुओंका एक ज्योतिष ग्रंथ माना जाता है । परन्तु पाठ-कोंको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस बुहत्संहिताके अध्यायके अध्याय भद्रबाहसंहि-तामें नकल किये गये हैं-ज्योंके त्यों या कहीं कहीं कुछ भद्दे और अनावश्यक परिवर्तनके साथ उठाकर रक्से गये हैं-परन्तु यह सब कुछ होते हुए भी वराहमिहिर या उनके इस ग्रंथका कहीं नामोल्लेख तक नहीं किया । प्रत्युत, वराह-मिहिरके इन सब वचनोंको भद्रबाहुके वचन प्रगट किया गया है और इस तरह पर एक अजैन विद्वानके ज्योतिषकथनको जैन ज्यो-तिषका ही नहीं बल्कि जैनियोंके केवलीका कथन बतलाकर सर्व साधारणको धोखा दिया गया है । इस नीचता और धृष्टताके कार्यका पाठक जो चाहे नाम रख सकते हैं और उसके उपलक्षमें ग्रंथकर्ताको चाहे जिस पदवीसे विभु-षित कर सकते हैं, मुझे इस विषयमें कुछ कह-नेकी जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ यहाँ पर ग्रंथ-कर्ताके इस कृत्यका पूरा परिचय दे देना ही काफी समझता हूँ और वह परिचय इस प्रकार है:---

(क) मद्रवाहुसंहिताके दूसरे संडमें 'करण' नामका २९ वाँ अध्याय है, जिसमें कुल ९ पद्य हैं। इनमेंसे शुक्तके ६ पद्य बृह-त्संहिताके 'तिथि और करण' नामके ९९ वें अध्यायसे, जिसमें सिर्फ ८ पद्य हैं और पहले दो पद्य केवल 'तिथि' से सम्बंध रखते हैं, ज्योंके त्यों (उसी कमसे) उठाकर रक्ते गये हैं। सिर्फ पहले पद्यमें कुछ अनावश्यक उलट फेर किया है। बृहत्संहिता-का वह पद्य इस प्रकार हैं:—



यत्कार्यं नक्षत्रे तद्दैवत्यासु तिथिषु तत्कार्ये । करणसृहूर्तेष्विप तिसिद्धिकरं देवतासदशम् ॥ ३ ॥

भद्रबाहुसंहितामें इसके पूर्वार्धको उत्तरार्ध और उत्तरार्धको पूर्वार्ध बना दिया है। इससे अर्थमें कोई हेर फेर नहीं हुआ। इन छहों पर्यो-के बाद भद्रबाहुसंहितामें सातवाँ पद्य इस प्रकार दिया है:—

लाभे तृतीये च शुभैः समेते, पापैर्विहीने शुभराशिलम्रे । वेध्यौ तु कर्णौ त्रिदशेज्यलम्भे तिध्येन्दुचित्राहरिरेवतीषु

यह पद्य बृहत्संहिताके 'नक्षत्र 'नामके ९८ वें अध्यायसे उठाकर रक्सा गया है, जहाँ इसका नम्बर १७ है। यहाँ 'करण 'के अध्यायसे इसका कोई सम्बंध नहीं है। इसके बादके दोनों पद्य (नं० ८-९) भी इस करणाविषयक अध्यायसे कोई संबंध नहीं रसते। वे बृहत्संहिताके अगले अध्याय नं १०० से उठाकर रक्से गये हैं, जिसका नाम है 'विवाहनक्षत्रलम्भिण्य' और जिसमें सिर्फ ये ही दो पद्य हैं। इन पद्योंमें से एक पद्य नमूनेके तौर पर इस प्रकार हैं:—

रोहिण्युत्तररेवतीमृगशिरोम्र्ळानुराधामघा-इस्तस्वातिषु षष्ठ तौलिमिथुनेषूद्यत्सु, पाणिप्रहः । सप्ताधान्त्यवहिः शुभैरुडुपतावेकादशद्वित्रिगे, क्रूरैस्रयायषडष्टगैने तु भृगौ षष्ठे कुजे चाष्टमे॥८॥

(स) बृहत्संहितामें 'वस्त्रच्छेद ' नामका ७१ वाँ अध्याय है, जिसमें १४ श्लोक हैं। इन-मेंसे श्लोक नं० १३ को छोड़कर बाकी सब श्लोक मद्रबाहुसंहिताके 'निमित्त 'नामक ३० वें अध्यायमें नं० १८३ से १९५ तक नकल किये गये हैं। परन्तु इस नकल करनेमें एक तमाशा किया है, और वह यह है कि अन्तिम श्लोक नं० १४ को तो अन्तमें ही उसके स्थानपर (नं० १९५ पर) रक्सा है। बाकी श्लोकोंमेंसे पहले पाँच श्लोकोंका एक और उसके बादके सात श्लोकोंका दूसरा ऐसे दो विभाग करके दूसरे विभागको पहले और पहले विभागको पिंछे नकल किया है। ऐसा करनेसे श्लोकोंके कममें कुछ गड़बड़ी हो गई है। अन्तिम श्लोक नं० १९५, जो नूतन वस्त्रधारणका विधान करनेवाले दूसरे विभागके श्लोकोंके अन्तमें रक्से जानेसे बहुत खटकने लगा है और असम्बद्ध मालूम होता है। इसके सिवाय अन्तिम श्लोक और पहले विभागके चौंथे श्लोकमें कुछ थोड़ासा परिवर्त्तन भी पाया जाता है। उदाहरणके तौरपर यहाँ इस प्रकरणके दो श्लोक उद्धृत किये जाते हैं:-

वस्नस्य कोणेषु वसन्ति देवा नराश्च पाशान्तदशान्तमध्ये । शेषास्त्रयश्चात्र निशाचरांशा-स्तथैव शय्यासनपादुकासु ॥ १ ॥ भोक्तुं नवाम्बरं शस्तमृक्षेऽपि गुणवर्जिते । विवाहे राजसम्माने बाह्मणानां च सम्मते ॥१४॥

भद्रबाहु संहितामें पहला श्लोक ज्योंका त्यों नं० १९० पर दर्ज है और दूसरे श्लोकमें, जो अन्तिम श्लोक है, सिर्फ 'ब्राह्मणानां च सम्मते ' के स्थानमें 'प्रतिष्ठामुानिद्र्शने' यह पद बनाया गया है।

(ग) वराहमिहिरने अपनी बृहत्संहितामें अध्याय नं ० ८६ से लेकर ९६ तक ११ अध्या- योंमें ' शकुन ' का वर्णन किया है। इन अध्या- योंके पर्योकी संख्या कुल ३१९ है। इसके सिवाय अध्याय नं ० ८९ के छक्तमें कुल थोड़ासा गद्य भी दिया है। गद्यको छोड़कर इन पर्योमेंसे ३०१ पद्य भद्रबाहुसंहिताके ' शकुन ' नामके ३१ वें अध्यायमें उठाकर रक्से गये हैं और उन पर नम्बर भी उसी (प्रत्येक अध्यायके

भद्रबाहुसंहितामें 'त्रिदशेज्य ' की जगह
 अमरेज्य 'वनाया है।



अलग अलग) कमसे डाले गये हैं जिस प्रकार कि वे उक्त बृहत्संहितामें पाये जाते हैं। बाकी के १८ पद्यों में से कुछ पद्य छूट गये और कुछ छोड़ दिये गये मालूम होते हैं। इस तरह पर ये ग्यारहके ग्यारह अध्याय मद्रबाहुसंहितामें नकल किये गये हैं और उनका एक अध्याय बनाया गया है। इतने अधिक श्लोकों की नकलमें सिर्फ आठ दस पद्य ही ऐसे हैं जिनमें कुछ परिवर्तन पाया जाता है। बाकी सब पद्य ज्यों के त्यों नकल किये गये हैं। अस्तु। यहाँ पाठकों के संतोषार्थ और उन्हें इस नकलका अच्छा ज्ञान कराने के लिए कुछ परिवर्तित और अपिरवर्तित दोनों प्रकारके पद्य नमूने के तौर पर उद्धृत किये जाते हैं:—

१-वानराभिक्षश्रवणावळोकनं नैऋतातृतीयांशे । फलकुसुमदन्तघटितागमश्र कोणाचतुर्थोशे ॥२-८॥

इस पद्यमें नैर्ऋत कोणके सिर्फ तृतीय और चतुर्थ अंशोंहीका कथन है । इससे पहले दो अंशोंका कथन और होना चाहिए जो भद्रबाहु-संहितामें नहीं है । इसलिए यह कथन अधूरा है । बृहत्संहिताके ८७ वें अध्यायमें इससे पहलेके एक पद्यमें वह कथन दिया है और इसलिए इस पद्यको नं० ९ पर रक्खा है । इससे स्पष्ट है कि वह पद्य यहाँ पर छुटगया है ।

२-अवाक्प्रदाने विहिताथीसिद्धिः पूर्वोक्तदिक्चक-फलौरथान्यत् । वाच्यं फलं चोत्तममध्यनीचशाखा-स्थितायां वरमध्यनीचम् ॥ ३-३९ ॥

बृहत्संहितामें, जिसमें इस पद्यका नं० ४६ है, इस पद्यसे पहले सात पद्य और दिये हैं जो भद्रबाहुसंहितामें नहीं हैं और उनमें पिंगला जानवरसे शकुन लेनेका विधान किया है। लिखा है कि,—' संध्याके समय पिंगलाके निवास-वृक्षके पास जाकर ब्रह्मादिक देवताओंकी और उस वृक्षकी नये वस्त्रों तथा सुगंधित

द्रव्योंसे पूजा करे । फिर अकेला अर्धरात्रिके समय उस वृक्षके आग्निकोणमें खड़ा होकर तथा पिंगलाको अनेक प्रकारकी (कसमें) देकर पद्य नं० ४२।४३।४४ में दिया हुआ मंत्र ऐसे स्वरंसे पढ़े जिसे पिंगला सुन सके और उसके साथ पिंगलासे अपना मनोरथ पूछे। ऐसा कहने पर वृक्ष पर बैठी हुई वह पिंगला यदि कुछ शब्द करे तो उसके फलका विचार पद्य नं० ४५ में * दिया है और उसके कुछ शब्द न करने आदिका विचार स ऊपर उद्-धृत किये हुए पद्यमें बतलाया है । इससे इस पद्यका साफ सम्बन्ध उक्त सात पर्चोंसे पाया जाता है। मालूम होता है कि ग्रंथकर्ताको इसका कुछ भी स्मरण नहीं रहा और उसने उक्त सात पद्यों-को छोडकर इस पद्यको यहाँ पर असम्बद्ध बना दिया है।

राजा कुमारो नेता च दृतः श्रेष्ठी चरो द्विजः ।
 गजाध्यक्षश्च पूर्वोद्याः क्षित्रयाद्याश्चतुर्दिशम् ५-४

यह पद्य यहाँ 'शिवास्त ' प्रकरणमें बिल-कुल ही असम्बद्ध मालूम होता है। इसका यहाँ कुछ भी अर्थ नहीं हो सकता। एक बार इसका अवतरण इसी ३१ वें अध्यायके शुरूमें नं० २८ पर हो चुका है और बृहत्संहिताके ८६ वें अध्यायमें यह नं० ३४ पर दर्ज हैं। नहीं मालूम इसे फिरसे यहाँ रसकर ग्रंथकर्ताने क्या लाम निकाला है। अस्तु। इसके बदलेमें इस प्रकरणका 'शान्ता...' इत्यादि पद्य नं० १३ ग्रंथकर्ता से छूट गया है और इस तरहपर लेसा बराबर हो गया—प्रकरणके १४ पद्योंकी संख्या ज्योंकी त्यों बनी रही।

अत्याकुलत्वं दिशिकारशब्दे कुचाकुन्-त्येवमुदाहते वा ॥ ४५ ॥

यथाः—"इत्येवमुक्ते तस्मूर्ध्वगायाश्चिरिल्विरिल्वी-तिस्तेऽर्थसिद्धिः ।



४- कूरः षष्ठे कूरहष्टो विल्याद्यस्मिन्त्राशौ तद्गृहांगे वणः स्यात् ।

एवं प्रोक्तं यन्मया जन्मकाले चिह्नं रूपं तत्तदस्मि-न्विचिन्त्यं ॥ ११–१३ ॥

इस पद्यके उत्तरार्धमें लिखा है कि 'इसी प्रकारसे जन्मकालीन चिह्नों और फलोंका जो कुछ वर्णन मैंने किया है उन सबका यहाँ भी विचार करना चाहिए । वराहमिहिरने 'बृह-जातक 'नामका भी एक ग्रन्थ बनाया है जिसमें जन्मकालीन चिह्नों और उनके फलोंका वर्णन है । इससे उक्त कथनके द्वारा वराहमिहिरने अपने उस ग्रंथका उल्लेख किया मालूम होता है । ग्रंथकर्ताने उसे बिना सोचे समझे यहाँ ज्योंका त्यों रख दिया है । भद्रबाहुसंहितामें इस प्रकारका कोई कथन नहीं जिससे इसका सम्बंध लगाया जाय ।

५-ओजाः प्रदक्षिण शस्ता मृगः सनकुलाण्डजाः । चाषः सनकुलो वामो भृगुराहापराहृतः ॥ १–३७ ॥

यह बृहसंहिता (अ०८६) का ४३ वाँ पय है। इसमें 'भृगु' जीका नाम उनके वचन सहित दिया है। भद्रबाहुसंहितामें इसे ज्योंका त्यों रक्सा है। बद्छा नहीं है। संभव है कि यह पय परिवर्तनसे छूट गया हो। अब आगे परिवर्तित पर्योंक दो नमूने दिखलाये जाते हैं:-

६-श्रेष्ठो हयः सितः प्राच्यां शवमांसे च दक्षिणे। कन्यका दिधनी पश्चादुदग्साधुजिनादयः॥१-४०।

बृहत्संहितामें इस पद्यका पहला चरण ' श्रे-छे हयसिते प्राच्यां ' और चौथा चरण ' दुद-ग्गो विप्रसाधव: ' दिया है । बाकी दोनों चरण ज्योंके त्यों हैं । इससे भद्रवाहुसंहितामें इस पद्यके इन्हीं दो चरणोंमें तबदीली पाई जाती है । पहले चरणकी तबदीली साधारण है और उससे कोई अर्थभेद नहीं हुआ । रही चौथे चरणकी तबदीली, उसमें 'गोविप '

(गोबाह्मण) की जगह 'जिनादि ' बनाया गया है और उससे यह सूचित किया है यात्राके समय उत्तरिदशामें यदि साधु और जिनादिक होवें तो श्रेष्ठ फल होता है। परन्तु इस तबदीलीसे यह मालूम न हुआ कि इसे करके ग्रंथकर्ताने बुद्धिमत्ताका कार्य किया है। क्या 'साधु ' शब्दमें 'जिन ' का और 'जिनादि ' श-ब्दोंमें 'साधु 'का समावेश नहीं होता था ? यदि होता था तो फिर साधु और जिनादि ये दो शब्द अलग अलग क्यों रक्से गये ? साथ ही, जिस गौ और बाह्मणके नामको उडाया गया है उसको यदि कोई ' आदि ' शब्दसे ग्रहण कर है तो उसका ग्रंथकर्ताने इस श्लोकमें क्या प्रतीकार रक्खा है ? उत्तर इन सब बातोंका कुछ नहीं हो सकता । इसलिए ग्रंथकर्ताका यह सब परिवर्तन निरा मूल भरा और मूर्खताका चोतक है।

७-धीवरशाकुनिकानां सप्तमभागे भयं भवति दीप्ते भोजनविघातउक्तो निधनभयं च तत्परतः॥ २-३३॥

इस पद्यमें सिर्फ ' निर्धन्थभयं ' के स्थानमें ' निधनभयं ' बनाया गया है और इसका अभिप्राय शायद ऐसा मालूम होता है कि ग्रंथकर्ताको ' निर्प्रथ ' शब्द सटका है । उसने इसका अर्थ दिगम्बर मुनि या जैनसाधु समझा है और जैनसाधुओंस किसीको भय नहीं होता, इसलिए उसके स्थानमें ' निधन ' शब्द बनाया गया है । परन्तु वास्तवमें निर्प्रथका अर्थ दिगम्बर मुनि या जैनसाधु ही नहीं है बल्कि ' निर्धन ' और ' मूर्ख ' मी उसका अर्थ है × और यहाँ पर वह ऐसे ही अर्थमें

⁺ यथाः-'निर्प्रेथः क्षपणेऽघने बालिशेऽपि।' इति श्रीघरसेनः ॥ 'निर्प्रेथो निस्वमूर्खेयोः श्रमणे च।' इति हेमचन्द्रः ॥



ज्यवहत हुआ है । अस्तु ग्रंथकर्ताका इस परिव-र्तनसे कुछ ही अभिप्राय हो, परन्तु छंदकी दृष्टिसे उसका यह परिवर्तन ठीक नहीं हुआ। ऐसा करनेसे इस आर्या छंदके चौथे चरणमें दो मात्रायें कम हो गई हैं—१५ के स्थानमें १३ ही मात्रायें रह गई हैं।

यहाँ पाठकोंको यह जानकर आश्चर्य होगा कि वराहमिहिर आचार्यने तो अपना यह संपूर्ण शकनसम्बंधी वर्णन अनेक वैदिक तथा विद्वानोंके आधारपर-अनेक ग्रंथोंका आ-शय लेकर-लिखा है और उसकी सूचना उक्त वर्णनके शुरूमें लगा दी है । परन्तु भद्रबाहु-संहिताके कर्ता इतने कृतश थे कि उन्होंने जिस विद्वानके शब्दोंकी इतनी अधिक नकल कर डाली है उसका आभार तक माना । प्रत्युत अध्यायके शुरूमें मंगलाचरणके बाद यह लिखकर कि 'श्रेणिकके प्रश्नानुसार गौतमने शुभ अशुभ शकुनका जो कुछ कथन किया है वह (यहाँ मेरे द्वारा) विशेष रूपसे निरूपण किया गया है * ' इस संपूर्ण कथनको जैनका ही नहीं बल्कि जैनियोंके केवलीका बना ढाला है ! पाठक सोचें और विचार करें, इसमें ाकितना अधिक घोखा दिया गया है।

(घ) भद्रबाहुसंहितामें, शकुनाध्यायके बाद, 'पाक ' नामका ३२ वाँ अध्याय है, जिसमें १७ पद्य हैं । यह पूरा अध्याय भी बृहत्संहितासे नकल किया गया है । बृहत्संहितामें इसका नं० ९७ है और पद्योंकी संख्या वही १७ दी है। इन पद्योंमेंसे ८ पद्योंकी नकल भद्रबाहुसंहितामें ज्योंकी त्यों पाई जाती है । बाकीके पद्य कुछ परिवर्तनके साथ उठाकर रक्से गये हैं । परिवर्तन आम तौर

पर शब्दोंको प्रायः आगे पीछे कर देने या किसी किसी शब्दके स्थानमें उसका पर्याय-वाचक शब्द रखदेने मात्रसे उत्पन्न किया गया है। उदाहरणके तौर पर आदि अन्तके दो पद्य उन पद्योंके साथ नीचे प्रकाशित किये जाते हैं जिनसे वे कुछ परिवर्तन करके बनाये गये हैं:—

पक्षाद्भानोः सोमस्य मासिकोऽङ्गारकस्य वकोकः । आदर्शनाच पाको बुधस्य जीवस्य वर्षेण ॥ १ ॥ (- बृहत्संहिता ।)

पाकः पक्षाद्भानोः सोमस्य च मासिकः कुजस्य वकोक्तः आदर्शनाच पाको बुधस्य सुगुरोश्च वर्षेण ॥ १ ॥ (-भद्रवाहुसंहिता ।)

ऊपरके इस पयका भद्रवाहुसंहितामें जो परिवर्तन किया गया है उससे अर्थमें कोई भेद्र नहीं हुआ। हाँ इतना जरूर हुआ है कि आर्या छंदके दूसरे चरणमें १८ मात्राओं के स्थानमें २१ मात्रायें होगई हैं और एककी जगह दो 'पाक ' शब्दोंका प्रयोग व्यर्थ हुआ है । यदि शुरूके 'पाकः ' पदको किसी तरह निकाल भी दिया जाय तो भी छंद ठीक नहीं बैठता। उस वक्त दूसरे चरणमें १७ मात्रायें रह जाती हैं इसलिए ग्रंथकर्ताने यह परिवर्तन करके कोई बुद्धिमानीका काम नहीं किया।

२-निगदितसमये न दश्यते चेदिधकतरं द्विगुणे प्रपच्यते तत् । यदि न कनकरत्नगोप्रदानैक्पशिमतं विधिद्द्विजैश्व शान्त्या ॥ १७ ॥ बृहत्संहिता ।

निगदितसमये न दस्यते चेत् अधिक (तरं) द्विगुणे विपच्यते तत् । यदि न जिनवची गुरूपचर्या शमितं तन्महुकेश्व लोकशान्त्ये ॥ १७ ॥ भद्र० सं० ।

इस पथको देखनेसे मालूम होता है कि भद्र-बाहुसंहितामें इसके उत्तरार्धका खास तौरसे परिवर्तन किया गया है। परिवर्तन किस दृष्टिसे किया गया और उसमें किस बातकी विशेषता

अणिकेन यथा पृष्ठं तथा गौतमभाषितम् ।
 शुभाग्नमं च शकुनं विशेषेण निरूपितम् ॥ २ ॥



रक्सी गई है, इस बातको जाननेके लिए सबसे पहले बृहत्संहिताके इस पद्यका आशय मालूम होना जरूरी है और वह इस प्रकार है:—

' महों तथा उत्पातों आदिके फल पकनेका जो समय ऊपर वर्णन किया गया है उस समय पर यदि फल दिखाई न दे तो उससे दूने समयमें वह अधिकताके साथ प्राप्त होता है। परन्तु शर्त यह है कि, वह फल सुवर्ण, रत्न और गोदानादिक शांतिसे विधिपूर्वक ब्राह्मणोंके द्वारा उपशमित न हुआ हो। अर्थात् यदि वह फल इस प्रकारसे उपशांत न हुआ हो। तब ही दूने समयमें उसका अधिक पाक होगा, अन्यथा नहीं। स्मरण रहे, भद्रवाहुसंहितामें इस प्रयका जो कुछ परिवर्तन किया गया है वह सिर्फ इस प्रयक्षी उक्त शर्तका ही परिवर्तन है। इस शर्तके स्थानमें जो शर्त रक्सी गई है वह इस प्रकार है:-

' परन्तु शर्त यह है कि वह फल लोक-शांतिके लिए महत्पुरुषों द्वारा की हुई जिनवचन और गुरुकी सेवासे शांत न हुआ हो।'

इस शर्तके द्वारा इस पद्यको जैनका लिबास पहनाकर उसे जैनी बनाया गया है। साथ ही, ग्रंथकर्ताने अपने इस कृत्यसे यह सूचित किया है कि शांति सुवर्ण, रत्न, और गौआदिके दानसे नहीं होती बल्कि जिनवचन और गुरुकी सेवासे होती है। परन्तु तीसरे खंडके 'ऋषिपुत्रिका नामक चौथे, अध्यायमें प्रतिमादिकके उत्पातकी जिसके पाकका इस पाकाध्यायमें भी वर्णन है, शांतिका विधान करते हुए लिखा है कि:— जं किचिव उप्पादं अण्णं विग्धं च तत्थ णासेइ। दिक्खणदेजानुवर्णं गावी भूमी उ विप्पदेवाणं ११२ *

अर्थात्-जो कोई भी उत्पात या दूसरा कोई विघ्न हो उसमें ब्राह्मण देवताओंको दक्षिणा देना चाहिए-सोना, गौ और भूमि देना चाहिए। ऐसा करनेसे उत्पातादिककी शांति होती है।

इस गाथाको पढ़कर शायद कुछ पाठक यह कह उठें कि 'यह कथन जैनधर्मके विरुद्ध है । ' परन्तु विरुद्ध हो या अविरुद्ध, यहाँ उसके दिखलानेका आभिप्राय या उसपर विचार करने-का अवसर नहीं है-विरुद्ध कथनोंका अच्छा दिद्वरीन पाठकोंको अगले लेखमें जायगा-यहाँ सिर्फ यह दिखलानेकी गरज है कि गंथकर्ताने एक जगह उक्त परिवर्तनके द्वारा यह सूचित किया है कि सोना तथा गौ आदिक-के दानसे बाह्मणोंके द्वारा शांति * नहीं होती और दूसरी जगह खुले शब्दोंमें उसका विधान किया है। ऐसी हालतमें समझमें नहीं आता कि ग्रंथकर्ताके इस कृत्यको उन्मत्तचेष्टाके सिवाय और क्या कहा जाय ! यहाँ पर यह भी प्रगट कर देना जरूरी है कि ग्रंथकर्ताने, अपने इस कृत्यसे छंदमें भी कुछ गड़बड़ी पैदा की है। बृहत्संहिताका उक्त पद्य 'पुष्पितागा' नामक छन्दमें + है । उसके लक्षणानुसार चतुर्थ पादमें भी गणेंका विन्यास उसी प्रकार होना चाहिए था जिस प्रकार कि वह द्वितीय चरणमें पाया जाता है । परन्तु भद्रबाहुसंहितामें ऐसा नहीं है । उसके चौथे चरणका गणविन्यास दूसरे चरणसे बिलकुल भिन्न हो गया है।

(क) भद्रबाहुसंहितामें 'वास्तु ' नामका

^{*} इसकी संस्कृतछाया इस प्रकार है:— यत्किचिद्दि उत्पातं अन्यद्विप्तं च तत्र नाशयति । दक्षिणा दद्यात् सुवर्णे गौः भूमिश्र विप्रदेवेभ्यः ॥

^{*} ब्राह्मणोंके उत्कर्षकी बातको दो एक जगह और भी बदला है जिसका ऊपर उद्धृत किये हुए (ख) और (ग) भागके पर्योमें उल्लेख आनुका है।

⁺ इस छंदके विषम (९-३) चरणोंमें क्रमशः नगण नगण रगण यगण और सम (२-४) चर-णोंमें नगण जगण जगण रगण और एकं गुरु होते हैं ।

३५ वॉ अध्याय है, जिसमें लगभग ६० श्लोक वसुनन्दिके ' प्रतिष्ठासारसंग्रह ' ग्रंथसे उठाकर रक्से गये हैं और जिनका पिछले लेखनें उल्लेस किया जा चुका है। इन श्लोकोंके बाद एक श्लोकमें वास्तुशास्त्रके अनुसार कथनकी प्रतिशा देकर, १३ पद्य इस बृहत्संहिताके ' वास्तु-विद्या ' नामक ५३ वें अध्यायसे भी उठाकर रक्से हैं। जिनमेंसे शुरूके चार पद्योंको आयी छंदसे अनुष्टपमें बदल कर रक्सा है और बाकीको प्रायः ज्योंका त्यों उसी छंदमें रहने दिया है। इन पद्योंसे भी दो नमूने इस प्रकार हैं:—

षष्टिश्चतुर्विहांना वेश्मानि भवन्ति पंच सचिवस्य ।
 स्वाष्टांशयुता दैर्ध्य तद्र्धता राजमहिषीणाम् ॥ ६ ॥
 (-वृहस्संहिता ।)

सचिवस्य पंच वेश्मानि चतुर्हीना तु षष्टिकाः । स्वाष्टांशयुतदैर्घ्याणि महिषीणां तदर्घतः ॥ ६८॥ (-भद्रबा० सं० ।)

२ ऐशान्यां देवगृहं महानसं चापि कार्यमाग्नेय्याम् । नैर्कृत्यां भाण्डोपस्करोऽर्थं धान्यानि मारुत्याम् ॥ ७८ ॥

इन पर्योमें दूसरे नम्बरका पद्य ज्योंका त्यों नकल किया गया है और बृहत्संहितामें नं०११८ पर दर्ज है। पहले पर्योमें सिर्फ छंदका परिवर्तन है। शब्द प्रायः वहींके वही पाये जाते हैं। इस परिवर्तनसे पहले चरणमें एक अक्षर बढ़ गया है—८ की जगह ९ अक्षर हो गये हैं। यदि मंथकर्ताजी किसी मामूली छंदोवित्से भी सलाह ले लेते तो वह कमसे कम 'सचिवस्य' के स्थानमें उन्हें 'मंत्रिणः' कर देना जरूर बतला देता, जिससे छंदका उक्त दोष सहजहींमें दूर हो जाता। अस्तु।

ऊपरके इस संपूर्ण परिचयसे—ज्योंके त्यों उठाकर रक्ते हुए, स्थानान्तर किये हुए, छूटे हुए, छोड़े हुए और परिवर्तित किये हुए पद्योंके नमुनोंसे—साफ जाहिर है और इसमें कोई संदेह बाकी नहीं रहता कि यह सब कथन उक्त बृहत्संहितासे उठाकर ही नहीं बल्कि चुराकर रक्ला गया है। साथ ही इससे ग्रंथकर्ताकी सारी योग्यता और धार्मिकताका अच्छा पता मालूम हो जाता है।

(३) पहले लेखमें, भद्रवाह और राजा श्रेणिककी (ग्रंथकर्ता द्वारा गढ़ी हुई) असम्बद्ध मुलाकातको दिखलाते हुए, हिन्दुओं के 'बृह-त्याराशरी होरा ' ग्रंथका उल्लेख किया जा चुका है। इस ग्रंथसे लगभग दोसी श्लोक उठाकर भद्रवाहुसंहिताके अध्याय नं० ४१ और ४२ में रक्षे गये हैं। संहितामें इन सब श्लोकोंकी नकल प्रायः ज्योंकी त्यों पाई जाती है। सिर्फ दस पाँच श्लोक ही इनमें ऐसे नजर आते हैं जिनमें कुछ थोड़ासा परिवर्तन किया गया है। नमूने इस प्रकार हैं:—

१-मौमजीवारुणाः पापाः एक एव कविः ग्रुभः । शनैश्वरेण जीवस्य योगोमेषभवो यथा ॥४१-१६॥ २-स्वित्रंशांशेऽथवा मित्रे त्रिंशांशे वा स्थितो यदि । तस्य भुक्तिः श्रुभा प्रोक्ता भद्रबाहुमहर्षिभिः४२-१८

३-एवं देहादिभावानां षड्वर्गगतिभिः फलम् । सम्यग्विचार्ये मतिमान्प्रवदेत् मागघाघिपः ४२-द्वि.१७

इनमेंसे पहला श्लोक ज्योंका त्यों है और वह उक्त पाराशरी होराके पूर्वसंड सम्बन्धी १३ वें अध्यायमें नं० १९ पर दर्ज है। दूसरे श्लोकेमें 'कालिवाद्धिमनीषिभिः' के स्थानमें 'भद्र-बाहुमहर्षिभिः' और तीसेरे श्लोकमें 'काल-विसाः' की जगह मागधाधिपः' बनाया गया है। दूसरे श्लोकमें भद्रबाहुके नामका जो

⁹ यह श्लोक बृहत्पाराशरी होराके ३७ वें अध्यायमें नं॰ ३ पर दर्ज है ।

२ यह श्लोक वृ• पाराशरी होराके ४६ वें, अध्या-यका ११ वाँ पद्य है।



उस प्रकारका परिवर्तन इस अध्यायके और भी अनेक श्लोकोंमें पाया जाता हैं और इस परिवर्तनके द्वारा ग्रंथकर्ताने हिन्दुओंके इस होरा-कथनको भद्रबाहुका बनानेकी चेष्टा की है। रहा तीसरे इलेकिका परिवर्तन, वह बड़ा ही विलक्षण है। इसके मूलमें लिखा था कि 'इस प्रकार बुद्धिमान् ज्योतिषी (कालवित्तमः) भले प्रकार विचार करके फल कहे '। परन्तु संहिताके कर्ताने, अपने इस परिवर्तनसे, फल कहनेका वह काम मागधोंके राजाके सपुर्द कर दिया है ! और इसलिए उसका यह परिवर्तन यहाँ बिलकुल असंगत मालूम होता है । यदि विसर्गको हटाकर यहाँ ' मागधाधिपः ' के स्था-नमें ' मागधाधिप ' ऐसा सम्बोधन पद भी मान लिया जाय तो भी असम्बद्धता दूर नहीं होती। क्योंकि ग्रंथमें इससे पहले उक्त राजाका कोई ऐसा प्रकरण या प्रसंग नहीं है जिससे इस पदका सम्बंध हो सके।

(४) हिन्दुओं के यहाँ ' लघुपाराशरी ' नाम-का भी एक ग्रंथ है और इस ग्रंथसे भी बहुत से श्लोक कुछ परिवर्तनके साथ उठाकर भद़-बाहुसंहिताके अध्याय नं० ४१ में रक्से हुए मालूम होते हैं, जिनमेंसे एक श्लोक उदाहरणके तौर पर इस प्रकार है:—

योगो दशास्त्रिप भनेत्प्रायस्ष्योगकारिणोः । दशायुग्मे मध्यगतस्तदयुक् श्रुभकारिणाम् ॥ ४१ ॥ छघुपाराशरीमें यह श्लोक इस प्रकार दिया है:—

दशास्विप भवेषोगः प्रायशो योगकारिणोः। दशाद्वयो मध्यगतस्तदयुक् ग्रुभकारिणाम् ॥ १८॥ पाउक दोनों पद्यों पर दृष्टि डालकर देखें, कितना सुगम परिवर्तन हैं! दो एक शब्दोंको आगे पीछे करदेने तथा किसी किसी शब्दका पर्यायवाचक शब्द रख देने मात्रसे परिवर्तन हो गया है। रुघुपाराशरिके दूसरे पद्योंका भी प्रायः यही हारु है। संहितामें उनका भी इसी प्रका-रका परिवर्तन पाया जाता है।

(५) भद्रबाह्यसंहिताके दूसरे खंडमें 'लक्षण' नामका एक अध्याय नं ० ३७ है, जिसमें प्रधान्तः स्त्रीपुरुषोंके अंगों-उपांगों आदिके लक्षणोंको दिसलाते हुए उनके शुभाशुभ फलका वर्णन किया है। इस अध्यायका पहला पद्य इस प्रकार है—

जिनदेनं प्रणम्यादों सर्वज्ञं विविधानितम् । लक्षणानि च वक्ष्येऽहं भद्रबाहुर्यथागमं ॥ १ ॥ इस पद्यमें, मंगलाचरणके बाद, लिसा है कि- 'में भद्रबाहु आगमके अनुसार लक्षणोंका कथन करता हूँ । ' इस प्रतिज्ञावाक्यसे एक दम ऐसा मालूम होता है कि मानो भद्रबाहु स्वयं इस अध्यायका प्रणयन कर रहे हैं और ये सब शब्द उन्हींकी कलमसे अथवा उन्हींके मुखसे निकले हुए हैं; परंतु नीचेके इन दो पर्यों- के पढ़नेसे, जो उक्त पद्यके अनन्तर दिये हैं, कुछ और ही मालूम होने लगता है । यथाः-

पूर्वमायुः परीक्षेत पश्चाहृक्षणभेव च । आयुर्दीननुनारीणां लक्षणेः कि प्रयोजनम् ॥ २ ॥ नारीणां वामभागे तु पुरुषस्य च दक्षिणे । यथोक्तं लक्षणं तेषां भद्रवाहुवचो यथा ॥ ३ ॥

पद्य नं ० ३ में 'भद्रबाहुवचो यथा' ये शब्द आये हैं, जिनका अर्थ होता है ' भद्रबाहुके वचनानुसार अथवा जैसा कि भद्रबाहुने कहा है।' अर्थात् ये सब वचन खास भद्रबाहुके शब्द नहीं हैं—उन्होंने इस अध्यायका प्रणयन नहीं किया बल्कि उनके वचनानुसार (यदि यह सत्य हो) किसी दूसरे ही व्यक्तिने इसकी रचना की हैं। आगे भी इस अध्यायके श्लोक नं ०३२, १३१ और १९५ में यही ' भद्रबाहुव-

⁹ अन्तके २० पद्यों में कुछ थोड़े से हाथी घोड़ोंके भी लक्षण दिये हैं।

चो यथा. शब्द पाये जाते हैं, जिनसे इस पिछले कथनकी और भी अधिक पुष्टि होती है। इसके सिवाय एक स्थानपर, श्लोक नं ० १३६ में, ग्राह्मकन्या कैसी होती है, इत्यादि प्रश्न देकर अगले श्लोक नं० १३७ में ' भद्रबाहु-रुवाचेति ' इस पर भद्रबाहु बोले, इन शब्दोंके साथ उसका उत्तर दिया गया है। प्रश्नोत्तर रूपके ये दोनों श्लोक पहले लेखमें उद्भृत किये जा चुके हैं। इनसे बिलकुल स्पष्ट होजाता है कि यह सब कथन मले ही भद्रबाहुके वचनानुसार लिखा गया हो, परन्तु वह खास भद्रबाहुका वचन नहीं है और न उन लोगोंका वचन है जिनके प्रश्नपर भद्रबाहु उत्तररूपसे बोले थे। क्योंकि यहाँ 'उवाच ' ऐसी परोक्ष भूतकी कियाका प्रयोग पाया जाता है। ऐसी हालतमें कहन। पड़ता है कि यह सब रचना किसी तीसरे ही व्यक्तिकी कृति है । परन्तु ऐसा होनेपर पहले श्लोकमें दिये हुए उक्त प्रतिज्ञावाक्यसे विरोध आता है और इसलिए सारे कथन पर जालीपनेका संदेह होजाता है। तीसरे नम्बरके पद्यको फिरसे जरा गौरके साथ पढने पर मालूम होता है कि उसमें 'भद्रबाहुवचो यथा ' के होते हुए 'यथोक्तम् 'पद व्यर्थ पड़ा है, उसका 'तेषां ' शब्द खटकता है और चूँकि 'यथोक्तं 'पद 'लक्षणं' पदका विशेषण है. इसलिए इस पद्यमें कोई कियापद नहीं है और न पिछले तथा अगले दोनों पद्योंकी क्रियाओंसे उसका कोई सम्बंध पाया जाता है। ऐसी हाल-तमें, इस पद्यका अर्थ होता है- 'स्रियोंके वाम भागमें और पुरुषके दक्षिणभागमें उनका यथोक्त लक्षण मद्रवाहुके वचनानुसार ।' इस अर्थसे यह पच यहाँ बिलकुल असम्बद्ध मालूम होता है और किसी दूसरे पद्यपरसे परिवार्तित करके बनाये जानेका खयाल उत्पन्न करता है। शब्दकल्पद्रम-

कोशमें 'सामुद्रक⁷ शब्दके नीचे कुछ श्लोक किसी सामुद्रकशास्त्रसे उद्धृत करके रक्ते गये हैं, जिनमेंके दो श्लोक इसप्रकार हैं:—

वामभागे तु नारीणां दक्षिणे पुरुषस्य च । निर्दिष्टं लक्षणं तेषां समुद्रेण यथोदितम् ॥ पूर्वमायुः परीक्षेत पश्चाल्लक्षणमेव च । भायुर्हीनं नराणां चेत् लक्षणैः किं प्रयोजनम् ॥

इन श्लोकोंमें पहला श्लोक उक्त तीसरे पद्यसे बहुत कुछ मिलता जुलता है । मालूम होता है कि संहिताका उक्त पद्य इसी श्लोक परसे या इसके सदृश किसी दूसरे श्लोक परसे परिवर्तित किया गया है और इस परिवर्तनके कारण ही वह कुछ दूषित और असम्बंधित बन गया है 📙 अन्यथा, इस श्लोकमें उक्त प्रकारका कोई दोष नहीं है। इसका 'तेषां ' पद भी इससे पहले श्लोक-के उत्तरीर्घमें आये हुए ' मनुष्याणां ' पदसे सम्बन्ध रखता है । रहा दूसरा श्लोक, उसे देखनेसे मालूम होता है कि वह और संहिताका ऊपर उद्धृत किया हुआ पद्य नं० २ दोनों एक हैं। सिर्फ तीसरे चरणमें कुछ नाममात्रका परिवर्तन है जिससे कोई अर्थमेद नहीं होता । बहुत संभव है कि संहिताका उक्त पद्य भी इस दूसरे श्लोकपरसे परिवर्तित किया गया हो 🕼 परन्तु इसे छोड़कर यहाँ एक बात और नोट की जाती है और वह यह है कि इस अध्यायमें एक स्थान पर, ' नारदस्य वची यथा ' यह पद देकर नारदके वचनानुसार भी कथन कर-नेको सचित किया है। यथाः-

ललाटे यस्य जायेत रेखात्रयसमागमः । षष्ठिवर्षायुरुद्दिष्टं नारदस्य वचेा यथा ॥१३०॥ इससे मालूम होता है कि इस अध्यायका

१ वह उत्तरार्ध इस प्रकार है:—' लक्षणं तु मतु ष्याणां एकैकेन वदाम्यहम् ।

कुछ कथन किसी ऐसे ग्रंथसे भी उठाकर रक्खा-गया है जो हिन्दुओंके नारद मुनि या नारदा-चार्यसे सम्बंध रखता है। 'नारदस्य वचो यथा' और ' भद्रबाह्रवचो यथा ' ये दोनों पद एक ही वजनके हैं। आश्चर्य नहीं कि इस अध्यायमें जहाँ ' मद्रबाहुवचो यथा ' इस पदका प्रयोग पाया जाता है वह 'नारदस्य वचो यथा ' इस पदको बदल कर ही बनाया गया हो और जपरके पद्यमें 'नारदस्य ' के स्थानमें ' भद्रबाहु' का परिवर्तन करना रह गया हो । परन्तु कुछ भी हो ऊपरके इस संपूर्ण कथनसे इस विषयमें कोई संदेह नहीं रहता कि इस अध्यायका यह सब कथन, जो २२० पद्योंमें है, एक या अनेक सामुद्रकशास्त्रों- लक्षणग्रंथों-अथवा ताद्विषयक अध्यायोंसे उठाकर रक्ता गया है और कदापि मद्रबाहुश्रुतकेवलीका वचन नहीं है।

(६) भद्रवाहुसंहिताके पहले खंडमें दस अध्याय हैं, जिनके नाम हैं १ चतुर्वर्णनित्य-किया, २ क्षत्रियनित्यकर्म, ३ क्षत्रियधर्म, ४ कृतिसंग्रह, ५ सीमानिर्णय, ६ दंडपारुष्य, ७ स्तैन्यकर्म, ८ स्त्रीसंग्रहण, ९ दायभाग और १० प्रायश्चित्त । इन सब अध्यायोंकी अधिकांश रचना प्रायः मनु आदि स्मृतियोंके आधार पर हुई है, जिनके सैंकडों पद्य या तो ज्योंके त्यों और या कुछ परिवर्तनके साथ जगह जगह पर इन अध्यायोंमें पाये जाते हैं। मनुके १८ व्यव-हारों-विवादपदों-का भी अध्याय नं० ३ से ९ तक कथन किया गया है। परन्तु यह सब कथन पूरा और सिलसिलेवार नहीं है। इसके बीचमें कृतिसंग्रह नामका चौथा अध्याय अपनी कुछ निराली ही छटा दिखला रहा है-उसका मजमून ही दूसरा है-और उसमें कई विवादोंके कथनका दर्शन तक भी नहीं कराया गया । इन अध्या-ऱ्यों पर यदि विस्तारके साथ विचार किया जाय तो एक सासा अलग लेस बन जाय; परन्तु यहाँ इसकी जरूरत न समझक्र सिर्फ उदाहर-णके तौरपर कुछ पद्योंके नमूने दिसलाये जाते हैं:-

क-ज्योंके त्यों पद्य।

त्रैविद्येभ्यस्त्रयीं विद्यां दंडनीतिं च शाश्वतीम् । भान्वीक्षिकीं चात्मविद्यां वार्तारंभाश्व लोकतः २-१३४ तैः सार्धे चिन्तयेन्नित्यं सामान्यं संधिविंग्रहम् । स्थानं समुद्रयं गुप्तिं लब्धप्रशमनानि च ॥-१४५॥

ये दोनों पद्य मनुस्मृतिके सातवें अध्यायके हैं जहाँ वे कमशः नं० ४३ और ५६ पर दर्ज हैं।

नोपगच्छेत्प्रमत्तोऽपि स्त्रियमार्तवद्शेने । समानशयने चैव न शयीत तया सह ॥ ४-४२ ॥

यह पद्य मनुस्मातिके चौथे अध्यायका ४० वाँ पद्य है।

कन्यैव कन्यां या कुर्यात्तस्याः स्याद्विशतो दमः । शुल्कं च द्विगुणं दद्याच्छिफाश्चैवाप्रुयाद्द्यः ॥ ८-१४ ॥ यह पद्य मनुस्मृतिके आठवें अध्यायमें नं० ३६९ पर दर्ज है ।

ख-परिवर्तित पद्य।

मनुस्मृतिके सातवें अध्यायमें, राजधर्मका वर्णन करते हुए, राजाके कामसे उत्पन्न होने-वाले दस व्यसनोंके जो नाम दिये हैं वे इस प्रकार हैं:—

मृगयाक्षो दिवास्त्रप्तः परिवादः स्त्रियोमदः । तैर्गित्रिकं वृथाट्या च कामजो दशको गणः ॥ ४७ ॥ भद्रबाहुसंहितामें इस पद्यके स्थानमें निम्न

लिसित डेढ़ पद्य दिया है:—
परिवादो दिवास्वप्तः मृगयाक्षो वृथाटनम् ।
तौर्यत्रिकं स्त्रियो मद्यमसत्यं स्तैन्यमेव च ॥२-१३८॥
इमे दशगुणाः प्रोक्ताः कामजाः बुधनिन्दिताः ।

दोनों पद्योंके मीलानसे जाहिर है कि भद्र-बाहुसंहिताका यह डेढ़ पद्य मनुस्मृतिके उक्त पद्य नं० ४७ परसे, उसके शब्दोंको आगे पीछे करके बनाया गया है। सिर्फ 'असत्य' और 'स्तैन्य'ये दो व्यसन इसमें ज्यादह बढ़ाये गये हैं, जिनकी वजहसे कामज व्यसनों या गुणोंकी संख्या दसके स्थानमें बारह हो गई है। परंतु वैसे भद्रबाहुसंहितामें भी यह संख्या दस ही लिखी है, जिससे विरोध आता है। संभव है कि ग्रंथकर्ताने 'तौर्यत्रिक' को एक गुण या एक चीज समझा हो। परन्तु वास्तवमें ऐसा नहीं है। गाना, बजाना और नाचना ये तीनों चीजें अलग अलग हैं और अलग अलग गुण कहे जाते हैं, जैसा कि उक्त पदमें लगे हुए 'त्रिक' शब्दसे भी जाहिर है।

नाधर्मश्चरितो लोके सद्यः फलति गौरिव । शनैरावर्तमानस्तु कर्तुर्भूलानि क्रन्तिति ॥ ४–१७२ ॥ (–मनुस्मृतिः ।)

नाधर्मस्त्वरितो लोके सद्यः फलित गौरिव । शनैरावर्तमानस्तु कर्तुर्भूलानि कृन्ति ॥ ४–८५ ॥ (–भद्रबाहु सं०)

ये दोनों पय प्रायः एक हैं । भद्रबाहुंसहि-ताके पयमें जो कुछ थोड़ासा परिवर्तन है वह समीचीन मालूम नहीं होता । उसका 'मिश्रं' पद बहुत सटकता है और वह यहाँ पर कुछ भी अर्थ नहीं रखता । यदि उसे किसी तरह पर 'सद्यः' का पर्यायवाचक शब्द 'शीघ' मान लिया जाय तो ऐसी हालतमें 'स्त्विरितो' के स्थानमें 'श्वारितो ' भी मानना पड़ेगा और तब पय भरमें सिर्फ एक शब्दका ही अना-वश्यक परिवर्तन रह जायगा ।

आत्मा वै जायते पुत्रः पुत्रेण दुहिता समा । तस्यामात्मिन तिष्ठन्त्यां कथमन्यो धनं हरेत् ॥९–२६॥

दायभाग प्रकरणका यह पद्य वही है जो मनुस्मृतिके ९ वें अध्यायमें नं॰ १३० पर दर्ज है। सिर्फ उसके 'यथैवात्मा तथा पुत्रः' के स्थानमें 'आत्मा वै जायते पुत्रः' यह वाक्य बनाया गया है। इस परिवर्तनसे 'पुत्र अपने हिं समान हकदार है 'की जगह 'आत्मा निश्चयसे पुत्ररूप होकर उत्पन्न होता है' यह अर्थ हो गया है। कृत्वा यज्ञोपवीतं तु पृष्ठतः कंठलम्बितम्।

कुला यशापनात तु पृष्ठतः कठलान्यतम् । विण्म्त्रे तु गृही कुर्योद्वामकर्णे त्रतान्वितः ॥ १-१८॥

्यह पद्य वही है जिसे विट्ठल नारायण कृत 'आद्भिक 'में 'अंगिराः 'ऋषिका वचन लिखा है। सिर्फ 'समाहितः ' के स्थानमें यहाँपर ' व्रतान्वितः ' का परिवर्तन किया गया है।

मनुस्मृतिके आठवें अध्यायमें, लोकव्यवहा-रके लिए कुछ संज्ञाओंका वर्णन करते हुए, लिखा है।कि झरोखेके भीतर सूर्यकी किरणोंके प्रविष्ट होनेपर जो सूक्ष्म रजःकण दिखलाई देते हैं उसको त्रसरेणु कहते हैं। आठ त्रसरेणु-ओंकी एक लीख, तीन लीखोंका एक राजसर्षप, तीन राजसर्षपोंका एक गौरसर्षप और छह गौरस्षपोंका एक मध्यम यव (जौ) होता है। यथा:-

जालान्तरगते भानौ यत्सूक्ष्मं दृश्यते रजः । प्रथमं तत्प्रमाणानां त्रसरेणुं प्रचक्षते ॥ १३२ ॥ त्रसरेणवोऽष्टौ विज्ञेया लिक्षेका परिमाणतः । ता राजसर्वपस्तिस्रस्ते त्रयो गौरसर्वपाः ॥१३३ ॥ सर्वपाः षट् यवो मध्यः.....

भद्रबाहुसंहिताके कर्ताने मनुस्मृतिके इस कथनमें त्रसरेणुसे परमाणुका अभिप्राय समझकर तथा राजसर्षप और गौरर्सषपके भेदोंको उड़ा-कर जो कथन किया है वह इस प्रकार हैं:— + यस्य भागो पुनर्नस्यात्परमाणुः स उच्यते। तेऽष्टौ लिक्षा त्रयस्तच सर्षपस्ते यवो हि षट्॥३-२५२॥

+ इससे पहले श्लोकमें त्रसरेजादिके भेदसे ही मान-संज्ञाओंके कथनकी प्रतिज्ञा की गई है जिससे मासूम होता है कि प्रथकर्ताने त्रसरेणुको परमाणु समझा है। यथाः संसारव्यवहारार्थं मानसंज्ञा प्रकथ्यते। हेम-रत्नादिवस्तूनां त्रसरेज्यादिभेदतः॥ २५१॥

अर्थात्-जिसका विभाग न हो सके उसको ्परमाणु कहते हैं । आठ परमाणुओंकी एक लीख, तीन लीखोंका एक सर्षप (सरसोंका दाना) और छह सर्षपोंका एक जौ होता है। संहिता-का यह सब कथन जैनदृष्टिसे बिलकुल गिरा हुआ ही नहीं बल्कि नितान्त, असत्य मालूम होता है। इस कथनके अनुसार एक जो, असं-रूयात अथवा अनंत परमाणुओंकी जगह, सिर्फ १४४ परमाणुओंका पुंज ठहरता है, जब कि मनुस्मृतिका कर्ता उसे ४३२ त्रसरेणुओं के बराबर बतलाता है। एक त्रसरेणुमें बहुतसे परमाणुओंका समृह होता है। परमाणुको जैन-शास्त्रोंमें इंदियगोचर नहीं माना; ऐसी हालत होते हुए लौकिक व्यवहारमें परमाणुके पैमानेका प्रयोग भी समुचित प्रतीत नहीं होता । इन सब बातोंसे मालूम होता है कि ग्रंथकर्ताने संज्ञाओं की यह कथन मनस्मृति या उसके सहश किसी दूसरे ग्रंथसे लिया तो जहूर है; परन्तु वह उसके आशयको ठीक तौरसे समझ नहीं सका और उसने परमाणुका लक्षण साथमें लगाकर जो इस कथनको जैनकी रंगत देनी चाही है उससे यह कथन उलटा जैनके विरुद्ध होगया है और इससे ग्रंथकर्ताकी साफ मूर्खता टपकती है। सत्य है ' मूर्खींका प्रसाद भी भयंकर होता है।'

(७) इस संहितामें अनेक कथन ऐसे पाये जाते हैं जिन्हें ग्रंथकर्ताने विना किसी नृतन आवश्यकर्ताके एकसे अधिक वार वर्णन किया है और जिनके इस वर्णनसे न सिर्फ ग्रंथकर्ताकी मूदता अथवा हिमाकत ही जाहिर होती है बल्कि साथ ही यह बात और स्पष्ट हो जाती है कि यह पूरा ग्रंथ किसी एक व्यक्तिकी स्वतंत्र रचना न होकर प्राय: भिन्न भिन्न व्यक्तियोंके प्रकरणोंका एक बेढंगा संग्रह मात्र है। ऐसे कथनोंके कुछ नमूने इस प्रकार हैं:—

(क) पहले खंडके 'प्रायाश्चित्त' नामक १० वें अध्यायमें, एक स्थान पर, ये तीन पद्य दिये हैं:—

पण दस बारस णियमा पण्णारस होइ तह्य दिवसेहिं। खित्तय बंभाविस्सा सुद्दाय कमेण सुज्झंति ॥ ३७ ॥ क्षित्रयासूतकं पंच वित्राणां दश उच्यते । वैद्यानां द्वादशाहेन मासार्धेष्वितरे जने ॥ ३८ ॥ यतिः क्षणेन शुद्धः स्थारपंच रात्रेण पार्थिवः । ब्राह्मणो दशरात्रेण मासार्धेनेतरो जनः ॥ ३९ ॥

इन तीनों पद्योंमेंसे कोई भी पद्य 'उक्तं च ' आदि रूपसे किसी दूसरे व्यक्तिका प्रगट नहीं किया गया और न दूसरा पद्य पहले प्राकृत पद्यकी छाया है। तो भी पहले पद्यमें जिस बात-का वर्णन दिया है वही वर्णन दूसरे पद्यमें भी किया गया है । दोनों पद्यों में क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शृद्रोंकी सुतकश्चिकी मर्यादा कमशः पाँच, दस, बारह और पंद्रह दिनकी बतलाई है। रहा तीसरा पद्य, उसमें क्षत्रियों और ब्राह्मणोंकी शुद्धिका तो कथन वही है जो ऊपरके दोनों पद्योंमें दिया है और इसलिए यह कथन तीसरी बार आगया है, बाकी रही वैश्यों और शूद्रोंकी शुद्धिकी मयीदा, वह इसमें १५ दिनकी बतलाई है, जिससे वैश्योंकी शुद्धिका कथन पहले दोनों पद्योंके कथनसे विरुद्ध पड़ता है । क्योंकि उनमें १२ दिनकी मर्यादा लिखी है। इसके सिवाय ग्रंथमें इन तीनों पद्योंका ग्रंथके पहले पिछले पद्योंके साथ कुछ सम्बंध ठीक नहीं बैठता और ये तीनों ही पद्य यहाँ 'उठाऊ चूल्हा ' जैसे मालूम पडते हैं ।

(स) दूसरे खंडमें 'तिथि 'नामका २८ वाँ अध्याय है, जिसमें कुछ तेरह पद्य हैं। इनमें-से छह पद्य नं० ४, ५, ७, ८, ९, १० बिछ-कुछ वे ही हैं जो इससे पहले 'मुहूर्त' नामके २७ वें अध्यायमें क्रमशः नं० ९, १०, १७,



१८, १९, २० पर दर्ज हैं । यहाँ पर उन्हें व्यर्थ ही दुवारा रक्सा गया है ।

(ग) दूसरे खंडमें 'विरोध' नामका एक ४३ वाँ, अध्याय भी है जिसमें कुल ६३ श्लोक हैं। इन श्लोकोंमें शुक्तके साढ़े तेईस श्लोक-नं० २ से नं० २५ के पूर्वीध तक-बिलकुल ज्योंके त्यों वे ही हैं जो पहले इसी खंडके ' ग्रहयुद्ध ' नामके २४ वें अध्यायके + शुरूमें आचुके हैं और उन्हीं नम्बरोंपर दर्ज हैं। समझमें नहीं आता कि जब दोनों अध्यायोंका विषय भिन्न भिन्न था तो फिर क्यों एक अध्यायके इतने अधिक श्लोकों-को दूसरे अध्यायमें फिजूल नकल किया गया। संभव है कि इन दोनों विषयोंमें ग्रंथकर्ता-को परस्पर कोई भेद ही मालूम न हुआ हो । उसे इस ' विरोध ' नामके अध्यायको रखनेकी जरू-रत इस वजहसे पड़ी हो कि उसके नामकी सूचना उस विषयसूचीमें की गई है जो इस संडके पहले अध्यायमें लगी हुई है और जो पहला अध्याय अगले २३-२४ अध्यायोंके साथ किसी दूसरे व्यक्तिका बनाया हुआ है, जैसा कि पहले लेखमें सूचित किया जा चुका है और इसलिए ग्रंथकर्ताने इस अध्यायमें कुछ श्लोकोंको ्र ग्रहयद्धः प्रकरणसे और बाकीको एक या अनेक ताजिक ग्रंथोंसे उठाकर रख दिया हो और इस तरहपर इस अध्यायकी पूर्ति की हो। परन्तु कुछ भी हो, इसमें सन्देह नहीं कि ग्रंथ-कर्तीने अपने इस कृत्यद्वारा सर्व साधारण पर अपनी खासी मूर्खता और हिमाकतका इजहार किया है।

(घ) इस ग्रंथमें 'स्वम' नामका एक अध्याय नं २६ है, जिसमें केवल स्वमका ही वर्णन है और दूसरा 'निमित्त' नामका ३० वाँ अध्याय है, जिसमें स्वप्नका भी वर्णन दिया है। इन दोनों अध्यायोंमें स्वप्नविषयक जो कुछ कथन किया गया है उसमेंसे बहुतसा कथन एक दूसरेसे मिलता जुलता है और एकके होते दूसरा बिलकुल व्यर्थ और फिजूल मालूम होता है। नमूनेके तौरपर यहाँ दोनों अध्या-योंसे सिर्फ दो दो श्लोक उद्धृत किये जाते हैं:—

9-मधुरेर्चिर्विशेत्स्वप्ने दिवा वा यस्य वेश्मिन । तस्यार्थनाशं नियतं मृतोवाप्यभिनिर्दिशेत् ॥ ४५॥ ---अध्याय २६।

मधुळत्रं विशेत्स्त्रप्ने दिवा वा यस्य वेश्मिन । अर्थनाशो भवेत्तस्य मरणं वा विनिर्दिशेत् ॥१३३॥ ---अध्याय ३० ।

२—मूत्रं वा कुरुते स्वप्ने पुरीषं वा सलोहितम् । प्रतिबुध्येत्तथा यश्च लमते से।ऽर्थनाशनम् ॥ ५२॥

---अ॰ २६।

पुरीषं लेहितं स्वप्ने मूत्रं वा कुरुते तथा । तदा जागर्ति यो मत्यों द्रव्यं तस्य विनश्यति ॥१२१॥ —अ० ३० ।

इनसे साफ जाहिर है कि ग्रंथकर्ताने इन दोनों अध्यायोंका स्वप्नविषयक कथन भिन्न भिन्न स्थानोंसे उठाकर रक्खा है और उसमें इतनी योग्यता नहीं थी कि वह उस कथनको छाँटकर अलग कर देता जो एक बार पहले आचुका है। इसी तरह पर इस ग्रंथमें 'उत्पात ' नामका एक अध्याय नं० १४ है, जिसमें केवल उत्पातका ही वर्णन है और दूसरा 'ऋषिपुत्रिका' नामका चौथा अध्याय, तीसरे खंडमें, है जिसमें उत्पातका प्रधान प्रकरण है। इन दोनों अध्या-योंका बहुतसा उत्पातविषयक कथन भी एक दूसरेसे मिलता जुलता है। इनके भी दो दो नमूने इस प्रकार हैं:-

१-नर्तनं जलनं हास्यं उल्कालापौ निमीलनं । देवा यत्र प्रकुर्वन्ति तत्र विद्यानमहद्भयम् ॥१४-१०२॥

⁺ इस २४ वें अध्यायमें कुल ४३ श्लोक हैं।



देवाँ णचंति जिहं पिसजंतिं तहय रोवंती ।
जइ धूमंति चलंति य हसंति वा विविहरूवेहिं॥
लोयस्सिदिंतिं मारिं दुब्मिक्खं तहय रोय पीडं वा ४-७८
२ आरण्या प्राममायान्ति वनं गच्छंति नागराः ।
उदंति चाथ जल्पंति तदारण्याय कल्पते ॥१४-६॥
आरण्णेयामिग पक्खी, गामे णयरम्मि दीसदे जत्थ ।
होहिद णायरविणासो परचकादो न संदेहो ॥४-५६॥

इससे स्पष्ट मालूम होता है कि इन अध्यायों-का यह उत्पात विषयक कथन भी भिन्न भिन्न स्थानोंसे उठाकर रक्सा गया है और चूँकि इन दोनों अध्यायोंमें बहुतसा कथन एक दूसरेके विरुद्ध भी पाया जाता है, जिसका दिग्दर्शन अगले लेखमें कराया जायगा, इसलिए ये दोनों अध्याय किसी एक व्यक्तिके बनाये हुए भी नहीं हैं। ग्रंथकर्ताने उन्हें जहाँ तहाँसे उठाकर बिना सोचे समझे यहाँ जोड दिया है।

(८) यद्यि इससे पहले लेखमें और इस लेखमें भी ऊपर, प्रसंगानुसार, असम्बद्ध कथ-नोंका बहुत कुछ उछेस किया जा चुका है तो भी यहाँ पर कुछ थोड़ेसे असम्बद्ध कथनोंको और दिसलाया जाता है, जिससे पाठकों पर ग्रंथका बेढं-गापन और भी अधिकताके साथ स्पष्ट हो जाय:— (क) गणेशादिमुनीन सर्वान नमंति शिरसा सदा । निर्वाणक्षेत्रपूजादीन मुंजंतिन्द्राक्ष भी नृप ॥३६-५९॥ त्रसरेंप्वादिकं चान्यतिलकालकसंभवं। इत्येवं व्यंजनानां च लक्षणं तत्त्वतो नृप ॥३८-१९॥ मनुष्येष भवेचिहं छत्रतोरणचामरं।

९ संस्कृतछायाः—" देवा नृत्यंति यदि प्रस्वेदांति तथा च रदन्ति (वदन्ति) । यदि धूमंति चलंति च हसंति वा विविधरूपैः ॥ लेकस्य ददति मार्गं दुभिंक्षं तथा रोगपीडां वा ॥ ७८ ॥

सिंहासनादिमत्स्यान्तं राज्यिचहं भवेत्रृप ॥ ३९-६ ॥

२ संस्कृतछ।या:-

आरण्यकमृगपक्षी प्रामे नगरे च ह्यते यत्र । भविष्यति नगरविनाशः परचकात् न संदेहः ॥ ५६ ॥ विदिग्गतश्चीर्ध्वगतोऽघोगतो दीप एव च । कदाचिद्रवित प्रायो हेयो राजन् शुभोऽशुभः३-८-१८

ये चारों पद्य क्रमशः १ दिव्येन्द्रसंपदा, २ व्यंजन, ३ चिह्न और ४ दीप नामके चार अलग अलग अध्यायोंके पद्य हैं। इनमें ' **नृप** ' और 'राजन ' शब्दोंद्वारा किसी राजाको सम्बोधन करके कथन किया गया है; परन्तु पहले यह बतलाया जा चुका है कि इस संपूर्ण ग्रंथमें कहीं भी किसी राजाका कोई प्रकरण या प्रसंग नहीं है और न किसी राजाके प्रश्न पर इस ग्रंथकी रचना कीगई है, जिसको सम्बोधन करके ये सब वाक्य कहे जाते । इसलिए ये चारों पद्य इस ग्रंथमें बिलकुल असम्बद्ध तथा अनमेल मालूम होते हैं और साथ ही इस बातको सूचित करते हैं कि ग्रंथकर्ताने इन चारों पद्योंहीको **नहीं** बाल्क संभवतः उक्त चारों अध्यायोंको किसी ऐसे दसरे ग्रंथ या ग्रंथोंसे उठाकर यहाँ रक्खा है जहाँ उक्त ग्रंथ या ग्रंथोंके कर्ताओं**ने उन्हें** अपने अपने प्रकरणानुसार दिया होगा । मालूम होता है कि संहिताके कर्तीके ध्यानमें ही ये सम्बोधन पद नहीं आये। अथवा यों कहना चाहिए कि उसमें इनके सम्बंधविशेषको समझ-नेकी योग्यता ही नहीं थी । इस लिए उसने उन्हें ज्योंका त्यों नकल कर दिया है।

(स) इस ग्रंथके तीसरे खंडमें 'नवगह-स्तुति 'नामका सबसे पहला अध्याय है । अन्तिमवक्तव्यमें भी इस अध्यायका नाम 'ग्रहस्तुति 'ही लिखा है; परन्तु इस सारे अध्यायका पाठ कर जाने पर, जिसमें कुल १५ पय हैं, ग्रहोंकी स्तुतिका इसमें कहीं भी कुछ पता नहीं है। इसका पहला पद्य मंगलाचरण और प्रतिज्ञाका है, जिसमें 'महशान्ति मव-क्यामि 'इस वाक्यके द्वारा ग्रहोंकी स्तुति नहीं बल्कि शान्तिके कथनकी प्रतिज्ञा की गई है।

दूसरे पद्यमें ग्रहों (खेचरों) को ' जैनेन्द्र ' बतलाया है और उनके पुजनकी प्रेरणा की है। इसके बाद चार पद्योंमें तीर्थकरों और ग्रहोंके नामोंका मिश्रण है। ये चारों पद्य संस्कृत साहि-त्यकी दृष्टिसे बडे ही विलक्षण मालुम होते हैं। इनसे किसी यथेष्ट आशयका निकालना बड़े बुद्धिमानका काम है * । सातवें पद्यमें खेचरों साहित जिनेंद्रोंके पूजनकी प्रेरणा है । आठवें पद्यमें ग्रहोंके नाम दिये हैं और उन्हें 'जिन ' भगवानकी पूजा करनेवाले बतलाया है । इसके बादके दो पद्योंमें लिखा है कि " जो कोई जिनेंद्रके सन्मुख ग्रहोंको प्रसन्न करनेके लिए 'नमस्कारशत' को भक्तिपूर्वक १०५ बार जपता है (उससे क्या होता है ? यह कुछ नहीं बत-लाया)। पाँचवें श्रुतकेवली भद्रबाहुने यह सब कथन किया है। विद्यानुवादपूर्वकी ग्रहशांतिविधि की गई। " यथाः--

> जिनानाममतो योहि महाणां तुष्टिहेतवे। नमस्कारशतं भक्त्या जपेदछोत्तरं शतं॥ ६॥ भद्रबाहुस्वाचेति पंचमः श्रुतकेवली। विद्यानुवादपूर्वस्य महशांतिविधिः कृतः॥ १०॥

११ वें पद्यमें यह बतळाया है कि जो कोई नित्य प्रातःकाल उठकर विद्योंकी शांतिके लिए पढ़े (क्या पढ़े शयह कुछ सूचित नहीं किया) उसकी विपदायें नाश हो जाती हैं और उसे सुख मिलता है। इसके बाद एक पद्यमें यहोंकी धूपके, दूसरेमें यहोंकी सामिधिके और तीसरेमें सप्त धान्योंके नाम दिये हैं और अन्तिम पद्यमें यह बतलाया है कि कैसे यज्ञके समान कोई शत्रु नहीं है। अध्यायके इस संपूर्ण परिचयसे पाटक मले प्रकार समझ सकते हैं कि इन सब कथनोंका प्रकृत विषय (प्रहस्तुति) से कहाँ तक सम्बन्ध है और आपसमें भी ये सब कथन कितने एक दूसरेसे सम्बंधित और सुगाठित मालूम होते हैं! आध्यर्य है कि ऐसे असम्बद्ध कथनोंको भी मद्रवाहु श्रुतकेवलीका वचन बतलाया जाता है।

(ग) तीसरे खंडभें 'शास्ति' नामके पाँचवें अध्यायका प्रारंभ करतेहुए सबसे पहले निम्न लि-सित श्लोक दिया है:—

महस्तुतिः प्रतिष्ठा च मूलमंत्रिषेपुत्रिके । शास्तिचके कियादीपे फलशान्ती दशोत्तरे ॥ १ ॥

यह श्लोक वही है जो, उत्तर खंडके दूस अध्यायोंकी सूची प्रगट करता हुआ, आन्तम वक्तव्यमें नं० ५ पर पाया जाता है और जिसका पिछले लेखमें उल्लेख होचुका है। यहाँ पर यह श्लोक बिलकुल असम्बद्ध मालूम होता है और प्रथकर्ताकी उन्मत्तदशाको सूचित करता है। साथ ही इससे यह भी पाया जाता है कि ' आन्तम वक्तव्य ' आन्तमखंडके अन्तमें नहीं बना बल्कि वह कुल या उसका कुछ भाग पहललेसे गढ़ा जाचुका था। तबही उसके उक्त वाक्यका यहाँ इतने पहलेसे अवतार होसका है। इस श्लोकके आगे प्राकृतके ११ पद्योंमें संस्कृत्तछायासहित इस अध्यायका जो कुछ वर्णन किया है वह पहले पद्यको छोड़कर जिसमें मंगलाचरण और प्रतिज्ञा है, किसी यक्षकी पूजासे उठाकर

^{*} उक्त चारों पद्य इस प्रकार हैं, जिनका अर्थ पाठकोंको किसी संस्कृत जाननेवालेसे मालूम करना चाहिए:—

[&]quot; पद्मप्रभस्य मार्तेडश्रंद्रश्रंद्रप्रभस्य च। वासुपूज्यस्य सूपुत्रो बुधेप्यष्टिजनेश्वराः ॥ ३ ॥ विमलानन्तधर्माणः शांतिकुंशुनिमस्तथा । वर्धमानिजनेद्रस्य पादपद्मे बुधं न्यसेत् ॥ ४ ॥ वृषभाजितसुपार्श्वश्वाभिनंदनशीतले । समितः संभवः स्वामीश्रेयांसश्च वृहस्पतेः ॥५॥ सुविधेः कथितः शुक्रः सुत्रतस्य शनैश्वरः । नेमिनाथो भवेद्राहोः केतुः श्रीमक्षिपार्श्वयोः ॥ ६ ॥ "



रक्सा गया है और उसकी ' जयमाल ' माळूम होता है।*

(घ) तीसरे खंडके ९ वें अध्यायमें ग्रहचा-रका वर्णन करते हुए 'शनैश्चरचार के सम्बंधमें जो पद्य दिया है वह इस प्रकार है:--

श्तैश्चरं चारमिदं च भूमिपो यो वेति विद्वानिभृतो यथावत् ।

सपूजनीयो मुवि लब्धकीर्तिः सदा सहायेव हि दिव्यचक्षुः ॥ ४३ ॥

इस पद्यमें शनैश्वरचारका कुछ भी वर्णन न देकर सिर्फ उस विद्वान राजाकी प्रशंसा की गई जो शनैश्चरचारके 'इस कथन ' को जानता है। परन्तु इससे यह मालूम न हुआ कि शनैश्वर-चारका वह कथन कौनसा है जिसका यहाँ 'इदं' (इस) शब्दसे ग्रहण किया गया है । क्योंकि अध्याय भरमें इस पद्यसे पहले या पीछे इस विषयका कोई भी दूसरा पद्य नहीं है जिससे इस ' इदं ' शब्दका सम्बंध हो सके । इसलिए यह पद्य यहाँपर बिलकुल असम्बद्ध और अनर्थक मालुम होता है। ग्रंथकर्ताने इसे दूसरे खंडके ' शनैश्चर-चार ' नामके १६ वें अध्यायसे उठा-कर रक्ता है जहाँपर यह उक्त अध्यायके अन्तमें दर्ज है। इसी तरह पर यहाचारसंम्बन्धी अध्या-योंके प्रायः अन्तिम पद्य हैं और वहींसे उठाकर यहाँ रक्ले गये हैं। नहीं मालुम अंथकर्ताने ऐसा करके अपनी मूर्खता प्रगट करनेके सिवाय और कौनसा लाभ निकाला है।

(ङ) पहले खंडमें ' प्रायश्चित्त ' नामका दसवाँ अध्याय है । इस अध्यायके शुक्तमें, पहले कुछ गय देकर ' इदं प्रायश्चित्तप्रकरणमार-भ्यते ' इस वाक्यके बाद, ये तीन पय दिये हैं; और इनके आगे बरतनेंकी शुद्धि आदिका कथन है:—

यथाशुद्धि वर्तं धृत्वोपासकाचारसूचितम् । भोगोपभोगनियमं दिग्देशनियति तथा ॥ १ ॥ अनर्थदंडविरति तथा नित्यं वर्तं कमात् । अर्हदादीव्रमस्कृत्य चरणं गृहमेधिनाम् ॥ २ ॥ कथितं मुनिनाथेन श्रुत्वा तच्छ्रावयेदसून् । पायाद्यातिकुर्लं नत्वा पुनर्दर्शनमस्त्विति ॥ ३ ॥

इन तीनों पद्योंका अध्यायके पहले पिछले कथनसे प्रायः कुछ भी सम्बंध नहीं है। तीसरे पद्यका उत्तरार्ध भी शेष पद्योंके साथ असँगत जान पड़ता है। इसलिए ये पय यहाँपर असंबद्ध मालूम होते हैं। इनमें लिखा है कि-' उपास-काचारमें कहे हुए भोगोपभोगपरिमाण वतको दिग्विरति, देशविरति तथा अनर्थदंडविरति नामके वतोंको और तैसे ही अन्य नित्यवतोंको क्रमशः यथाशक्ति धारण करके और अईतादिकको-नमस्कार करके मुनिनाथने गृहस्थोंके चारित्रका वर्णन किया है। उसको सुनकर उन्हें सुनावे, रक्षा करे, यतिकुलको नमस्कार करके फिरदर्शन होवे, इस प्रकार । ' इस कथनकी अन्य बातोंको छोड्कर, मुनिनाथने उपासकाचारमें कहे हुए श्रावकोंके वतोंको धारण किया, और वह भी पूरा नहीं, यथाशक्ति ! तब कहीं गृहस्थोंके च-रित्रका वर्णन किया, यह बात बहुत खटकती है और कुछ बनती हुई मालूम न होकर असमंजस प्रतीत होती है। जैनसिद्धान्तकी दृष्टिसे मुनी-इवरोंको श्रावकोंके व्रतोंके धारण करनेकी कोई जरूरत नहीं है। वे अपने महावतोंको पालन करते हुए गृहस्थोंको उनके धर्मका सब कुछ उपदेश देसकते हैं । नहीं मालूम ग्रंथकर्ताने कहाँ कहाँके पदोंको आपसमें जोड़कर यहाँपर यह

^{*} मंगळाचरणके वादका पद्य निम्न प्रकार है और अन्तमें 'घत्ता ' के बाद 'मइ णिम्मळ होड...' इत्यादि एक पद्य दिया है:—" चारणावास कैळास सैळासिओ, किंणरीवेणुवीणाझुणीतोसिओ। सामवण्णो सडण्णो पसण्णो मुहो, आइ देवाण देवाहि पम्मो मुहो ॥ ३॥"

असमंजसता उत्पन्न की है। परन्तु इसे छोड़िए और एक नया दृश्य देखिए। वह यह है कि, इस अध्यायमें अनेक स्थानोंपर कीडी, बीडा, ताम्बूल बीडा, खटीक, चमार, मोची, डोहर, कोली, कंदी, जिमन, खाती, सोनार, ठठेरा, छीपी, तेली, नाई, डोंच, वुरुड और मनियार इत्यादि बहुतसे ऐसे शब्दोंका प्रयोग पाया जाता है जिनका हिन्दी आदि दूसरी भाषाओंके साथ सम्बंध है। संस्कृत ग्रंथमें संस्कृत वाक्योंके साथ इस प्रकारके शब्दोंका प्रयोग बहुत ही खटकता है और इनकी वजहसे यह सारा. अध्याय बड़ा ही विलक्षण और बेटंगा मालूम होता है। नमू-नेके तौरपर ऐसे कुछ वाक्य नीचे उद्धृत किये-जाते हैं:—

९-'' चाडालकलाकचमारमोचीडोहरयोगिकोलांकं-दीनां गृहे जिमन इतर समाचारं करोति तस्य प्राय-श्चित्त...मोकलाभिषेकाः विंशति...बीडा १००।"

२-" अष्टादशप्रकारजातिमध्ये सालिमालीतेलीतं-वीसूत्रधार-खातीसोनार-ठठेराकुं मकारपरोथटळीपीनाई-डोंवबुरुडगणीमनी-यारचित्रकार इत्यादयः प्रकारा एतेषां ग्रेहे मुंके समाचारं करोति तस्य प्रायिक्षत्तं उपवासा ९ एकभक्तानि ३ताम्बूल बीडा ४००।

मालूम होता है कि ग्रंथकर्ताने यह सब कथन किसी ऐसे ही खिचड़ी ग्रंथसे उठाकर रक्खा है और उसे इसको शुद्ध संस्कृतका रूप देना नहीं आया। इससे पाठक ग्रंथकर्ताकी संस्कृतसम्बंधिनी योग्यताका भी बहुत कुछ अनुभव कर सकते हैं। इस तरह पर यह ग्रंथ इधर उधरके प्रकरणोंका एक बेढंगा संग्रह है। ग्रंथकर्ता यह सब संग्रह कर तो गया, परन्तु मालूम होता है कि बादको किसी घटनासे उसे इस बातका भय ज़रूर हुआ है कि कहीं मेरी यह सब पोठ सर्वसाधारण पर खुठ न जाय। और इसलिए उसने इस ग्रंथ

पर, अपने अन्तिम वक्तव्यमें, यह आज्ञा चढ़ा दी है कि, 'यह संहिता (भट्टारकी गद्दीपर बैठ-नेवाले) आचार्यके सिवाय और किसीको भी न दी जाय। मिथ्यादृष्टि और मृद्धात्माको देनेसे लोप हो जायगा। आगेके लोग पक्षपाती होंगे। यह संहिता सम्यक्ट्ष्टि महासूरि (भट्टारक) के ही योग्य है, दूसरेके योग्य नहीं है। यथा:—संहितेयं तु कस्यापि न देया सूरिभिविंना॥ १५॥ मिथ्यात्विने च मुद्धाय दत्ता धर्म विलुंपति।

पक्षपातयुताश्चाप्रे भविष्यंति जनाः खलु ॥ १६ ॥ एषा महामंत्रयुता सुप्रभावा च संहिता । सम्यग्दरोो महासूरेयोंग्येयं नापरस्य च ॥ १७ ॥

पाठकगण ! देखा, कैसी विलक्षणआज्ञा है ! धर्मके लोप हो जानेका कैसा अद्भुत सिद्धान्त है! कैसी अनोखी भविष्यद्वाणी की गई है ! और किस प्रकारसे ग्रंथकर्ताने अपने मिथ्यात्व, मुढता और पक्षपात पर परदा डालनेके लिए दूसरोंको मिथ्यादृष्टि, मूढ और पक्षपाती ठहरायाहें !! साम्प्रदायिक मोह और बेशरमीकी भी हद हो गई !!! परन्तु कुछ भी हो, इस आज्ञाका इतना परिणाम जरूर निकला है कि समाजमें इस संहि-ताका अधिक प्रचार नहीं हो सका। और यह अच्छा ही हुआ। अब जो लोग इस संहिताका प्रचार करना चाहते हैं, समझना चाहिए कि. वे ग्रंथकर्ताके उक्त समस्त कूट, जाल और अयुक्ता-चरणके पोषक तथा अनुमोदक ही नहीं बाल्के भद्रबाहुश्रुतकेवलीकी योग्यता और उनके पवित्र नामको बट्टा लगानेवाले हैं। अगले लेखमें, विरुद्ध कथनोंका उल्लेख करते हुए, यह भी दिसलाया जायगा कि ग्रंथकर्ताने इस संहिताके द्वारा अपने किसी कृत्सित आशयको पूरा करनेके लिए लोगोंको मार्गश्रष्ट (गुमराह) और श्रद्धानश्रष्ट करनेका कैसा नीच प्रयस्न 24-22-25 1

क्का क्षेत्र के लेकों और कवियों द्वारा हिन्दी साहित्यकी सेवा* ।

सभापति महाशय और सभ्यवृन्द !

भारतवर्षको अपनी धार्मिक सहिष्णुताका अभिमान है। इस पुण्यभूमिमें आस्तिक, नास्तिक, वैदिक, अवैदिक, ईश्वरवादी, अनीश्वरवादी आदि सभी परस्परविरुद्ध विचार रखनेवाले एक दूसरेको कष्ट दिये विना फलते-फूलते और वृद्धि पाते रहे हैं। हजारों वर्षों तक यहाँ यह हाल रहा है कि एक ही कुटुम्बमें वैदिक, जैन, और बौद्ध धर्म एक साथ शान्तिपूर्वक पाले जाते रहे हैं। मतिविभिन्नता या विचारमिन्नताके कारण यहाँ के लोग किसीसे द्वेष या वैर नहीं करते थे, बल्कि दूसरोंके विचारोको आदरकी दृष्टिसे देखते थे। यही कारण है जो यहाँ चार्वाक-दर्शनके प्रणेता 'महर्षि ' के महत्त्वसूचक पदसे सत्कृत किये गये हैं और वेद्विरोधी भगवान ऋषभदेव तथा बुद्धदेव 'अवतार ' माने गये हैं।

पर हमारी यह अभिमानयोग्य परमतसहि
ग्रुता पिछले समयमें न रही और जबसे यह कम
होने लगी, तभीसे शायद भारतका अध:पतन
होना शुरू हो गया। लोग मतिमन्नताके कारण
एक दूसरेसे घृणा करने लगे और वह घृणा
इतनी बढ़ गई कि धीरे धीरे यहाँ परमतसिहण्णता
और विचारौदार्यकी हत्या ही हो गई। 'हस्तिना
पीड्यमानोऽपि न गच्छे जैनमन्दिरम्' जैसे वाक्य
उसी समय गढ़े गये और धार्मिक देषके बीज बो
दिये गये।

इस असहिष्णुता या अनुदारताने देशकी बौद्धिक और राष्ट्रीय उन्नातिके मार्गमें खूब ही काँटे बिछाये । इससे हमारी मानासिक प्रगतिको लक्बा मार गया और हमारे साहित्यकी बाढ अनेक छोटी बड़ी सीमाओंके भीतर अवरुद्ध हो गई । इसकी क्रुपासे ही हमारा बहुतसा साहित्य पड़ा पड़ा सड़ गल गया और बहुतसा नष्ट कर दिया गया । यद्यपि अब भी हमको इस बलाके पंजेसे छुट्टी नहीं मिली है-न्युना-धिक रूपमें उसका व्यक्त अव्यक्त प्रभाव हमारे हृदयों पर अब भी बना हुआ है; तो भी सौ-भाग्यवश हम नये ज्ञानके प्रकाशमें आ पड़े हैं जिससे हमारी आँखें बहुत कुछ खुल गई हैं। हम धीरे धीरे अपने पुराने मार्गपर आने लये विचारभिन्नताका आदर करने लगे हैं और अपने पराये सभी धर्मीको उदार दृष्टिसे देखने छगे हैं।

आज हिन्दीसाहित्यसम्मेलनके इस फ्लेट-फार्म पर मुझे जो 'जैन लेखकों और कवियों द्वारा हिन्दी साहित्यकी सेवा ' पर यह निबन्ध पढ़नेकी आज्ञा दी गई है सो मेरी समझमें इसी प्रकाशका ही परिणाम है। मुझे आशा है कि हमारी यह उदारता दिन पर दिन बढ़ती जायगी और कमसे कम हमारी साहित्यसम्बन्धी संस्थाओंसे तो धार्मिक पक्षपात सर्वथा ही हट जायगा।

प्रसंगवश ये थोड़ेसे शब्द कहकर अब मैं अपने विषयकी ओर आता हूँ।

[🔻] सप्तम **हिन्दी**साहित्यसम्मेलन, जवलपुरमें पढ़े जानेके लिए जैनहितैषी-सम्पादक द्वारा लिखित।

१ जैनसाहित्यका महत्त्व।

हिन्दीका जैन साहित्य बहुत विशाल है और बहुत महत्त्वका है। भाषाविज्ञानकी दृष्टिसे उसमें कुछ ऐसी विशषतायें हैं जो जैनेतर साहित्यमें नहीं हैं।

१ हिन्दीकी उत्पत्ति और क्रमविकासके इति-हासमें इससे बहुत बड़ी सहायता मिलेगी। हिन्दीकी उत्पात्त जिस प्राकृत या मागधीसे मानी जाती है, उसका सबसे अधिक परिचय जैन विद्वानोंको रहा है । अभीतक प्राकृत या माग-धीका जितना साहित्य उपलब्ध हुआ है, उसका अधिकांश जैनोंका ही लिखा हुआ है। यदि यह कहा जाय कि प्राकृत और मागधी शुरूसे अब-तक जैनोंकी ही सम्पत्ति रही है, तो कुछ अत्युक्ति न होगी । प्राक्ततके बाद और हिन्दी-गुजराती बननेके पहले जो एक अपभंश भाषा रह चुकी है उस पर भी जैनोंका विशेष अधि-कार रहा है। इस भाषाके अभी अभी कई ग्रन्थ उपलब्ध हुए हैं, और वे सब जैन विद्वानोंके बनाये हुए हैं । प्राकृत और अपभ्रंशके इस अधिक परिचयके कारण, जैन विद्वानोंने जो हिन्दी रचना की है उसमें प्राक्रत और अपभ्रंशकी प्रकृति सुस्पष्ट झलकती है; यहाँ तक कि १९ वीं और २० वीं शताब्दीके जैनयन्थोंकी हिन्दीमें भी औरोंकी अपेक्षा पाकत और अपभ्रंश शब्दोंका प्रयोग अधिक पाया जाता है । ऐसी दशामें स्पष्ट है कि हिन्दीकी उत्पत्ति और कमविकाशका ज्ञान प्राप्त करनेके लिए हिन्दीका जैनसाहित्य बहुत उपयोगी होगा।

२ गुजराती साहित्यके विद्वानोंका खयाल है कि गुजराती भाषाका जो प्राचीनरूप है, वह अपभ्रंश प्राकृत है। हमारी समझमें प्राचीन हिन्दीका आदिखरूप भी, जैसा कि आगे

दिखाया जायगा, प्राकृतके अपभ्रंशसे मिलता जुलता है। यह संभव है कि प्राचीन हिन्दीकी शरीररचनामें अन्य भाषाओंका भी थोड़ा बहुत हाथ रहा हो, पर उसकी मूल जननी तो अप-अंश ही है। ऐसा जान पडता है कि प्राकृतका जब अपभ्रंश होना आरंभ हुआ, और फिर उसमें भी विशेष परिवर्तन होने लगा, तब उसका एक रूप गुजरातीके साँचेमें ढलने लगा और एक हिन्दिक साँचेमें। यही कारण है जो हम १६ वीं शताब्दीसे जितने ही पहलेकी हिन्दी और गुजराती देखते हैं, दोनोंमें उतनी ही अधिक सद्दशता दिखलाई देती है। यहाँ तक कि १३ वीं १४ वीं शताब्दीकी हिन्दी और गुजरातीमें एकताका भ्रम होने लगता है। उदयवन्त मुनिके 'गौतम-रासा'को जो वि॰ संवत् १४१२ में बना है विचारपूर्वक देखा जाय, तो मालूम हो कि उसकी भाषाकी गुजरातीके साथ जितनी सदृशता है, हिन्दीके साथ उससे कुछ कम नहीं है 🛊 । गुजराती और हिन्दीकी यह सहराता कहीं कहीं और भी स्पष्टतासे दिखलाई देती है । कल्याणदेवमुनिके 'देवराज वच्छराज चउ-पई,' नामके ग्रंथसे-जो सं० १६४२ में बना है और जिसकी भाषा गुजरातीमिश्रित हिन्दी है-हमने कुछ पद्य आगे उद्धृत किये हैं, जिनमें बहुत कम शब्द ऐसे हैं जिन्हें प्राचीन हिन्दी जाननेवाला या प्राचीन गुजराती समझ-नेवाला न समझ सकता हो । गुजरातके पुस्त-कालयोंमें ऐसे बीसों रासे मिलेंगे, जो गुजराती-की अपेक्षा, हिन्दीके निकटसम्बन्धी हैं; पर वे गुजराती ही समझे जाते हैं । माल कविका ' प्रंदर-कुमर-चउपई ' नामका जो ग्रन्थ है,

गौतमरासाके पद्योंके कुछ नमूने आगेके पृष्टोंमें
 दिये गये हैं।



उसे लोगोंने अभीतक गुजराती ही समझ रक्खा था;पर अब सुपण्डित मुनि जिनविजयजीन उसको अच्छी तरह पढ़ करके मुझको लिखा है कि वह निस्सन्देह हिन्दी ग्रन्थ है। गरज यह कि हिन्दी और गुजराती एक ही प्राकृतसे अपभंश होकर बनी हैं; इस कारण उनके प्रारंभके—एक दो शताब्दियोंके—रूप मिलते—जुलते हुए हैं। हिन्दी भाषाका इतिहास विना इन मिलते—जुलते रूपोंका अध्ययन किये नहीं लिखा जा सकता, इस कारण इसके लिए हिन्दीका जैनसाहित्य खास तौरसे पढ़ा जाना चाहिए। इस कार्यमें यह बहुत उपयोगी सिद्ध होगा।

३ जिस तरह संस्कृत और प्राकृतके जैन-साहित्यने भारतके इतिहासकी रचनामें बहुत बड़ी सहायता दी है, उसी तरह हिन्दीका जैनसाहित्य भी अपने समयके इतिहास पर बहुत कुछ प्रकाश डालेगा ! जैन विद्वानोंका इतिहासकी ओर सदासे ही अधिक ध्यान रहा है । प्रत्येक जैन लेखक अपनी रचनाके अन्तमें अपने समयके राजाओंका तथा गुरुपरम्पराका कछ न कुछ उल्लेख अवश्य करता है। यहाँ तक कि जिन लोगोंने यन्थोंकी नकलें कराई हैं, और दान किया है उनका भी कुछ न कुछ इतिहास उन ग्रन्थोंके अन्तमें लिखा रहता है। जैन लेख-कोंमें विशेष करके स्वेताम्बरोंमें पौराणिक चरि-त्रोंके सिवाय ऐतिहासिक पुरुषोंके चरित्र लिख-नेकी भी पद्धति रही है । खोज करनेसे भोज-प्रबन्ध, कुमारपाल-चरित्र, आदिके समान और भी अनेक ग्रन्थोंके मिलनेकी संभावना है। भूता नेण-सीकी ख्यात' जैसे ऐतिहासिक ग्रन्थ भी जैनोंके द्वारा हिसे गये हैं जो बहुतसी बातोंमें अपनी सानी नहीं रखते । इवेताम्बर यतियोंके पुस्तका-रुयोंमें इतिहासकी बहुत सामग्री है और वह **1हिन्दी** या मारवाडीमें ही है। कर्नेल टाडको अपना

यन्थ 'राजस्थान' लिखनेमें जिनसे बड़ी भारी सहायता मिली थी, वे ज्ञानचन्द्रजी यति एक जैन साधु ही थे। कविवर बनारसीदासजीका आत्मचरित अपने समयकी अनेक ऐतिहासिक बातोंसे भरा हुआ है। मुसलमानी राज्यकी अंधा-धुंधीका उसमें जीता जागता चित्र है। इस तरह इतिहासकी दृष्टिसे भी हिन्दीका जैनसाहित्य मह-च्वकी वस्तु है।

४ अभी तक हिन्दी साहित्यकी जो खोज हुई है उसमें पद्ययन्थोंकी ही प्रधानता है। गद्य यन्थ बहुत ही थोड़े हैं। परन्तु जैनसाहित्यमें गद्य प्रनथ भी बहुतसे उपलब्ध हैं। आगे प्रनथ-कर्ताओंकी सूचीसे मालूम होगा कि उन्नीसवीं शताब्दीके बने हुए पचासों गद्यमन्थ जैनसाहि-त्यमें हैं। अठारहवीं शताब्दीके भी पाँच सात सत्रहवीं शताब्दीमें हेमराजजीने पंचास्तिकाय और प्रवचनसारकी वचनिकायें लिखी हैं। समयसारकी पांडे बालावबोधटीका रायमञ्जीकत इनसे भी पहलेकी बनी हुई है। आइचर्य नहीं जो वह सोलहवीं शताब्दी या उससे भी पहलेकी गद्य-रचना हो। पर्वत धर्मार्थीकी बनाई हुई 'समाधि-तंत्र ' नामक ग्रन्थकी एकं वचनिका है जो सोलहवीं शताब्दीके बादकी नहीं मालूम होती। गरज यह कि जैनसाहित्यमें गद्यग्रन्थ बहुतः हैं, इसलिए गद्यकी भाषाका विकासक्रम समझ-नेके लिए भी यह साहिस्य बहुत उपयोगी है।

२ जैनसाहित्यके अप्रकट रहनेके कारण।

१ ज्यों ही देशमें छापेका प्रचार हुआ, त्यों ही जैनसमाजको भय हुआ कि कहीं हमारे ग्रन्थ भी न छपने लगें। लोग सावधान हो गये और जीजानसे इस बातकी कोशिश-करने लगे

कि जैनयन्थ छपने न पावें। इधर कुछ लोगों। पर नया प्रकाश पड़ा और उन्होंने जैनग्रन्थोंके छपानेके लिए प्रयत्न करना शुरू किया। लगा-तार २० वर्ष तक दोनों दलोंमें अनवरत युद्ध चला और अभी वर्ष ही दो वर्ष हुए हैं, जब इसकी कुछ कुछ शान्ति हुई है। फिर भी जैन-समाजमें ऐसे मनष्योंकी कमी अब भी नहीं है जिन्हें पक्का विश्वास है कि ग्रन्थ छपानेवाले नर-कमें जायँगे और वहाँ उन्हें असह्य यातनायें सह-नी पढेंगी ! और समाजोंमें भी थोड़ा थोड़ा छापेका विरोध शुरू शुरूमें हुआ था, पर जैनसमाज सरीखा विरोध शायद ही कहीं हुआ हो । इसने इस विषयमें सबको नीचा दिखला दिया। अभी तीन ही चार वर्ष हुए हैं जब 'जैन-रत्नमाला ' और 'जैनपताका' नामके मासिक पत्र छापेका विरोध करनेके लिए ही निकलते थे और ग्रन्थ छपानेवालोंको पानी पी पीकर कोसते थे। ऐसी दशामें जब कि स्वयं जैनोंको ही हिन्दीका जैनसाहित्य पुगमतासे मिलनेका उपाय नहीं था, तब सर्वसाधारणके निकट तो वह प्रकट ही कैसे हो सकता था!

२ एक तो जैनसमाज इतना अनुदार है कि वह अपने ग्रन्थ दूसरोंके हाथमें देनेसे स्वयं हिच-कता है और फिर जैनधर्मके प्रति सर्वसाधारण-के भाव भी कुछ अच्छे नहीं हैं। नास्तिक वेद-विरोधी आदि समझकर वे जैनसाहित्यके प्रति अस्वि या विरक्ति भी रखते हैं। शायद उन्हें यह भी माठूम नहीं है कि हिन्दीमें जैनधर्मका साहित्य भी है और वह कुछ महत्त्व रखता है। ऐसी दशामें यदि जैनसाहित्य अप्रकट रहा और लोग उससे अनिभज्ञ रहे, तो कुछ आश्चर्य नहीं है।

३ हिन्दीका जैनसाहित्य दो भागोंमें विभक्त है एक दिगम्बर और दूसरा इवेताम्बर । दिग-

म्बर सम्प्रदायकी प्रधान भाषा हिन्दी है, और इवेताम्बर सम्प्रदायकी गुजराती । इवेताम्बरोंकी बस्ती यद्यपि राजपुताना, युक्तप्रान्त और पंजाबमें भी कम नहीं है; परन्त उक्त प्रान्तों में शिक्षाप्राप्त जैनोंकी कमीसे और गुजरातमें शिक्षित जैनोंकी अधिकतासे इनकी धार्मिक चर्चामें गुजराती भाषाका प्राधान्य हो रहा है । इवेताम्बर सम्प्र-दायके साधुओंमें भी गुजराती जाननेवालोंकी ही संख्या अधिक है, इसिलए उनके द्वारा भी सर्बत्र गजरातीकी ही तती बोलती है।ऐसी दशामें यदि हिन्दीका इवेताम्बरसाहित्य पड़ा रहे, उसकी कोई ढूँढ खोज न करे, तो क्या आइचर्य है। जहाँ तक हम जानते हैं, इवेताम्बर सम्प्रदायके बहुत ही कम लोगोंको यह मालूम है कि हिन्दीमें भी इवेताम्बर साहित्य है । इस तरह हिन्दी-भाषाभाषी स्वेताम्बरोंकी उपेक्षा, अनिमज्ञता और गुजरातीकी प्रधानताके कारण भी हिन्दीके जैनसाहित्यका एक बड़ा भाग अप्रकट हो रहा है।

थ जैनसमाजके विद्वानोंकी अरुचि या उपेक्षा-दृष्टि भी हिन्दी जैनसाहित्यके अप्रकट रहनेमें कारण है। उच्च श्रेणीकी अँगरेजी शिक्षा पाये हुए लोगोंकी तो इस ओर रुचि ही नहीं है। उन्हें तो इस बातका विश्वास ही नहीं है कि हिन्दीमें भी उनके सोचने और विचारनेकी कोई चीज मिल सकती है। अभी तक शायद एक भी हिन्दीके जैनग्रन्थको यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है कि उसका सम्पादन या संशोधन किसी जैन ग्रेज्युएटने किया हो। शेष रहे संस्कृतक सज्जन, सो उनकी दृष्टिमें बेचारी हिन्दीकी—भाखाकी—औ-कात ही क्या है? वे अपनी संस्कृतकी धुनमें ही मस्त रहते हैं। हिन्दी लिखना भी उनमेंसे बहुत कम सज्जन जानते हैं।



३ खोजकी जरूरत।

जैसा कि हम पहले कह चुके हैं श्वेताम्बरोंका हिन्दी साहित्य अभीतक प्रकाशित ही नहीं हुआ है। पर हमें विश्वास है कि श्वेताम्बर सम्प्र-दायका भी बहुतसा साहित्य तलाश करनेसे मिल सकता है। अभी थोड़े ही दिन पहले हमने जोधपुरके प्रसिद्ध इतिहासज्ञ मुंशी देवीप्रसादजीको पत्र लिसकर हिन्दीके जैन साहित्यके विषयमें कुछ पृछताछ की थी। उसके उत्तरमें उन्होंने लिखा था कि ''ओसवालोंके बहुतसे ग्रन्थ यहाँ हूँढ़नेसे मिल सकते हैं। मेंने उनकी कविता संग्रह की है। आप छापें, तो मैं ग्रन्थाकारमें तैयार करा कर मेजूँ। हर एक कविकी कुछ कुछ जीवनी भी हैं। ''

१ राजपूताना और माठवेंके यातियोंके पुस्त-काठयोंमें हिन्दीके प्राचीनग्रन्थोंके मिठनेकी आज्ञा है। अभी हमने इन्दौरके यतिवर्य श्रीयुत माणिकचन्दजीके सेवामें एक पत्र इस विषयमें ठिखा था कि उन्होंने अपनी 'जगरूप-जित-ठायत्रेरी' के १०० से अधिक जैन ग्रन्थोंकी सूची तैयार करके भेज दी जिनमें उनके कथनानुसार हिन्दी या हिन्दीमिश्रित गुजराती ग्रन्थ ही अधिक हैं और उनमेंसे जिन चार ग्रन्थोंके देखनेकी हमने इच्छा प्रकट की, उन्हें भी भेज दिया। इस तरह और और यतियोंके पुस्तकाठयोंमें भी सैकड़ों ग्रन्थ होंगे।

२ पाटण, जैसलमेर, ईहर, जयपुर आदिके प्राचीन पुस्तकमण्डारोंमें हिन्दी ग्रन्थोंका अन्वेषण सास तौरसे होना चाहिए। अभीतक इन मण्डारोंका अन्वेषण संस्कृतके पण्डितोंने ही किया है, जिनकी दृष्टिमें भाषाका कोई महत्त्व नहीं है। यह भी संभव है कि उक्त भण्डारोंके प्राचीन हिन्दी ग्रन्थ प्राकृत समझ लिये गये हों। अभी मुनि महोद्य जिनविजयजीको पाटणके

भण्डारमें मालकविके 'भोजप्रबन्ध' और 'पुरन्दर-कुमर-चउपई' नामके दो हिन्दी ग्रन्थ मिले हैं।

३ इस निबन्धमें आगे हमने जिन ग्रन्थोंका उनका और जयपुरके भाग आस-पासका बना हुआ है । बुन्देलखंड आदि प्रान्तोंमें भी बहुतसे हिन्दी जैनग्रंथ मिलनेकी संभावना है। जयपुरमें कोई दोसों तीनसौ वर्षोंसे ऐसा प्रबन्ध है कि यहाँसे ग्रन्थ लिखा लिखाकर दूर दूरके लोग ले जाते हैं अथवा लिसकर मँगवा लेते हैं। यही कारण है जो सारे दिगम्बर सम्प्रदायमें यहींके और यहाँसे निकट सम्बन्ध रखनेवाले आगरेके बने हुए ही हिन्दी-यन्थोंका फैलाव हो गया है। अन्यत्र जो यन्थ बने होंगे, वे प्रचारकी उक्त सुविधा न होनेके कारण वहीं पड़े रहे होंगे। यह सच है कि आगरे और जयपुरम विद्वानोंका समूह अधिक रहा है, इतना और स्थानोंमें नहीं रहा है, तो भी यह नहीं कहा जा सकता कि अन्यत्र विद्वान् थे ही नहीं और उन्होंने ग्रंथरचना सर्वथा की ही नहीं। अतः अन्यत्र खोज होनी चाहिए।

४ जहाँ जहाँ दिगम्बर सम्प्रदायके महार-कोंकी गिह्याँ हैं वहाँ वहाँके सरस्वतीमिन्दरोंमें भी अनेक हिन्दींके ग्रन्थोंके प्राप्त होनेकी आशा है। हमारा अनुमान है कि महारकोंके बनाये हुए हिन्दीग्रन्थ बहुत होने चाहिए, परन्तु हमारे इस निवन्धमें आप देखेंगे कि चार ही छह महार-कोंके ग्रन्थोंका उल्लेख है। जयपुरमें तेरह पंथका बहुत जोर रहा है, इसी कारण उसके प्रतिपक्षी महारकोंके ग्रन्थोंका वहाँसे अधिक प्रचार नहीं हो सका है। महारकोंका साहित्य उन्हींके मंडारोंमें पड़ा होगा।

५ दक्षिण और गुजरातमें भी स्रोज करनेसे हिन्दीग्रन्थ मिलेंगे। गुजराती और मराठीमें दिग- म्बरी साहित्य प्रायः बिल्कुल नहीं है, इस कारण इन प्रान्तोंके दिगम्बरियोंका काम हिन्दीग्रन्थोंसे ही चलता रहा है। अतएव यहाँके भण्डारोंमें भी हिन्दिके दिगम्बर ग्रन्थ मिलेंगे। दो तीन वर्ष पहले हमने बासी (शोलापुर)से दो ऐसे हिन्दी ग्रन्थ मँगाकर देखे थे, जो इस ओर कहीं भी नहीं मिलते हैं।

४ अपूर्ण खोज।

मेरा यह निबन्ध पूरी खोजसे तैयार नहीं हो सका है। जयपुरमें बाबा दुर्लीचन्द्जीका हस्तालिखित भाषायन्थोंका एक अच्छा पुस्तका-लय है, उसकी सूचीसे, बाबू ज्ञानचन्द्रजी लाहौरवालोंकी यन्थनाममालासे, छपे हुए यन्थोंसे, पूज्य पं० पन्नालालजी द्वारा बनीहुई जयपुरके कुछ भण्डारोंकी सूचीसे और बम्बईके तरहपंथी मान्दिरके पुस्तकालयके यन्थोंसे मैंने यह निबन्ध तैयार किया है। जिन लेखकोंका समयादि नहीं मिला है, उनको प्रायः छोड़ दिया है। यदि लेखकके सामने सबके सब यन्थ होते, तो वह इस निबन्धको और भी अच्छी तरहसे लिख सकता।

ठेसकको विश्वास है कि खोज करनेसे हिन्दीके प्राचीन जैनग्रन्थ बहुत मिलेगी और उनसे यह निश्चय करनेमें सहायता मिलेंगे कि हिन्दीका लिखना कबसे शुरू हुआ।

'जैन लेखकों और किवयों द्वारा हिन्दी साहि-त्यकी सेवा' यह विषय ऐसा है कि इसमें सन् संवत न दिया जाता तो भी काम चल सकता था; परन्तु जब निबन्ध लिखना शुरू किया गया, तब यह सोचा गया कि इसके साथ साथ यदि लेखकोंका इतिहास भी दे दिया जाय, तो एक और काम हो जायगा और समय भी अधिक न लगेगा। अतः इसमें किवयोंका थोड़ा थोड़ा परिचय भी शामिल कर दिया गया है। ऐसा करनेसे निबन्ध बहुत बढ़ गया है और इस कारण मुझे भय है कि इसके पढ़नेके लिए समय मिलेगा या नहीं; तो भी यह निश्चय है कि मेरा परिश्रम व्यर्थ न जायगा। हिन्दीके सेवक इससे कुछ न कुछ लाम अवश्य उठायँगे।

५ उपलब्ध जैनसाहित्यके विषयमें विचार।

१ उपलब्ध जैनसाहित्य दो भागोंमें विभक्त सकता है--- इवेताम्बर और दिगम्बर। इवेताम्बर सम्प्रदायके साहित्यमें कथाग्रन्थ ही अधिक हैं, तात्त्विक या सैद्धान्तिक ग्रन्थ प्राय: नहींके बराबर हैं, पर दिगम्बर साहित्यमें जितने कथाग्रन्थ या चरित्रग्रन्थ हैं लगभग उतने ही तात्त्विक और सैद्धान्तिक ग्रन्थ हैं। गो-म्मटसार, राजवार्तिक, सर्वार्थसिद्धि, आत्मख्याति, भगवती आराधना, प्रवचनसार, समयसार, पंचा-स्तिकाय जैसे महत्वपूर्ण यन्थोंकी वचनिकायें दिगम्बरसाहित्यमें मौजूद हैं। किसी किसी ग्रन्थके तो दो दो चार चार गद्यपद्यानुवाद मिलते हैं। देवागम, परीक्षामुख, न्यायदीपिका, आप्तमीमांसा आदि न्यायके ग्रन्थों तकके हिन्दी अनुवाद कर डाले गये हैं। ऐसा कहना चाहिए कि दिगम्बरि-योंके संस्क्रत और प्राकृत साहित्यमें जिन जिन विषयोंके ग्रन्थ मिलते हैं, प्राय: उन सभी विष-यों पर हिन्दीमें कुछ न कुछ लिखा जा चुका है। हिन्दिके लिए यह बड़े गौरवकी बात है। यदि कोई चाहे तो वह केवल हिन्दी भाषाके द्वारा दिगम्बर जैनधर्मका ज्ञाता हो सकता है। इसका फल भी स्पष्ट हो रहा है। इवेताम्बर सम्प्रदायमें जो लोग संस्कृत और प्राकृत नहीं जानते हैं, उनमें धार्मिक ज्ञानका प्रायः अभाव देखा जाता है-प्रायः लोग मुनिमहाराजोंके ही भरोसे रहते हैं; पर दिगम्बर सम्प्रदायमें यह बात नहीं है। यहाँ जैन-धर्मकी जानकारी रखनेवाले जगह जगह मौजूद्



हैं, गोम्मटसार आदिकी गंभीर चर्चा करनेवाले सैकड़ों ऐसे भाई हैं, जो संस्कृतका अक्षर भी नहीं जानते हैं। गाँव गाँवमें शास्त्रसभायें होती हैं और लोग भाषा ग्रन्थोंका स्वाध्याय करते हुए नजर आते हैं।

२ हिन्दीके जैनग्रन्थोंका प्रचार केवल हिन्दीभाषाभाषी प्रान्तोंमें ही नहीं है; गुजरात और दिक्षणमें भी है। दक्षिण और गुजरातके जैनोंके द्वारा
हिन्दिके कई बड़े बड़े ग्रन्थ छपकर भी प्रकाशित
हुए हैं। सुदूर कर्नाटक तकमें—जहाँ हिन्दी बहुत
कम समझी जाती है—बहुतसे हिन्दी ग्रन्थ जाते
हैं और पढ़े जाते हैं। एक तरहसे हिन्दी दिगम्बर सम्प्रदायकी सर्वसामान्य माषा बन गई है।
आपको यह सुनकर आइचर्य होगा कि 'जैनमित्र' आदि हिन्दी पत्रोंके एक चौथाईसे भी
अधिक ग्राहक गुजरात और दक्षिणमें हैं। इस
तरह दिगम्बर सम्प्रदायके हिन्दी साहित्यके द्वारा
हिन्दी भाषाका दूसरे प्रान्तोंमें भी प्रचार हो
रहा है।

३ जैनधर्मका एक सम्प्रदाय और है जिसे 'स्थानकवासी' या 'हूँ दिया' कहते हैं। हम समझते थे कि इस सम्प्रदायका भी हिन्दी साहित्य होगा। क्योंकि इस सम्प्रदायके अनुयायी ४-५ लाख समझे जाते हैं और वे राजपूताना तथा पंजाबमें अधिक हैं, परन्तु तलाश करनेसे मालूम हुआ कि इस सम्प्रदायमें हिन्दीके ग्रन्थ प्रायः नहींके बराबर हैं। स्थानकवासी सम्प्रदायके साधु श्रीयुत आत्मारामजी उपाध्यायसे इस विषयमें पूछताछ की गई तो मालूम हुआ कि स्थानकवासियोंमें पं० हरजसरायजी आदि दो तीन ही कवि हुए हैं जिनके चार पाँच ग्रन्थ मिलते हैं और थोड़ी बहुत पुस्तकें अभी अमी लिखी गई हैं। इस सम्प्रदाय पर भी गुज-राती भाषाका आधिपत्य हो रहा है। संमव है

कि सोज करनेसे इस सम्प्रदायके भी दश पाँच हिन्दी ग्रन्थ और मिल जांवें ।

प्र इवेताम्बरी और दिगम्बरी साहित्यमें एक उल्लेख योग्य बात यह नजर आती है कि सारे इवेताम्बरसाहित्यमें दो चार ही ग्रन्थ ऐसे होंगे जिनके कर्ता गृहस्थ या श्रावक हों, इसके विरुद्ध दिगम्बर साहित्यमें दश पाँच ही हिन्दी यन्थ ऐसे मिलते हैं जिनके कर्ता भट्टारक या साधु हों। प्राय: सारा ही दिगम्बर साहित्य गृहस्थों या श्रावकोंका रचा हुआ है । दिगम्बर सम्प्रदायमें साधु-संघका अभाव कोई ४००-५०० वर्षीसे हो रहा है। यदि इस सम्प्रदायके अनुयायी श्वेता-म्बरोंके समान केवल साधुओंका ही मुँह ताकते रहते, तो आज इस सम्प्रदायकी दुर्गति हो जाती। इस सम्प्रदायके गृहस्थोंने ही गुरुओंका भार अपने कन्धोंपर ले लिया और अपने धर्मको बचा लिया। इन्होंने गत दो सौ तीन सौ वर्षोंमें हिन्दी साहित्यको अपनी रचनाओंसे भर दिया ।

५ इन दोनों सम्प्रदायोंके साहित्यमें एक भेद और भी है। इवेताम्बर साहित्यमें अनुवादित ग्रन्थ बहुत ही कम हैं, प्रायः स्वतंत्र ही अधिक हैं, और दिगम्बर साहित्यमें स्वतंत्र ग्रन्थ बहुत कम हैं, अनुवादित ही अधिक हैं। इसका कारण यह मालूम होता है कि परम्परागत संस्कारके अनुसार गृहस्थ या श्रावक अपनेको ग्रन्थरचनाका अ-नाधिकारी समझता है। उसे भय रहता है कि कहीं मुझसे कुछ अन्यथा न कहा जाय । इस लिए दिगम्बर साहित्यकी रचना करनेवाले गृहस्थ लेखक और कवियोंको स्वतंत्र ग्रन्थ रचनेका साहस बहुत ही कम हुआ है-सबने पूर्वरचित संस्कृत यन्थों-के ही अनुवाद किये हैं। कई अनुवादक इतने अच्छे विद्वान हुए हैं कि यदि वे चाहते, तो उनके लिए दो दो चार चार स्वतंत्र प्रन्थोंकी रचना करना कोई बड़ी बात नहीं थी। पर

उन्होंने ऐसा नहीं किया। जब हम पं० जय-चन्द्रजीके अनुवाद किये हुए प्रन्थोंकी सूचीमें 'मक्तामरचिरत्र' का नाम देखते हैं, तब इनकी 'प्राचीन—श्रद्धा' पर आश्चर्य होता है। संस्कृत-में भट्टारकोंके बनाये हुए ऐसे पचासों प्रन्थ हैं जो रचनाकी दृष्टिसे कौड़ी कामके नहीं हैं, तो भी उनके हिन्दी अनुवाद हो गये हैं और अनुवाद करनेवाठोंमें बहुतसे ऐसे हैं जो यदि चाहते तो मूलसे भी कई गुणी अच्छी रचना कर सकते थे—वे स्वयं ही मूलसे अच्छी संस्कृत ठिखनेकी योग्यता रखते थे।

६ हिन्दीके जैनसाहित्यको हम चार भागोंमें विभक्त करते हैं.-एक भागमें तो तात्त्विक ग्रन्थ हैं, दूसरेमें पुराण चरित्र कथाादि हैं, तीसरेमें पूजा पाठ हैं और चौथेमें पदभजन विनती आदि हैं। इनमेंसे पहले तीन प्रकारके ग्रन्थोंका परिमाण लगभग बराबर बराबर होगा। पहले दो विषय ऐसे हैं कि उन पर चाहे जितना लिखा जा सकता है, पर यह बात लोगोंकी समझमें कम आयगी कि पूजापाठके ग्रन्थ भी उक्त दोनों विषयोंके ही बराबर हैं। सचमुच ही इस विषयमें जैनोंने 'अति ' कर डाली है। हमने अपने इस निबन्धमें जो जुदे जुदे कवियोंके ग्रन्थ बत-लाये हैं, उनमें पूजापाठके ग्रन्थ प्रायः छोड दिये हैं और जिन कवियोंने केवल पूजापाठोंकी ही रचना की है, उनका तो हमने उल्लेख भी नहीं किया है। एक ही एक प्रकारके पूजा पाठ दश दश बीस बीस कवियोंने बनानेकी कूपा की है। पूजापाठ तो कमसे कम २०-२५ कवियोंके बनाये हुए होंगे। इनका ताँता अबतक भी लगा जा रहा है; लोगोंको अब भी संतोष नहीं है। केवलारी (सिवनी) के एक सज्जनने अभी हाल ही एक पूजापाठ रचकर प्रकाशित किया है। कुचामनके पं ० जिनेश्वरदासर्जीने भी सुनते

हैं कि एक चौबीसी पुजापाठ बना डाला है। मजा यह है कि इन सब रचनाओंमें विशेषता कुछ नहीं। सनमें एक ही बात। एक दूसरेका अनुकरण । इनका बनाना भी चूरनके लटकोंसे कठिन नहीं है। जिसके जीमें आता है वही एक पूजा बना डालता है। आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि संस्कृत और प्राक्रतमें पूजापाठके ग्रन्थ बहुत ही कम उपलब्ध हैं, और जो हैं वे उच्च श्रेणीके हैं। पर हिन्दी-वालोंने इसके लिए मूलग्रन्थोंका सहारा लेनेकी जरूरत नहीं समझी । बस, इसी एक विषयके ग्रन्थोंकी हिन्दी-जैनकवियोंने सबसे अधिक स्वतंत्र रचना की है ! पिछले दिनोंमें जैनसम्प्र-दायमें पजा प्रतिष्ठाओंको जो विशेष प्रधानता दी गई है, उसीका यह परिणाम है। इस समयकी दृष्टिसे जैनोंका सबसे बडा काम पूजा-प्रतिष्ठा करना-कराना है। पद-भजन-स्तवनादि सम्बन्धी चौथे प्रकारके साहित्य पहले तीन प्रकारका साहित्यों जितना तो नहीं है, तो भी कम नहीं है। परि-श्रम करनेसे कई हजार जैनपदोंका संग्रह हो सकता है। भूधर, द्यानत, दौलत, भागचन्द, बनारसी आदिके पद अच्छे समझे जाते हैं। इनका प्रचार भी ख़ब है। इस साहित्यसे और पुजासाहित्यसे जैनधर्ममें 'भक्तिरस ' की बहुत पृष्टि हुई है। किसी किसी कविने तो इस रसके प्रवाहमें बहकर मानो इस बातको भुला ही दिया है कि 'जैनधर्म ईश्वरके कर्तापनेको स्वीकार नहीं करता, अतः उसमें भक्तिकी सीमा बहुत ही मर्यादित है ।' इस विषयमें जान पड़ता है जैन-धर्म पर वैष्णवधर्मके भक्तिमार्गका ही बहुत कुछ प्रभाव पड़ा है। कहीं कहीं यह प्रभाव बहुत ही स्पष्ट हो गया है । एक कविं कहता है-" नाथ मोहि जैसे बने तैसे तारो; मोरी करनी कछू न विचारो । " 'करनी 'को ही ईश्वर माननेवाळे



जैन कविके इन वचनोंम देखिए ईश्वरके कर्तृ-भावका कितना गहरा प्रभाव है।

७ हिन्दिकि जैनसाहित्यकी प्रकृति शान्तरस है। इसके प्रत्येक यन्थमें इसी रसकी प्रधानता है। शृंगारादि रसोंके ग्रंन्थोंका इसमें प्रायः अभाव है। इतने बड़े साहित्यमें एक भी अलंकार या नायिकाभेद आदिका ग्रन्थ देखनेमें नहीं आया। जयपुरके एक पुस्तकभण्डारकी सूचीमें दीवान लालमाणिके 'रसप्रकाश अलंकार 'नामके ग्रन्थका उल्लेख हैं; पर हमने उसे देखा नहीं। सुनते हैं हनुमचरित्र और शान्तिनाथचरित्रके कर्त्ता सेवाराम राजपूतने भी एक 'रसग्रन्थ' बनाया था; पर वह अप्राप्य है। कविवर बनारसीदासजीकी भी कुछ शृंगाररसकी रचना थी, पर उन्होंने उसे यमुनामें बहा दिया था!

संस्कृत और प्राकृतमें जैनोंके बनाये हुए शृंगारादिके प्रन्थ बहुत मिलते हैं। उस समयके जैनविद्वानोंको तो इस विषयका परहेज नहीं था। यहाँ तक कि बड़े बड़े मुनियोंके बनाये हुए भी काव्ययन्थ हैं जो शूंगाररससे लबालब भरे हुए हैं। तब यह एक विचारणीय बात है कि हिन्दीके लेखकोंने इस ओर क्यों ध्यान नहीं दिया । इसका कारण यही जान पड़ता है कि जिस समय जैनोंने हिन्दीके ग्रन्थ छिखे हैं उस समय उन्हें जैनधर्मका ज्ञान फैलाने-की, और जैनधर्मकी रक्षा करनेकी ही धुन विशेष थी । उनका ध्येय धर्म था, साहित्य नहीं । इसी कारण उन्होंने इस ओर कोई खास प्रयतन नहीं किया । पर उन्हें इस विषयसे कोई परहेज नहीं था । यही कारण है जो उन्होंने स्त्रियोंके नख-शिखवर्णन और विविध शृंगारचेष्टाओंसे भरे हुए आदिपुराण आदिके अनुवाद लिखनेमें संकोच नहीं किया है। हाँ खालिस शूंगार और अलंका- रादिके निरूपण करनेवाले ग्रन्थ उन्होंने नहीं लिखे ।

९ यह हमें मानना पडेगा कि जैन कवियोंमें उच श्रेणीके कवि बहुत ही थोड़े हुए हैं। बनारसी-दास सर्वश्रेष्ठ जैनकवि हैं । रूपचन्द, भूधरदास, भगवतीदास, आनन्द्घन, उच्चश्रेणीमें गिने जा सकते हैं। दीपचंद, यानतराय, माल, यशोविजय, वृन्दावन, बुलाकीदास, दौलतराम, बुधजन आदि दूसरी श्रेणीके कवि हैं। इनकी संख्या भी कम है। तीसरे दर्जेंके कवि अगणित हैं । जो उच्च-श्रेणीके कवि हुए हैं, उन्होंने प्रायः ऐसे विषयोंपर रचना की है जिनको साधारण बुद्धिके लोग समझ नहीं सकते हैं। चरित या कथायन्थोंकी यदि ये लोग रचना करते तो बहुत लाभ होता। चरितोंमें एक पार्श्वपुराण ही ऐसा है जो एक उच्चश्रेणीके कविके द्वारा रचा गया है; किर भी उसमें नरक, स्वर्ग, त्रैलोक्य, कर्मप्रकृति, गुणस्थानादिका विशेष वर्णन किये बना कविसे न रहा गया और इसलिए वह भी एक प्रकारसे तात्त्विक ग्रन्थ बन गया है। उसमें कथाभाग बहुत कम है। इस तरह साधारणोपयोगी प्रभावज्ञाली चरितग्रन्थोंका जैन-साहित्यमें प्रायः अभाव है और जैनसमाज तुल-सीकृत रामायण जैसे उत्कृष्ट ग्रन्थोंके आनन्द्से वंचित है। शीलकथा, दर्शनकथा, और खुशाल-चन्दजीके पद्मपुराण आदिकी रही निःसत्व कविताको पढते पढते जैनसमाज यह भूल ही गया है कि अच्छी कविता कैसी होती है।

१० गद्यलेखकों में तथा टीकाकारों में टोडर-मह सर्वश्रेष्ठ हैं। जयचन्द, हेमराज, आत्माराम, नेणसी मृता अच्छे लेखक हुए हैं। सदासुख, भागचन्द, दौलतराम, जमजीवन, देवीदास आदि मध्यम श्रेणीके लेखक हैं। बाकी सब साधारण हैं। गद्यमें इवेताम्बरोंका साहित्य प्रायः है ही नहीं, मुनि आत्मारामजिक अवस्य ही कुछ ग्रन्थ हैं जो गणनीय हैं। शेष स्वेताम्बरी साहित् त्य पद्यमें है। इवेताम्बरी साहित्य जितना उप-लब्ध है, उसमें तात्विक चर्चा बहुत ही कम है, केवल कथायन्थ हैं।

११ आधुनिक समयके जैनलेसकोंने सर्वोप-योगी और सार्वजनिक पुस्तकोंका लिखना भी शुक्त कर दिया है। उन्होंने अपने प्राचीन क्षेत्रसे—केवल धार्मिक साहित्यसे—बाहर भी कदम बढ़ाया है। अभी ५-७ वर्षोंसे इस विषयमें सासी उन्नति हुई है। उन्नश्रेणीकी अँगरेजी शिक्षा पाये हुए युवकोंका ध्यान इस ओर विशेष आकर्षित हुआ है। ऐसे सज्जनोंका परिचय इस निबन्धके अन्तमें दिया गया है। आशा है कि थोड़े ही समयमें जैनसमाजमें हिन्दी लेसकोंकी एक काफी संख्या हो जायगी और उनके द्वारा हिन्दीकी अच्छी सेवा होगी।

६ सामयिक साहित्य।

जैनसमाजके कई हिन्दी पत्र भी निकलते हैं। इनकी संख्या खासी है। अधिकांश हिन्दी पत्र दिगम्बर सम्प्रदायके हैं । साप्ताहिकोंमें जैनगजट और जैनमित्र हैं । जैनमित्रकी दशा अच्छी है, पर जैनगजट तो पत्रोंका कलङ्क है । मासिकोंमें जैनहितैषी, जातिप्रबो-धक, जैनप्रभात, दिगम्बर जैन, और सत्यवादी हैं। इनमेंसे पिछला पुराने विचारवालोंका मुख-पत्र है। 'दिगम्बर जैन ' केवल यहाँ वहाँके समा-चारों और लेखोंको आँख बन्द करके संग्रह कर देनेवाला है। उसके कोई खास खयाल नहीं हैं। उसमे आधी गुजराती भी रहती है। 'जाति-प्रबोधक ' केवल सामाजिक सुधारका काम करता है। इसके सम्पादक एक ग्रेज्युएट हैं। 'जैनप्रभात ' एक सेठोंकी सभाका पत्र है, इस लिए उसे बहुत कुछ दबकर लिखना पडता है। 'स्थानकवासी कान्फरेस प्रकाश र स्थानक-वासी सम्प्रदायका साप्ताहिक पत्र है। यह गुज- राती और हिन्दी दो भाषाओं में निकलता है। श्वेताम्बर सम्प्रदायके साप्ताहिक 'जैन हासन में भी हिन्दिक कुछ लेख रहते हैं। 'जैनसंसार' और 'जैन मुनि' कमसे श्वेताम्बर और स्थानकन्वासी सम्प्रदायके नवजात पत्र हैं।

इनके पहले हिन्दीके और भी कई पत्र निक-लकर बन्द हो चुके हैं। जहाँतक हम जानते हैं, सबसे पहला हिन्दी जैनपत्र 'जैनप्रभाकर श्या. जो अजमेरसे निकलता था। यह कई वर्ष तक चलता रहा। यह कोई २०-२२ वर्ष पहलेकी बात है । लाहारकी 'जैनपत्रिका ' ८-१० वर्ष तक चलकर बन्द हो गई । जैनतत्त्वप्रका-शक, जैनपताका, जैननारीहितकारी, जैन-सिद्धान्तभास्कर कोई दो दो वर्ष चलकर बन्द हो गये। इनमें 'सिद्धान्तभास्कर' उल्लेख योग्य पत्र था। आत्मानन्द् जैनपत्रिका श्वेताम्बर-सम्प्रदायकी मासिक पत्रिका थी। यह ५-७ वर्ष चलकर बन्द हो गई। 'जैनरत्नमाला' और 'जैनी' एक एक वर्ष तक ही जीवित रहे। 'स्यादादी' और 'चित्तविनोद' का एक ही एक अंक निकला ! जयपुरसे 'जैनप्रदीप ' नामका पत्र भी कुछ महीनोंतक निकलता रहा था।

एक दो सार्वजानिक पत्र भी जैनोंके द्वारा प्रकाशित होते हैं। देहलीके साप्ताहिक 'हिन्दी समाचार 'के स्वामी सेठ माठूमलजी और देह-रादूनके 'भारतहितैषी' के सम्पादक और प्रकाशक छाला गुलशनरायजी जैनी हैं। हिन्दीके सुप्रासिद्ध अस्तंगत 'समालोचक ' पत्रके स्वामी मि० जैनवैद्य भी जैनी थे।

७ जैनोंद्वारा हिन्दीकी उन्नतिकी चेष्टा।

आपको मालूम होगा कि बम्बईके हिन्दी-मन्थरत्नाकर कार्यालयके संचालक जैनी हैं।



बम्बईकी नवजात 'हिन्दीगौरवग्रन्थमाला ' के स्वामी भी जैनी हैं । झालरापाटणकी हिन्दी साहित्य समितिका जो ११-१२ हजार रुपयोंका स्थायी फण्ड है, वह केवल जैनोंका दिया हुआ है । इसके द्वारों हिन्दीके उत्तमोत्तम ग्रन्थ लागतके मूल्यसे बेचे जायँगे । इन्दौरकी मध्यभारत हिन्दी साहित्यसमितिको भी जैनोंकी ओरसे कई हजार रुपयोंकी सहायता मिली है । खण्डवेकी हिन्दीग्रन्थप्रसारकमंडलीके संचालक बाबू माणिकचन्दजी वकील भी जैनी हैं । हमको आज्ञा है कि भविष्यमें हिन्दीसाहित्यकी उन्नतिमें जैनसमाजका और भी अधिक हाथ रहेगा ।

८ जैनग्रन्थप्रकाशक संस्थायें।

जैनग्रन्थरत्नाकर कार्यालय, जैनसाहित्य-प्रचा" रक कार्यालय, और रायचन्द्रजैनशास्त्रमाला, बम्बर्डकी ये तीन संस्थायें हिन्द्िके जैनग्रन्थ प्रकाशित करनेवाली हैं। इनमेंसे से तीसरीके स्वामी इवेताम्बर हैं, शेष दोके दिगम्बर । लाहौं-रके बाब ज्ञानचन्द्रजीने हिन्दीके बहुत यन्थ छपाये हैं, पर इस समय उनका काम बन्द है। देवबन्दके बाब सूरजभानजी वकीलने भी ग्रन्थ-प्रकाशनका कार्य बन्द कर दिया है। कलक-त्तेकी सनातनजैनग्रन्थमाला अब हिन्दीके ग्रन्थ भी प्रकाशित करने लगी है। सूरतके दिगम्बर-जैनकार्यालयसे, कोल्हापुरके जैनेन्द्रप्रेससे और बम्बईके जैनमित्र कार्यालयसे भी अनेक यन्थ प्रकाशित हुए हैं। इसके सिवाय और भी कई सज्जन थोडे बहुत हिन्दी ग्रन्थ छपाया करते हैं। श्वेताम्बरसम्प्रदायकी ओरसे हिन्दीग्रन्थप्रकाज्ञक संस्थाओंके स्थापित होनेकी बहुत आवश्यकता है।

९ हिन्दीका इतिहास।

जैनसाहित्यका इतिहास बतळानेके पहळे हमें हिन्दीसाहित्यका इतिहास देख जाना चाहिए। शिवसिंहसरोजके कर्ता और मिश्रवन्ध-ओंके विचारानुसार हिन्दीकी उत्पत्ति संवत् ७०० से मानी जाती है। सं० ७७० में किसी पुष्य नामक कविने भाषाके दोहोंमें एक अलंका-रका यन्थ लिखा था। सं० ८९० के लगभग किसी भाट कविने 'खुमान रासा' नामक भाषा ग्रन्थ लिखा। ये दोनों ही ग्रन्थ उपलब्ध नहीं हैं। इनके बाद चन्द कविने वि०सं० १२२५ से १२४९ तक 'पृथ्वीराज रासा' बनाया। उसके बादके जगनिक केदार और बारदर बेणा नामक कवि हुए, पर इनकी रचनाका पता नहीं। चन्दका बेटा जलहण हुआ उसने पृथ्वीराज रासाका शेष भाग लिखा। उसके बाद 'कुमारपालचरित ' नामका यन्थ सं० १३०० के लगभग बना। कुमारपाल अण-हिलवाड़ेके राजा थे। इनके बाद १३५४ में भूपतिने 'भागवतका दशम स्कन्ध' बनाया। १३५४ में नरपति नाल्हने 'वीसलदेवरासा,' १३५५ में नहसिंहने 'विजयपालरासा,' और १३५७ में शारंगधरने 'हम्मीररासा' बनाया । १३८२ में अमीर खुसरोका देहान्त हुआ, जो उर्द फारसीके सिवा हिम्दीके भी कवि थे। इनके बाद १४०७ से गोरखनाथका कविताकाल शुरू होता है।

हमारी समझमें इस इतिहासमें बहुतसी बातें विना किसी प्रमाणके, अमवश लिखी गई हैं । असलमें सबसे पहला ग्रन्थ ' पृथ्वीराज रासो ' गिना जाना चाहिए । इसके पहलेके ग्रन्थ केवल अनुमानसे या अमसे समझ लिये गये हैं कि हिन्दीके हैं । पर वास्तवमें यदि वे होंगे तो प्राकृत या अपअंश भाषाके होंगे । आज कल जिस प्रकार भाषा कहनेसे हिन्दीका बोध होता है उसी प्रकार एक समय भाषा ' कहनेसे 'प्राकृत'का भी बोध होता था। पुष्य कविका 'दोहाबद्ध अलंकार' और ' खुमानरासा ' ये दोनों ही ग्रन्थ प्राकृतके होने चाहिए। चन्दके बादका 'कुमारपालचिति' भी भ्रमसे हिन्दीका समझ लिया गया है। इसका दूसरा नाम ' प्राकृत ब्याश्रय महाकाव्य ' है। यह जैनाचार्य हेमचन्द्र द्वारा बनाया गया हे और १३ वीं शताब्दीमें ही-कुमारपालके समयमें ही-इसकी रचना हुई है । इसे बम्बईकी गवर्नमेंटने छपाकर प्रकाशित भी कर दिया है । इसमें प्राकृत, सौरसेनी, पैशाची और अपभ्रंश भाषा-ओंका संग्रह है और इन सबको ' भाषा ' कहते हें। जान पडता है, इसी कारण यह हिन्दीका ग्रन्थ समझ लिया गया है। इसके सिवाय इसका अपभ्रंश भाग (श्रीमान् मुनि जिनाविजय-जीके कथनानुसार) पुराने ढंगकी हिन्दीसे १०-१२ आने भर मिलता है। इस कारण भी इसके हिन्दी समझ लिये जानेकी संभावना है। इसके बादके भूपति किविकी भाषासे यह बोध नहीं होता कि वह संवत् १३५४ के लगभगका कवि है। उसकी भाषा सोलहवीं सदीसे पहलेकी नहीं मालुम होती । नाल्ह आदिकी रचनाके विष-यमें भी हमें सन्देह है । मिश्रवन्धुओंने इसके सम्बन्धमें कोई भी सन्तोषयोग्य प्रमाण नहीं दिये हैं। अतः चन्दको छोड़कर सबसे पहले निश्चित कवि महात्मा गोरखनाथ हैं जि-नको समय खोजके लेखकोंमें सं० १४०७ निश्चित किया है (यद्यपि हमें इस समयमें भी सन्देह है)। अर्थात् पृथ्वीराज रासोको छोडकर हिन्दीके उपलब्ध साहित्यका प्रारंभ विक्रमकी १५ वीं शताब्दीसे होता है।

१० हिन्दीका प्रारंभ।

हमारे विचारसे हिन्दीका प्रारंभ तेरहवीं शता-ब्दिके मध्यभागसे होता है। जो समय भारतके राष्ट्रीयभावोंमें बड़ा भारी परिवर्तन करता है वहीं उसकी भाषाओंमें भी सविशेष परिवर्तन करता है। दिल्लीश्वर पृथ्वीराज चौहानके पतनके बाद भारतके स्वातंज्यका जिस तरह एकदम स्वरूप बद्रुने लगता है वैसे ही भारतीय भाषाओंका भी रूप परिवर्तित होने लगता है। इसके पहले उत्तर और पश्चिमभारतमें वह अपभंश भाषा कुछ थोड़ेसे हेर-फेरके साथ, बोली जाती थी, जिसका व्याकरण हेमचंद्रसुरिने अपने 'सिद्धहैम-श-ब्दानुशासन ' नामक महान् व्याकरणके अष्टमा-ध्यायके चतुर्थपादके ३२९ वें सुत्रसे लेकर अंतिम सूत्र ४४८ वें तक (१२० सूत्रोंमें) लिखा है। हेमचंद्रसूरि अपने समयके सबसे बड़े वैया-करण थे। उन्होंने अपने व्याकरणके पहले ७ अध्यायोंमें संस्कृतका सर्वीगपूर्ण व्याकरण लिख कर आठवें अध्यायमें प्राकृत वगैरह व्यावहारिक भाषाओंका व्याकरण बनाया। अंतमें अपनी मातृभाषा-प्रचालित देशभाषा-कि जिसका नाम उन्होंनें 'अपभ्रंश ' रक्खा है, उसका व्याक-रण भी लिख डाला। यह काम सबसे पहले उन्होंने ही किया। उन्होंने अपभ्रंशका केवल व्याकरण ही नहीं लिखा; परंतु कोश और छन्दो-नियम भी बना दिये। व्याकरण कोश और छन्दोंके उदाहरणोंमें सैकडों पद्य आपने उन यन्थोंके दिये हैं जो उस समय, देशभाषाके सर्वोच्च और प्रतिष्ठित ग्रन्थ गिने जाते थे।

हेमचंद्र सूरिने अपनी जनमभाषाका गुजराती हिन्दी और मराठी आदि कोई खास नाम न रखकर 'अपभंश' ऐसा सामान्य नाम रक्सा है जिसका कारण यह है कि वह भाषा उस समय, उसी रूपमें निलकुल थोड़ेसे भेदके साथ भारतके बहुतसे प्रदेशोंमें बोली जाती थी । इस लिए आचार्य हेमचंद्रने उसे खास किसी प्रदेशकी भाषा न मान कर सामान्य अपभंश भाषा मानी । अच्छा तो अब यह बात उपस्थित होगी कि यह अपभंश (विकृतरूप) किस भाषाका था । इस प्रश्नका उत्तर हमें केवल जैनसाहित्यसे मिलेगा और



किसीसे नहीं। इसके लिए हमें उन प्राकृत ग्रंथोंको देखना चाहिए जो हेमचंद्राचार्यके पहले कमसे ३-४ शताब्दियोंमें, लिखे गये हैं। यद्यपि उन सबका अवलोकन अभी तक ठीक ठींक नहीं किया गया है तो भी जितना किया गया है उससे इतना तो नि:संकोच कहा जा सकता है कि यह अपभ्रंश, शौरसेनी और महाराष्ट्री प्राकृतका था।दशवीं शताब्दीके पहले-के जितने जैन प्राकृतग्रंथ हैं उनमें इन्हीं दोनों भाषाओंकी प्रधानता है। दशवीं शताब्दीके बादके जो यंथ हैं, उनमें ये भाषायें क्रमसे लुप्त होती जाती हैं और अपभ्रंशका उद्य दृष्टि-गोचर होता है। महाकवि धनपाल, महेश्वरसूरि और जिनेश्वरसूरि आदिके ग्रंथोंमें अपभंशका आदि आकार तथा रत्नप्रभाचार्यकी उपदेशमाला की 'दोघट्टी वृत्ति' और हेमचंद्रसूरिके ग्रंथोंमें उसकी उत्तरावस्था प्रतीत होती है। ऊपर लिखा जा चुका है कि दशवीं शताब्दीके पहलेके ग्रंथों-में जुन्द्र सौरसेनी और महाराष्ट्री प्राकृत है और बादमें उनका विकृतक्तप है । कालकी गतिके साथ होनेवाले उन भाषाओं के स्वरूपके अंशही-को हेमचंद्रसुरिने अपभ्रंश नाम दिया और शौर-सेनी तथा प्राकृतके बाद ही अपने व्याकरणमें उसका भी व्याकरण लिपिबद्ध कर दिया।

हेमचंद्रसूरिके देहान्तके बाद थोड़े ही वर्षों में भारतमें राज्यकांति हुई और राष्ट्रीय परिस्थितिमें घोर परिवर्तन होने लगा। हममें परस्पर ईन्यांग्नि सुलगने लगी और विदेशी विजेता उसका लाभ उठाने लगे। देशोंका पारस्परिक स्नेह-संबंध दूरा और एक राज्यके रहनेवाले दूसरे राज्यके रहनेवालोंको शत्रु मानने लगे। इसी कारण, गुज-रात, राजपूताना, अवन्ती और मध्यप्रांन्तके निवा-ासियोंका इसके पहले जितना व्यावहारिक सम्बन्ध विस्तृत था उसमें संकुचितता आई। इस संकु- चितताने इन प्रदेशोंकी जो व्यापक भाषा अप-भ्रंश थी उसके भावी विकाशको प्रान्तीय-भाषा-ओंके भिन्न भिन्न भेदोंमें विभक्त कर दिया । यहींसे, गुजराती, राजपूतानी, मालवी, और हिन्दी भाषाओंके गर्भका सूत्रपात हुआ और धीरे धीरे १५ वीं शताब्दीमें पहुँचकर इन भाषाओंने अपना स्वरूप स्पष्टतया प्रकट कर दिया।

ऐसी दशामें हेमचंद्राचार्यके अपभ्रंशको ही इन उपर्युक्त भाषाओंका मूल समझना चाहिए। इस-की पुष्टिमें अपभ्रंशके कुछ पद्य यहाँ पर उद्भृत कर देने आवश्यक हैं जो हेमचंद्रसूरिने अपने व्याकरणमें उदाहरणार्थ, उस समयके प्रचितत लोक ग्रंथोंमेंसे—रासाओंमेंसे—उद्भृत किये हैं।

> ढें। हा मई तुहुं वारिया मा कुरु दीहा माणु। निद्देए गिमही रत्नंडी दुडंवड होइ विहांणु॥ बिट्टीए मइ भिण्य तुहुं मा कुरु वंकी दिदि। पुँत्ति सकण्णी भाहा जिवं मारइ हिअई पहिंछ॥ महाँ हुआ जु मारिआ बहिणि महारा कन्तु। लज्जेजंतु वयंसिंअहु जह भग्गा घरु एन्तु॥

१ रात्रिके प्रारंभमें स्त्रीपुरुषके प्रणयकलहकी सम्माप्तिपर किसी नवयावनाकी अपने पतिके प्रति यह उक्ति जान पड़ती है। 'डोला ' शब्द नायकके सम्बोधनमें है। २ वारित:-रोका। ३ दीर्घ। ४ निद्रायां-नींदमें। ५ रात। ६ जल्दी। ७ प्रभात। ८ रोषातुर पुत्रीके प्रति स्नेही पिताकी उक्ति। विद्यीए-हे बेटी। ९ वक्तदि । १० पुत्री। ११ हदस्में पैठकर। १२ भावार्थ-हे बहिन भला हुआ जो मेरा पति मर गया। यदि भागा हुआ घर आता तो मैं स्थियोंमें लिजात होती। १३ वयस्यानां मध्ये।

इन पर्योंके साथ 'पृथ्वीराजरासो ' या उसी समयके ठिखे गये किसी और ग्रंथके पर्योंका यदि मिलान किया जाय तो भाषाविषयक बहुत कुछ सादृश्य ही नहीं बिलकुल एकता दिखाई देगी । ऐसी दशामें 'पृथ्वीराजरासो ' यदि हिन्दीहीका ग्रंथ गिना जाने योग्य है, तो उसके आसपासके बनेहुए जैनग्रंथ भी जिनका उछेस आगे किया गया है हिन्दीके ग्रंथ गिने जाने योग्य हैं।

इस उल्लेखसे, हमने जो हिन्दीका प्रारंभ १३ वीं शताब्दीके मध्यसे माना है वह भी युक्तिसं-गत मालूम देगा और साथमें, जिस तरह अजै-नोंके रचे हुए हिन्दी ग्रंथ, उसके प्रारंभकालके मिलते हैं वैसे जैनोंके भी मिलनेके कारण हिन्दीका इतिहास लिखनेमें उनकी उपयोगिता कितनी अधिक है यह भी भूली भाँति ज्ञात हो जायगा।

हमने अगले पृष्ठों पर १२ वीं, १४ वीं और १५ वीं शताब्दीके जिन जैनग्रंथोंको हिन्दीके या उससे बहुत मिलतीं जुलती हुई भाषाका माना है, उनके अवलोकनसे हिन्दीके विकाशकी बहुत कुछ नई नई बातें और नये नये रूप मालूम होंगे, जो हमारी भाषाके शरीरसङ्गठनका इतिहास लिख-नेमें अति आवश्यक साधन हैं। अजैन साहि-त्यमें, जब चंदके बाद गोरसहीका ग्रंथ हमें दृष्टि-गोचर होता है—मध्यका कोई नहीं तब, जैनसाहि-त्यमें इस बीचके पचासों ग्रंथ सोज करने पर मिल सकते हैं। इससे सिद्ध हुआ कि हिन्दीका संपूर्ण इतिहास तैयार करनेमें जैनसाहित्यसे महत्त्वकी सामग्री मिल सकती है।

तेरहवीं शताब्दी।

१ जम्बूस्वामी रासा । बड़ोदा महाराजकी सेंट्रल लायबेरीकी ओरसे निकलनेवाले 'लाइबेरी मिसेलेनी 'नामके बैमासिक पत्रकी अप्रेल १९१५ की संख्यामें श्रीयृत चिम्मन-लाल डाह्याभाई दलाल एम. ए. का एक महत्त्वपूर्ण लेख प्रकाशित हुआ है । उसमें उन्होंने पाटणके सुप्रसिद्ध जैनपुस्तकालयोंकी सोज करनेसे प्राप्त हुए अलभ्य संस्कृत-पाकृत—अपभंश और प्राचीन गुजरातीके ग्रन्थों-का विवरण दिया है । उसमें 'जम्बूस्वामी

रासा ' नामका एक ग्रन्थ है। यह महेन्द्रसूरिके शिष्य धर्मसूरिने सं० १२६६ में बनाया है। लेखक इसकी भाषाको प्राचीन गुजराती बतलाते हैं और इसे उपलब्ध गुजराती साहित्यमें सबसे पहला ग्रन्थ मानते हैं; परन्तु हमारी समझमें चन्दकी भाषा आजकलके हिन्दी जाननेवालोंके लिए।जितनी दुरूह है, यह उससे आधिक दुरूह नहीं है और गुजरातीके साथ इसका जितना साहस्य है उससे कहीं अधिक हिन्दीसे है। उक्त विवरण परसे हम यहाँ उसके प्रारंभके दो पद्य उद्धत करते हैं:—

जिण चउ-विस पर्य नमेवि ग्ररु चरण नमेवि॥ जंबू स्वामिहिं तणूं चरियं भविडे निसुणेवि॥ करि सानिध सरसति देवि जीयरयं (?) कहाणउ । जंबू स्वामिहिं (सु) गुणगहण संखेबि वखाणउ ॥ जंबुद्धीव सिरि भरहासित्ति तिहिं नयंर पहाँणउ ॥ राजग्रह नामेण नयर पहुँवी वेबखाणउ ॥ राज करइ सेणियं नरिंद नरवरहं जुसारो। तासु तैणइ (अति) बुद्धियंत मिति अभयकुमारो 🛊 ॥ २ ॥

२ रेवंतिगिरि रासा। पाटनके संघवीपाड़ाके भण्डारमें 'रेवंतिगिरि रासा' नामका एक ग्रन्थ और भी विकमकी तेरहवीं शताब्दीका बना हुआ है। वस्तुपालमत्रीके गुरु विजयसेनसूरिने संवत् १२८८ के लगभग—जब कि वस्तुपालने गिरनारका संघ निकाला था—इसे बनाया है। इसमें गिरनारका और वहाँके जैनमन्दिरोंके जीणीं-द्वारका वर्णन

9 पद—घरण । २ चरित्र । ३ भविक—भव्य । ॰ सुनो । ५ संक्षिप्त । ६ नगर । ७ प्रधान । ८ पृथिवीमें । ९ विख्यात । १० श्रेणिकराजा । १९ तनय पुत्र । ३ जिस प्रतिसे थे पद्य लिये गये हैं, वह शुद्ध नहीं है, इसलिए इनमें छन्दोमंग जान पड़ता है । है । इसकी भाषाको भी दलाल महाशय प्राचीन गुजराती बतलाते हैं । प्रारंभके कुछ दोहे देखिए ।

परमेसर तित्थेंसरह पर्यपंकज पणमेवि। भणिसु रासु रेवंतगिरि-अंबिकीदिवि सुमरेवि ॥ १ ॥ गामागर-पुर-वण-गहण सरि-सरवरि-सुपएसु। देवभूमि दिसि पच्छिमह मणहरु सोरठ देसु ॥ २ ॥ जिणु तहिं मंडल-मंडणउ मर्गय-मउड-महेतु। निम्मल-सामेल-सिहंर भर, रेहेंइ गिरि रेवंतु ॥ ३ ॥ तस सिरि सामिंड सामेंलउ सोहैंग सुंदर सार । ...इव निम्मल-कुल-तिलैउ निवसइ नेमिकुमार ॥ ४ ॥ तसु मुहदंसैणु दस दिसावे देस दिसंतर संघ। आवइ भाव रसालमण उहिलि (१) रंग तरंग ॥ ५ ॥ पोरवाडकुलमंडणउ नंदणु आसाराय । वस्तुपाल वर मंति तहि तेजपालु दुइ भाइ ॥ ६ ॥ गुर्जर (वर्) धर धुरि धवल वीर धवल देवराजि। बिर्ड बँधेवि अवयोरियउ समैक दूसम माझि॥७॥ हमारी समझमें यह प्राचीन हिन्दी कही जा सकती है।

१ तीर्थेश्वरके। २ पदपंकज। ३ प्रणम्य-प्रणाम करके। ४ गिरनारपर्वतकी अम्बिका देवी। ५ स्मृत्वा-स्मरण करके। ६ सुप्रदेश। ७ मनोहर। ८ मरकत मणिके मुकु- टसे शोभित। ९ स्यामल। १० शिखर। ११ राजे। १२ स्वामी। १३ स्थामल। १४ शोभक-शोभायुक्त। १५ तिलक । १६ मुखदर्शन। १७ मंत्री। १८ दोनों। १९ बन्धु। २० अवतारित किया। २१ सुसमय। २२ दुःषमकालमें।

३ नेमिनाथ चउपई। पाटणके भण्डारोंमें एक 'नेमिनाथ चतुष्पदिका' नामका ४० पद्योंका ग्रन्थ है। इसके कर्ता रत्नसिंहके शिष्य विनय-चन्द्र सूरि हैं। इनका समय विकमकी १३ वीं शताब्दीका आन्तम भाग है। मान्निनाथ महाकाव्य, पार्श्वनाथचरित, कल्पनिरुक्त आदि अनेक संस्कृत-प्राकृत ग्रन्थ इनके बनाये हुए उपलब्ध हैं। इस चउपईकी मूल प्रति भी सं० १३५५-५८ की लिखी हुई है। अतः यह तेरहवीं शताब्दिक अंतकी रचना है। इसके प्रारंभकी पाँच चौपाइयाँ इस प्रकार हैं:—

सोहेग सुंदर घण लॉयन्त्र. सुमरवि सामिउ सामलवन्तु । सिख पित राजल चिंड उत्तरिय, बार मास सुणि जिम वज्जरिय॥१॥ नेमि कुमर सुमरवि गिरनारि, सिद्धी राजल कन्न कुमारि । श्रावणि सरवाणि कडुए मेहु, गज्जइ विरहि रिझिजहु देहु ॥ विज्जुं झबक्कइ रक्खांसे जेव, नेमिहि विणु संहि सहियइ केव ॥ २॥ सखी भणइ सामिणि मन झूरि, दुज्जण तणा मनवंछित पूरि । गयेउ नेमि तउ विनठउ काइ, अछइ अनेरा वरह सयाइ ॥ ३ ॥ बोलइ राजल तउ इंह वयणु, नित्थि नेमि वर सन वर-रेंयणु ॥ धरइ तेजु गहगेण सवि ताउँ, गर्ये।णि न उग्गइ दिणीयर जावे ॥ ४ ॥ भार्द्रीव भरिया सर पिक्खेवि, सकरण रोवइ राजल देवि । हा एकलेंडी मइ निरधार, किम उवेषिसि करुणासार ॥ ५॥

१ सुभग । २ लावण्य । ३३गामल वर्ण । ४ भेषः। ५ विजली । ६ राक्षसीके समान । ७ सिख । ८ हे स्वामिनि । ९ यदि नेमि चला गया तो क्या विनष्ट (बिगड़) गया, और बहुतसे वर हैं। यह इस चरणका अभिप्राय है। १०वररत्न । ११ ग्रहगण-नक्षत्र । १२ तव तक । १३ गगन या आकाशमें। १४ दिनकर सूर्य। १५ यावत् जब तक । १६ भादों में । १७ अके ली।

अ उवएसमाला कहाणय छुटपय । यह मी उपर्युक्त विनयचन्द्रसूरिहीकी रचना है । धर्मदासगणिकी बनाई हुई प्राकृत उपदेशमालाके अनुवाद रूपमें ये छुप्य बनाये गये हैं । इसमें सब मिलाकर ८१ छुप्य हैं । छुप्य छन्दोंकी तरफ विचार किया जाय तो वे प्रायः हिन्दीके ग्रंथोंहीमें अधिक देखे जाते हैं-गुजरातीमें बहुत कम । चंदका 'पृथ्वीराजरासों' प्रायः इन्हीं छुप्य छन्दोंमें बना हुआ है । अतः इस ग्रंथको हिन्दी-ग्रंथ कहनेमें कोई प्रत्यवाय नहीं है । भाषा भी चंदके रासोसे बिल्कुल मिलती जुलती है । इसके आदि-अंत छुप्य इस प्रकार हैं:—

विजयनिंद जिणिदंवीरहित्यहि वय-लेविण ।
धम्मदास गिण नामि
गामि नयरिहि विहरह पुण ।
नियपुत्तह रणसीहरायपिडवोहण सारिहि ।
करह एस उवएसमाल
जिणवयणवियारिहि ।
सय पंच च्याल गाहा रमणमिणकरंड महियलि मुणउ ॥
सहभावि सुद्ध सिद्धंत सम,
सवि साहू सावर्य सुणउ ॥ १ ॥

अंत:— इणि परि सिरि उवएसँ-माल (सु रसाल) कहाणय । तैव-संजम-संतास-विणयविज्जाइ पहाणय । सार्व्य संभरणत्थ अत्थंपय छप्पय छोदाँह ।

१ जिनेन्द्रवीरके हाथसे जिन्होंने व्रत (दीक्षाव्रत) िलिया था, वे धर्मदास गणि । २ निजपुत्र रणसिंहरा-जके प्रतिबोधनार्थ । ३ उपदेशमाला । ४ गाथारूप रलोंका मणिकरण्ड या पिटारा । ५ श्रावक । ६ उप-देशमाला-कथानक । ७ तप संयय-संतोष-विनय-वि-यामे प्रवान । ८ श्रावकश्र गणार्थ । ९ अर्थपद । रयणसिंह स्रीस-सीस
पभणेइ आणंदिहिं।
अरिहंत आण अणुदिण उद्य,
धम्ममूल मत्थह हुउं।
भो भविय भत्तिसतिहिं सहल
सयलं-लिच्छलीला लहुउ॥१॥
चौदहवीं शताब्दी।

१ समक्षेत्रिरास । कर्ताका नाम अभी तक स्पष्ट ज्ञात नहीं हुआ; पर रचना-काल संवत् १३२७ हे । इसमें जिनमांदिर, जिनप्रतिमा, ज्ञान, साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविकारूप (श्वताम्बर संप्रदायमें माने हुए) सात पुण्यक्षेत्रोंकी उपासनाका वर्णन है। यद्यपि इसमें कितने ही शब्द-प्रयोग गुजरातीकी ओर झुकते हुए दिखाई देते हैं पर हिन्दीके साथ साहस्य रखनेवाले शब्दोंकी प्रधानता अवस्य है। नमूनेके लिए कुछ अंतके पद्य देखिए:—

सात क्षेत्र इम बोलिया
पुण एकु कहीसिह!
कर जोडी श्रीसंघपासि
अविणउ मागीसह।
कांईउ ऊणं आगउं
बोलिउ उत्सूतु।
ते बोल्या मिच्छादुक्कय
श्रीसंघवदीतुं॥१८६॥
मूँ मूरष (ख) तोइए
कुण मात्र पुण सुगुरुपसाओ।

१ प्रभणित-कहते हैं । २ आज्ञा । ३ भिक्तिश-किसे । ४ सकललक्ष्मीलीला अर्थात् केवलज्ञान ।
५ सात क्षेत्र इस प्रकार कह कर में फिर एक
बात कहूँगा-हाथ जोड़कर श्रासंघके पास अविनय
माँगूगा अर्थात् क्षमा माँगूगा कि यदि कुछ ' ऊणं '
न्यून 'आगउं' अधिक या 'उत्सूत्र' शास्त्रविषद्ध
कहा गया है तो श्रीसंघमें प्रसिद्ध 'मिथ्या दुष्कृत '
हो । ६ में मुखे हूँ इस लिए में कीन मात्र हूँ-क्या,
चीज हूँ; परन्तु सुगुइके प्राद्धे और तिसुवनस्वामी
जगन्नाथहृदयमें वसते हैं इससे यह 'रास' बना सका हूँ ह

अनह ज त्रिभुवनसामि वसह हियडह जगनाहो। ताणि प्रमाणिह सातक्षेत्र हम कीधउ रासो। श्रीसंघु दुरियह अपहरउ सामी जिणपासो॥ ११७॥ संवत तेर सत्तावीसए माह मसवाडह। गुरुवारि आवीय दसामि पहिलह पखवाडह। तिह पूरु हुउ रासु सिवसुखनिहाणूं। जिण चउवीसह भवियणह करिसिह कल्याणूं॥ ११८॥

२ संघपतिसमरा-रास । अणिहिल्लपुर पट्टनके ओसवाल शाह समरा संघपतिने सं० १३७१ में शत्रुंजय तीर्थका उद्धार अगणित धन व्यय करके किया था । इस उद्धारको लक्ष्य करके नागेन्द्र गच्छके आचार्य पासड सूरिके शिष्य अंव-देवने यह रासा बनाया है। इसमें गुजराती प्रयो-गोंके स्थानमें राजस्थानी भाषाके शब्द अधिक दिसाई देते हैं इससे, इसके कर्ताका वासस्थान संभवत: राजपृतानाका कोई प्रदेश होना चाहिए। राजस्थानी भाषाओंका जितना सादु-इय गुजरातीके साथ है उससे कई गुना अधिक हिन्दीसे है और यह आज भी प्रत्यक्ष है।

पट्टनसे संघ निकाल कर समरा शाहने जब शत्रुंजयकी तरफ प्रयाण किया उस समयका कवि वर्णन करता है:—

> वाजिय संख असंख नादि काहल दुडुदुडिया । घोड़े चड़्द्र सल्लारसार राउत सींगाड़िया । तउ देवालउ जोत्रि येगि घाघरि रवु झमकइ । सम विसम नवि गणइ कोई नवि वारिउ थक्कड़ ॥ १ ॥

१ सं० १३२७ मसबाड (मार्गसिर १), पहले अध्यक्षकी दशमी, गुरुवार ।

सिजवाला धर धडहडइ वााहीण बहुवेगि । धरणि घडक्कइ रजु उडए नवि सुझइ मागो। हय हींसह आरसइ करह वेगि वहइ बहल । सादिकया थाहरइ अवरु नवि देई बुल्ल ॥ २ ॥ निसि दीवी झलहलाहि जेम ऊगिउ तारायण्र। पावल पारु न पामियए वेगि वह^इ सुखासणुः। आगेवाणिहि संचरए संघपति साहु देसलु। बुद्धिवंतु बहु पुनिवंतु परिकमिहि स्निश्चलु ॥ ३ ॥

इन पद्योंकी रचना तो सोलहवीं और सत्र हवीं शताब्दीके राजपूतानाके चारणीय रासोंसे भी विशेष सरल और सहजमें समझमें आजाने-वाली है।

२ थूलिभद्र फागु। इस नामकी एक छोटीसी पुस्तक खरतर गच्छके आचार्य जिनपद्म-सूरिने विकमकी चौदहवीं हाताब्दीके अन्तमें, चैत्र महीनेमें फाग खेलनेके लिए बनाई है। उसका प्रारंभ इस प्रकार है:—

पणिमय पासं जिणंदण्य, अनु सरसह समरेवि। थूलभद्रमुणिवह भणिसु, फागु बंध गुणकेवि॥१॥ अह सोहग सुंगर ह्ववंतु गुणमणिभंडारो। कंचण जिम झलकंत कंति संजम सिरि हारो॥ थूलिभद्र मुणिराउ जाम महियली बोहंतउ। नयरराय पाडलिंय माहि पहूतउ विहरंतउ॥

' कच्छाठिरासा ' आदि और भी कई कृति-याँ इस शताब्दीकी मिलती हैं ।

९ सरस्वति । २ स्थूलसह मुर्निपाते । ३ नगरराजन्श्रेष्ठ नगर । ५ पाटलीपुत्रमें । ३ संस्कृतमें जैनाचार्य मेरुतुङ्गकृत प्रबन्ध चिन्तामणि नामका एक ऐतिहासिक यन्थ है, जो शास्त्री रामचन्द्र दीनानाथ दारा छपकर प्रकाशित हो गया है। यह विकम संवत्१२६१ में वनकर समाप्त हुआ है। इसके कई प्रबन्धों में यज्ञ तत्र कुछ दोहे दिये हुए हैं जो अपभ्रंश माषाके हैं और हिन्दी जैसे जान पड़ते हैं। ग्रंथकर्ताके समयमें वे जनश्रुतियों में या प्रचिति देशभाषाके किसी जैनयन्थमें प्रसिद्ध होंगे, इस कारण उन्हें चाँदहवीं शताब्दीके या उससे पहलेके कह सकते हैं।

जा मति पाछइ संपजइ, सा मति पहिली होइ। मुंजु भणइ मुणालवइ, विघन न बेढ़इ कोइ॥ (पृष्ठ ६२) जइ यह रावणु जाइयो, दह मुहु इक्कु सरीर । जनि वियंभी चिन्तवइ, कवनु पियाइए खीरु ॥ (দৃষ্ট ৩০) कर्सुं करु पुत्र कलत्र धी, कसु करु करसण बाड़ि। आइवु जाइवु एकला हृत्थ...विद्यंवि झाडि ॥ (पृष्ठ १२१) मुंजु भणइ मुणालवइ. जुर्व्वण्यु गयउ न झूरि। जइ सक्कर सयखंड थिय, तोइ स मीठी चूरि॥ (पृष्ठ ५९)

इन पद्योंमें यद्यपि अपभ्रंश शब्द अधिक हैं, तो भी इनके समझनेमें पृथ्वीराज रासोकी अपेक्षा अधिक कठिनाई नहीं पड़ती। इसलिए इनकी भाषाको प्राचीन हिन्दी कहनेमें हमें कोई संकोच नहीं होता।

पन्द्रहवीं शताब्दी।

१ गौतमरासा। पन्द्रहवीं शताब्दीका सबसे पहला ग्रन्थ 'गौतमरासा' मिला है। इसे संवत् १४१२ में उदयवंत या विजयभद्र नामके श्वेता-म्बर साधुने बनाया है। पाटनमें इसकी एक प्रति १५ वीं शताब्दीके उत्तरार्धकी लिखी हुई मिली है। यह ग्रन्थ छप गया है, पर शुद्ध नहीं छपा इसके प्रारंभके कुछ पद्य येहैं:—

वीर जिणेसरचरणकमळ-केमळाकयवासो, पणमवि पभणिस्च सामि साळ गोयमगुरुरासो । मणु तणु चरणु एकंतु करवि निंसुणउ भो भविया, जिम निवसइ तुम्ह देहि गेहि गुणगण गहगाहिया ॥ १ ॥

जंबुदीवि सिरिभरहिखिति खोणीतलमंडणु, मगधदेस सेणिय नरेस रिउ-दलवल खंडणु। धणवर•गुन्वर नाम गामु जिंदे गुणगणसज्जों, विपेषु वसे वसुँभूइ तत्थ जसु पुहँवी भज्जा॥२॥ ताण पुत्त सिरि इंदभूँइ भ्वलयपसिद्धउ, चउदहिवज्जों विविहरूप नारी-रस विद्धउ। विनय विवेकि विचार सार गुणगणह मनोहरू,

१ कमलाकृतवासः — जिनमें लक्ष्मीका निवास है । २ स्वामि । ३ गोतम । ४ सुनो । ५ जम्बूद्वीप । ६ श्रीभरतक्षेत्र । ७ क्षोणीतलमंडन । ८ श्रेणिक । ९ रिपु । १० सजी हुई। ११ वित्र । १२ वसुमृति । १३ पृथ्वी नामकी भार्या। १४ इन्द्रभूति। १५ विद्या

१ मृणालवती । २ विजृंभित होकर-घवड़ाकर । ३ क्षीर-दूध । ४ कृश कर । ५ दोनों । ६ यौवन ।



सात हाथ सुप्रमाण देह
किपिहिं रंभावर ॥ ३ ॥
नेयणवयण करचराण
जिण वि पंकजजिल पाडिय,
तेजिंहि ताराचंद सूर
आकासि भमाडिय ।
कैविहि मयण अनंग
करिव मेल्हिउ निद्दाडिय,
धीरिम मेरु गंभीरि
सिंधु चंगिम चय चाडिय ॥ ४ ॥
२ ज्ञानपंचमी चउपई । मगधदेशमें विकरते समय जिनउदयगुरुके शिष्य और

२ ज्ञानपंचमी चउपई। मगधदेशमं वि-हार करते समय जिनउदयगुरुके शिष्य और ठक्कर माल्हेके पुत्र विद्धणूने संवत १४२३ में इसकी रचना की है। उदाहरणः—

जिणवर सासाण आछइ सारु, जाम्र न लटभइ अंत अपारु । पढ्हु गुणहु पूजहु निसुनेहु, सिर्यंपंचमिफल कहियउ एहु ॥ १ ॥ सियपंचाम फल जाणइ लोइ, जो नर करइ सो दृहिउ न होइ। संजम मन धरि जो नरु करइ, सो नरु निश्चइ दुत्तैरु तरइ॥२॥ ओंकार जिणइ (१) चउवीस, सारद सामिनि करंड जगीस वाहग हंस चडी कर वीण, सो जिण सासणि अच्छइ लीण ॥ ३ ॥ अठदल कमल जपनी नारि, जेण पयासिय वेदइ चारि ससिहर बिंबु अमियरसु फुरइ, नमस्कार तसु 'विद्धणु ' करइ ॥ ४ ॥ चिंतासायर जावि नुरु परइ, घर धंधल सयलइ वीसरइ।

९ अपने नेत्रों, बचनों, हार्यों और चर-गोंकी शोभांस पराजित करके जिसने पंकजोंकी जलमें पठा दिये । २ तेजसे चन्द्रसूर्यको आकाशमें भमाया । ३ रूपसे मदनको अनंग (विना अंगका) बनाके निर्द्याटित कर दिया या निकाल दिया । ४ श्रुतपंचमी । ५ दुखी । ६ दुस्तर । कोहु मानु माया (मद्) मोहु, जर झंपे पारियंड संदेहु ॥ ५ ॥ दान न दिन्नड मुनियर जोगु, ना तप तापिंड न भोगेड भोगु । सावय घराहि लियंड अवतारु, अनुदिनु मनि चिंतहु नवकारु ॥ ६ ॥

इस ग्रन्थकी प्राचीन हिन्दी और भी अधिकः स्पष्ट हैं। यह गुजरातीकी अपेक्षा हिन्दीकी ओर बहुत अधिक कुकती हुई है।

३ धर्मदत्तचिरित्र-इस ग्रन्थका उल्लेख मिश्रबन्धुओंने अपने इतिहासमें किया है । इसे संवत् १४८६ में दयासागरसूरिने बनाया था।

सोलहवीं शताब्दी।

१ लिलतांगचरित्र । इसे शान्तिस्रिके शिष्य ईश्वरस्रिने मण्डपदुर्ग (मांडलगढ़) के बादशाह ग्यासुद्दीनके पुत्र नासिन्दीनके समय (वि० सं० १५५५-१५६९) में, मलिक माफ-रके पद्ध्यर सोनाराय जीवनके पुत्र पुंज मंत्रीकी प्रार्थनासे सं० १५६१ में बनाया है । इसकी रचना बद्दी सुन्दर है। प्राकृत और अपश्रेशका मिश्रण बहुत है । कवि स्वयं अपने काव्यकी प्रशंसा आर्थी छन्दमें इस प्रकार करता है:—

सालंकारसमत्थं
सच्छांदं सरससुगुणसंजुत्तं।
लिल्यंगकुमरचिरयं
लल्लांलियव्य निसुणेह ॥
अब थोड़ेसे पय और देखिएः—
महिमहाति मालवदेस,
धण कणंयलच्छि निवेस।
तिहं नयर मंडवदृग्ग,
अहिनवंड जाण कि संग्ग ॥ ६७ ॥
तिहं अतुलबल गुणवंत,
श्रीग्याससुत जयवंत।

९ कनक-सुवर्ण । २ अभिनव । ३ स्वर्ग ।

समरत्थ साहसधीर, श्रीपातसाह निसीर ॥ ६८॥ तसु राज्जि सकल प्रधान, गुरु रूवरयण ।निधान । हिंदुंआ राय वंजीर, श्रीपुंज मयणह वीर ॥ ६९ ॥ सिरिमाल-वंशवयंस. मानिनीमानसहंस । सोनाराय जीवनपुत्त, बहुपुत्त परिवर जुत्तः। ७०॥ श्रीमलिक माफर पाट्टी, हयगय सुहड बहु चहि। श्रीपुंज पुंज न्रिंद, बहु कवित केलि सुछंद ॥ ७१॥ नवरस विलासउ लोल, नवगाहगेयकलोल । निज बुद्धि बहुअ विनाणि, शुरु धम्मफल बहु जाणि॥ ७२॥ इयपुण्यचरिय प्रबंध, ललिअंग चूपसंबंध। पहुँ पासँ चरियह चित्त, उद्घरिय एह चरित्त ॥ ७३ ॥

२ सार-सिखामन रासा। यह ग्रन्थ इन्दों-रके श्रीमान यति माणिकचन्द्रजीके भण्डारमें है; और उक्त यति महोदयकी कृपासे हमें प्राप्त हुआ था। बड़ तपगच्छके जयसुन्द्रर सूरिके शिष्य संवेगसुन्दर उपाध्यायने संवत् १५४८ में इसकी रचना की है। कोई २५० पद्योंमें यह समाप्त हुआ है। रचना साधारण है। रातको न साना, छना हुआ पानी पीना, जीवधात नहीं करना, अमुक अमुक अमक्ष्य पदार्थ नहीं साना आदि बातोंकी शिक्षा (सिखापन) इसमें दी गई है। भाषामें गुजन्तीकी झलक है—कहीं कहीं अधिक है—तो भी

ी राज्यमें। २ हिन्दू । ३ मंत्री । ४ श्रीमालवंशके भवतंस-मुकुट । ५ दिज्ञानी । ६ ^{प्रभु} । ७ पार्श्व । वह हिन्दी है। किवको स्वेताम्बर सम्प्रदायकी प्रधान भाषा गुजरातीका पश्चिय आधिक रहा है, ऐसा जान पड़ता है।

४ यशोधर चिरित्र । लाहौरके बाबू ज्ञान-चन्दजीने अपनी सूचीमें फफोंदू प्रामानिवासी गौरवदास नामके जैनविद्वान्तके बनाये हुए इस प्रन्थका उल्लेख किया है और इसके बननेका समय १५८१ बतलाया है । जयपुरके बाबा दुलीचन्दजीके सरस्वतीसदनमें इसकी एक प्रति मौजूद है । बाबाजीने अपनी जैनशास्त्रमालामें इसे लिखा है ।

४ कृपणचरित्र । यह छोटासा पर बहुत ही सुन्दर और प्रसादगुणसम्पन्न काव्य बम्बई दिगम्बर जैनमन्दिरके सरस्वतीभण्डारमें एक गुटकेमें लिखा हुआ मौजूद है । इसमें किने एक कंजूस धनीका अपनी आँखों देखा हुआ चिरत्र ३५ छप्पय छन्दोंमें किया है । घेल्हके बेटे ठकुरसी नामके किन इसके रचियता हैं । वे १६ वीं शताब्दीके किन हैं । पन्द्रहसौं अस्सीमें उन्होंने इसकी रचना की है, जैसा कि वे अन्तके छप्पयमें कहते हैं:—

इसौ जाणि सहु कोई,
मरम मूरिख धन संच्यो।
दान पुण्य उपगारि,
दिंत धणु किवै ण खंच्यौ॥
में पंदरा सौ असइ,
पोष पांचै जाग जाण्यौ।
जिसौ कृपणु इक दीवु,
तिसौ गुणु तासु बखाण्यौ॥
कावि कहइ ठकुरसी घेल्हतणु,
में परमत्थु विचारियौ।
खरिचयौ त्याहं जीत्यौ जनमु
जिह सांच्यौ।तिह हारियौ।

कवि अपनी कथाका प्रारंभ इस प्रकार करता है:--



कृपणु एक परसिद्ध, नयरि निवसंतु निलक्खणु। कही करम संजोग तासु घरि, नारि विचक्खण॥ देखि इहकी जीड़, सयलु जग रहिउ तमासै। याहि परिषके याहि, दई किम दे इम भासे॥ वह रह्यो रीति चाहै भली, दाण पुज्र गुण सील सति। यह दे न खाण खरचण किवै, दुवै करहि।दीण कलह आति। गुरसों गोठि न करै, देव देहरी न देखे। मांगिण भालि न देइ. गाछि सुणि रहै अलेखै ॥ सगी भतीजी भुवा बहिाणे, भाणिजी न ज्यावै॥ रहे रूषणी माडि, आप न्योतौ जबं आवै ॥ पाहुणी सभी आयी सुणै, रहइ छिपिउ मुहु राखि करि। जिव जाय तवहि पाणे नीसरइ, इम धनु संच्यो कृपण नर ॥

एक दिन कृपणकी स्त्रीने कहा कि गिरनार-जीकी यात्राके लिए बहुतसे लोग जा रहे हैं, यदि आप भी मुझे लेकर यात्रा करा लावें, तो अपना धन पाना सफल हो जाय। इस पर सेठ जी बड़े सफा हुए। दोनोंमें बहुत देर तक विवाद होता रहा। सेठानीने धनकी सफलता दान भोग आदिसे बतलाई और सेठने उसका विरोध किया। अन्तमें सेठजी तंग आकर घरसे चल दिये। गार्गमें उनका एक पुराना मित्र मिला, वह भी कंजूस था। उसने पूछा, आज तुम उन्मना और दुर्बल क्यों हो रहे हो? सेठजी उत्तर देते हैं:- कृपणु कहे रे मीत,
मज्झु घरि नारि सतावै।
जात चालि घणु खरचि,
कहे जो मोहिन भावै॥
तिहि कारण इब्बली,
रथण दिन भूख न लागै।
मीत मरणु आइयो,
गुज्झु आँखी तू आगे॥
ता कृपण कहे रे कृपण सुणि,
मीत न कर मनमाहि दुखु।
पीहरि पठाइ दे पापिणी,
जयों को दिण तूं होइ सुखु॥ २१॥

स्थानाभावसे अब हम और पद्य उन्द्रत नहीं कर सकते। आखिर सेठजी घर आये और एक झठी चिही घरवालीके सामने पढ़कर बीले कि तुम्हारे बड़े भाईके पुत्र उत्पन्न हुआ है, इसलिए उन्हें।ने तुम्हें बुलानेके लिए यह चिट्टी देकर आ**दमी** भेजा है। तुम्हें पीहर चली जाना चाहिए। बेचारीको जाना पडा । इसके बाद यात्रियोंका संघ चला गया। जब कुछ समयके बाद वह सकुशल लौट आया और उसमें सेठने देखा कि कई लोग मालामाल होकर आगये हैं, तब उसे बड़ा दु:स हुआ कि मैं क्यों न गया । मैं जाता तो ख़ब किफायतशारीसे रहता और इनसे भी अधिक धन कमा लाता । इस दुःखसे वह रात और दिन दु:खी रहने लगा मरणशय्यापर पड गया । लोगोंने समझाया कि अब तू कुछ दानधर्म कर ले, पर उसने किसीकी न सुनी। वह बीला, मैं सारे धनको साथ छे जाऊँगा । उसने लक्ष्मीसे प्रार्थना कि मैंने तुम्हारी जीवनभर एकनिष्ठतासे सेवा की है, अब तुम मेरे साथ चलो। लक्ष्मीने कहा, कि मेरे साथ ले चलनेके जो कई दानादि

१ गोष्टी बातचीत।

१ यात्रा । २ गुद्ध-गुप्त बात । ३ कह दिया ।

उपाय थे उन्हें तूने किये नहीं, इसिलए मैं तेरे साथ नहीं जा सकती। कृपण मर गया और नरकमें तरह तरहके दु:स मोगने लगा। इधर उसके मरनेसे लोग बहुत सुश हुए और कुटुम्बी आदि आनन्दसे धनका उपभोग करने लगे। यही इस चिरत्रका सार है। किवने कथा अच्छी चुनी है। रचना उसकी एक आँसों देसी घटना पर की गई है, इस कारण उसमें प्राण हैं। मालूम नहीं, इस किवकी और भी कोई रचना है या नहीं।

५ रामसीताचरित्र । इस यन्थका उल्लेख मिश्रबन्धुओंने अपने हिन्द्विक इतिहासमें किया है। इसे बालचन्द् जैनने विक्रम संवत् १५७८ में बनाया है।

सत्रहवीं शताब्दी।

इस शताब्दीके बने हुए जैनमंथ बहुत मिलते हैं। इसमें हिन्दीकी सासी उन्नति हुई है। हिन्दीके अमर कवि तुलसीदासजी इसी शता-ब्दीमें हुए है।

१ बनारसीदास । इस शताब्दीके जैनकिव और लेकों में हम किविवर बनारसीदासजीको सर्व श्रेष्ठ समझते हैं। यही क्यों, हमारा तो खयाल है कि जैनों में इनसे अच्छा किव कोई हुआ ही नहीं। ये आगरेके रहनेवाले श्रीमाल वैश्य थे। इनका जन्म माघ सुदी ११ सं० १६४३ को जौनपुर नगरमें हुआ था। इनके पिताका नाम खरगसेन था। ये बड़े ही प्रतिभाशाली किवि थे। अपने समयके ये सुधारक थे। पहले स्वेताम्बर सम्प्र-दायके अनुयायी थे, पीछे दिगम्बरसम्प्रदाय— मुक्त हो गये थे; परन्तु जान पड़ता है, इनके विचारोंसे साधारण लोगोंके विचारोंका मेल नहीं खाता था। ये अध्यात्मी या वेदान्ती थे। कियाकाण्डको ये बहुत महत्त्व नहीं देते थे। इसी कारण बहुतसे लोग इनके विरुद्ध हो। गये थे। यहाँ तक कि उस समयके मेघविजय उपाध्याय नामके एक हवेताम्बर साधुने उनके विरुद्ध एक ' युक्तिप्रबोध' नामका प्राकृत नाटक (स्वोपज्ञ संस्कृतटीकासहित) ही लिख ढाला था, जो उपलब्ध है। उससे मालूम होता है कि इनको और इनके अनुयायियोंको उस समयके बहुतसे लोग एक जुदा ही पन्थके समझने लगे थे।

बनारसीदासजीके बनाये हुए चार ग्रन्थ-१
वनारसीविठास, २ नाटक समयसार, ३ अर्द्ध कथानक और ४ नाममाठा (कोष) प्रसिद्ध हैं। इनमेंसे पहले तीन उपलब्ध हैं। दो छप चुके हैं और तीसरेका आशय पहलेके साथ प्रकाशित हो चुका है। बनारसीविठास कोई स्वतंत्र ग्रन्थ नहीं हैं, किन्तु उनकी कोई ६० छोटी बड़ी कविताओं का संग्रह है। यह संग्रह जगजीवन नामके एक आगरेके कविने संवत् १७०१ में किया था। सूक्तमुक्तावली, समयसारकलशा, और कल्याणमन्दिर स्तोत्र नामकी तीन कविताओं छोड़कर इस संग्रहकी सब रचनायें स्वतंत्र हैं, और एकसे एक बढ़कर हैं। अध्यात्मके प्रमी उनमें तन्मय हो जाते हैं। समयाभावके कारण हम दो चार दोहे सुनाकर ही संतोष करेंगे:—

एक रूप हिन्दू तुरुक,
दूजी दशा न कोइ।
मनकी दुविधा मानकर,
भये एकसों दोह ॥ ७ ॥
दोऊ भूले भरममें,
करें वचनकी टेक।
'राम राम' हिन्दू कहें,
तुरुक 'सलामालेक'॥ ८ ॥
इनकें पुस्तक वांचिए,
वे हू पढ़ें कितेब।
एक वस्तुके नाम ह्रय,
जैसैं 'शोभा' 'जेब'॥ ९ ॥



तिनकों दुविधा-जे लखें,
रंग विरंगी चाम।
मेरे नैनन देखिए,
घट घट अन्तर राम॥ १०॥
यहै गुप्त यह है पगट,
यह बाहर यह माहिं।
जब लग यह कछ है रहा,
तब लग यह कछ नाहिं॥ ११॥

दूसरा ग्रन्थ नाटक समयसार है । प्राकृत भाषामें भगवान् कुन्द्कुन्दाचार्यका बनाया हुआ समयसार नामका एक ग्रन्थ है और उस पर अमृतचन्द्राचार्यं कृत संस्कृत व्याख्यान है । नाटक समयसार इन्हीं दोनों ग्रन्थोंको आधार मानकर ििसा गया है। मूल और व्याख्यानके मर्मको समझ कर उसे इन्होंने अपने रंगमें रंगकर अपने शब्दोंमें अपने ढंगसे लिखा है। बडा ही अपर्व यन्थ है। इसका प्रचार भी खब है। इवेताम्बर और दिगम्बर दोनों ही सम्प्रदायोंमें इसका खब ही आद्र है। इस पर कई टीकायें भी बन चुकी हैं और उनमेंसे दो छप भी गई हैं । जो सज्जन वेदान्तके प्रेमी हैं, उनसे हमारा अनुरोध है कि वे इस ग्रन्थको अवस्य ही पढ़ें। जैन-धर्मके सिद्धान्तोंका जिन्हें परिचय है, वे इसे पढ़कर अवस्य प्रसन्न होंगे। इसका केवल एक ही सीधा साधा पद्य सुनाकर में आगे बहुँगाः-मैया जगवासी, तू उदासी हैकी जगतसीं,

मया जगवासा, तू उदासा हक जगतसा एक छै महीना उपदेस मेरो मानु रे । और संकलप विकलपके विकार तजि, बैठिके एकंत मन एक ठौर आनु रे ॥ तेरो घट सर तामें तू ही है कमल वाकी, तू ही मधुकर है सुवास पहिचानु रे । प्रापति न है है कल्लू ऐसें तू विचारत है, सही है है प्रापति सहप योंही जानु रे ॥

भाषाकी दृष्टिसे भी इसकी रचना उच्चश्रेणीकी है। भाषापर कविको पूरा अधिकार है। शन

ब्दोंको तोड़े-मरोड़े बिना उन्होंने उनका प्रयोग किया है। छन्दोभंगादि दोषोंका उनके ग्रन्थमें अभाव है।

तीसरा ग्रन्थ अर्धकथानक है। यह ग्रन्थ उन्हें जैनसाहित्यके ही नहीं, सारे हिन्दी साहि-त्यके बहुत ही ऊँचे स्थानपर आरूढ़ कर देता है। एक दृष्टिसे तो वे हिन्दीके बेजोड कवि सिद्ध होते हैं। इस यन्थमें वे अपना ५५ वर्षका आत्मचरित लिखकर हिन्दीसाहित्यमें अपूर्व कार्य कर गये हैं और बतला गये हैं कि भारतवासी आजसे तीन सौ वर्ष पहले भी इति-हास और जीवनचारितका महत्त्व समझते थे और उनका लिखना भी जानते थे। हिन्दीमें ही क्यों. हमारी समझमें शायद सारे भारतीय साहित्यमें (मुसलमान बादशाहोंके आत्मचरि-तोंको छोड़कर) यही एक आत्मचरित है, जो आधुनिक समयके आत्मचरितोंकी पद्धति पर लिखा गया है । हिन्दी भाषाभाषियोंको इस ग्रन्थका अभिमान होना चाहिए।

अर्धकथानक छोटासा ग्रन्थ है। सब मिला-कर इसमें ६७३ दोहा—चेंापाइयाँ हैं। इसमें क-विने अपना विक्रम संवत् १६९८ तक का ५५ वर्षका जीवनचरित लिसा है। ग्रन्थके अन्तमें किवने लिसा है कि आजकलकी उत्कृष्ट आ-युके हिसाबसे ५५ वर्षकी आयु आधी है। इस लिए इस ५५ वर्षके चरितका नाम 'अर्धकथा-नक 'हुआ है। यदि जीता रहा और बन सका, तो मैं शेष आयुका चरित और भी लिस जा-ऊँगा। मालूम नहीं कविवर आगे कब तक जीते रहे और उन्होंने आगेका चरित लिसा या नहीं। जयपुरके बाबा दुलीचन्दर्जीने अपनी सूचीमें बनारसीपद्धति नामका ५०० श्लोकपरिमित एक और ग्रन्थका उल्लेस किया है। आइचर्य नहीं, जो उसीमें उनकी शेषजीवनकी कथा सुरक्षित हो।

अर्धकथानंकमें कविवरने अपने जीवनकी तमाम छोटी मोटी दुखसुसकी बातोंका बहुत ही अच्छे ढंगसे वर्णन किया है जिनका पढने-वालों पर गहरा प्रभाव पडता है। उन्होंने अपने तमाम बुरे और मले कर्मीका-गुणों और अव-गुणोंका-इसमें चित्र खींचा है। वे जहाँ अपने गुणोंका वर्णन करते हैं वहाँ दुर्गुणोंका भी करते हैं। दुर्गुण भी ऐसे वैसे नहीं, जिन्हें साधारण लोग स्वप्नमें भी नहीं कह सकते हैं, उन्हें उन्होंने लिखा है । इससे उनकी महानु-भावता प्रकट होती है-यह मालूम होता है कि उनका आत्मा कितना बहुत ही और संसारके मानापमानसे परे आकाशमें विहार नेवाला था । अपनी जीवनकथासे सम्बन्ध रखनेवाली उस समयकी उन्होंने ऐसी अनेक बातोंका वर्णन किया है जो बहुत ही मनोरंजक और कुत्रहलवर्द्धक हैं। मुगल बाद्शाहोंके राज्यमें वणिक महाजनोंको जो कष्ट होते थे, साधारण प्रजा जो कष्ट पाती थी, अधिकारी लोग जो अत्याचार करते थे. उनका वर्णन भी इसमें जगह जगह पर पाया जाता है। विकम संवत १६७३ में आगरेमें प्लेग रोगका प्रकोप हुआ था, इस घटनाका भी कविने उल्लेख किया है:--

इस ही समय इति विस्तरी,
परी आगरे पहिली मरी।
जहाँ तहाँ सब भागे लोग,
परगट भया गांठका रोग ॥ ५७४
निकसै गांठि मरें छिन माहिं,
काहूकी बसाय कछु नाहिं।
चूहे मरें वैद्य मर जाहिं,
भयसौं लोग अन्न नहिं खार्हि ॥ ७५

बनारसीदासजी पर एक बार बर्ड़ा विपात्ते आई थी । उनके पास एक पाई भी खर्च कर- नेके लिए नहीं थी। सात महीने तक वे एक कचौरीवालेकी दूकानसे दोनों वक्त पूरी कचौरी उधार लेकर साते रहे। जब हिसाब किया, तो उसका दाम कुल १४ रुपया हुआ! अर्थात् उस समय आगरे जैसे शहरमें दो रुपये महीनेमें आदमी दोनों वक्त बाजारकी पूरी कचौरी सा सकता था। इससे उस समयके 'सुकाल का पता लगता है। जिस समय बादशाह अकबरके मरनेका समाचार जोनपुर पहुँचा, उस समय वहाँके निवासियोंकी दशाका वर्णन कविने इस प्रकार किया है:—

इसही बीच नगरमें सोर. भयौ उदंगल चारिहु ओर। घर घर दर दर दिये कपाट, हटवानी नहिं बैठे हाट ॥ ५२ ॥ भले वस्त्र अरु भूषन भले, ते सब गाड़े धरती तले। हंडवाई (?) गाड़ी कहुं और, नगढ माल निरभरमी ठौर ॥ ५३ ॥ घर घर सबनि बिसाहे सस्त्र, लोगन्ह पहिरे मोटे वस्त्र। ठाढो कंबल अथवा खेस. नारिन पहिरे मोटे वेस ॥५४॥ ऊँच नीच कोऊ न पहिचान, धनी दरिद्री भये समान । चोरी धारि दिसे कहुं नाहिं, योंही अपभय लोग डराहि ॥ ५५

इससे श्रोतागण उस समयके राजशासनकी परिस्थितियोंका बहुत कुछ अनुमान कर सकेंगे।

समय न रहनेके कारण में इस यन्थका और अधिक परिचय नहीं दे सकता । जो महाशय अधिक जानना चाहते हों, वे मेरे द्वारा सम्पादित बनारसीविलासके प्रारंभमें इस यन्थका विवरण पढ़नेका कष्ट उठावें।

क्रीनहितेषां।

यद्यपि इस ग्रन्थकी रचना नाटकसमयसार जैसी नहीं है, तो भी विषयके लिहाजसे वह खासी है। कहीं कहींका वर्णन बड़ा ही स्वाभा-विक और हृद्यस्पर्शी है। अपने भाई घन-भलकी मृत्युका शोक किवने इस प्रकार वर्णन किया है:—

> घनमल घनदल उड़ि गये, काल-पवन-संजोग। मात पिता तरुवर तए, लहि आतप सुत-संगि॥ १९

जब कविवर एक बड़ी बीमारीसे मुक्त होकर-समुरालसे वर आये तव—

> आय पिताके एवं गहे, मा रोई उर ठोकि। जैसे चिरी कुरीजकी, त्याँ सुत दशा विलोकि॥१९४॥

एक बार परदेशमें किव अपने साथियों के साहित कहीं ठहरे कि इतने में मूसलधार पानी अरसने लगा। तब भागकर सरायमें गये, पर वहाँ जगह न मिली, कोई उमराव ठहरे हुए थे; बाजारमें खेंड होने को जगह न थी, सबके कि-बाड़ बन्द थे। उस समयका चित्र कविवर इस तरह खींचते हैं:—

फिरत फिरत फावा मये, बैठन कहें न कोइ। तलें की चसों पग भरें, ऊपर वरसत तोइ॥ ९४॥ अंधकार रजनी विषें, हिमरितु अगहन मास। नारि एक बैठन कहाों, पुरुष उठ्यों लें वास॥ ९५॥

बनारसीदास अपने दूसरे पुत्रकी मृत्युका उल्लेख इन शब्दोंमें करते हैं – बानारसिके दूसरो, भयौ और सुत-कीर। दिवस केकमें उन्हिंगयो,ताज पींजरा सरीर॥ चौथा ग्रन्थ नाममाला हिन्दीका दोहाबद्ध कोश है। इसे हमने अभीतक देखा नहीं है, पर खोजनेसे यह मिल सकता है। कविवरका एक और ग्रंथ शृंगाररसकी रचनाओंका संग्रह था जिसे उन्होंने स्वयं जमुनामें वहा दिया था। उन्हें इस विषयसे घुणा होगई थी और यही कारण था जो उन्होंने उसका अस्तित्व ही न रहने दिया।

२ कल्याणदेव। ये श्वेताम्बर साधु जिनचन्द्र सूरिके शिष्य थे। इनके बनाये हुए 'देवराज बच्छ-राज चउपई ' नामक एक ग्रन्थकी हस्तंलिखित प्रति हमें श्रीमान यति माणिकचन्द्रजीकी क्रपासे प्राप्त हुई है। संवत् १६४३ में यह यन्थ विकम नामक नगरमें रचा गया है। इसमें एक राजाके पुत्र बच्छराज और देवराजकी कहानी है। बच्छराज बहा था, परन्त मुर्ख था, इस कारण राज्य देवराजको मिला । बच्छराज्य घरसे निकल गया, पीछे अनेक कष्ट सहकर और अपनी उन्नति करके आया । भाईने बहुत सी परीक्षा-यें लीं। अन्तमें बच्छराज उत्तिर्ण हुआ और आधे राज्यका स्वामी हो गया। रचना साधारण है। भाषामें गुजरातीका मिश्रण है और यह बात इवेताम्बर सम्प्रदायके हिन्दी साहित्यमें अवसर पाई जाती है। नमुना--

> जिणवर चरणकमल नमी, सुह गुरु हीय घरेसि। समरवां सिव सुख संपजइ, भाजइ सयल कलेसि॥१ बुद्धइ घणसुख पाइए, बुद्धइ लाहिए राज। बुद्धइ आति गरुअउपणउ, बुद्धि सरइ सिव काज॥३ विद्याधर कुल जपनी, सुरवेगा अभिधान।

राजानी आति मानिता, विनतामाहिं प्रधान ॥ ७६ ॥ संवत सोल त्रयाला वरसिंह, एह प्रवन्ध कियउ मन हरसिंहि। विक्रम नयरइ रिषभ जिणेसा, जसु समरण सवि टलइ किलेसा ॥८४॥

३ मालदेव । ये बड्गच्छीय भावदेवसूरिके शिष्य थे। साधारणतः ये 'माल ' के नामसे प्रसिद्ध हैं। अपने ग्रंन्थोंमें भी ये 'माल कहइ' या 'माल भणइ' इस तरह अपना उल्लेख करते हैं। इनके बनाये हुए दो ग्रन्थ उपलब्ध हैं, एक 'भोज-प्रबन्ध' और दूसरा 'पुरन्दरकुमरचउपई'। 'पुरन्दरकुमरचउपई' विक्रम संवत १६५२ का बना हुआ है। यह मन्थ श्रीयुत मुनि जिनावीजय-जीके पास है । इसक्ने विषयमें आप अपने पत्रमें लिखते हैं कि "यह पुरन्दर कुमर चउपई मन्थ हिन्दीमें है (गुजरातीमें नहीं)। इसे मैंने आज ही ठीक ठीक देखा है। रचना अच्छी और ललित है। जान पड़ता है 'माल' एक प्रसिद्ध कवि हो गया है। गुजरातीके प्रसिद्ध कवि ऋषभदासने अपने 'कुमारपाल रास' में जिन प्राचीन कवि-योंका स्मरण किया है, उनमें मालका नाम भी है। वह 'माल' और कोई नहीं किन्तु ' मोज-प्रबन्ध' और 'प्रंदर चउपई ' का कर्ता ही होना चाहिए। 'पुरंदर चउपई का आदि और अन्तिमभाग यह है:—

आदि:---

वरदाई श्रुत देवता,
ग्रुरु प्रसादि आधार।
'कुमर-पुरंदर' गाइस्यूं,
सीलवंत सुविचार॥
नरनारी जे रसिक ते,
सुणियहु सब चितु लाइ।
दंठ न कब हि घुमाइयहिं,
विना सरस तरु नाइ॥

सरस कथा जइ होई तौ, सुणइ सिवाहि मन लाइ। जिहाँ सुवास होवहि कुसुम, सरस मधुप तिहाँ जाइ॥

अंतः—भावदेवसूरि गुणनिलउ, बडगळ-कमल-दिणंद। तासु सुसीस शिष्य (१) कहइ, मालदेव आनंद ॥"

ये ठोग सिन्ध और पंजाबके मध्यमें रहा करते थे। ऐसा सुना गया है कि भावदेवसूरिके उपाश्रय अब भी बीकानेर राज्यके 'भटनेर' और 'हनुमानगढ़' नामक स्थानोंमें हैं। "

दूसरा ग्रन्थ 'भोजप्रबन्ध' उक्त मुनि महोदयने मेरे पास भेज देनेकी क्रपा की है। इसकी प्रतिमें शुरूके दो पत्र,अन्तका एक पत्र और बीचके २०से २४ तकके पृष्ठ नहीं हैं। पद्यसंख्या १८०० है। इसमें तीन सम्बन्ध या अध्याय हैं। पहलेमें भोज-के पूर्वजोंका, भोजके जन्मका और वररुचि धन-पालादि पण्डितोंकी उत्पत्तिका वर्णन है, दूसरेमें परकायाप्रवेश, विद्याभ्यास, देवराजपत्र-जन्म, और मदनमंजरीका विवाह तथा तीस-रेमें देवराज बच्छराज विदेशगमन और भानम-तीके समागमका वर्णन है । यद्यपि यह प्रबन्ध-चिन्तामणि तथा बहालके भोजप्रबन्ध आदिके आधारसे बनाया गया है; तथापि इसकी रचना स्वतंत्र है । 'कविरनुहरतिच्छायां' के अनुसार उक्त यन्थोंकी छाया ही ली गई है। भाषा प्रौढ है; परन्तु उसमें गुजरातीकी झलक है और अपभ्रंश शब्दोंकी अधिकता है। वह ऐसी साफ नहीं है जैसी उस समयके बनारसीदासजी आदि कवियोंकी है। कारण, कवि गुजरात और राज-प्तानेकी बोलियोंसे अधिक परिचित था। वह प्रतिभाशाली जान पड़ता है। कोई कोई पद्म बड़े ही चुभते हुए हैं:--



अंगुलि सप्पि-मुहाहु।
ओं सेती प्रीतज़ी,
जिंद तुद्ध ति लाहु॥ ९१॥
सिन्धुल लौटकर जब राजा-मुंजके समीप
आया, तब मुंज कपटकी हँसी हँसकर उसके
गलेसे लिपट गया। इसकी लक्ष्य करके किंव कहता है:—

भलउ हुअउ जइ नीसरी,

धूरत राजा मुंज पणि,
मिल्लंड उठि गिल्लं लागि।
को जाणइ घन दामिनी,
जल मिंह आंछ्य आगि॥ १२०॥
घणु वरसद सीयल सिल्लं,
सोई मिलि हद विज्जु।
गरुयहँ तूसदूँ जीवयद,
स्ठाँ विणसद कज्ज॥ १२१॥

तैिि पदेवकी लड़ाईमें हार कर राजा मुंज भागा और एक गाँवमें आया, उस समयका कविने वडा ही सजीव वर्णन किया है:—-

> वनतें वन छिपतउ फिरउ. गव्हर वनहँ निकंज। भूखड भोजन माँगिवा, गोवलि आयउ मुंज ॥ २४७ ॥ गोकुलि काई ग्वारिनी, ऊँची बइठी खाटि। सात पुत्र सातइ बहू, दही बिलोवहिं मौटि ॥ ४८ ॥ काढ़िहं दूध कहुं केइ मिलि, माखणु काद्हिं केइ। केइ पघारहि घीउ तहँ, जिसु भावइ तिसु देइ ॥ ४९ ॥ गाइ वाछरू कट्टरू, महिषी अंगणि देखि। खाजइ पीजइ विलसियइ, गरव करइ सुविसेखि ॥ ५० ॥

9 सर्पके मुँहसे । २ है । ३ मिटीके वर्तनमें ।

जिस समय मृणालवतीके विश्वासघात करनेसे फिर मुंज पकड़ा गया और बड़ी दुईशाके साथ नगरमें घुमाया गया, उस समय मुंजके मुँहसे कविने कई बड़े मार्मिक दोहे कहलवाये हैं:—

खंडित घृतविंदू मिसेइँ,
रे महंका मत रोइ।
नारी कउण न खंडिया,
मुंज इलापति जोइ॥ ७॥
मिसिन अन्न तूं वाफके,
अगिन आंचि मत रोइ।
अगिनि विना हुँउँ दासियइँ,
भसम कियउ किन जोइ॥ ११॥
सालि मुसलि तूं ताडियउ,
तुस कपडा लिय छीनि।
दासि कटाच्छिहें मारियउ,
कीयउ हुँ सवहीन॥ १२॥

इस यनथकी यह बात नोट करने ठायक हैं कि इसमें हिन्दीके दोहोंको 'प्राकृतभाषा दोहा ' ठिसा है । मालूम होता है उस समय हिन्दी उसी तरह प्राकृत कहलाती होगी जिस तरह बम्बईकी ओर इस समय मराठी 'प्राकृत कहलाती है ।

इस ग्रन्थमें बहुतसे रुठोक ' उक्तं च ' कह-कर लिखे गये हैं, जिनमें बहुतोंकी माषा अप-भ्रंशसे बहुत कुछ मिलती हुई है। यथाः—

> दुज्जण जण बंबूलवण, जइ सिंचह अमिएण। तोइ सु कांटा बींधणा, जातिंड तणइ गुणेण॥

इसमें बहुतसे पदोंकी ढालें लिखी हुई हैं, जैसे 'मृगांकलेखा चउपईकी ढाल '। इन दोनों बातोंसे यह अनुमान होता है कि इस प्रन्थसे पहले पुरानी हिन्दीके अनेक प्रन्थ रहे होंगे जिनसे उक्त 'उक्तं च ' लिये गये हैं और

१ मिषसे । २ मटका-मिटीका वर्तन । ३ मुझे ।



जिनकी ढालोंका अनुकरण किया गया है। मुगांकलेखाकी कथा इवेताम्बर सम्प्रदायमें बहुत प्रसिद्ध है। अतएव 'मृगांकलेखाकी च उपई ' कोई जैनग्रन्थ ही था।

४ हेमविजय। ये अच्छे विद्वान् और कवि थे। सुप्रसिद्ध आचार्य हीरविजयसुरिके शिष्यों मेसे थे । इन्होंने विजयप्रशस्ति महाकाव्य और कथा-रताकर आदि अनेक संस्कृत ग्रथोंकी रचना की है। हिन्दीमें भी इनकी छोटी छोटी रचनायें मिळती हैं। ये आगरा और दिल्ली तरफ बहत समय तक विचरण करते रहे थे, इस । छिए इन्हें हिन्दीका परिचय होना स्वाभाविक है। हीरविजयसुरि और विजयसेनसूरि आदिकी स्तुतिमें छोटे छोटे बहुतसे हिन्दी पद्य बनाये हैं। तीर्थकरोंकी स्तवनाके भी कुछ पद रचे हुए मिलते हैं। नमुनेके तौर पर नेमिनाथ तीर्थकरके स्तातिपद्यको दोखिए।

घनघोर घटा उनयी जु नई, इततें उततें चमकी बिजली। पियुरे पियुरे पपिहा बिललाति जु, मोर किंगार (?) करंति मिली। विच बिंदु परें दूग आंसु झरें, ंदनि धार अपार इसी निकली। मानि हेमके साहिब देखनकूं, उग्रसेन छली सु अकेली चली। कहि राजिमती सुमर्ता सखियानकूं, एक खिनक खरी रहुरे। सिखरी सगरी अंग्ररी मुही बाहि कराति (१) बहुत (१) इसे निहुरे। अबही तबही कबही जबही. यदुरायक्रं जाय इसी कहरे। मुनि हेमके साहिब नेमजी हो, अब तोरनतें तुम्ह क्यूं बहुरे।

५ रूपचन्द् । ये कविवर बनारसीदासजीके

आत्मचरितमें और नाटकसमयसारमें इनका उल्लेख किया है और इन्हें बहुत बडा विद्वान बतलाया है। ये जैनधर्मके अच्छे मर्मज्ञ थे। आध्यात्मिक पाण्डित्य भी इनमें अच्छा था, यह बात इनके 'परमार्थी दोहाशतक ' और पदोंके देखनेसे जान पड़ती है। परमार्थी दोहाशतकको हमने पाँच छह वर्ष पहले जैनहितैषीमें प्रकाशित किया था। बड़े ही अच्छे दोहे हैं। उदाहरण:--

> चेतन चित् परिचय बिना, जप तप सबै निरत्थ। कन विन तुस जिमि फटकतें, आवै कछु न हत्थ। चेतनसौं परिचय नहीं. कहा अये व्रतधारि। साछि विहूनैं खेतकी, वृथा बनावत वारि॥ बिना तत्त्वपरिचय लगत. अपरभाव अभिराम। ताम और रस रुचत हैं, अमृत न चारुयौ जाम॥ भ्रमतें भूल्यो अपनपी, खोजत किन घटमाहि। विसरी वस्तु न कर चढ़ै, जो देखै घर चाहि। घट भीतर सो आप है. तुमाहिं नहीं कछ यादि। वस्त मुठामें भूलिके. इत उत देखत वादि॥

प्रत्येक दोहेके पूर्वार्धमें एक बात कही गई है और उत्तरार्धमें वह उदाहरणसे पुष्ट की गई है। सबके सब दोहे इसी प्रकारके हैं। इनमें पर-मार्थका या आत्माका तत्त्व बड़ी ही सुंदरतासे समझाया गया है।

'गीत परमार्थी ' नामका ग्रन्थ भी आपका बना हुआ है, जो अभी तक उपलब्ध नहीं है। समय आगरेमें हुए हैं। बनारसादासजीने अपने हमने एक 'परमार्थ जकड़ीसंग्रह 'नामकी पुस्तक



छपाई है, उसमें आपके बनाये हुए छह पद संग्रहीत हैं। जान पड़ता है, ये उसी 'गीतपरमा-थीं'के गीत यापद होंगे।इनमें भी परमार्थ तत्त्वका कथन हैं। एक गीतका पहला पद सुनिए:—

चेतन, अचरज भारी,
यह मेरे जिय आवै।
अमृतवचन हितकारी,
सदगुरु तुमाहें पढ़ावे॥
सदगुरु तुमाहें पढ़ावे चित दै,
अरु तुमह हो ज्ञानी।
तबहू तुमहि न क्योंह्रं आवै,
चेतनतत्त्वकहानी॥
विवयनिकी चतुराई कहिए,
को सरि करे तुम्हारी।
विन गुरु फुरत कुविद्या कैसे,
चेतन अचरज भारी॥

आपका एक छोटासा काव्य 'मंगलगीत-प्रबन्ध ' जैनसमाजमें बहुत ही प्रचित्र है। 'पंचमंगल'के नामसे यह पाँच छह बार छप चुका है। इसमें तीर्थंकर भगवानके जन्म, ज्ञान, निर्वाण आदिके समय जो उत्सवादि होते हैं उनका साम्प्रदायिक मानताओंके अनुसार वर्णन है। रचना साधारण है।

६ रायमल्ला ये महारक अनन्तकीतिंके शिष्य थे। इनका बनाया हुआ एक 'हनुमचारित्र' नामका पद्ममन्थ है। यह विकम संवत् १६१६ में बनाया गया है। यह प्रन्थ हमें मिल नहीं सका, इस लिए इसकी रचना किस दर्जे की है, यह हम नहीं कह सकते। हमारे एक मित्रने इसकी कविताको साधारण बतलाया है। कविवर बनारसीदासजीने जिन रायमल्लजीका उल्लेख किया है, मालूम नहीं वे येही थे अथवा इनसे भिन्न। बनारसीदासजीने लिखा है कि पाण्डे "रायमल्लजी 'समयसार नाटक' के मर्मज्ञ थे, उन्होंने समय-सारकी बालावबोधिनी भाषा टीका बनाई जिसके कारण समयसारका बोध घर घर फैल गया।" यह बालावबाध टीका अभी तक उपलब्ध नहीं हुई है। मालूम होता है यह बनारसीदासजीके बहुत पहले बन चुकी थी। उनके समय इसका खासा प्रचार था। अवस्य ही यह पंद्रहवीं शताब्दीकी रचना होगी और भाषाकी दृष्टिसे एक महत्त्वकी व्सृतु होगी।

एक और रायमल्ल ब्रह्मचारी हुए हैं जिन्हों-ने संवत् १६६७ में 'मकामरकथा नामका संस्कृत ग्रन्थ बनाया है। ये सकलचन्द्र महार-कके शिष्य थे और हूमड़जातिके थे। मालूम होता है भविष्यदत्तचिरत्र (छन्दोबद्ध) और सीताचिरत्र (छन्दोबद्ध) नामक ग्रन्थ भी इन्होंके बनाये हुए हैं। इनमेंसे पहला ग्रन्थ सं० १६६३ में बना है, ऐसा ज्ञानचन्दजीकी सूची-से मालूम होता है।

७ कुँवरपाल । ये बनारसीदासजीके एक मित्र थे। युक्तिप्रबोधमें लिखा है कि बनारसीदासजी अपनी सैलीका उत्तराधिकारत्व इन्हींको सोंप गये थे। प्रवचनसारकी टीकामें पाँड़े हेमराजजीने इनको अच्छा ज्ञाता बतलाया है। ये कवि भी अच्छे जान पड़ते हैं। इनका कोई स्वतंत्र ग्रन्थ उपक्ष्य नहीं है; परन्तु बनारसीदासकृत सूक्तमुक्ता-वलीमें इनके बनाय हुए कुछ प्रयामिलते हैं। लोभकी निन्दाका एक उदाहरण:—

परम धरम वन दहै,
दुरित अंवर गित धारिह।
कुयश धूम उदगरे,
भूरि भय भरम विथारिह॥
दुख फुलिंग फुंकरे,
तरल तृष्णा कल काढ़िह॥
धन ईंघन आगम सँजोग
दिन दिन अति बाढ़िह॥
लहलहै लोभ-पावक प्रवल,
पवन मोह उद्धत वहै॥
दज्झाहि उदारता आदि बहु,
गुण पतंग 'कँवरा' कहै॥ ५९॥
(अपूर्ण।)

सभापतिका न्याख्यान ।

[लखनऊमें गत २७ दिसम्बरको भारत-जैन-महामण्डलके सभापति श्रीयुत बाबू माणिक्यचन्द्र जैन बी. ए. एल एल. बी. वकील, खण्डवाका जो महत्त्वपूर्ण ब्याख्यान हुआ उसका सार भाग । अवस्य पठनीय ।]

पिय प्रतिनिधिगण महिलाओ तथा महाशयो, आपने मुझे इस बड़ीभारी कान्फरन्सका—ऐसी कान्फरन्सका—जो किसी जाति अथवा संपदायिवशेषकी न होते हुए एक उस समग्र कीमकी कान्फरंस है, जो कीम संसारके इतिहासमें एक विशाल तथा प्रशस्त भाग लेनेवाले धर्मकी तथा जो मनुष्यजातिको भविष्यमें सदा सुखका देनेवाला रहेगा ऐसे धर्मकी—धारण करनेवाली है, ऐसी संपूर्ण कीमकी इस कान्फरन्सका सभापति चुनकर आपने मुझको बड़ा सम्मान पदान किया है, इसके लिए मैं आपको अंत:करणसे धन्यवाद देता हूं।

++पिय प्रतिनिधिगण, संसारके धार्मिक इतिहा-समें हमारे धर्महीने नहीं, हमारी कीमने भी जातियोंके इतिहासमें बहुत बड़ा भाग लिया है । इतिहास हमारे पूर्व गौरवकी साक्षी दे रहा है। पाचीनकालमें हमारी कीममें बड़े बढ़े नुपति, मंत्री तथा सेनापति,विशाल संपत्तिके स्वामी, बडे बड़े कवि, लेखक तथा धुरं-धर विद्वान होगये हैं, जिन्होंने संसारभरमें जैनधर्म तथा जैनजातिके महत्त्वको स्थापित किया था। हमको पश्चिमके विद्वानोंका कृतज्ञ होना चाहिए कि जिनके निःस्वार्थ उद्योगसे हमारा प्राचीन गौरव सिद्ध होता जाता है । दुःछ समय पहले यह माना जाता था कि जैनधर्म बौद्धधर्मकी एक शाखा है तथा ईसाके बाद अनुमान छठवीं सदीमें इसकी उत्पत्ति हुई है, किन्तु जैकोबी तथा बूलरके समान पुरा-तत्त्वके पारचात्य शोधकोंके परिश्रमसे यह मत असत्य सिद्ध हो गया है। जैनधर्मकी केवल ऐति- हासिक पाचीनता ही नहीं वरन् उसके सिद्धान्तोंकी सत्यता संसारके विचारवान प्ररुष स्वीकृत करते जा रहे हैं। जैनधर्मके लिए यह गौरवकी बात है कि यह एक ऐसा धर्म है कि जिसके सिद्धांत विज्ञानकी नईसे नई शोधोंसे मिलते जलते हैं। वनस्पतियोंमें मनोवृत्तियां, चेतना तथा भावेंका होना जो आज अध्यापक बोस सिद्ध करं रहे हैं उसकी शोध हमारे आचार्योंने सदियों पहले कर ली थी, जब अर्वाचीन विज्ञानका जन्म भी नहीं हुआ था। यह उचित कहा गया है कि जैनधर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसमें व्यावहारिक नीतिका दार्शनिक वितर्कोंके साथ गूढ़ सम्बन्ध किया गया है; अर्थात जिसमें ज्ञान और चारित्रका ऐक्य किया गया है।* स्टोइजिज़म (Stoicism)के विषयमें कहा जाता है कि उसकी श्रेष्ठता उसके चारित्रके नियमोंमें नहीं परन्तु विकारोंको दमन करनेके उसके सिद्धांतमें विद्यमान थी, किन्तु जैनधर्मके विषयमें हम कह सकते हैं कि उसकी श्रेष्ठता दोनोंमें विद्यमान है। इसीलिए तो देखनेमें आता है कि चारित्रमें जैनी अन्य धर्मोंकी धारक कौमोंसे पाय: श्रेष्ठ होते हैं। जैनधर्मके लिए यह गौरवकी बात है कि यद्यपि और धर्मोंके समान उसके अनुयायियोंको भी जुल्म सहन करना पड़ा है, परन्तु और धर्मोंके समान उसके अनुयायियोंने बद्ला लेनेकी इच्छासे किसी अन्य धर्मकी धारक कौमके साथ जुल्म नहीं किया। यह उसके ऊँचे सिद्धान्तोंका परिणाम है और इसका उसे उचित गर्व है। एक लेखकका ६ कथन

^{*} Mrs. Sinclair Stevenson.

[§] Mr. Bernard Bosanquet.



है कि, ' यह कोई आश्चर्यकी बात नहीं कि मुस-लमानेंकि जुल्मसे जैनियोंके मंदिर बच गये, परन्तु आश्चर्य तो इस बातका है कि जिस तूफानने बौद्धधर्मको भारतवर्षेसे एकदम बाहर कर दिया उस तुफानसे जैनधर्म नष्ट होनेसे कैसे बच गया।' महाशयो, यह हमारे धर्मकी ट्रढताका प्रमाण तथा परिणाम है। जैनधर्म ईश्वरप्रणीत होनेका दावा नहीं करता, न वह आज्ञा-प्रधान धर्म है; वह बुद्धिकी प्रधानता स्वीकार करता है तथा उसके सिद्धान्तोंकी सत्यता ही उसके दावेका आधार है। जैनधर्महीने पहले पहल संसारको समस्त जीवोंके प्रति दया करने तथा विश्वबंधुत्व व सार्वभौमप्रेमका उपदेश किया था। एक प्रसिद्ध अँगरेज़का 🕇 कथन है कि विरुव-द्या (Universal Humanity)का विचार अर्वाचीन है,परन्तु वास्तवमें इस धर्मका उपदेश जैनधर्मने सदियों पहले किया था । हमारे आचार्यीने उपदेश किया है कि:--

" एक्कु करे मण विण्णु करि, मां करि वण्णविसेसु। इक्कइं देवइं जि वसइ, तिहुयणु एहु असेसु॥" \

महाशयगण, प्रसिद्ध लेखक लेकिका कथन है कि प्लूटार्कहीने पहले पहल पशुओं के प्रति द्या करनेका उपदेश—पाइथेगोरसके पुनर्जन्मके सिद्धांतके आधार पर नहीं, किन्तु विश्व—वन्धुत्वके विस्तृत आधारपर—किया था; परन्तु लेकीको यह विदित नहीं कि हमारे तीर्थकरोंने प्लूटार्कसे सादियों पहले यही उपदेश मनुष्यजातिको दिया था। जैनधर्मका उद्देश ही समस्त जीवोंकी मुक्ति करानेका है। परन्तु, महाशयो, इतना होते हुए भी कुछ लोगोंका कथन है कि, " जैनध्म अहिंसा तत्त्वकी एक हास्यस्प अतिशयोक्तिका उपदेशक है। "* कुछ

लोग हमें इस बातका दोष देते हैं कि हमने "अ-हिंसापरमो धर्म: " के तत्त्वका दुरुपयोग करके उ-सकी अति कर डाली है जिसका यह परिणाम है कि हम विषयोन्मत्त (Monomaniacs) तथा डरपोक हो गये हैं, व दांभिकता (hypocrisy) अर्थात् मक, अपौरुषता व निर्दयताका जीवन व्यतीत करते हैं। " कुछ लोग कहते हैं कि महा-वीर स्वामीके जीवनकी घटनायें हमने बुद्धके चरि-त्रसे चरा ली हैं। इतना ही नहीं बरन हमहीमें कुछ लोग ऐसे विद्यमान हैं जो कहते हैं कि जैन-धर्मका ध्येय भौतिक उन्नतिका बाधक है तथा जैनधर्म ही भारतकी वर्तमान अधोगातिका कारण है। महाशयो, मेरे पास समय नहीं है कि इस अवसर पर मैं इन सब आक्षेपोंका उत्तर दूं। मैं केवल इतना ही कहुंगा कि वे जैनधर्मके संबंधमें उतना ही ज्ञान रखते हैं जितना कि मेंडक कुएके बाहरकी दुनियांका रखता है, अन्यथा ऐसे विचार वे कदापि प्रकट नहीं करते । जिस लेखिकाका यह कथन है कि जैनधर्मका हृदय शून्य है तथा जिसे वह ईसाई धर्मके रक्तसे भरके उसमें जीवन लानेकी सम्मात देती है उससे मैं यही कहूंगा कि जिसे वह जैनधर्मका हृदय समझती है वह जैनधर्मका हृदय नहीं, किन्तु उसका मृतपाय शरीर है। जैनधर्मका हृदय उसकी 'वर्तमान स्थिति तथा वर्तमान व्यव-हारों ' में नहीं है किन्तु वह उसकी ऊँची फिला-सफी तथा नीतिमें विद्यमान है। स्वर्गवासी श्रीयुत गांधीने ठीक कहा है कि, "The abuses existing in our society are not from our religion but in spite of our religion,"-अर्थात् जैन जातिमें जो वर्तमान कालमें बुराइयां देखनेमें आती हैं उनका कारण जैनधर्म नहीं है. परन्तु वे जैनधर्मके विपरीत हैं। ईसाई धर्मके लिए वर्तमान युद्धकी ओर तथा उसके नित्य-नरकके सिद्धांतकी ओर संकेत कर देना पर्याप्त होगा।

[§] परमात्मप्रकाश, गाथा २३४.

^{*} Mrs. Sinclair Stevenson.

एक विचार-शील लेखकने उचित कहा है कि " यदि ईसाई धर्म पूर्ण नैतिक शुद्धताका मत है। तो फिर इसका क्या कारण है कि उसका अधि कता तथा गुरुताके साथ इस प्रकार मिथ्या अर्थ समझा गया है कि उसके अनुयायियोंमें उसके लिए जो उत्साह है उसीने उन नैतिक सिद्धान्तोंका जिनका वह उपदेश करता है नाश किया है । इतिहासके पढते समय धार्मिक हठ तथा जुल्मका भाव जिसका आधार प्राय: शुद्धांत:करणसे ईश्वरीय आज्ञा बताया जाता है उसे देख पाय: उलझनमें पडना पडता है।" अतएव महाशयगण, हमारे धर्मके ऊपर जो आक्षेप किये जाते हैं वे प्रायः मिथ्या हैं, और हमें उनके प्रति अधिक ध्यान देनेकी आवश्यकता नहीं । यादि अब भी हमारे धर्मकी पचीस सौ वर्ष पहलेकी विद्यमानता स्वीकृत नहीं की जाती तो न सही । प्राचीन होनेसे ही कोई धर्म श्रेष्ठ नहीं होजाता । स्वामी रामतीर्थने उचित कहा है कि. " किसी धर्मको पाचीन होनेहीके कारण ग्रहण मत करो । पाचीनता उसकी सत्य-ताको कोई प्रमाण नहीं । कभी कभी प्रानेसे प्राने मकान भी गिराने पड़ते हैं तथा पुराने कपड़े बद्-लने ही चाहिए । नयेसे नया परिवर्तन भी यदि वह बुद्धिकी परीक्षामें सफल हो सकता है तो वह उतना ही अच्छा है जितना कि चमकते हुए ओससे सुशोभित गुलाबका फूल, " अतएव, महारायो, हमें इस प्रकारके आक्षेपोंकी ओर अधिक ध्यान न देकर हमें अपनी शक्तिको अपनी कौमके उत्थान तथा अपने धर्मके प्रचारकी ओर लगाना चाहिए । + + महाशयो, जयपूर निवासी पंडित अर्जुनलालजी सेठीने हमारी जातिकी सेवाके लिए अपना जीवन तक अर्पण कर दिया था. और उन्होंने कौमकी जो सेवा की है वह सब पर प्रकट है। उसको जानते हुए कौन कह सकेगा कि उनका संबन्ध चोरी, लूट तथा खुन खराबीके

समान चुणित कार्योंके साथ हो सकता है ? उनका जीवन धार्मिक था, तथा शिक्षा व धर्मप्रचार उनके कार्यक्षेत्र थे । ऐसे व्यक्तिको केवल संदेहके कारण विना जाँच किये दंड देना सर्वथा अनुचित है। अनुमान ढाई तीन वर्षसे वे कारावासका दण्ड भोग रहे हैं । इस प्रकारका जो नतीन उनके साथमें किया गया है उसके पति जैन कौममें भारी कोध तथा तिरस्कारका भाव पैदा हो गया है और यह स्वाभाविक ही है। प्रिय प्रतिनिधिगण, इसमें कोई आश्वर्य नहीं कि अर्जुनलालजीके तथा उनकी निरपराध स्त्री तथा पुत्रके दुः खको देख हमको हार्दिक दुःख हो । माना कि पत्येक महापुरूषको दुःख भोगना पड़ता है, और दुःख सहना ही महापुरुषका लक्षण है; माना कि सार्वजनिक जीवनके माने ही स्वार्थत्यागके हैं, अतएव हमको अधिक उदासीन न होना चाहिए; माना कि सेठीजी अपने दु:खको सहर्ष सहन कर रहे होंगे; तो भी में पूछता हूं कि क्या इस्लिए उनके दुखको दूर करानेका हमारा जो कर्तव्य है उसका हमें पालन न करना आप मुझे क्षमा कीजिए-कर्तव्यके अनुरोधसे मुझे कहना पड़ता है कि सेठीजीकी आपत्तिका मुझे इतना खेद नहीं है जितना इस बातका है कि जैनजातिने, जिसकी सेवाके लिए उन्होंने अपना जीवन अर्पण किया था, उनके दु: खको दूर करनेके लिए उचित प्रयत्न न किया। मेरे कहनेका अर्थ, महाशयो, आप यह न समझें कि जैन कौमने कुछ न किया । उद्योग तो अवस्य किया, परन्तु वह उद्योग व्यवस्थित (organised) न होनेके कारण तथा जातिके अधिकांश नेताओं के उसमें उचित भाग न लेनेके कारण सफल न हुआ । मुझे यह जानकर बहुत दु:ख हुआ कि एक दिगंबर सामायिक पत्रके सेठीजीके विचारोंके प्रति विना अवसरके लेखेंचे दिगंबर समाजका भाव उनके बहुत ऊछ विपरीत

कर दिया। इस पत्रने जान बुझकर अथवा बिना जाने अर्जनलालजीके मतका खंडन करनेके बहाने हमारे दिगंबरी भाइयोंके मनमें उनके प्रति बहुत क्रुछ विष भर दिया । एक ऐसी संस्थामें शिक्षा पाये हुए-जो आदर्श शिक्षा देनेका दम भरती है-इस पत्रके संपादकको इतना विचार तक न हुआ कि ऐसे अवसरमें इस प्रकारके लेखोंका बुरा प्रभाव होगा और सेठीजीके प्रति 'करुणा भाव' केवल नामके लिए रह जायगा । परन्तु भाइयो, हमें अब यह विचार करना चाहिए कि सेठीजीको किस प्रकार न्याय मिले । जैन कौम यह नहीं कहती कि पंडित अर्जुनलालजी अपराधी हैं अथवा निरपराधी; वह यही कहती है कि किसी भी व्यक्ति-को बिना जाँचके दण्ड देना अन्याय है-किसी भी व्यक्तिको अपना बचाव न्यायालयमें करनेका अवसर न देना अन्याय है। हम सेठीजीके लिए गवर्नमेंटसे दयाकी भिक्षा नहीं माँगते, हम उनके लिए न्यायका दावा करते हैं । वृटिशजातिकी न्यायबुद्धिमें भारतवासियोंका जो विश्वास है वह भारतमें बाटिश शासनका एक आधार है। कोई भी कार्य ऐसा करना कि जिससे यह आधार कम-जोर हो जावे अथवा उपयोगिता (Expediency) के निमित्त उस विश्वासकी आह्नात दे देना एक प्रकारसे बाटिशराज्यको हानि पहुँचाना है, अतएव हमारे शासकोंको उचित है कि वे शीघ ही सेठीजीको न्याय प्राप्त करावें । परनतु जान पडता है कि हमारे शासक इन बातोंकी ओर जरा भी ध्यान दिया नहीं चाहते । ऐसी दशामें हमको क्या करना चाहिए ? सभायें करना, विरोध-पद्रकि सभायें करना, तार देना, पार्थनापत्र भेजना-ये काम हमने थांडे बहुत किये । हमने बहे लाटकी सेवामें डेप्युटेशन भेजनेकी योजना की थी, पर उन्होंने डेप्युटेशनसे मिलना ही स्वीकृत न किया। तन ऐसी दशामें प्रश्न यह होता है

कि हमको क्या करना चाहिए? इसका संक्षिप्त उत्तर एक ही शब्दमें यह है कि 'आन्दो-लन '---नियमबद्ध आंदोलन । इस सत्यतामें सन्देह नहीं कि---" आन्दोलन ही इंग्लिस्तानके सामाजिक, राजनैतिक तथा औद्योगिक इतिहासकी आत्मा है । आन्दोलनहीके सहारे अँगरेजोंने अपना अभ्युद्य अपनी स्वतंत्रता तथा संसारकी जातियोंमें पहला स्थान इत्यादि बडे बडे कार्योंका संपादन किया है। ? इसालिए हमें सेठी-जीके लिए न्याय दिलानेके अर्थ पुन: आंदोलन करना चाहिए । परन्तु, महाशयो, यह कहा जो सकता है कि ऐसे युद्धके समयमें एक ऐसे विषयके लिए जिसका संबन्ध गवर्नमेंट और देशी रियास-तोंके रिश्तेके साथ है आंदोलन करना गवर्नमेंटको आपत्तिकारक (Embarrasing) होगा । तब क्या हमें युद्धका अंत होने तक कुछ न करना चाहिए तथा सेठीजीको कष्ट भोगते हुए अपना लाभकारी जीवन कारावासमें विताने देना चाहिए ? यह कौन कह सकता है कि युद्धका अंत कब होगा । मेरी सम्मतिमें हमको सबसे पहले समग्र जैन कौमके प्रधान प्रधान नेताओंका, यदि वे स्वीकार करें तो, एक प्रभावशाली डेप्युटेशन पुनः नियुक्त करना चाहिए जो बडे लाटसाहबकी सेवामें तथा महाराजा जयपुरकी सेवामें उपस्थित होकर सेठी-जीके लिए न्यायकी प्रार्थना करे । यदि हमें संतोषदायक उत्तर मिला तो ठीक है, नहीं तो फिर लाचार हमें आंदोलन करना होगा यदि वह आंदोलन गवर्नमेंटको आप|त्तिकारक (Embarrasing) हो तो उसके दोषी हम नहीं। यह कहनेकी आवश्यकता नहीं कि वह आंदोलन मुझे विश्वास है । की नियमबद्ध होगा । सभायें करना, अप्रसन्नता प्रकट करना, तार देना, पार्थनापत्र भेजना इत्यादि काम यदि व्यवस्थापूर्वक तथा प्रबलताके साथ सतत किये जायँ तो मुझे विश्वास है कि सफलता अवश्य प्राप्त होगी।

पिय प्रतिनिधिगण, + + पहले हमें यह निश्चित कर लेना चाहिए कि हमारे उद्योग का—हमारे कार्योंका ---आदर्श क्या है। + + हमारा आदर्श यही है कि जैनधर्मको उसकी आदिम शुद्धता, उदात्तता तथा उपयोगिता प्रदान कर उसे संसारके बड़े बड़े धर्मोंके समान जीवित धर्म बनाना तथा जैनजातिको उसकी वर्तमान अवनत दशासे उठाकर संसारकी बडी बडी जातियों की बराबरीमें बिठलाना । + + समय नित्य पलटता जा रहा है, नित्य नई दशायें पैदा होती जाती हैं; नवीन आवश्यकताएं प्रतिदिन उत्पन्न होती जा रहीं हैं-- और इन्हें रोकना हमारी शक्तिके बाहर है। हमें एक ऐसी सृष्टिमें रहना है जिसमें नाना पकारकी जातियां रहती हैं और जिनकी तरह तरहकी सभ्यताओंके साथ हमें मिलकर रहना पडता है। यदि यह कहा जाय कि ऐसी दशामें हमें चाहिए कि अपने पूर्वकालको भूलकर हमें अपनी आवश्यकताओंके अनुसार नवीन संस्थाएं स्थापितकर नये ढँगसे समाजकी रचना करनी चाहिए, तो इसका अर्थ यही होगा कि समाज उत्तर कोई मशीन नहीं है जो अपनी इच्छाके अनुसार चाहे जिस समय चाहे जैसी बना ली जाय। मनुष्य-समाज एक जीवित वस्तुके समान है, और उसीके समान विकासके नियमोंके अनुसार ही उसका परिवर्तन हो सकता है। अतएव एकदम नवीन समाजकी रचना करना असंभव है। अतएव महाशयो, हमें दोनों कार्य करने चाहिए-हमें पुनरुत्थान (Revival) भी करना चाहिए और नवीन रचना भी करनी चाहिए, अथवा, दूसरे शब्दोंमें, हमें ' सुधार '-Reform के राजमार्गको यहण करना चाहिए ।

प्रिय प्रतिनिधिगण, इस सुधारके कार्यमें हमें दो एक बातोंका अवश्य ध्यान रखना चाहिए। + + एक तो यह कि जो कुछ पुराना है वह सब ही उत्तम तथा प्रत्येक अवस्थामें लाभदायक नहीं है।

साथ ही हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि जो कुछ पुराना है वह सब ही बुरा भी नहीं है। कई पुरानी वस्तुएं भी बड़े कामकी निकलती हैं। साथ ही हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि जो नया है वह सब ही अच्छा नहीं है। पश्चिमकी सामाजिक रीतियोंमें मेरी सम्मतिमें तो अनेकांश ्हानिकारक हैं। मनुष्यसमाजका सुधार तो पूर्व तथा पश्चिम दोनोंके सामाजिक सिद्धान्तोंकी योजनाहींसे उचित रीतिसे हो सकता है। हमें यह भी न भूल जाना चाहिए कि पश्चिममें अनेक बातें लाभदायक हैं तथा उन्हें ग्रहण करनेके लिए हमें तैयार रहना चाहिए । दूसरी जिस बातका हमें स्मरण रखना चाहिए वह यह है कि जैन जातिकी वर्तमान पतित दशासे निराश हो उससे पृथक् हो स्वयं अपना सुधार करनेका विचार कदापि जीमें न लाना चाहिए । यदि हमें अपनी समाजका सुधार करना है तो उसमें मिलकर ही करना चाहिए। चाहे हमें वास्तविक फल न दिखलाई पडे तो भी यदि हम अपने भाइयोंके विचारोंमें परिवर्तन कर सकें तो समझना चाहिए कि हमारे कार्यका बडा हिस्सा हम संपादित कर चुके। तीसरी बात, महाशयो, जिसका, मेरी सम्मतिमें, हमें सदा ध्यान रखना चाहिए वह यह है कि जाति-उन्नतिके इस महान् कार्यमें हमें सदा 'एकता व उचति ' इन दो शब्दोंको सनमय रखने चाहिए । हमें समग्र जैनसमाजकी उचाति करनी है-हमें <u>जैन</u>धर्मका पचार करना है। मेरा विश्वास है कि पृथक् पृथक् संपदायोंकी उन्नति करनेसे हम समग्र जैन जातिकी उन्नाति कर लेंगे, ऐसा समझना अम है। जहांतक में जानता हूं इस ऑल इंडिया जैन एसोसिएशन, अथवा यदि यह नाम आपको प्रिय न हो तो-भारतजैनमहामंडल-का उद्देश पहलेहीसे सांप्रदायिक भेदको एक ओर रख समग्र जैन जातिकी उचाति करना, सारे जैनियोंमें एकता



तथा मैत्री भावका प्रचार करना, तथा जैनधर्मका प्रसार करना, रहा है। + + इसमें सन्देह नहीं कि सांप्रदायिकत्व भारतकी एकताका रात्रु है। एकता ही हमारी उन्नतिका महामंत्र है। हमारे सामने इंडियन नेशनळ काँग्रेसका उदाहरण विद्यमान है। क्या हिन्दू तथा मुसळमानोंमें जो भेद है उससे स्वेतांवरी व दिगंबरियोंमें ज्यादा भेद है? अथवा क्या मुसळमानोंमें जो भेद है उससे हवेतांवरियोंमें ज्यादा भेद है अथवा क्या मुसळमानोंमें जो भेद है उससे दिगंबरियोंमें ज्यादा भेद है उससे हवेतांवरियोंमें ज्यादा भेद है उससे दिगंबरी स्वेतांवरियोंमें ज्यादा भेद है ? फिर क्यों हम मिळकर कार्य नहीं कर सकते ? + +

परन्त्र हमारी भिन्न भिन्न संप्रदायों में इस एकता व सदुयोग स्थापित करनेके हमारे पवित्र कार्यके मार्गमें कुछ कारण ऐसे हैं जो सदा बाधाओं के रूपमें उपस्थित रहते हैं और जिनमें हमारे तीर्थक्षेत्रों के संबन्धके झगडे ये एक प्रधान कारण हैं । प्यारे भाइयो. क्या आप इस बातको स्वीकार नहीं केरों कि हमारे पवित्र तीर्थक्षेत्रोंके संबन्धमें तीर्थंकर भगवानके हम सब अनुयायियोंको इस प्रकार लडते रहना हमारे लिए बहुत भारी लज्जाका कारण है ? इन झगडोंको लेकर हम न्यायालयोंमें अभियोग उपस्थित कर अपने द्रव्यका तथा अपनी इक्तिका जो नाश करते हैं क्या हमारे समान शांतिपिय जातिके लिए यह शोभाका कारण हो सकता है ? क्या इन झगड़ोंसे हमारे बीचमें परस्पर वमैनस्य बढ़कर हमारे सार्वजनिक सदाचारको हानि नहीं पहुँचती ?

अभियोग या मुकद्दमा लड़नेको व्यक्तियोंका युद्ध जो कहा गया है यह बिलकुल ठीक है। इस प्रकार आपसमें लड़ना, तीर्थक्षेत्रोंके संबन्धमें काल्पत सन्त्वोंका निष्पादन अथवा उनकी रक्षाके करनेके भ्रममें अपनी हाक्तिका नाहा करना, यह हमारे सम्य होनेमें निश्चयमेव सन्देह पैदा करता है। यदि हम सम्य होनेका दावा रखते हैं तो हमें चाहिए कि

हम अन्य उचित मार्गों दारा अपने झगड़ोंका निपटारा करें। महाशयगण, मेरे कथनका अर्थः आप यह कदापि न समझें कि वास्तविक सत्त्वोंकी रक्षा करनेके लिए भी, सचे हकोंका पालन करनेके लिए भी, हमें कुछ न करना चाहिए। अपने उचित सत्त्वोंकी रक्षाके लिए लडना मैं उचित ही नहीं बरन आवश्यक भी समझता हूं, परन्तु साथही मेरा यह भी निवेदन है कि सत्त्वसंबन्धी झगडोंका निर्णय न्यायालयमें जानेकी अपेक्षा अन्य उपायसे यदि हो सके तो उस उपायसे काम न लेकर एकदम सीधे न्यायालयका मार्ग धारण करना सर्वथा अनुचित है। + + किसी भी संप्रदायका यह उद्योग करना कि दूसरी संप्रदायवाले उसकी अनुमतिसे ही तीर्थराज पर पूजा कर सकें कौमकी उन्नतिका बहुत बडा बाधक है, अतएव इस प्रकारके भावोंको दूर कर इस झगडेको हमें तय करन! चाहिए । हालहीमें नीचेकी अदालतने जो फैसला कर दिया है संभव है कि उसके विपरीत दोनों ओरसे अपीलें की जाँय इसलिए इसी अवसर पर हमें पयत्न करना चाहिए कि ऐसा न किया जावे। यह जान कर संतोष होता है कि इस प्रकारके प्रयत्नका आरंभ कर दिया गया है। इस प्रयत्नके करनेवालोंको-विशेष कर हमारे प्रसिद्ध धर्मबंधु श्रीयुत वाडीलाल मोतीलाल शाहको-जि-तना हम धन्यवाद दें कम है, परन्तु ऐसा न करके कछ सज्जन पुरुषोंने उनका उद्योग निष्फल करनेकी चेष्टा की है, व उन्हें बुरी इच्छासे यह उद्योग करनेका अपवाद लगाया है । श्रीयुत वाडीलालजीने इन अभियोगोंको तय करानेके लिए जो उपाय बताया है संभव है कि हमें वह उचित न जान पडे, परन्तु अपना मत-भेद प्रकट करनेके लिए यह आवश्यक नहीं था कि उन्हें मिथ्या अपवाद लगाया जाय, तथा उन्हें व उनके सहायकोंके पति कुशब्दोंका प्रयोग किया जाय। उन लोगोंको

छोडकर जिनको इन अभियोगोंसे प्रकट अथवा अपकट रूपसे लाभ पहुँचता हो÷+क्या कोई यह कहनेको तैयार है कि यदि अन्य किसी उपायसे इन अभियोगोंका अंत किया जासके जो दोनों पक्षवालोंको स्वीकृत हो तो वह हमारे लिए अभि-नन्दनीय न होगा ? तब । फिर क्या यह उचित था ाक इसके लिए जो उद्योग किया गया उसका इस प्रकार विरोध किया जाय ? प्रिय प्रतिनिधिगण, क्षमा कीजिए । मेरी सम्मातिमें भी श्रीयुत वाडीला-लजीने जो उपाय बताया है वह उचित नहीं जान पडता । मेरा अनुभव है कि अभियोग लडनेवालेंको धर्म व नीतिका उपदेश करनेसे-Councels of perfection देनेसे—वे लडना नहीं छोडते। मैं यह माननेके लिए तैयार नहीं हूं कि पत्येक दशामें न्यायालयद्वारा निर्णय करानेकी अपेक्षा मध्यस्थों द्वारा निर्णय कराना उत्तम है, और मेरे विचारमें शिखरजी संबन्धी इन अभियोगोंका निर्णय न्याया-लयद्वारा अथवा मध्यस्थोंद्वारा करानेमें अधिक अंतर नहीं । परन्तु इसका अर्थ आप यह न समझें ाकी में न्यायालयमें प्रिवीकौंसिल तक लडते रहनेकी सम्माति दे रहा हूं। मेरे विचारमें इन अभियो-गोंका निर्णय करनेका सबसे उत्तम उपाय यह होगा ाकी इनका आपसहीमें निर्णयद्वारा— Amicable settlement द्वारा—–अंत किया जाय । इस प्रकारका निर्णय दोनों बाजुओंकी सम्मातिके साथ हानेके कारण दोनोंको संतोषदायक होगा। इसके ालिए यह आवश्यक है कि दोनों ओरकी सम्मति-योंका परस्परमें परिवर्तन कराया जाय। हमें चाहिए ाकी हम एक ऐसी प्रभावशाली कमेटी नियुक्त करें जिसके कुछ सभासद दोनों संपदायोंके निष्पक्ष व्यक्ति हों तथा विश्वसनीय अन्यमती भी सभासद हों। यह कमेटी दोनों पक्षोंके मुखियाओंके साथ परामर्श करके उनकी सम्मातियां जानकर तस्फियेकी शर्तें निश्चित करावे । यदि ऐसा किया जायगा तो

मेरी समझसे इन झगड़ोंका निपटारा होनेकी बहुत इुछ आशा है ।+×

पियबन्धुओ, हमारे लिए सबसे अधिक महत्त्वका प्रश्न जिसकी ओर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए वह हमारी संख्याके ह्नासका-हमारी संख्यामें जो प्रतिदिन अधिकाधिक घटी होती जा रही है उसका--है।++ यह बहुत बड़े खेदका विषय है--दःखकी बात है--कि गत बीस वर्षें में हमारी संख्यामें बहुत बड़ी कमी हुई है मनुष्यगणनाकी रिपोर्टींसे विदित हो चुका कि सन् १८९१ में हमारी संख्या १४,१६,६३८ थी। बादमें यही संख्या घट कर सन् १९०१ में १३.३४.१४० हो गई और सन् १९११ में केवल १२,४८,१८२ रह गई । अर्थात् सन १८९१ से १९११ तक हमारी संख्यामें अनुमान पति सैकड़ा ११ की कमी हुई है; और इस घटीका परिमाण प्रतिद्नि बढ्ता ही जाता है, क्योंकि १९०१ में इस घटीका परिमाण ५.८ था, परन्तु सन् १९११ में यह बढकर ६ ४ हो गया । प्रिय महाशयो, इस हिसाबसे यादि हमारी संख्या आगे भी घटती गई तो अनुमान आगामी एक सौ दशवर्षोंमें पृथ्वीपर हमारी कौमका नाम भी न रहने पावेगा। निःसन्देह हमोर लिए यह एक बहुत बड़े दु:खकी बात है कि भारतकी अन्य कौमोंकी संख्यामें तो वृद्धि होती जाय और हमारी संख्याका क्षय होता जाय। सन् १८९१ से १९०१ के दरिमयान बौद्धोंकी संख्यामें ३२.९, ईसाइयोंकी संख्यामें २८, सिक्खोंकी संख्यामें १५.१, मुसलमानोंकी संख्यामें ८.९, और पार-सियोंकी संख्यामें ४.७, प्रति सेकड़ा वृद्धि हुई है, परन्त हिन्दुओं में '३ की व हमारी कौमकी संख्यामें ५.२ पात सैकडा कमी हुई। सन् १९०१ से सन् १९१ के द्रामियान जैनियोंको छोड़कर सब कौमोंकी संख्यामें वृद्धि हुई । बौद्धोंमें १३,१,

ईसाइयोंमें ३२.६, सिक्लेंमिं ६.३३, मुसलमानोंमें ६.७, पारसियोंनें ६.३ तथा हिंदुओंनें १५.०४ पति सैकड़ा वृद्धि हुई, परन्तु हम जैनियोंमें पुनः ६.४ की घटती हुई। सन् १८९१ में दश हजार भारतवासियोंमें ४९ जैनी थे; सन् १९०१ में ४५ और सन् १९११ में ४० ही रह गये। इससे स्पष्ट होता है कि यदि हमने अपनी संख्याके इस क्षयके वेगको रोकनेका उद्योग न किया तो शीव ही हमारे अंतका समय आ जायगा। संतो॰ षका विषय है कि इसकी चर्चा तथा इस विषयपर विचार हमारे समाचारपत्रोमें होनेका आरंभ होगया है, परन्तु मेरी सम्मतिमें इसकी ओर और भी अधिक ध्यान देनेकी आवश्यकता है । हमको विचार करना चाहिए कि हमारे इस न्हासका कारण क्या है। महाशयो, दो कारणोंसे कौमोंकी संख्यामें वृद्धि अथवा क्षय होता रहता है-अर्थात् एक तो निवासस्थान-परिवर्तन (Migration) और दूसरा मृत्यु और जन्मके परिमाणका मान Relation between birth and death rates)। अब इनमेंसे पहला जो कारण है वह हमारी क्षतिका मूल नहीं होसकता, क्योंकि हमारी कौममें न तो भारतवर्षसे देशान्तरगमन न अन्य देशोंसे इस देशमें आगमन कोई उल्लेखके योग्य हुआ है । दूसरे कारणको जाननेके लिए यद्यपि सरकारी रिपोर्टों (Vital Statistics) से यह नहीं पता लग सकता कि हमारी कौममें मृत्युका परिमाण क्या है तौ भी अनुभवसे यह बिना संकोच कहा जा सकता है कि ऐसा अनुमान करनेके लिए कोई कारण नहीं है कि भारतकी अन्य जातियोंकी अपेक्षा जैनियोंमें मृत्युका परिमाण अधिक है, अतएव यदि हमारी क्षातिका कोई कारण हो सकता है तो वह हमारे जन्मके परिमाणकी अल्पता ही होना चाहिए और हमें इस बातका विचार करना चाहिए कि हमारी समाजमें जन्मके परि-

माणकी इस अल्पताका कारण क्या है। महाशय-गण, प्रत्येक जातिमें जन्मका परिमाण चार कारणों पर अवलंबित रहता है-प्रथम Racial characteristics अथवा जातीय लक्षण, दूसरा Social practices अथवा सामाजिक व्यवहार, तीसरा Material well-being अथवा भौतिक ऐरवर्य और चौथा Public health अथवा सार्वजनिक स्वास्थ्य । अब विचार करनेसे विदित होगा कि हम जैनियोंके जातीय लक्षण, भौतिक ऐस्वर्य तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकांशमें भारतकी अन्य कौमों के समान ही हैं-अतएव यह स्पष्ट है कि हमारे अल्पजन्म-परिमाणका कारण हमें सामाजिक व्यवहारोंहीमें हूँढना चाहिए, और हमें इस बातका उद्योग करना चाहिए कि जो सामा-जिक व्यवहार हमारी संख्याका न्हास कर रहे हैं वे दूर किये जायँ। महाशयो, जहां तक में जानता हूं, हमारी समाजेंमें इसके संबन्धमें तीन प्रकारकी सम्मतियां दृष्टिगोचर होती हैं। पहली सम्मति यह है कि बालविवाह तथा वृद्धविवाह हमारी इस क्षातिके कारण हैं और इन्हें हमें रोकने चाहिए। दूसरी सम्मति यह जान पड़ती है कि केवल बाल-विवाह आदिको रोकनेसे काम नहीं चलेगा, परन्तु हमारी क्षतिका कारण हमारा जातिभेद, है अतएव हमें उचित है कि साथ ही हम समय जैन कौममें सह-भोज तथा परस्परविवाहका प्रचार करें । तीसरी सम्मति यह जान पड़ती है-यद्यपि यह आवाज बहुत दब कर निकल रही है—िक केवल इन दो सुधारोंसे काम न चलेगा और यादि हमें अपनी क्षतिको रोकना है तो हमें हमारी कौममें विधवा-विवाहका प्रचार करना चाहिए । एक चौथी सम्मति यह भी सुनाई पड़ती है कि पहले हमें बालविवाहको रोककर देखना चाहिए, और इससे यदि यथेष्ट लाभ न हुआ तो बाद्में परस्पर-विवा-हका प्रचार करना चाहिए, और उससे भी यदि

बास्तिविक लाभ न हो तब हमें विधवाविवाहका प्रचार करना चाहिए । प्रिय प्रतिनिधिगण, मेरी अल्प सम्मतिमें तो इन सब सम्मतियोंमें सत्यका अंश है, परन्तु सर्वथा सत्य इनमेंसे एक भी सम्मति निश्चित रूपसे नहीं कही जासकती, अतएव इन पर विचार करनेकी आवश्यकता है ।

महारायो, इसमें सन्देह नहीं कि बालविवाह भी हमारी क्षतिका एक कारण है, परन्तु में समझता हूं कि केवल इसीको रोकनेका उद्योग करनेसे हमारा न्हास न रुकेगा । मनुष्यगणनाकी रिपोर्ट इस कथ-नकी सत्यता सिद्ध करती है । यदि हम मान लें कि बालकोंका विवाह २० वर्षकी अवस्थाके पहले न होना चाहिए तो रिपोर्टोंसे विदित होता है कि २० वर्षसे कम आयुके विवाहित पुरुषोंकी संख्या सन् १८९१ में प्रति सैकडा अनुमान १३, सन् १९०१ में अनुमान १४, तथा सन् १९११ में अनुमान १० थी। इसी प्रकार यादी लड़िकयोंके लिए विवाहयोग्य अवस्था १५ वर्षकी मान ली जाय तो इस अवस्थासे कमकी विवाहिता लड-कियोंकी संख्या पति सैकड़ा सन् १८९१ में १७ई, सन् १९०१ में भी १७३ और १९११ में १३३ थी । इससे सिद्ध होता है कि गत दश पह वर्षीमें हमारी कौममें बाल-विवाह कम होते जा रहे हैं, परन्त तिसपर भी हमारी संख्यामें ह्वास होता जा रहा है, अतएव केवल बालविवाह बंद कर देनेसे हमारी क्षतिका वेग न रुक सकेगा, यह स्पष्ट जान पडता है।

भाइयो, दूसरा कारण जो जातिभेद्का बताया जाता है उस पर भी हमें विचार करना चाहिए । हम देखते हैं कि प्रथम तो हमारी कौममें स्त्रियोंकी अपेक्षा पुरुषोंकी संख्या अधिक है, परन्तु इन संख्याओं में अधिक अन्तर न होनेसे यदि हम उसपर अधिक ध्यान दें तो अनुचित न होगा । अब सन् ११ की मनुष्यगणनाके अनुसार हमारी कौममें

६,४३,५५३, पुरुष थे जिनमेंसे ३,१७,११७ कुआँरे थे। इसी पकार ६,०४, ६२९ स्त्रियों में से १,८१,७०५ स्त्रियां कुआँरी थीं। इतने कुआँरे कुऑरियोंका समाजमें विद्यमान होना नि:संन्देह हमारे जन्मके अल्पपरिमाणका एक कारण होना हम सबको स्वीकार करना पडेगा । कुआँरे कुआँ-रियोंकी इन संख्याओं में से यदि हम ऐसोंकी संख्या निकाल दें जो संतान पैदा करनेके योग्य साधारण-तया नहीं, अर्थात जो पुरुष २० वर्षसे कम और ४५ वर्षसे अधिक अवस्थाके हैं तथा वे स्त्रियाँ जो १५ वर्षसे कम तथा ४० वर्षसे अधिक वस्था की हैं, तौ भी हमें यह देखकर दु:ख होना चाहिए, महान् खेद होना चाहिए, कि २० वर्षसे ४५ वर्ष तककी आयुके २,३३,०३५ पुरुषोंमेंसे ५९.९१२ कुऑरे, तथा १५ से ४० वर्षतककी आयुकी २,५३,८५४ स्त्रियोंमेंसे ५,९२८ स्त्रियाँ कुआँरी. अर्थात प्रति सैकडा पुरुषोंमें २५.७ तथा स्त्रियोंमें २.३ कुआँरे कुआँरियां हमारी कीममें विद्यमान हैं। महाशयो, विचार कीजिए कि यदि इन ५,९९१२ कुआँरोंके तथा ५,९२८ कुआँरी स्त्रियोंके विवाह हो गये होते हमारी संख्यामे प्रतिवर्ष वृद्धि होती । इनके कुआँरे रहनेका कारण भला इसके सिवाय क्या हो सकता है कि हमारी समाजमें अल्पसंख्यक अनेक जातियाँ विद्यमान हैं ? दिगम्बर जैन डाइरेक्टरीके देखनेसे विदित होता है कि केवल दिगम्बर संपदायमें ४१ जातियां ऐसी हैं जिनकी मनुष्य-संख्या ५०० से कम है, १२ जातियोंमें ५०० से १००० तककी मनुष्य संख्या है, १००० से ५००० तक मनुष्यसंख्याकी जातियां केवल २० हैं, और जिनकी मनुष्यसंख्या ५००० से अधिक है ऐसी केवल १५ जातियां है। कोई कोई जातियोंकी दो, तीन, चार, आठ, सोलह, बीस आदि अल्प मनुष्यसंख्यायें रह गई हैं। मुझे स्मरण



पड़ता है कि मैंने कहीं पढ़ा था कि मनुष्यगण-नाकी सरकारी रिपोर्टके अनुसार हमारी कौममें ५५ जातियोंकी मनुष्यसंख्या १०० से भी कम है, तथा १७ जातियां ऐसी हैं जिनकी मनुष्यसंख्या बराबर घट रही है। गत वर्ष मैंने अपनी जाँगडा पोरवाड जातिकी एक उपजातिकी मनुष्यगणना कराई थी तो जान पडा कि उसमें केवल २७७ पुरुष तथा २९२ स्त्रियां थीं । महाशयो, क्या यह बतानेकी आवश्यकता है कि हमारी कौममें इस प्रकारकी अल्पसंख्यक अनेक जातियोंका होना यह भी इसका कारण है कि हमारे यहां कुआँरे कुँआरियोंकी संख्या इस प्रकार अधिक है, और यदि हमें इनकी संख्या घटानेकी इच्छा है--यदि हम अपनेमें जन्म-परिमाणको बढ़ाया चाहते हैं--यदि हम अपनी संख्याके ज्ञासको रोकना चाहते हैं-तो हमें इस अनावश्यक, कृत्रिम तथा हानिकारक जातिभेदको उठाकर परस्पर खानपान तथा पर-स्पर विवाहका प्रचार करनेका उद्योग करना चाहिए। पिय बन्धुओ, हमको यह उद्योग अवश्य करना होगा। हमारी कौममें जो जातिभेद है वह परं-परागत व्यवसाय-भेदके ऊपर हिंदुओंके जातिभेद-के समान अवलांबित नहीं है, न हमारे यहां जाति-योंमें ऊंच नीचका कोई अनुक्रम है । अतएव भारतमें बढती हुई व्यवसाय-चुननेकी स्वतंत्रतासे जातिभेद दूर होनेका जो स्वाभाविक ऋम चल रहा है उसके ऊपर हम अपनी जातियोंको एक कर-नेका कार्य नहीं छोड़ सकते-हमें इसके लिए मानवी उद्योग करना होगा । महाशयो, अब हमें तीसरी सम्मति पर विचार करना चाहिए । मान लीजिए कि हमने हमारी कौममेंसे जातिभेदको उठा दिया तथा परस्पर-विवाहका प्रचार कर दिया । निःस-न्देह इसका परिणाम यह होगा कि हमारी जातिमें संतान-उत्पन्न करने योग्य जो पुरुष कुआरे हैं उनमेंसे अधिकांश विवाह कर सकेंगे—केवल

अधिकांश ही, सब इसिलिए नहीं कि मैंने आपको अभी बतलाया कि १५ से ४० वर्षकी आयुकी कुआरी स्त्रियोंकी संख्या ५,९२८ है, अतएव यदि इनके साथ २० से ४५ तककी आयुके कुआँरोंका विवाह कर दिया जाय तौ भी ५९,९१२ मेंसे केवल ५,९२८ कुआँरे विवाह कर सर्केंगे, और ५३,९८४ पुरुष फिर भी कुआँरे रह जायँगे जो संतान उत्पन्न करनेके योग्य होते हुए भी अविवा-हित रहनेके कारण ऐसा नहीं कर सकेंगे । ऐसी अवस्थामें हमें क्या करना चाहिए, इस पर विचार करनेकी कितनी आवश्यकता है उसका, महाशय-गण, आप ही अनुमान करें। इस विचारके लिए हमें एक बात और भी जाननी चाहिए और वह यह है कि हमारी कौममें विधवाओं की संख्या बहुत ही अधिक है--अन्य कीमोंसे भी अधिक है-तथा अन्य कौमोंमें वह संख्या घटती जा रही है परन्तु हमारी कौममें बढती जा रही है । सन् ११ की मनुष्यगणनाके अनुसार हमारी कौममें ६,०४, ६२९ स्त्रियों में से १,५३,२९७ अर्थात् प्रतिसेकड़ा २५ ३ स्त्रियां विधवा हैं-दूसरे शब्दोंमें चार स्त्रियोंमें तीन स्त्रियां सधवा और एक स्त्री विधवा है। बौद्धोंमें सन ९१ में ११'६, सन ०१ में ११, तथा सन् ११ में १० ५ प्रति सैकड़ा स्नियां विधवा थीं; ईसाइयोंमें सन् ९१ में १२ ६, सन् ०१ में १२ ६ तथा सन ११ में ११ ८ प्रति सैकडा स्त्रियां विधवा थीं; पारसियोंमें सन् ९१ में १३.८, सन् ०१ में १४.२ तथा सन् ११ में १३.५ प्रति सैकडा स्त्रियां विधवा थीं; मुसलमानोंमें सन् ९१ में १५, सन् ०१ में १५.१ तथा सन् ११ में १४ ६ प्राति सैकड़ा स्त्रियां विधवा थीं; सिक्खों में सन् ९१ में १५, सन् ०१ में १३ ८ तथा सन् ११ में १५ प्रति सैकड़ा स्त्रियां विधवा थीं; हिन्दुओं में सन् ९१ में १७, सन् ०१ में १९.३, तथा सन् ११ में १८.७ प्राति सैकड़ा

स्त्रियां विधवा थीं; परन्तु हमारी जैन कीममें सन् ९१ में १३ २, सन् ०१ में २३ १ तथा सन् ११ में २५ ३ प्रति सैकडा स्त्रियां विधवा थीं। सन १९११ की हमारी विधवाओं की संख्या जी मैंने आपको बताई उसमें से यदि हम केवल '२० से ४० वर्ष तककी ही आयुकी स्त्रियोंका लेखा लगावें तो विदित होता है कि २० से ४० वर्ष तककी आयुकी २,०४,७०५ स्त्रियोंमें से ४८, ४६६ अर्थात २३३ पतिसैकडा स्त्रियां विधवा थीं जो यादि सधवा होतीं अथवा हों तो सन्तान उत्पादन कर सकी होतीं या कर सकें। महाशयो, इन्हीं बातोंका विचार कर यह सम्मति दी जारही है कि हमें विधवाविवाहका प्रचार कर हमारी कौ-मकी क्षतिके ऋमको रोकना चाहिए । मेरी सम्मात-में इनके साथ हमें ऐसा मत निश्चित करनेके लिए और भी अनेक बातें हैं जिनपर विचार करना होगा । माना कि यादि हम विधवा विवाहको न रोकें तो २० से ४५ वर्षकी आयुके ५३,९८४ पुरुष जो अविवाहित बच जाते हैं उनके लिए १५ से ३५ वर्षकी आयुकी ३४,४११ विधवायें मिल सकती हैं, परन्तु साथहीमें अन्य बातोंपर विचार करना भी आवश्यक होगा।

पिय प्रतिनिधिगण, हमें स्मरण रखना होगा कि विधवा-विवाहकी चर्चा मात्रके विरुद्ध हमारी कौममें एक प्रबल भाव विद्यमान है। जैन कौम इस विषयकी चर्चा तक करना महापाप समझती है, तथा इस विषयपर विवेचन तक करना हमारी कौमके धार्मिक भावके लिए घृणोत्पादक है। हमारे जैनी भाई इसे महा निंद्यकर्म मानते हैं तथा ऐसा जान पड़ता है कि किसी भी दशामें उन्हें इसका विचार स्वीकृत न होगा। यद्यपि महाशयो, मैं इस समय इस विषयके गुण दोषोंकी चर्चा नहीं किया चाहता, परन्तु यह कहना अपना कर्तव्य समझता हं कि इसकी चर्चा तकको रोकनेका

पयत्न करना कौमके लिए हानिकारक होगा। यदिः विधवा-विवाह धर्म तथा नीतिके विरुद्ध और हानिकारक है तो क्या यह आवश्यक नहीं है कि इसकी चर्चा करके यह सिद्ध कर दिया जाय? क्या इसकी चर्चाको रोकनेका परिणाम यह नहीं होगा कि जिनकी सम्मतिमें यह हानिकारक नहीं है वे उसके पक्षकार रहकर उसके प्रचारका उद्योग करते रहेंगे? और यदि यह हानिकारक नहीं है न बुरा है, अथवा बुरा होकर भी आवश्यक है, तो क्या इसकी चर्चाको रोकना अपने आपको नुकसान पहुंचाना नहीं है? मैं तो समझता हं कि इस विषयकी चर्चा अवश्य होकर हमें देखना चाहिए कि यह हमारे लिए आवश्यक है या नहीं।

महाशयो, इस विषयपर जरा दृढ़ होकर हमें केवल अपनी विचार करना चाहिए. और कोमलहृदयताहींसे काम न लेना चाहिए। इससे विवाहका उद्देश भंग होता है-प्रेमका आदर्श मारा जाता है-इत्यादि इसी प्रकारकी अपेक्षाओंसे इसका विचार करना पर्याप्त न होगा; हमें हमारी कौमकी सख्यामें बढती हुई क्षतिकी अपेक्षासे भी इसपर विचार करना होगा । व्यक्ति विशेष इसे भेले ही बुरा समझें-हमारी सम्मतिमें स्त्रियोंका तो क्या पुरुषोंका भी स्वेच्छापूर्वक विधवा अथवा विधुर रहना भले ही श्रेष्ठ हो-बलात् वैधव्यको कोई कोई भले ही अच्छा समझते हों-परन्तु हमको जानना होगा कि हमार 1 जीवन केवल हमारा नहीं है-वह केवल हमारी संपत्ति नहीं है, जिस समाजमें हमने जन्म धारण किया है उसका भी हमारे जीवनपर अधिकार है। जातियोंके जीवनमें ऐसे अवसर भी आते हैं जब उस जातिक मनुष्योंको उसके लाभके लिए-उसकी रक्षाके लिए-अपने व्यक्तिगत सिद्धान्तोंकी बलि देना पड़ती है। जिस जातिके मेंबर ऐसा करनेके छिए तत्पर रहते हैं वही जाति सदा जीवित रहती है। संसारका इतिहास यही बात बताता है कि अपनी रक्षा के



लिए—अपने आपको सर्वनाशसे बचानेके लिए—जन समाजोंको अनीप्सित साधनोंका प्रयोग करना पड़ता है। स्पार्टन लोगोंका इतिहास—लाइकरगसके नियम —इस बातकी साक्षी दे रहे हैं। यदि मान लिया जाय कि हमारे लिए केवल दो ही बातें हैं—अर्थात् एक तो हमारी कोमका अंत और दूसरे विधवाविवाहके समान अनीप्सित साधनोंका प्रयोग—तो ऐसी दशामें हमारा कर्तव्य क्या है, इसका हमें अच्छी तरह विचार करना चाहिए। अतएव यह आवश्यक सिद्ध होता है कि इस निषयकी चर्चाको न रोका जाय। मिथ्यात्वका खंडन करते समय हमारे आचार्योने मिथ्यात्वकी चर्चा की है तब हमें इसकी चर्चा मात्रमें पाप मानना उचित नहीं। × +

बालविवाह किस प्रकार हमारी जातिके मनुष्य-त्वका नाश कर रहा है उससे शायद ही कोई ऐसा निकले जो परिचित न हो।+÷अब भी हमारी कौममें चौटह २ पंद्रह २ वर्षके भीतर ही बालकोंके तथा ग्यारह २ बारह २ वर्षके अंदर ही बालिका-ओं के विवाह किये जाते हैं। सन १९११ की मनुष्य-गणना प्रकट करती है कि हमारी कौममें २० वर्ष तककी अवस्थाके २५,७४३ पुरुष तथा १५ वर्ष तककी अवस्थाकी २७,५५६ स्त्रियोंके विवाह हो चुके थे। निःसन्देह यह दुःखकी बात है, परन्तु यह जानकर और भी हमें दु:ख होना चाहिए कि १५ वर्ष तककी आयुकी १,२५९ लडिकयां हमारी कौममें विधवायें थीं जिनमेंसे ९२ विधवायें तो पांच वर्षसे भी कम अवस्था की थीं। भारत-की अन्य कौमोंमें बालविधवाओंकी इतनी संख्या देखनेमें नहीं आती । पंद्रह वर्ष तककी आयुकी प्रति १०,००० स्त्रियोंमें बौद्धोंमें एकसे भी कम ईसाइयोंमें १२, पारिसयोंमें १४, सिक्लोंमें ३०, मुसलमानोंमें ४०, जैनियोंमें ६२ तथा हिन्दुओंमें ६९ विधवायें हैं । इस परसे आप विचार कर सकतें हैं कि हमारी समाजमें बालविवाहका कितना प्रचार है। महारायो, यह बालविवाह हंमारे जीवन रक्तको पीता जारहा है, हमारे युवकोंके स्वास्थ्यका नाश कर रहा है; विवाहके उद्देशपर पानी फेर रहा है; दाम्पत्य-प्रेमको हवा करता जारहा है; बालकोंके चरित्रको बिगाड रहा है: तथा बिना प्रेमकी संतति उत्पन्न करके समाजको अवनतिके गहेमें लिये जारहा है। इसी प्रकार वृद्ध पुरुषोंके साथ अल्पवयस्क बालिकाओंका विवाह भी हमारी जातिमें बालविधवाओंकी संख्याकी वृद्धि कर रहा है, तथा समाजमें दुराचारका प्रचार किये जारहा है ! विवाहके अवसरपर नाच करानेकी रीति हमारे युवकोंके चरित्रको बिगाडती हुई हमारी कौमकी भावी संतानको सदा अकर्मण्य बनाती जारही है। विवाह तथा मृत्यु आदि संस्कारोंके समय पंगतों आदिमें व्यर्थ व्यय करना हमारी आर्थिक दशाको खराब करता जारहा है। अनेक व्यर्थ रीतियां हमारे बहुमूल्य समयका सदा नाश करती जारही हैं। इन सब कुरीतियोंको बंद करना हमारे लिए बहुतही आवश्यक है। + + कुरीतियोंको बंद करनेकी आवश्यकता तो सब कोई स्वीकार करते हैं, परनत अपने मतका पालन करनेवाले न्यवहारमें बहुत कम दिखलाई पडते हैं-यहां तक कि जो स्वयं इन बातोंका उपदेश देते हैं वे भी कार्यका जब समय आता है तब अपने ही मतके विरुद्ध कार्य करते हैं । इसका कारण मनुष्यकी स्वाभाविक पाचीन-प्रि-यताके सिवाय क्या हो सकता है ? मनुष्य सामाजिक जीव होनेके कारण जिस समाजमें रहता है उसकी स्वीकृति, उसकी Sanction, के बिना वह किसी भी रीतिका पालन अथवा उल्लंघन करना नहीं चाहता। तब यह प्रश्न पैदा होता है कि क्या जाति-पंचायतों द्वारा हमें जातिसुधारका प्रचार करना चाहिए ? महाशयो, मेरी सम्मातिमें इससे भी कुछ लाभ न होगा, बरन कौममें फूट पैदा होकर लाभके पलटे हानि होगी, क्योंकि हमारी

जाति-पंचायतें इतनी गिरी दशामें हैं कि उन्हें सुधारनेके उद्योगमें जो काल लगेगा तबतकसंभव है कि इनका अस्तित्व ही न रहे। तब क्या हमें निराश होकर सामाजिक-सुधारका कार्य ही छैं।ड देना चाहिए. और यदि नहीं तो फिर हमारी आशाका आधार क्या होना चाहिए ? मैं तो यही कहूंगा कि हमें निराश न होना चाहिए, तथा हमारी आशाका आधार होना चाहिए हमारी भावी संतान -हमारे होनहार युवा। महाशयो. यह आशा करना कि जो पुरुष जीवनभर अफीम खाता आया हो वह अफीम खाना बृद्धावस्थामें छोड़ दे यह निरर्थक है; नवीन पौधोंको झुकाना सहज है, परन्तु एक बढे हुए वृक्षको झुकानेकी आशा करना व्यर्थ है । × × इसीलिए, महाशयो, सामाजिकसुधारकी आशा इन जातिमावियाओंसे न कर मैं अपनी आगामी पीढीसे करता हूं। में अनुमान करता हूं कि ऐसे ही विचारोंसे इस महामंडलके संस्थापकोंने इसका नाम आदिमें जैन यंगमेन्स एसोसिएशन रक्खा होगा । यदि हम अपनी संतानको-अपने बालक बालिकाओंको-उचितरीतिसे शिक्षा देवें तो मुझे विश्वास है कि ये ही लोग बड़े होनेपर समाजसुधारका प्रचार करेंगे। अतएव इस कार्यके लिए जो उद्योग हम अबतक करते आ रहे हैं उसे जारी रखते हुए अपनी आशाके भावी आधार, अपनी संतानकी उचित शिक्षाकी ओर हमें ध्यान देना चाहिए, और यह मुझे हमारी कौममें शिक्षाकी अवस्थाका समरण दिलाता है।

पिय प्रतिनिधिगण, हमारे लिए शिक्षाका परन भी
बहुत बड़े महत्त्वका है × ÷ मनुष्य-गणनाकी रिपोटोंसे
आपको ज्ञात ही होगा कि हमारी कौममें प्रति
सहस्रमेंसे सन् १८९१ में ४४१, सन् १९०१ में
४७० तथा सन् १९११ में ४९५ पुरुष पढ़ना
लिखना जानते थे, अर्थात् हमारी कोममें प्रतिदिन

अज्ञानकी कमी होती जारही है। हिन्दुओंमें प्रति सहस्रमेंसे सन् १८९१ में ८३, सन् ०१ में ९४ तथा सन् ११ में १०१, सिक्खोंमें प्राति सहस्रमेंसे सन् ९१ में ८३. सन् ०१ में ९८ तथा सन् ११ में १०६: बौद्धोंमें प्रति सहस्र सन् ९१ में ४११, सन् ०१ में ४०२ तथा सन् ११ में ४०४; पारसि-यों में पाति सहस्रमें से सन् ९१ में ५८३, सन् ०१ में ७५६ तथा सन् ११ में ७८२; मुसलमानोंमें पति सहस्रमेंसे सन् ९१ में ५४, सन् ०१ में ६० तथा सन् ११ में ६९; ईसाइयोंमें प्रति सहस्रमेंसे सन ९१ में २७३, सन् ०१ में २९१ तथा सन् ११ में २९३ पुरुष पहना लिखना जानते थे। इससे स्पष्ट है कि शिक्षांके क्षेत्रमें हम अन्य कौमेंकि पीछे नहीं हैं, तथा पारिसयोंके पश्चात् हमारा ही नंबर है। इसी प्रकार अँगेरेजी पढ़े लिखोंकी संख्या हमारी कौममें भी अन्य कीमोंके मुकाबलेमें ठीक ही है। प्रति दशसहस्रमेंसे अँगरेजी पढना लिखना जाननेवाले पुरुषोंकी संख्या पत्येक कौममें इस पकार थी:---

	सन् १९	०१ में	सन्	१९११ में
हिन्दुओंमें-	••••	६४	•••	९१
सिक्खोंमें-	•••	५२	•••	६६
जैनियेंमिं-	•••	१३४	•••	२०२
बौद्धोंमें-	••••	२४	••••	. ४१
पारासियोंमें-	• • • •	४,०७	Υ	४,९५६
मु सलमानें।मे		३२	•••	48
ईसाइयों में-				१,२५६
				ही अपेक्षा
				का कारण
				ई जातियां
				हैं, किन्तु
				पड़े लि खे
				पिढ़े लिखे
और ब्रह्मस	माजियोंमें	प्रति सह	स्र ७३९	पुरुष पढ़े



लिखे तथा प्रति दशसहस्र ५,८१६ पुरुष अँगरेजी पढ़े लिखे हैं। पढ़ना लिखना तथा अँगरेज़ी जान-नेवाली स्त्रियोंका लेखा इस प्रकार है:—

प्रति सहस्र पढ़ना लिखना जाननेवाली स्नियोंकी संख्याः—

स न् १	१८९१	सन्	१९०१	सन्	१९११
हिन् दु ओंमें-	३		Ч	•••	6
सिक्खोंमें -	३		v	•••	१४
जैनियोंमें-		• • •	१८	••••	४०
बौद्धोंमें-	२२	٠	४२	••••	40
पारसियोंमें-	३९८	<i></i>	५३८	,	६३७
मुसलमानोंमं-	२		३	•••	8
ईसाइयों में-			१२५		१३५

पति दशसहस्र अँग्रेजी पढ़ना लिखना जानने-बाली स्त्रियोंकी संख्याः—

सन् १	सन् १९११	
हिन्दुओंमें-	٧	٠ ۶
सिक्खोंमें-	·	२
जानियोंमें-	٧	३
बौद्धोंमें-	٧	٠ ٦
पारसियोंमें-	९६१	٧ ،٠٠٠ ع.٠٠
मुसलमानोंमें-	·	۶
ईसाइयोंमें-	६१५	६०४

महाशयो, इसपरसे हमारी कीमकी शिक्षासंबंधी दशा संतोषदायक जान पड़ती है, परन्तु हमें जानना चाहिए कि केवल पढ़लिखलेना शिक्षित होना नहीं कहा जासकता । शिक्षाका अर्थ इससे बहुत बड़ा है। खेदकी बात है कि सरकारकी शिक्षासंबंधी रिपोटोंमें जैनजाति हिन्दुओंमें सम्मिलित रहती है, अतएव हम यह नहीं जान सकते कि हमारी कीममें उच्च शिक्षा, अथवा माध्यमिक शिक्षा या कमसे कम पाथमिक शिक्षाकी क्या दशा है, ती भी अनुभवसे हम यह कह सकते हैं कि हमारी जातिमें उच्च शिक्षतोंकी अथवा माध्यमिक शिक्षा-

पाप्तोंकी संख्या बहुत ही अल्प है, और स्त्रियोंमें तो इनकी संख्या और भी अल्प होगी। यदि पढ़ना लिखना जाननेवाले पुरुष तथा स्त्रियाँ दोनोंको मिलाकर देखा जावे तो पति सैकड़ा २७ पुरुष स्त्रियाँ लिखना पढ़ना जानते हैं, अर्थात् १०० मेंसे ७३ मनुष्य निरक्षर हैं। इंग्लेंड, जर्मनी तथा जापान आदि देशोंमें पढ़े लिखोंकी संख्या पति सैकड़ा ९९,९८ तथा ९७, इस प्रकारकी है। ऐसी दशामें, महाशयो, आप विचार की जिए कि जैन जातिमें शिक्षापचारकी कितनी बड़ी आवश्यकता है।

इसीके साथमें हमें यह भी विचार करना चाहिए कि हमारी शिक्षाकी पद्धति कैसी हो। ×+ प्रथम हमें बालकोंकी पाथमिक शिक्षाको लेना चाहिए । इस बातको हम सबको मानना पडेगा कि सरकारी प्राथमिक पाठशालाओं में हमारे बालकों को जो शिक्षा मिलती है वह किसी २ अंशमें हमारे लिए अत्यंत हानिकारक है । उससे होनेवाली हानियोंको देखते हुए हम अपने बालकोंको सर कारी पाठशालाओं के भरोसे नहीं छोड सकते । x ÷ परंतु इसके लिएं पृथक् पाठशालायें खोलना ठीक नहीं। यह हमारी शक्तिके भी बाहर है। इसके लिए हिसाकरनेसे हमें कमसे कम ४० लाख रुपये आरं-भिक व्ययके लिए तथा ३० लाख रुपये वार्षिक व्ययके लिए आक्रयक होंगे । और यदि यह साध्य भी हो तौ' भी मेरी सम्मतिमें तो ऐसा करना सर्वाशमें वांछनीय नहीं है । हमारे परम प्रिय सम्राट् महाराजा पंचम जॉर्जने चार वर्ष हुए तब दिछोद-र्बारके समय अपनी यह इच्छा प्रकट की थी कि इस सारे देश भर में पाठशालाओं तथा कॉलेजोंकी जाल फैला दी जाय, यह हम भूले नहीं हैं। महाराजा जॉर्जकी इस इच्छाको किसी अंशमें पूर्ण करनेके आभिपायसे भारत गवर्नमेंटने वर्तमान समयमें बालकोंके लिए जो अनुमान एक लाख आरांभिक पाठशालायें हैं उनके सिवा थोडे ही दिनों में

अनुमान ९१००० पाठशालाएं और स्थापित कर पारंभिक शिक्षाको फैलानेका निश्चय किया है। यद्यपि युद्धके कारण इस निश्चयके अनुसार कार्य नहीं हो सका है तौ भी हमें विश्वास रखना चाहिए कि गवर्नमेंट अपने कथनके अनुसार मिलनेपर अवश्य कार्य करेगी । ऐसी द्शामें महाशयो. क्या हमारे लिए यह बुद्धिमानीका कार्य होगा कि सरकारकी इन पाठशालाओंसे हम पृथक् रहकर कुछ भी लाभ न उठावें ? हम लोग भी तो सरकारको टेक्स देते हैं । फिर अन्य कौमें तो सरकारकी आयसे Government revenues से शिक्षासंबन्धी लाभ लें और हम अपनेको उससे अलग रक्खें क्या यह हमारे लिए अनुचित न होगा? क्या यह श्रेष्ठ न होगा कि हम सरकारसे इस बातकी पार्थना करें कि जिन २ बातोंमें इन पाठशालाओंकी शिक्षा हमारे लिए हानिकारक है उन २ बातोंमें उसका सुधार कर उस शिक्षाको अपने उपयुक्त बनावें ? हमारे मुसलमान भाइयोंने इसी नीतिका अवलंबन कर बहुत कुछ सफलता प्राप्त की है, और इम लोग इस नीतिका त्यागकर अपनी पुथक पाठशालायें स्थापित करते जारहे हैं । हमें स्मरण रखना चाहिए कि अन्यका कौमोंके समान हमें भी स्वत्त्व है कि गवर्नमेंट हमारे उपयुक्त े शिक्षा हमारे बालकोंको देनेका प्रबंध करे।

महाशयो, हमें इस बातका और भी स्मरण रखना चाहिए कि आजकल सरकारी पाठशालाओं में जितना पढ़ाया जाता है उतना ही बालकों की शक्तिके बाहर होनेसे उसका उनके स्वास्थ्यपर बुरा असर होता है, क्रिन्तु हम लोग धार्मिक शिक्षाके लिए पृथक् शिठशालाएं स्थापित कर बालकों के सिरपर अस्यासका बोझा डाल उनका स्वास्थ्य और भी खराब करनेकी मानो योजना करते हैं। क्या यह श्रेष्ठ न होगा कि हम गर्वन-मेंटसे इस बातकी प्रार्थना करें कि हमारे बालकों को धार्मिक शिक्षा सरकारी पाठशालाओंहीमें पठन-कालके भीतर ही देनेका प्रबंध सरकार हमारी सहा-यतासे करे। यह सच है कि इस विषयमें गवर्नमेंटकी वर्तमान नीति हमारी इस इच्छाके अनुकूल नहीं है । + + धार्मिक शिक्षाके संबन्धमें गवर्नमेंट स्वयं कुछ नहीं किया चाहती, तौ भी मुझे तो आशा है कि यदि हम उचित उद्योग इस बातके लिए करें कि सरकारी पाठशालाओं में पठन समयके अंद्र ही--Within the school hours-हमारी कौमके बालकोंको धार्मिक १ होक्षा देनेका प्रबंध कर-नेके लिए हमें अनुमति दी जाय तो हमारा उद्योग अवस्य सफल होगा । साथहीमें मेरी सम्मतिमें खास २ स्थानोंमें, जहां हमारे बालकोंकी संख्या अधिक हो वहां हमें एडेड प्रारंभिक स्कूलें खोलनी चाहिए जिनके लिए हम गवर्नमेंटसे आर्थिक सहायता भी पा सकते हैं क्यों कि ऐसा करनेकी इच्छा गवर्न-मेंटने पकट की है। यदि हम इस नीतिका अनुसरण करेंगे तो निश्चयमेव कुन्यवस्थित पृथक् पाठशालायें स्थापित करनेकी अपेक्षा हमको अधिक लाभ होगा । सरकारी शिक्षापद्धतिमें धार्मिक शिक्षाका जो अभाव है मैं समझता हूँ कि उसे हमें इसी नीति-से दूर करना चाहिए। नैतिक शिक्षाके अभावको दूर करनेका सरकारी पयत्न आरंभ है। इस प्रकार सरकारी शिक्षापद्धतिमेंसे हमें अन्यान्य देशिको भी दूर करनेका उद्योग करना चाहिए । परन्तु पिय-प्रतिनिधिगण, मेरे बताये हुए इसमार्गमें यह आपत्ति की जायगी कि इस प्रकारकी अल्पकालिक धार्मिक शिक्षा कदापि यथेष्ट नहीं हो सकती है, और इसलिए उससे अधिक लाभ न होगा । मैं इस प्रका-रकी आपत्ति करनेवालोंसे पश्च करता हूं कि धार्मिक शिक्षाका अर्थ क्या है ? हमारे धर्ममें तो सन हीं विषय गर्भित हैं-यथा द्रीनशास्त्र, आत्मविद्या, नीतिविद्या, भूगोलविद्या,न्यायविद्या, इतिहास, नाटक, कथा इत्यादि। क्या हमारे बालकोंको

नैनहितेषी-

कालहीसे इन सब विद्याओंका अध्ययन करना चाहिए ? अथवा क्या यह आवश्यक है कि पत्येक जैनको इन सब विषयोंमें विशारद ही होना चाहिए, और झ्या यह संभव है ? क्या प्रत्येक व्यक्तिके लिए उचित विषयका निश्चय करनेमें व्यक्तिगत रुचिकी ओर बिलकुल ध्यान न देना चाहिए? क्या हमें Jack of all-master of none विद्वान् पैदा करने चाहिए ? महाशयो, आप यह कदापि न समझें कि मैं धार्मिक शिक्षाका विरोधी हूं, किन्तु में यह अवस्य कहूंगा कि धार्मिकशिक्षाके केवल नाम पर ही मोहित होकर हमारे युवकोंको हमें निरर्थक नहीं बनाने चाहिए । इसमें कोई सन्देह नहीं कि लौकिक तथा उदारSecular and liberal शिक्षाने भी संसारको बहुत कुछ लाभ पहुँचाया है। उसमें एक गण यह है कि वह हृदयको सत्य ग्रहण करनेके योग्य बनाती हुई उसे सत्यके लिए सदा खला रखती है। स्वामी विवेकानंद तथा रामतीर्थके समान अनेक उदाहरणोंके रहते मैं यह माननेको तैयार नहीं हूं कि स्कूलों व कालेजोंकी शिक्षा हमें निरे भौतिक-वादी बनाती है। यदि जैनधर्म सत्य है तो उसे कोई भी डर नहीं है । मैंने स्कूलमें सीखा था कि, ' मनुष्य मकान बना सकता है, पर क्या वह पत्थर बना सकता है ? तब पत्थर किसने बनाये ? परमात्माने-परमात्मा इस साष्टिका कर्ता है। जैनधर्म बौद्धधर्मकी शाखा है, और वह उसीके बाद छठवीं सदीमें निकला। ' मैंने कॉलेजमें बाइबल ही पढी। परन्तु न तो मैं सृष्टिकर्तावादी हूं न ईसाई होगया हूं, इसलिए इस बातका बहुत बड़ा भय रखनेकी कोई आवश्यकता नहीं कि निरी लौकिक शिक्षा बालकोंको धर्म-भ्रष्ट कर देगी। 'जनधर्मसे अविरुद्ध ? शिक्षा पर इतना जोर दिया जाता देख मैंने ये विचार पगट करनेकी आवश्यकता समझी। इसी प्रकार महारायो, माध्यमिक शिक्षांके लिए

भी सरकारी माध्यमिक पाठशालाओं में हमें अपने

धर्मकी शिक्षाका प्रबंध करनेका तथा कुछ स्थानों में हाइ स्कूलोंके खोलनेका उद्योग हमें करना चाहिए। उचिशक्षिक लिए कालेजोंके साथम बोर्डिंग हाउस खोलकर हमें धार्मिक शिक्षाकी व्यवस्था करना चाहिए तथा हमारे प्रसिद्ध नेता सेठ मानकचंद हीराचंदके बताये हुए मार्गको हमें न छोड़ना चाहिए परन्तु, महाशयो, इसीके साथमें हमें एक 'सेंट्रल जैन कॉलेज ' खोलनेके लिए भी उद्योग अवश्य करना चाहिए। जैन कॉलेजका प्रश्न एसोसिएशनकी ही आयुका है, परन्तु खेद इस बातका है कि इसकी चर्चा तो हम बराबर करते जाते हैं, परन्तु इसके लिए कार्य हमने अवतक कुछ भी नहीं किया। मेरी सम्मतिमें हमें उचित है कि हम एक कमेटी नियुक्त करें जो इस प्रश्नपर सलाह करके हमें इस बातकी सम्मति दे कि किस स्थानपर हमें यह कॉलेज स्थापित करना चाहिए, इसके प्रबंधके लिए क्या योजना करनी चाहिए तथा इसके लिए द्रव्य कितना तथा किस प्रकारसे हमें एकत्रित करना चाहिए और इसका संबन्ध सरकारी विश्वविद्यालयोंसे रखना चाहिए अथवा यह नवीन हिन्दू विश्वविद्यालयक। गर्भित अथवा Constituent कॉलेज होना चाहिए।

भाइयो, यह जो मैंने निवेदन किया वह साधारण शिक्षाके संबन्धमें है। विशेष-शिक्षाके लिए हमें विशेष संस्थायें स्थापित करनी चाहिए। वह शिक्षा कोई शिक्षा नहीं जो कौमकी आवश्यकताओं को पूर्ण न करे। जैनधर्म जो वैश्योंका धर्म कहा जाता है यह ठींक है क्योंकि हमसेंसे अधिक व्यापारी वर्गके हैं। मध्यभारत एजेंसीमें सन् ११ में जैनियोंकी संख्या ८७,४७१ थी, उनमेंसे ६३,३८९ का व्यवसाय व्यापार था। अन्य स्थानोंका हाल मुझे विदित नहीं, परन्तु मैं कह सकता हूं कि अन्य स्थानोंमें हमारे व्यापार-व्यवसायी भाइयोंका परिमाण और भी अधिक होगा। इसीसे हमें यह सम्मति दी जाती है कि हमारी पाठशालाओंमें केवल धार्मिक

तथा व्यापारिक जैसे मुनीमी इत्यादिकी शिक्षा देनी चाहिए । प्रश्न यह है कि जैनधर्म क्या केवल बनि-योंका-व्यापारी-मुनीमोंका-धर्म रहनेसे संतुष्ट होना ? वह कौम कौम नहीं जिसमें सब प्रकारके व्यक्ति न हों-व्यापारी, कलाकौशलके जाननेवाले, राज्यकर्ता, कानूनके जाननेवाले, लेखक, कवि, डॉक्टर, न्याया-धीश, सैनिक, धर्मप्रचारक, ऋषक, परिश्रम करनेवाले, इत्यादि । क्या पृथक् पाठशालाये खोलकर हम अपनी इस बडी आवश्यकताको पूर्ण कर सकते हैं ? महाशयो, 1नि:सन्देह इसके लिए हमें सरकारी विद्यालयोंका सहारा लेना पडेगा-हमारे युवकोंको विदेशोंमें भेजना पडेगा । साथहीमें हमारे धर्मके मचारके लिए हमें अनेक व्यक्ति ऐसे तैयार करने होंगे जो हमारे धर्मके पूर्ण ज्ञाता हो तथा जिन्हें अन्य धर्मोंका-समस्त विद्याओंका-पाश्चात्य साइंस, द्र्शन, न्याय, साहित्य तथा इतिहास आदिका-भी पर्याप्त ज्ञान हो। परन्तु में अपना यह मत पलटनेकी आवश्यकता नहीं देखता कि इस प्रकारकी अनेक छोटी छोटी संस्थाओंकी अपेक्षा एक विशाल तथा सुव्यवस्थित संस्था अधिक लाभदायक होगी। आप क्षमा करें, मेरी सम्मतिमें काशी, मथुरा तथा मुरैनाके विद्यालय हमारी इस आवश्यकताको पूर्ण नहीं कर सकते, और इसके लिए यदि इन तीनों संस्थाओंको मिलाकर एक विशाल संस्था बनाई जाय तो मैं समझता हूं कि अधिक लाभ होगा।

पिय पतिनिधिगण, सामाजिक सुधार तथा शिक्षाप्रचारके कार्यके लिए जिस मार्गका अवलंबन करनेकी सम्मात मैंने प्रकट की है उसको धारण करनेके लिए आपको यह स्पष्ट जान पड़ता होगा कि सबसे पहले हमें अपनी कौमको इस बातके िलिए तैयार करना होगा कि वह परिवर्तन अथवा change ग्रहण क नेको तत्पर हो। यह बात हमें मानना पड़ेगी कि हमारी जैन जाति अभी परिवर्तनके लिए, भारी परिवर्तनके लिए, तत्पर नहीं है। एक पासिद्ध अँगरेज लेखक का यह कथन सर्वथा ठीक है कि---

" प्राकृत प्राचीन-प्रियता यह मानवी हृद्यकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है । मनुष्यका स्वभाव परिवर्तनके प्रतिकूल ही होता है, और इसके दो कारण हैं--एक तो अज्ञातका अविश्वास तथा काल्पानिक विवेचनकी अपेक्षा अनुभव पर अधिक अवलंबन और दूसरा मनुष्यका वह स्वभाव जिसके कारण वह अपनी परिस्थितिके अनुकूल अपनेको बना लेता है जिससे अपारीचितकी अपेक्षा परिचित अधिक स्वीकृत तथा सह्य होता है। " यद्यपि यह सत्य है तौ भी हमें स्मरण रखना चाहिए कि एक जीवित वस्तुके लिए--living organism के लिए-परिवर्तन अपरित्याज्य है। "प्रत्येक वस्तु सतत परिवर्तनहींसे विद्यमान रहती है, '' यह एक पाचीन ग्रीकका कथन है । लॉर्ड रोजबेरीके इस कथनकी सत्यता हमें माननी ही होगी कि, " The effigies and splendours of tradition are not meant to cramp the energies or the development of a rigorous and various nation. " क्या यह कहना सत्य नहीं है कि, "नियम व संस्थायें मनुष्यके लिए हैं, न कि मनुष्य नियम व संस्थाओंके लिए। " ' या तो परिवर्तनया अंत ' यही प्रक-तिका नियम है।

" है बदलता रहता समय उसकी सभी घातें नई कल काममें आती नहीं हैं आजकी बातें कई ! है सिद्धि-मूल यही कि जब जैसा प्रकृतिका रङ हो — तब ठीक वैसा ही हमारी कार्य्य-कृतिका ढङ हो ॥ पाचीन हों कि नवीन छोड़ो रूढियां जो हों बुरी. बनकर विवेकी तुम दिखाओ हंस जैसी चात्री। पाचीन बातें ही भली हैं यह विचार अलीक है. जैसी अवस्था हो जहाँ वैसी व्यवस्था ठीक है ॥ ''

अतएव महारायो, यादि जैनधर्म व जैन कौमके। जीवित रहना है, यदि जैनधर्मको हम सब देशों में तथा सब प्रकारके लोगोंमें प्रसारित देखना चाहते हैं, यदि हमें अपना अंत स्वीकृत नहीं है तो हमें

केवल अपनी सामाजिक रूढियोंको ही नहीं परन्तु अपने धार्मिक व्यवहारोंमें भी परिवर्तन करनेके लिए तत्पर होना चाहिए । हमारे आचारके नियम सर्वज एकसे नहीं हो सकते । यह मैं नहीं कह रहा हूं कि हमें आचार्योंके सिद्धान्तोंका पालन नहीं करना चाहिए । कहनेका अर्थ यही है कि उन सिद्धान्तों-के भावका-उनके spiritका-न कि उनके अक्ष-रोंका-हमें पालन करना होगा । धार्मिक सुधारके नामहीसे हमारे जो मित्र घबडाने लगते हैं उन्हें जानना होगा कि आजकल तर्कका जुमाना है। हमें अपने सिद्धान्तोंका अर्थ समयके भावके अनुकूल करना होगा, तभी हमारा धर्म सार्वभौम धर्म हो सकेगा। हमारा सामाजिक संगठनका धार्मिक व्यवहारके साथ दृढ संबन्ध होनेके कारण दूसरेमें परिवर्तन किय बिना हम एक भी सुधार नहीं कर सकते, अतएव, महारायो, जैसे जैसे समय पलटता जायगा तैसे तैसे हमें अपने धार्मिक व्यवहारींकी प्रणालीमें भी परिवर्तन करते जाना पडेगा। नियमोंका पालन कर सिद्धांतका नाश करना उचित नहीं कहा जासकता । हमें यह न भूलना चाहिए कि धर्मका एक बडा उद्देश उपयोग है । वह धर्म नहीं जो मानव सनाजको उपयोगी नहीं । जिस समय धर्म समाजको उपयोगी नहीं रहता उसी समय उसका अंत समझना चाहिए। इसलिए धर्मको उपयोगी बनाये रखनेके लिए यह आवश्यक है कि समय समय पर उसके आचार-नियमोंमें परिवर्तन किया जाय-कौमकी रुढियोंका सुधार किया जाय । परन्तु भाइयो, इसीके साथ हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि इस परिवर्तनके कार्यमें हमें सावधानीसे काम लेना चाहिए । सामाजिक रूढ़ियोंके बनमें कई पौधे ऐसे भी हैं जिनकी यदि सम्हाल की जाय तो वे सुगंधित पुष्प पैदा कर सकते हैं; सुधारके आवेगमें हमें इन पौधोंको भी उखाड कर न फेंक देने चाहिए। कौममें कई रीतियां ऐसी भी हैं जो आवश्यक नहीं तो हानिकारक भी नहीं हैं।

हानिरहित अल्प आमोद प्रमोदके लिए भी कुछ सामग्री हमें अपने भाइयोंके लिए छोड देनेमें कोई हर्ज नहीं । इस संबन्धमें यह जान कर किसे प्रस-ञता न होगी कि हमारी समाजमेंसे पंडित और बाब, इत्यादि प्राचीन भेद उठते जा रहे हैं। हमारे विद्वान पंडितोंके विचारोंमें धीरे धीरे परिवर्तन होता जा रहा है। अँगरेज़ी पढ़े लिखे युवक भी अब पश्चिमको अपनी उन्नतिका आदर्श मानना तथा पंडितोंकी ओर अनादरकी दृष्टिसे देखना छोड़ते जा रहे हैं। नि:सन्देह हमारी उन्नतिके लिए ये सब सुचिह्न हैं, तौ भी, अब भी हमारा भावी कार्य बहुत बड़ा है। हमें मूढ़िवश्वास तथा कुरीतियोंकी चट्टाने तोडना है। जैन जातिको उठानेका कार्य हमें कदापि आशारहित न मानना चाहिए। मैं नहीं समझता कि यह हमारे योग्य होगा कि हम निराश होकर जैन कौमके सुधार व उसकी उन्नतिके कार्यको छोड दें, तथा अन्य जनसमाजमें जैनधर्मका पचार कर उसीके द्वारा जैनधर्मकी उन्नति करनेका उद्योग करें । वर्तमान जैनजाति ही जैनधर्मका प्रसार कर सकेगी यह हमें अवश्य मानना होगा । कोई भी व्यक्ति जैनधर्मको ग्रहण करनेके पहले यही पूछेगा कि जैनधर्मने भारतमें एक जनसमाजका क्या उपकार किया है। कहा जा सकता है कि सुधा रकी चर्चा करनेवाले पापका बंध करके अपने लिए नरकका मार्ग बनाते हैं--परन्तु क्या इसका यह उत्तर उचित न होगा कि हमें नरक जाना स्वीकार है, परन्तु कौम तथा धर्मका अंत स्वीकार नहीं ? अतएव, इस सुधारके कार्यके लिए हमें परिवर्तित होनेके लिए अवश्य तत्पर होना चाहिए। हम औरोंको जैनी बनानेका उद्योग कर रहे हैं । मैं पूछता ह कि क्या हमारी सामाजिक रीतियां तथा हमारे धार्मिक व्यवहारोंकी प्रणालीको परिवर्तित किये बिना हम इस कार्यमें सफलता पा सकते हैं ? हम एक ओर तो औरोंको जैनी बनानेका उद्योग करते हैं तथा दूसरी ओर कहते हैं कि दस्सोंको जिनपूजाधिकार नहीं है। महाशयो, भारतमें धर्म व समाजका घनिष्ट सम्बन्ध है। मनुष्य सामाजिक जीव
होनेके कारण जनसमाजसे पृथक् नहीं रह सकता।
यदि हम औरोंको जैनी बनाना चाहते हैं तो
क्या यह आवश्यक नहीं है कि हम उन्हें अपनी
समाजमें भी साम्मालित करें ? क्या यह आवश्यक
नहीं है कि हम उन्हें भी अपने ही समान धार्मिक
अधिकार प्रदान करें ? परन्तु क्या आए बतावेंगे
कि हमारी कोममें कितने ऐसे जन विद्यमान हैं जो
यह कहनेको तैयार हों कि—

" जो चाहता है अपना कल्याण मित्र करना, जगदेकवंधु जिनकी पूजा पवित्र करना। दिल खोल करके उसको करने दो कोइ भी हो, फलते हैं भाव सबके कुल जाति कोई भी हो॥"

क्या हम नवीन जैनियोंके साथ परस्पर सामा-जिक संबन्ध करनेके लिए तैयार हैं ? यदि नहीं, तो क्या हमारा औरोंको जैनी बनानेका उद्योग निष्फल न होगा? महाशयो, मेरी सम्मतिमें तो हमें इन सब परिवर्तनोंको ग्रहण करनेके लिए तत्पर होना चाहिए तब ही कौमकी उन्नति व धर्मका प्रचार होगा।

अपने धर्मके प्रचारके लिए जैनशास्त्रोंका प्रकाशित करना यह हमारा एक पित्र कर्तन्य है । यह प्रसन्नताकी बात है कि हमारा ध्यान इस ओर अधिकाधिक खिंचता जा रहा है—तौ भी कार्यके विस्तारके आगे इसके लिए हमने जो उद्योग अवतक किया है व अब कर रहे हैं वह कुछ भी नहीं है। मेरे परमित्र बाबू जगमंदरलालजीके उद्योगसे जो जैन लिटरेचर से।सायटी लंडनमें स्थापित हुई है उससे बहुत कुछ आशा है, अतएव हमें उसे उचित सहायता पदान करनी चाहिए।

जितनी सराहना की जाय उत्नी ही कम है। स्वयं उन्होंने जो यन्थोंके अनुवाद इत्यादि किये हैं तथा मूल पुस्तकें व लेख लिखे हैं उनसे जिनवाणीके पचारमें बहुत बड़ी सहायता मिली है। अन्य सज्जन भी इसी प्रकार उद्योग कर रहे हैं जो प्रशंसनीय है. परन्त हमें संसारकी पायः खास खास भाषाओं में हमारे शास्त्र तथा जैनमत पर मूल पुस्तकें प्रकाशित करनी होंगी । आराके जैनसिद्धांतभवनको हमें एक वास्ताविक सेंट्ल जैन लायबेरी व म्यूजियम बनाना होगा । स्कूलों व कॉलेजोंमें पढ़नेवाले हमारे विद्यार्थि-योंके लिए हमें स्वतंत्र पुस्तकें लिखकर प्रकट करनी होंगीं जिससे कि वे सुगमतासे जैनसिद्धान्तोंका साधारण ज्ञान पाप्त कर सकें। क्या ही उत्तम हो यादि हम इसके लिए एक ऐसा कोर्स बनानेका उद्योग करें जो आरांभिक पाठशालाओंसे लेकर कॉलेजों तकमें पढाया जा सके।

महाशयो, धार्मिक तथा सामाजिक स्थितिहीके समान हमें अपनी राजनैतिक स्थितिका भी अव-लोकन कर अपनी आवश्यकताओं पर विचार करना चाहिए । मुझे सदा यह शिकायत रहती है कि हमारे भाई सार्वजनिक कार्योंमें बहुत ही कम भाग लेते हैं; इसी कारण हम राजनैतिक क्षेत्रमें भारतकी अन्य कौमोंसे पिछडे हुए हैं। हमारे कुछ मित्र मेरे इस कथनकी सत्यता स्वीकार करते । मैं उनसे पार्थना करता हूं कि कृपया वे मुझे बतावें कि इस समय हमारी प्रान्तिक कौसिलों में अथवा इंपीरियल कोंसिलके सभासदोंमें जैनी कितने हैं । भारतकी अन्य जातियोंके प्रधान प्रधान नेता इस बातपर विचार कर रहे हैं कि युद्धके बाद भारतकी शासन-प्रणालीमें क्या क्या सुधार किये जावें । क्या आप बतावेंगे कि इनमें कितने जैनी सम्मिलित हैं ? इसी शहरमें आजकल भारतकी पधान राजनैतिक सभा, ' इंडियन नेशनल काँग्रेस ? का आधेवेशन हो रहा है । आप ही बताइए कि

उसके प्रतिनिधियोंमें कितने जैनी हैं ? माना कि म्यनिसिपल कमेटियोंके तथा लोकलबोर्डोंके जैनी भाई सभासद हैं, परन्तु बताइए कि इनकी संख्या कितनी है, तथा इनमें उचिशिक्षापाप्त कितने हैं? और क्या हमें यहींतक जाकर ठहर जाना चाहिए ? मेरी सम्मातिमें कदापि नहीं । हमें कौंसिलोंमें प्रवेश करना चाहिए। परन्तु प्रश्न यह होता है कि किस श्रकार यह कार्य किया जाय । हमारे कतिपय भाइयोंकी सम्मति यह जान पडती है कि विशेष प्रातिनिधित्व अथवा Special representation के द्वारा हमें भी हमारे मुसलमान भाइयोंके समान कौंसिलोंमें प्रवेश करना चाहिए । महाशयगण, मेरी सम्मति इसके प्रतिकृल है । क्या आप कोई ऐसा उदाहरण दे सकते हैं कि कोई भी योग्य जैनी अथवा कोई भी जैनी कौसिलोंके लिए उम्मेदवार हआ और वह जैनी होनेके कारण न चुना गया ' यादि नहीं तो फिर जनरल इलेक्टोरेटके ऊपर अविश्वास प्रकट कर विशेष प्रतिनिधित्वका सत्त्व माँगनेके लिए हमारे पास क्या कारण है ? मेरी सम्मतिमें हमें कौंसिलोंमें योग्यताके राजद्वारहीसे, न कि विशेष प्रतिनिधित्वके बगलके द्वारसे, प्रवेश करना चाहिए।

प्यारे प्रतिनिधियो, हमें और भी दो एक कामोंको हाथमें लेना चाहिए । हमारे कुछ त्योहारों पर आम छुट्टी करानेका प्रयत्न मैं समझता हूं हमारी एसोसिएशनको करना चाहिए, क्या कि इस कार्यमें तीनों संप्रदायके सहोयोगकी आवश्यकता है । हमारी एसोसिएशनको उपदेशकों द्वारा समाजसुधारके विचारोंका प्रचार करनेका अधिक ज्वयोग करना चाहिए । हमारे युवकोंको अन्य देशोंमें भेजकर उच्च औद्योगिक तथा साधारण व व्यवसायी शिक्षा दिलानेकी योजना करनी चाहिए। हमारे मंदिरोंके कोषमें बहुत यन पड़ा हुआ है, उसे निकालकर शिक्षा तथा कलाकोशलक प्रचारके लिए

उसका प्रयोग करानेका प्रयत्न हमें करना चाहिए। हमारी सार्वजनिक संस्थाओंका कुप्रबन्ध दूर कराकर उनका प्रबंध सुधारनेका उद्योग भी हमें अवश्य करना चाहिए, क्यों कि सार्वजनिक संस्थाओंका प्रबंध ठीक न होना बहुत हानिकारक है। हमारी एसोसिएशनकी नियमावलीका परिवर्तन कर हमें उसका संगठन ऐसा करना चाहिए जिससे एसोसिएशन तीन दिनकी लेकचरबाज़ी छोड़कर साल भर तक वास्तविक कार्य करनेके योग्य होजाय।

प्रिय महाशयो, आपसे, विशेष कर हमारे अँगरेज़ीदां भाइयोंसे, मैं एक पार्थना और करना चाहता हूं। मैं उनका ध्यान हिंदी भाषाकी ओर-हिंदी साहित्यकी ओर--खींचना चाहता हूं । मुझे यह देखकर बहुत दुःख होता है कि हमारे अँगरेजी पढे लिखे भाई हिन्दीभाषाके प्रचारके कार्यमें उतना उत्साह नहीं दिखलाते जितना कि उन्हें दिखलाना चाहिए । कतिपय सज्जनोंको छोडकर बाकीके इस कार्यसे प्रेम प्रकट नहीं करते । हिंदी ही जैन जातिकी भाषा है। हिंदीका प्रचार अन्य प्रान्तोंके जैनी भाइयोंमें करनेसे केवल हिंदीहीकी उन्नति न होगी किन्त हमारी जैन जातिमें एकताका भी प्रचार होगा । अतएव हमें चा हिए कि हम हिंदीसे पेम करें, हिंदी भाषामें लेख तथा पुस्तके लिखें, अपने समस्त निजी तथा सार्वजनिक कार्य हिंदी भाषामें करें, और हिंदीके प्रचारके लिए उद्योग करें।

एसोसिएशनके सभासदगण, इस भाषणको समाप्त करनेके पहले आपसे में यह निवेदन करनेकी आज्ञा चाहता हूं कि जैन कोमकी उन्नित करना तथा जैनधर्मका प्रचार करना यह हमारा एक परम पवित्र कर्तव्य है । जिसने मनुष्य जन्म धारण करके अपने कुल, अपनी जाति, अपने देश, अपने धर्मकी उन्नितिके लिए उद्योग नहीं किया उसने कुछ न किया । मेरे विचारमें जनसमाजकी सेवा करने— मनुष्यजातिका दुःख दूर करन—की अपेक्षा आत्मकल्याणका अच्छा साधन नहीं है। वही सबसे

महापुरुष है जो पाप और दुःखसे लड़ता है, जो दरिद्रता व अपराध पर विजय प्राप्त करता है-जो परोपकार करता हुआ आत्म कल्याण कर निर्वाण पाप्त करता है। हमारी जाति तथा हमारे धर्मकी ओर हमारी उदासीनता हमारे लिए लज्जाकी बात है। हमें स्वतंत्रताके साथ अपने विचारोंको प्रकट करते हुए जाति तथा धर्मसेवाका कार्य करना चाहिए। यद्यपि हमारी संख्या थोडी है और हमारा कार्य महान है तथापि हमें स्वर्गवासी रानडेके ये शब्द सदा याद रखने चाहिए-अर्थात्, यद्यीप संख्याकी शक्ति हमारे पास नहीं तथापि हमारे उद्देशके लिए हमारे सचे कार्यकर्ताओं के विश्वासका उत्साह, भक्तिकी एकाग्रता तथा स्वार्थत्याग कर-नेके लिए तत्परताकी शक्ति हमारे पास है कार्य-कर्त्ता चाहे कम हों, परन्तु अंतमें विरोधके ऊपर उन्हें जय अवर्य पाप्त होगी।" अतर्व, महाशयो, हमें अपने उद्योगके फलकी अल्पताको •देख निराश नहीं होना चाहिए । यद्यपि हम वास्तविक कार्य अधिक नहीं कर सके हैं तथापि हमारे उत्साही प्रधान-मंत्रीके शब्दोंमें एसोसिएशनके कामका अधिक भाग उन परिवर्तनोंमें है जो उसने हमारी समाजके विचारोंमें पैदा किया है । हमें अपनी कौम तथा धर्मके भाविष्यमें अटल विश्वास रखना चाहिए। यद्यपि इतिहास बताता है कि-

" संसारमें किसका समय है एकसा रहता सदा, हैं निशि दिवासी घूमती सर्चत्र विपदा संपदा। जो आज राजा बन रहा है रंक कल होता वही। जो आज उत्सवमग्र है कल शोकसे रोता वही॥" परन्तु साथहीमें इतिहास यह भी बताता है कि—" होता समुत्रतिके अनंतर सोच अवनतिका नहीं, हाँ सोच तो है जो किसीकी फिर न हो उन्नति कहीं। चिन्ता नहीं जो व्योमविस्तृत चन्द्रिकाका ह्नास हो, चिन्ता तभी है जब न उसका फिर नवीन विकास हो॥"

महाशयो इतिहासका यह उपदेश हमें स्मरण रख अपनी कीम व धर्मकी उन्नतिके लिए सतत उद्योग करना चाहिए ।

लड़ना धर्म है या क्षमाभाव रखना ?

(हे॰, श्रीयुत वाडीलाल मोतीलाल शाह ।) सम्पाद्क महाशय, मुझे आशा है कि आपकी तथा आपके अन्य स्वधमीं भाइयोंकी शीर्षकके यही ओरसे प्रइनका पिलेगा कि 'क्षमाभाव रखना धर्म है '। · क्योंकि शास्त्र हमेशा यही उपदेश देते हैं। कि कोध मान माया आदिको जैसे बने तैसे कम करो । आप भी यही कहेंगे कि धर्म तो निरुपद्रवी-किसीको जरा भी चोट न पहुँचावे, किसीको भी और मनसे भी दु:ख न पहुँचावे, ऐसा है। परन्तु धर्मकी यह पवित्र व्याख्या करते समय आपका हृदय तो यही कहता होगा कि 'निरुपद्रव धर्मकी रक्षाके लिए तो उपद्रवका ही हथियार आवश्यक है।" अभिप्राय यह कि जो यह मानते हैं कि 'धर्म' स्वयं निरुपद्रव है, वे लोक भी उस धर्मकी रक्षा-आस्तत्वके लिए उपद्व (क्रोध, द्वेष, कुटिलता, आदि अनिष्ट कार्य) का उपयोग करते हैं। ऐसी दशामें या तो आपको धर्मकी व्याख्या बदलनी पड़ेगी और उसके निर्दोष निरुपद्रव स्वरूपके बदले कोई और ही प्रकारका स्वरूप मानना पड़ेगा, या अपने निरुपद्व धर्मकी रक्षाके लिए आपलोग जिन उपद्वी अस्त्र शस्त्रोंको काममें लाते हैं वे फेंक देना पडेंगे । दोमेंसे एक अवश्य ही करना पडेगा ।

आप पूछेंगे कि हम धर्मको निरुपद्रव तो आवर्स्य मानते हैं; परन्तु उसकी रक्षाके लिए उपद्रवी अस्त्र रास्त्रोंका उपयोग कहाँ करते हैं?

महाशय, मुझे माफ कीजिए और कहने दीजिए कि आप उनका उपयोग करते हैं; और केवल आपके ही विषयमें नहीं किन्तु सारे ही धर्मोंके अनुयायीजनोंके विषयमें भी लगभग यही बात कही जा सकती है । अपने धर्मकी सत्यता दूसरोंसे मनवानेके लिए उन दूसरोंके धर्मोंकी निन्दा करनेके प्रयत्न क्या संसारमें थोड़े हुए हैं?—इसका कारण यही है कि अपने धर्मका अस्तित्व इसके बिना रह नहीं सकेगा, ऐसा इन प्रत्येक धर्मके लोगोंका हृद्य मानता है (मुँह नहीं; मुँह तो शान्तिकी, क्षमाकी द्याकी और नम्रताकी ही बातें किया करता है!)। इसी प्रकार जिस देवको शान्ति, क्षमा, द्या आदि सात्विक गुणोंका भण्डार माना जाता है उस देवकी स्थापना जिन मूर्तियोंमें की जाती है उन मूर्ति योंके लिए भी क्या इस दुनियामें थोड़े लोग आपसमें लड़ते झगड़ते दिखलाई देते हैं?

अब कहिए महाशय, कहाँ तो भगवानको क्षमासागर और क्षमाके उपदेष्टा मानना और कहाँ उन भगवानके नामसे आपसमें लडना-झगडना-मुकद्दमेवाजी करना । बतलाइए तो सही कि ये दिगम्बर और इवेताम्बरोंके बीचमें, सम्मेदशिखर आदि तीर्थस्थानोंसम्बन्धी, लाखों रुपयोंका स्वाहा करनेवाले युद्ध, कैसे और क्यों होने लगे ? क्या धर्म अपनी रक्षाके लिए अपने भक्तोंकी इस प्रकारकी सहायताकी अपेक्षा रखता है ? क्या हमारी-आपकी सहायताके बिना अपने पैरों आप खड़े होनेकी शक्ति हमारे धर्ममें नहीं है ? क्या जब हम सब उसके लिए आपसमें कट मरेंगे और अपना बलिदान कर डालेंगे तभी धर्म टिक सकेगा, और किसी तरह नहीं ?

इम झगड़ोंको देखकर इच्छा होती है कि मैं जैनसमाजको धर्मविषयक व्याख्याओं, मानताओं आर कार्योकी जाँच करूँ और जाँचके अन्तमें खूब हसूँ—और खूब रोऊँ। मैंने देखा है कि जिस पातिपत्निके जोड़ेमें आपसमें अनबन रहती नहीं है वे भी एक पुत्रके उत्पन्न हो जानेपर एक दूस रेके गरज़ या चाहक बन जाते हैं और इस तरह वह पत्र इन दो व्यक्तियोंको परस्पर जोडनेवाला सुत्र बन जाता है। इसी तरह हिन्दू-मुसलमा-नोंके रितिरिवाज, वेषभूषा, धर्म आदि बातें भिन्न होने पर भी जबसे भारतमें ' भारतीय राष्ट्रंकी भावना मार्तिमान् होने लगी है तबसे मुसलमान भी हिन्दुओं के साथ प्रेमकी संकलसे बॅधने लगे हैं-एक दूसरेसे गले मिलने लगे हैं और एक साथ एकप्राण होकर काम करने ठगे हैं। मुस्लीमलीगका कांग्रेसके साथ एक मत हो जाना इस बातका प्रत्यक्ष प्रमाण है। इन दो भिन्न प्रकृतियोंको भी इतनी निकटवर्तिनी कर देनेवाली, भित्र बना देनेवाली बात और कोई नहीं, केवल ' भारतीय राष्ट्र 'की भावना-हम "दोनों एक माताके पुत्र हैं यह भावना-ही है; केवल इसीने यह आस्चर्यजनक शाक्ति उत्पन्न की है।

परन्त यह बात मेरी समझमें नहीं आती है कि जब परस्पर अनबन रखनेवाले दम्पतीको प्रेमसूत्रसे जोड़ देनेवाले पुत्र और भिन्नप्रकृति हिन्दू-मुसलमानोंको मित्र बनानेवाली ' भारती-यता' की भावना, इन दोनोंसे ही अधिक शक्ति-शाली एकताका तत्त्व हमारे समग्र**ें**नसमाजमें मौज़द है, तच हमारे बीचमें इस एकता-इस प्रेम-इस मेल मिलाप-के बदले पारस्परिक देष और वैर भाव कहाँसे आता है। सबके एक ही देव, सबकी एक ही कर्म फिलासफी, सबका एक ही स्यादाद, सबकी एक ही द्यामय नीति, सबका एक ही देश, सबकी एक ही भाषा, सबके एकहीसे रीतिरिवाज और सबके एकही प्रकारके स्वार्थ-इस तरह प्रायः सभी बातोंमें समानता होने पर भी हममें पार-स्परिक एकता नहीं है, इसका क्या कारण है ? में आपसे और अन्य विद्वान सज्जनोंसे पूछता हूँ

कि क्या मनुष्यों में क्षमा, शान्ति आदि सातिक गुण उत्पन्न करने और उन गुणोंको पृष्ट करने के आश्यसे ही जैनधर्ममें 'देवपूजा ' नहीं मानी गई है? यदि यह सच है तो कृपा करके इस पित्र आश्यको निर्मल निष्कलङ्क रहने दो और इन गुणोंका आरोपण जिनमें किया गया है उन मूर्तियोंके निमित्तसे क्षेत्र, वैर, कोध, आदि तामसिक भावोंको आमंत्रित करनेवाली प्रवृत्तिको रोको—कृपा करके रोको, और किसीके लिए नहीं तो इस आश्यकी पित्रता बनाये रखनेके ही लिए—रोको।

यदि धर्मकी भावना, भिन्न भिन्न स्वभावों के एकीकरणके लिए, यन तन एक दूसरेसे डर कर अलग अलग पड़े हुए मनुष्योंको एक 'समा-जके' रूपमें संगाठित क्रनेके लिए, एक दूसरेसे डरनेके बदले एक दूसरेके सहायक बनना सि-खाने और एक दूसरेके सुख दुःखमें सहानुभूति रखनेकी शिक्षा देनेके लिए आवश्यक है, तो कृपाकरके इस भावनाको, एक दूसरेके विरुद्ध चलाया जानेवाला हथियार मत बनाओ, एक दूसरेको जुदा करनेवाली खाई मत बनाओ, एक दूसरेको जुदा करनेवाली खाई मत बनाओ, एक दूसरेको जुदा करनेवाली खाई मत बनाओ, एक दूसरेको जुदा करनेवाली साई मत बनाओ, एक यूपनी अपनी दे। दो बालिश्तोंकी वृक्षकोटरोंमें घुस कर रहनेकी पेरणा करनेवाला भयानक साधन मत बनाओ।

क्या आपने 'सब जीवोंको कहूँ शासनरसिक' इस प्रकारकी भावना एक 'शासन' (किंगडम—— समाज—राज्य) स्थापित करनेकी इच्छासे नहीं की थी? तब फिर यदि आप अपने 'शासन' से बाहरके मनुष्योंको अपने शासनके भीतर आकर्षित करके अपना राज्य बलिष्ठ और विस्तृत नहीं बना सकते हैं तो न सही; पर जो आपके 'शासन' में हैं, उनको तो बने रहने दो, उनको तो लडा-झगडाकर अलग मत कर दो, अ-

लग करनेकी प्रवृत्तिसे तो वाज आओ, कमसे कम इस शासनके स्थापक महागुरु महावीर भगवा-नके पवित्र नामके लिहाजसे ही इसे छोड़ दो।

सम्पादक महाशय, शायद आप मेरे प्रश्नोंके मारे तंग आ गये होंगे; परन्तु मुझे खेद है कि मैं आपको अब भी छुट्टी नहीं दे सकता। तंग आगये ? नहीं, इस बातको मैं नहीं मान सकता कि आप मेरे प्रश्नोंके मारे तंग आगये होंगे । अपने भाइयोंके साथ तो आप वर्षों तक लड़ते रहनेपर भी तंग न आये और मेरे दो चार प्रश्नोंसे ही तंग आ गये ? यदि आप इतने भले होते कि ऐसे मौकोंपर तंग आजाते-ऊब उठते, तो सचमुच ही बहुत अच्छा होता । जो हृद्य आपसी लड़ा-इयोंसे कठिन पत्थर बन गये हैं वे प्रश्नोंके दो चार बाणोंसे कभी नहीं छिद सकते । इधर मुझे भी आपकी चलती हुई लडाइयाँ देख देखकर बाण चलानेका खब्त सबार हो गया है और इससे मैं अभी कुछ और भी प्रश्नबाण छोड़नेके लाल-चको नहीं रोक सकता।

में आपसे पूछता हूँ कि क्या आप इन मुकह-मोंमें ' व्यवहार धर्म ' की रक्षाके छिए देश-हितकी बाल नहीं दे रहे हैं ? क्या आप 'व्यव-हार धर्म ' की रक्षाके छिए समाजबलकी हत्या नहीं कर रहे हैं ? क्या आप 'व्यवहार धर्म ' की रक्षा के छिए सदाचारके गले पर छुरी नहीं चला रहे हैं ? और क्या आप " निश्चय ' को लक्ष्यिबन्द मानकर 'व्यवहार 'की पालना करनी चाहिए, '' इस शास्त्राज्ञाका दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं ?

क्या आप इस धर्मात्मापनके दिखानेमें ही धर्मात्मापनकी अनुपास्थितिको सिद्ध नहीं करते हैं ? क्या आप अपनी बलिष्ठता दिखलानेके लिए किये जानेवाले इन युद्धों द्वारा ही अपनी धार्मिक निर्वलताको प्रकट नहीं कर रहे हैं ?



कुपाकरके थोडी देरके लिए इस दुाविया और अभामे भारतवर्षकी ओर देखो। आपके शास्त्रोंमें जिस आर्यदेशको अध्यात्मज्ञानका भाण्डार, लक्ष्मीदेवीका निवास, क्षात्रतेजकी जन्मभूमि, पृथ्वी जल और आकाश पर विजय प्राप्त करनेवाली विद्याओंका जनक और स्वत-न्त्रता देवीका कीडास्थल बतलाया है, उस देश-की-उस आर्यावर्तकी-वर्तमान दशाका वर्णन क्या आपने कभी श्रीमान दादाभाई नौरोजी या या श्रीमती एनी बीसेंटके मुखसे या कलमसे निकला हुआ सुना या बाँचा है ? इसकी दिलको दहला देनेवाली भयंकर द्रिता, दुर्बलता, बीमारी, बुद्धिमन्द्रता, जहता, सत्वहीनता, उत्पादक शाक्तियों और उत्पादक साधनोंका क्षय, आदि बातोंका क्या आप देख नहीं सकते हैं ? करोड़ों मनुष्यों पर चढ़े हुए इन भयंकर भूतोंको दूर करनेके छिए देशके कितने ही ⁴ देवों ⁷ ने जो महान् प्रयत्न करना शुरू किया है, उससे क्या आप सर्वथा ही अज्ञात हैं ? भारत माताको फिरसे सुजला सुफला सुख-सम्पन्ना बनानेके लिए ये 'देवगण' जी तोड परि-श्रम कर रहे हैं, उसमें शामिल होनेके लिए आपको, मुझे और सबको पुकार रहे हैं, तो भी क्या आप उस पुकारकी ओर बहरे कान किये रहेंगे ? वे पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि अपने प्यारे देशकी दशा सुधारनेके लिए सबसे पड्ले ऐक्यकी आवश्यकता है और फिर इस ऐक्यबलसे हमें निरुद्योगिता और अज्ञान-ताको इस देशसे निकाल कर अलग कर देना है । हाय ! इन देवोंकी अपील-प्रार्थना-सुनने-के छिए तो आप अभी तक भी तैयार नहीं हुए हैं और पजनविधिके एक तुच्छ भेदके कारण लड़ने झगड़नेके लिए कमर कसे हुए हैं, मिश्या-त्वकी विचित्र व्याख्याओंके अनुसार अपने-

को छोड़ कर सारे देशको मिथ्याती मानकर उनसे दूर रहनेका उपदेश दे रहे हैं और समग्र देशके सुखदुखकी बातोंको जुदा रख कर रातादिन एक शाखाकी, नहीं नहीं उस शाखाकी भी शाखा—प्रशाखा—की ही बातोंमें मस्त हो रहे हैं; ऐसी दशामें बतलाइए, भारतमाताके उद्धारकी चिन्ता करनेवाले उक्त देवगण आपके विषयमें क्या सोचेगें।

इस बातको तो आप स्वीकार करते हैं कि पूजन व्यवहार धर्म है, निश्चय धर्म नहीं है। तो भी किसी एक प्रकारकी पूजाके लिए, उससे विभिन्न प्रकारकी पूजा करनेवालोंके साथ लड्ड-नेमें आप अपने बहमुल्य समयका और देशको विज्ञानादिमें आगे बढानेके लिए जिसकी आव-इयकता है उस लक्ष्मीका व्यय कर रहे हैं। पुजन करो, आनन्द और उत्साहसे आप अपनी ही पद्धतिके अनुसार पूजा करो और उस पूज-नमेंसे पूज्य देवका बल, ज्ञान और चारित्र सम्पादन करके बलवान् बनो; परन्तु पूजा-पद्धतिको पारस्परिक बलका बलिदान कराने-वाला तत्त्व मत बनाओ, यही मेरी प्रार्थना है। इवेताम्बर और दिगम्बर दोनोंकी पूजनपद्धति बनी रहे और दोनों अपनी अपनी पद्धतिसे अपने इष्ट देवकी पूजा कर सकें, क्या इस प्रका-रका प्रबन्ध आप सारे पवित्र तीर्थक्षेत्रों पर नहीं कर सकते हैं? किसी स्थलपर दोनों एक ही मन्दि-रमें पूजनपाठ करें, किसी स्थलपर दोनोंके लिए अलग अलग मन्दिरोंकी व्यवस्था कर दी जाय और किसी स्थलपर कोई और प्रबन्ध दोनों सम्प्रदाय-की सलाहसे कर लिया जाय, इस तरह क्या आप-समें विश्वास प्रेम और ऐक्य उत्पन्न नहीं किया जा सकता? यदि आप इसके लिए इस प्रकार-का कोई अच्छा निरुपद्रव मार्ग तजवीज नहीं कर सकते हैं तो क्या इसका अर्थ यह नहीं

होता है कि जिस देशको, इस समय एकताकी सबसे अधिक आवश्यकता है उस देशके हितकी हत्या करके ही आपके दोनों सम्प्रदाय अपने अपने व्यवहार-धर्मकी रक्षा करना चाहते हैं? और आपके इस वर्तावसे क्या प्रचालित नीति या सदाचारका भङ्ग नहीं होता है? आपमेंसे बहुतोंको सच्चे झूठे प्रमाण खड़े करने पड़ते होंगे, दूसरे अनेक अन्याय करने पड़ते होंगे, धर्मके नामसे झगड़े— का काम करनेके लिए चन्दा करनेका पाप कमाना पड़ता होगा, एक दूसरेके अमंगलकी मावना करनी पड़ती होगी और उससे जैनधर्मकी नीवतुल्य चार भावनाओंकी हत्या होती होगी; ये सब बातें क्या नीति, धर्म, समाज, नेशन आदिके लिए बाधक नहीं हैं?

जिस समय यूरोपका महायुद्ध शुरू हुआ था उस समय, मुझे स्मरण है कि आपमेंसे बहुतोंने सभायें करके भगवानसे इस प्रकारकी प्रार्थनाथें की थीं कि यह युद्ध बन्द हो जाय और पुनः शान्तिका प्रसार हो। जिसके संचालक सूत्रों तक किसी तरह हमारा हाथ ही नहीं पहुँच सकता है उस दूरके युद्धकी शान्तिकी इच्छा करनेके लिए तो आप एकत्र हुए; परन्तु मुझे नहीं मालूम है कि आप लोगोंने अपने इस घरू युद्धकी आग बुझानेके लिए एक दिन भी एकत्रित होकर प्रार्थना की हो, या आपसमें मिलकर सलाह ही की हो। मालूम नहीं आपका यह कैसा व्यवहार है और कैसी आपके धर्मकी व्याख्या है। या तो यह स्वीकार कीजिए कि युद्ध अच्छा कार्य है, इससे शाक्तियोंका विकास होता है और युद्ध करनेके लिए जिस बलकी आवश्यकता है उसका सम्पादन कीजिए, या युद्ध बुरा है, पाप है, यह मानकर उससे दूर रहिए। यदि आप (सा नहीं करते हैं, दूसरोंके युद्धको पाप मान कर अपने युद्धको पुण्य समझते हैं तो आपकी

इस मानताको 'मनमानी घरजानी 'के सिवाय और क्या कह सकते हैं ?

घट गया बाल्यविवाहादिसे हमारा बल है, यह बात रोज ही गला फाड़ कर कही जाती है; परन्तु जब तक कन्या-व्यवहारका क्षेत्र विस्तृत न होगा तब तक बाल्यविवाह, बे-मेल-विवाह, कन्याविकय आदि अधर्म कदापि दूर नहीं हो सकते। कन्याव्यवहार-का क्षेत्र बढ़ानेमें जातियोंके सैकड़ों भेद उप-भेद सबसे बड़े बाधक हैं। जबतक समग्र जैन-समाज अपने अपने क्रियाकाण्डोंको-आचार विचारोंको पालते रहने पर भी दूसरोंके किया-काण्डों तथा आचार विचारोंके प्रति सहिष्णुता रखनेवाला न बनेगा और परस्पर प्रेमभाव, ऐक्य, कन्याव्यवहार और कोआपरेशन न बढ़ायगा, तब तक सामाजिक कुरीतियाँ, निर्बलता और अज्ञानता आदि दोष कदापि दूर न हो सकेंगे। जब तक मूल बना हुआ है तब तक शाखा प्रशाखाओंके नाश होनेकी आशा रखना व्यर्थ है। समाजबलका सारा आधार एकता पर है और यह एकता दिगम्बर श्वेताम्बरके ' निश्चय ' धर्मको तो सर्वथा ही बाधक नहीं है, रहा 'व्यवहार' सो उसमें भी यदि पर-मतसहिष्णुता रखना सिखाया जाय, तो एकता बाधक नहीं हो सकती।

सम्पादक महाशय, ये सारी दलीं , प्रश्न और सूचनायें केवल आपके प्रति या इवेताम्बर समाजके प्रति ही नहीं हैं; किन्तु समग्र जैनसमा-जके प्रति हैं। इन सबका ताल्पर्य केवल इतना ही है कि इस समय पवित्र जैनधर्मकी कीर्तिके लिए, जैनसमाजके बलके लिए और भारतके हितके लिए जैनोंके तमाम झगड़े मिटाकर एक-ताका बल बढ़ानेकी ओर सबसे अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। इस समय इस प्रार्थनाके



आग्रहपूर्वक करनेका कारण यह है। कि मैंने जो दिगम्बर स्वेताम्बरोंके तीर्थक्षेत्रसम्बन्धी झगड़े आपसमें तय करनेका मिशन खड़ा किया है, उसे मैं समग्र जैनसमाजके सम्मुख रखना चाहता हूं। इसका सबसे अच्छा मार्ग तो यह है कि किसीको भी बीचमें डाले बिना वादी प्रतिवादी और उनके सधर्मीभाई स्वयं ही आपसमें मिलकर प्रयत्न करें; परन्तु ऐसा होना किन जान पड़ता है इस लिए मेरी सूचना यह है कि देशके माननीय और कायदे कानूनोंके ज्ञाता अगुओं मेंसे एक या इससे अधिक अगुए दोनों ओरसे पसन्द कर लिये जाय और उनसे न्याय करा लिया जाय।

मेरे इस आन्दोलनके प्रति श्वेताम्बर दिगम्बर दोनों ही पक्षके बड़े बड़े धनवानों और उच्छे-णीकी शिक्षा पाये हुए विद्वानोंने सम्मातियाँ देकर, प्रसन्नता प्रकट करके और सहियाँ देकर सहानुभूति प्रकट की है जिसके लिए में उक्त सब सज्जनोंका आभार मानता हूँ और अन्य धनियों तथा शिक्षितोंसे प्रार्थना करता हूँ कि वे भी अपनी सम्मातियाँ भेजनेकी कृपा करें। इस प्रकारके विचारोंको फैलानेके लिए हजारों व्यक्तियोंकी सम्मातियाँ चाहिए।

केवल सहियाँ लेकर बैठ रहना मुझे पसन्द नहीं है, दोनों पक्षके अगुओं तथा मुकदमोंमें आर्थिक सहायता देनेवाले सज्जनोंसे प्राइवेट मिलने और उनको यह बात समझानेका प्रयत्न भी जारी है । इस काममें मुझे जो सफलतायें प्राप्त हुई हैं उनकी मुझे कल्पना भी न थी; परन्तु अभी उनके प्रकाशित करने-का समय नहीं आया है । इसका परिणाम चाहे जो हो, मुझे चिन्ता नहीं है । आन्दोलन सफल हुआ तो ठिक ही है, नहीं तो निष्फल-तामें भी इतना लाभ तो हुए बिना रहेगा ही नहीं कि किसी न किसी अंशमें लोकमत तैयार होगा. एकताके विचार फेलेंगे और उनका अच्छा परिणाम कभी न कभी अवस्य होगा । यदि निष्फलता होगी तो इसका अर्थ यही होगा कि हमारे
शिक्षित समुद्दायने इस आवस्यक देशहित और
समाजहितके काममें अपना पूरापूरा बल नहीं
लगाया, इसीसे सफलता नहीं हुई । इसमें
'आन्दोलन' का दोष नहीं है और 'अन्दोलन
उठानेवाले' का भी अपराध नहीं है; परन्तु
'आन्दोलन' के लिए आवस्यक बल लगानेवाले
लोग अपने कर्तव्यपालनेसे विमुख रहे, यही
दोष लोगोंकी दृष्टिके आगे आयगा और तब
आगेके प्रत्येक आन्दोलनमें अधिक दूरदार्शिता
और अधिक एकतासे काम करनेकी रीतिको
लोग सीसेंगे।

अन्तिम प्रार्थना।

अन्य आवश्यक उपाय तो जो कुछ बन सकते हैं, किये ही जा रहे हैं, परन्तु इसके साथ लोक— मत तैयार करनेकी भी अवश्यकता है, इस लिए प्रत्येक स्थानके अगुओं तथा शिक्षित सज्जनोंसे मेरा प्रार्थना है कि:

१ आप अपनी निजकी सम्मति पत्रद्वारः मुझे लिख भेजनेकी कृपा करें,

२ आप अपने अपने ग्राम और नगरों में अपने सम्प्रदायकी सभायें करके उनमें यह प्रस्ताव पास करें कि ये तीर्थों के झगड़े आपसमें तय किये जाय और उस प्रस्तावकी नकल मेरे पास भेज दें,

३ जैनपत्रोंमें तथा अन्य पत्रोंमें इस आन्दो-ठनको पुष्ट करनेवाले लेखादि लिखनेकी भी कपा करें।

समस्त जैनसंघमें सिहण्णुता, श्रावृभाव, ऐक्यबल, ज्ञानबल और शौर्य उत्पन्न हो और इन गुणोंसे सुशोभित जैनशासन सारी द्वानिया पर जयवन्त हो, यही मेरी आन्तिम इच्छा है।*

^{*} यह लेख ' श्वेताम्बर जैनकान्फरेंस हेरल्ड ' से अनुवाद करके प्रकाशित किया जाता है ।

स्याद्वादमहाविद्यालयकी भीतरी दशा ।

[ले॰ श्रीयुत प्रोफेसर निहालकरणजी सेठी एम्. एस् सी., काशी ।]

जैनहितैषीके सार्वजानिक पाठकगण धनकी जिम्मेवारी ' शीर्षक लेख सितम्बर अक्ट्र-बरके अंकमें पढ चुके हैं। उसके पढ़नेसे उन्हें ज्ञात हो गया होगा कि जैनसमाजमें सार्वज-निक संस्थाओं के कार्यकर्ताओं को इस विषयके महत्त्वका कितना ज्ञान है और कितने संचालक अपनी इस बहुत बडी जिम्मेवारीको समझते हैं। कुछ साधारण रीतिसे उन्हें यह भी मालूम हो गया होगा कि ऐसी संस्थाओं के प्रबंधमें अवश्य कुछ गड़बड़ी है और अभी बहुत कुछ उन्नति करने-की आवश्यकता भी है। किन्तु उन्हें अभी यह पता न हुआ होगा कि यह अंधेर यहाँतक बढ गया है कि समाज यदि वह अपना हित चाहता है और अपने गाढे पसीनेकी कमाईके द्रव्यका वास्तविक सदुपयोग करना अत्यन्त आवश्यक समझता है तो अब चुप नहीं बैठ सकता। अब ऐसा समय आगया है जब केवल यह सोचकर संतोष नहीं हो सकता कि अमुक संस्था तो अमुक सज्जनके हाथमें है उसमें गडबडी नहीं हो सकती । संभव है कि बिना उन सज्जन-के दोषके ही. उनकी अत्यधिक सज्जनताके कारण ही संस्थाकी दशा शोचनीय हो रही हो। इसके अतिरिक्त एक और बात ध्यान देने योग्य है। यह आवश्यक नहीं है कि कोई महा-शय संस्थाका द्रव्य हहप जायँ अथवा वह किसी ऊपरी टीम टामके कार्यमें ही बहुतसा द्रव्य व्यय कर दें। इन बातोंके बिना भी समाजका धन न्यर्थ जा सकता है, इनके होते हुए भी संचालक-

गण सार्वजनिक धनके दुरुपयोगके लिए दोषी हो सकते हैं। आज ऐसी ही एक कथा सुना-नेको मैं बाध्य हुआ हूँ।

आप बाध्य होनेका कारण पुछ सकते हैं। आप कह सकते हैं कि ऐसी कथा सुनानेमें क्या कष्ट था जो बिना बाध्य हुए सुना देनेकी आवश्यकता न समझी गई । इसका संक्षिप्त उत्तर केवल यही है कि संचालकोंको इस बातका डर था कि कहीं इस कुप्रबंधकी कथा समाजको मालुम हे। जायगी तो समाज शायद इसके लिए चन्दा आदि देनेमें संकोच करने लगे। वे जानते थे कि प्रबंध उचित नहीं है, किन्तु उनका विश्वास था कि इस कुप्रबंधसे समाजकी इतनी हानि नहीं जितनी कि संस्थाके लिए द्रव्य न मिलनेसे होगी । इस कारण उनका प्रयत्न यह रहता था कि समाजके सम्मुख कोई इस रहस्यको प्रगट न करे। और मैं समझता हूँ कि यह विचार किसी अंशमें ठीक भी था। किन्तु सौभाग्यसे या हालहीमें इस विद्यालयको मुझे स्वयं देखनेका अवसर मिला। बहुत दिन तक मैं इसकी दशाका यथार्थ स्वरूप जाननेका प्रयत्न करता रहा और इसके संचालकोंसे प्रार्थना भी करता रहा कि इसकी दशा शोचनीय है, इसका उचित प्रबंध होना चाहिए। किन्तु जब देखा कि वे लोग इस दशाको कुछ बुरी दशा नहीं समझते और इसके सुधारकी ओर उनका लक्ष्यः भी नहीं है, तब मुझे समाजको यह सब कथा सुनानेके लिए प्रस्तुत होना पड़ा।



कदाचित् कोई मेरे आशयके समझनेमें भूल करे, इस विचारसे में आरम्भमें ही यह कह देना उचित समझता हूँ कि यह मैं जानता हूँ और मानता भी हूँ कि काशीके स्यादाद महाविद्यालयके स्थापित होनेके पहिले जैनसमाजमें जैनधर्मके अमूल्य शास्त्र-रत्नोंका अर्थ समझने और समझा सकनेवाले मनुष्योंकी बहुत ही कमी थी और इस संस्थाने इस कमीको यिक्विचित् दूर भी किया है, पर समाजको इससे अन्य भी कोई लाभ हुआ है यह अवश्य ही विवादग्रस्त बात है । किन्तु यदि यह संस्था अपना यही कार्य उचित रीतिसे करती रहे तो भी हमें बहुत हर्ष होगा। परन्तु अब इस कार्यमें भी बहुत कुळ गड़बड़ी हो रही है।

शायद समाजको यह ज्ञात होगा कि यहाँके विद्यार्थियों में हडताल कर देनेका, पढ्ना बन्द कर देनेका, एक अपूर्व गुण है। इस गुणका प्रकाश समाजने बहुधा देखा होगा। यदि न देखा हो तो उसमें न विद्यार्थियोंका दोष है और न उनके गुणका। दोष है केवल संचालकोंका कि जिन्होंने उनके इस गुणको छुपा रखनेका प्रयत्न किया है । किन्तु जिन लोगोंको इस संस्थाके समाचार जाननेका थोड़ा बहुत शौक होगा उन्हें अवश्य ज्ञात हुआ होगा कि आज विद्यार्थियोंने अमुक अधिष्ठाताको निकलवा दिया, अमुक सुपरिंटेंडेंट साहबको अपना बदना बोरिया सम्हाल कर चले जाना पडा। यहाँतक कि यदि मुझे ठीक ज्ञात हुआ है तो अब तक इस विद्यालयमें प्रायः बीससे ऊपर सुप-रिण्टेण्डेंट काम कर चुके हैं । और अधिष्ठाता-ओंकी संख्या भी जितनी समाजको मालुम है उससे कहीं अधिक हो चुकी है।

प्रश्न हो सकता है कि यह गुण विद्यार्थियों में क्यों कर पैदा हुआ ? संस्कृत पढनेवाले विद्यार्थी

जिनकी गुरुके प्रति बहुत ही अधिक श्रद्धा प्रसिद्ध है, जो गुरुकी चरणसेवा करना ही अपना परम कर्तव्य सदासे मानते चले आये हैं उनमें यह अनाद्रका भाव, यह स्वच्छन्द्ता कहाँसे उत्पन्न हो गई? इसका वास्तविक कारण क्या है यह मैं आगे चलकर बतलाऊँगा और वह आप लोगोंको स्वयं भी जरा विचार कर लेने पर ज्ञात हो जायगा। यहाँ पर यह बात अवस्य कहूँगा कि संचालकगण भी इसके उत्तरदायित्व-से मुक्त नहीं हो सकते। क्यों कि उन्होंने अवस्य ही विद्यार्थियोंकी इच्छानुसार कार्य करके, जिसको उन्होंने निकलवाना चाहा उसे निकाल करके, जिसको नियत करना चाहा उसे नियत करके और विद्यार्थियोंकी खुशामद करके, उन्हें उत्तेजित किया है। यह लिखते समय मैंने यह अवज्य ध्यानमें रक्खा है कि विद्यार्थियोंका ऐसा व्यवहार कदापि उचित नहीं था । उन्होंने कभी ऐसी बातकी प्रार्थना नहीं की जो वास्तवमें आवश्यक थी, किन्तु देवभावसे अथवा अन्य किसी कारणहीसे उन्होंने ऐसा किया था। यह जो महाशय चाहें मालुम कर सकते हैं।

जब में विद्यालयमें गया (शायद ४-५ अक्टू बरको) तब देखा कि फिर वहीं रंग हैं । पाठ बंद है, सब अध्यापकोंकी रिपोर्ट हैं कि विद्यार्थियोंने पढ़नेसे इन्कार किया है। जब ऐसा टस्य देखा तो स्वामाविक था कि चित्तकों कष्ट पहुँचता। किन्तु किससे क्या कहा जाता ? अधि-ष्ठातासे ? वे तो कभी यहाँ रहते ही नहीं । उप-अधिष्ठातासे ? उनका भी बनारसमें कोई पता नहीं । मंत्रीजीसे ? वे तो स्वयं छुट्टीका अवसर देख कर जीनपुरसे दो दिनके लिए यहाँ आये थे और खुद परेशान थे कि क्या किया। क्यों कि उन्होंने विद्यार्थियोंसे बहुत कुछ कहा सुना था किन्तु विद्यार्थींगण उनकी

बात तो क्या सुनते उनका अनादर करनेको उद्यंत थे। क्या सभापातिसे कुछ कहता? उनके विषयमें तो सुना कि वे कभी पत्रका उत्तर भी देना उचित नहीं समझते। सुपिरेंटेंडेंटसे? वाह, उनहींके विरुद्ध तो सारा प्रयत्न था, उनकी कौन सुन सकता था। जब अधिष्ठाता यहाँ नहीं रहते, उपाधिष्ठाता यहाँ नहीं रहते, मंत्रीजी भी परदेशी हैं, सभापतिको पत्रका उत्तर देनेका भी अवकाश नहीं होता तब आप समझ सकते हैं, कि इस सबमें आश्चर्यकी बात ही क्या थी।

खैर, मंत्री महाशयने जिसातेस प्रकार प्रबंध-कारिणी समाके स्थानीय सभासदोंको एकत्रित किया और उनसे प्रार्थना की कि ऐसी दशा है,इसका उचित प्रबंध हो जाना चाहिए। किन्तु भला ऐसे कार्यका उत्तरदा। यत्व अपने सिर कौन हे ? यह निश्चय हुआ कि इसके कारणोंकी जाँच की जाय और सभापति महाशय श्रीमान सेठ हुक-मचंदजीसे तार द्वारा अनुमति ली जाय। कुछ सभासदोंने जाकर पूछताछ की तो ज्ञात हुआ कि मुख्य कारण यह है कि धर्माध्यापक महा-शयकी मंत्रीजी और सुपरिटेंडेंट महाशयसे नहीं बनती । वे चाहते हैं कि उक्त दोनों महा-शय पृथक हो जायँ। यह बात सभा पहिलेसे जानती थी और मंत्रीजीका बहुत कुछ अपमान करनेके कारण धर्माध्यापक पं० उमरावासिंहजीको सभा पहले ही एक मासके लिए पृथक् कर चुकी थी। अब ज्ञात हुआ कि उक्त पंडितजीने ही विद्यार्थियोंको बहकाकर पाठ बंद करवा दिया है। विद्यार्थियोंसे पूछने पर उनका उत्तर केवल यही था कि सुपारिन्टेन्डेन्ट महाशय-जो साहित्यके अध्यापक भी हैं-साहित्य ठीक नहीं पढ़ा सकते, अतः जब तक उनके स्थान पर कोई अन्य महा-शय नियत न किये जावेंगे वे पढ्ना उचित नहीं समझते । किन्तु पंडित उमरावसिंहजीने (ययि सब सभासदों के समक्ष नहीं) स्वीकार किया कि उन्होंने विद्यार्थियों से ऐसा करने को कहा था और उसका कारण उन्होंने यह बत-लाया कि जबसे ये मंत्री महाशय नियत हुए हैं विद्यालयकी दशा बहुत खराब हो गई है और जबतक इस प्रकार पाठ बंद न किया जायगा तब तक इसके कार्यकर्ता इस ओर ध्यान न देंगे । पर उन्होंने प्रबन्धकारिणी सभाकी बैठकमें कहा कि यह बात मिथ्या है और मुझपर वि-चालयको हानि पहुँचानेकी नीयतसे यह झूठा दोष लगाया गया है । यह देख मुझे गवाह पेश करना पड़े और उन्हें चुप हो जाना पड़ा ।

में यहाँपर यह विवेचना नहीं करना चाहता कि मंत्री महाशयने विद्यालयको लाभ पहुँचाया या हानि; किन्तु में समाजका ध्यान केवल इस बातकी ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि इस बातमें उस वास्तविक कारणका पता लगता है कि जिसके कारण विद्यार्थी इतने उद्धत और स्वच्छन्द हो गये हैं।

स्थानीय सभासदोंको इतना ज्ञात हो जाने पर भी वे कुछ कर नहीं सकते थे। करते भी कैसे ? उनको कोई अधिकार ही नहीं था। सभापति होता, अधिष्ठाता होता, उपाधिष्ठाता होता तो शायद कुछ करता भी । २८ अक्टू-बरको सभा करना निश्चय बाहरके सभासदोंके पास सूचना भेजी गई । उस दिन सभा हुई और बाहरसे तीन सज्जन आये भी । सौभाग्यसे अधिष्ठाता महाराय भी पधारे । सब वृत्तान्त सुनाया गया; किन्तु सबको यह विश्वास हो जाने पर भी कि धर्माध्यापक यहाश्यका यह कार्य विद्यालयको बहुत हानि पहुँचानेवाला हुआ है और उनको इसके लिए दंड भी मिलना चाहिए, यह उचित नहीं समझा गया कि उनसे कुछ कहा जाय । क्योंकि अन्य



श्वर्माध्यापक मिलना जरा किठन कार्य है। किन्तु यह अवस्य हो गया कि धर्माध्यापक और सुपिरन्टेन्डेन्ट महाशयके नहीं बनती है, इस लिए सुपिरन्टेन्डेन्ट महाशय १०–१५ दिनमें पृथक् कर दिये जाय। १०–१५ दिनमें भी इस लिए कि शायद अभी ऐसा करनेसे विद्यार्थी सम-झेंगें कि हमारी जय हुई। अधिष्ठाता महाशयने कुपा कर दो महीने यहीं टहर जाना स्वीकार किया।

अब देखना यह है कि प्रायः २५ दिन विद्यालयमें पढ़ाई बंद रही । छात्राश्रममें भोजन जो
विद्यार्थियोंको पढ़नेके लिए मुफ्त दिया जाता है
बरावर दिया गया । भोजनके व्यतिरिक्त अन्य
खर्च भी बरावर होता रहा । इन सबके अतिरिक्त
जो हाथख़र्चके लिए विद्यार्थियोंको मासिक मिलता
है उसमें भी किसी प्रकारकी हानि नहीं हुई ।
विद्यार्थियोंको अपराधका इसके अतिरिक्त कुछ
इंड न मिला कि एक मासके लिए उनके
भोजनके घीकी मात्रा कुछ कम कर दी गई ।
उनको बहकानेवाले पंडितजीका भी कुछ
न बिगड़ा।

विद्यालयमें माय ५००-६०० ६० मासिक व्यय होता है, जिसमें अध्यापकोंका वेतन तो केवल १५०) से कममें ही हो जाता है। मकानके लिए कोई व्यय नहीं करना पड़ता। प्राय: ४००) मासिक भोजन आदिमें व्यय होता है और केवल २७-२८ विद्यार्थी शिक्षा पाते हैं। शिक्षा केसी मिलती है और ये विद्यार्थी यहाँसे पंडित बनकर समाजका कितना उपकार करेंगे यह उपर्युक्त कथासे प्रकट होता है। इसके अतिरिक्त जिस विद्यालयमें यह भी ठींक ठींक नहीं मालूम कि कौन विद्यार्थी कब किस अध्यापकके पास उपरस्थित था और कब नहीं, जहाँ हाजिरीके राजिस्टर भी हूँढ़ निकालनेके लिए परिश्रम और अमिकयोंकी आवस्यकता होती है, जहाँके दफत-

रसे प्रबंधकारिणी सभाकी कार्यवाहीकी पुस्तक भी गुम कर देनेमें विद्यालयमें रहनेवालोंको संकोच नहीं होता, जहाँके आचार्य बननेवाले विद्यार्थी जरा जरासे भोजनके घीके वास्ते लड-नेको प्रस्तुत हो जाते हैं और जहाँके छात्रों और अध्यापकोंको संदिग्ध आचरणके कारण दंड देनेकी भी आवश्यकता पड़ जाती है, वहाँके निकले हुए पंडितोंका चरित्र क्या उच होसकता है ? क्या वे धर्मीपदेशके आधिकारी हो सकते हैं ? क्या उनसे समाजको लाभ पहुँच सकता हैं ? क्या उन लोगोंके लिए समाजको ५००-६०० रु० मासिक व्यय करना उचित है ? क्या उनके लिए शिक्षा ही बिना फीस नहीं किन्तु भोजन, वस्त्र, मकान इत्यादि भी देना और उस पर ४०० रूटमासिक केवल २७-२८ विद्यार्थि-यों पर खर्च करना समाजके सार्वजनिक धनका सद्ययोग करना है ? इस पर भी क्या उन्हें हाथ खुर्चके लिए रुपया देना सामाजिक धनका अप-व्यय नहीं है ?

में यह नहीं कहता कि संस्था बंद कर दी जाय, अथवा समाज इसमें चंदा न दे। मैं केवल यही कहना चाहता हूँ कि समाजको अधिकार ही नहीं उसका यह कर्तव्य भी है कि वह देखें कि जो रुपया वह संस्थाको देती है उसका सदुपयोग होता भी है या नहीं। वह पूछ सकती है कि क्यों विद्यालयमें कोई अधिष्ठाता भी नहीं रहता ? क्यों उपाधिष्ठाता भी विद्यालयमें रहकर विद्यार्थियोंकी दशा सुधारनेका प्रयत्न नहीं करता ? क्यों प्रबंधकारिणी सभा व्याक्ति विशेष-के हानिलाभ पर दृष्टि रखकर उचित प्रबंध नहीं करती ? क्यों धार्मिक संस्थामें भी आचरण सुधारनेका प्रयत नहीं होता ? क्यों विद्यार्थियोंको हाथ खर्चके लिए रूपया देकर विलासी और उद्धत बनाया जाता है ? क्यों संचालकगण समाजसे ऐसी ऐसी बातें छपाया

करते हैं ? २५ दिन विद्यालयमें हड़ताल रहे और जैनसमाजके कान तक उसकी भनक भी न पहुँचे, क्या यहीं संचालकोंकी जिम्मेवारी हैं ? क्या किसीको समाजके इतने टब्यके अपव्यय-की कुछ चिन्ता है ?

किन्तु केवल पूछकर भी चुपचाप बैठ जाना ठीक न होगा। यदि उचित प्रबंध न हो सके तो समाजको अपनी ओरसे उचित प्रबंध करना होगा। ऐसा करनेमें किसी व्यक्तिविशेषके हानि लाभका विचार सर्वथा दूर कर देना होगा। जबतक समाज ऐसा करनेके लिए तैयार नहीं होगी तबतक समझना होगा। कि स्वयं समाज भी अपने हानि लाभको नहीं समझती। क्या ऐसे चरित्रके पंडितोंको तैय्यार करा कर समाज अपने पैरमें आप कुल्हाड़ी नहीं मारती ? क्या स्वयं अपनी उन्नातिके पथमें कंटक नहीं सड़े करती?

अंतमें में यह प्रार्थना करता हूँ कि यादि कुछ कठोर शब्दोंका प्रयोग किया गया है तो संचालकगण मुझे क्षमा करें। क्योंकि मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूँ कि जो कुछ लिखा गया है वह केवल समाजका ध्यान आकर्षित करनेके लिए सत्य सत्य लिखा गया है। मेरा किसीसे देख भाव नहीं है। यह हो सकता है कि विद्यालयसंम्बंनधी उपर्युक्त बातें उन्हें या अन्य किसी सज्जनको कुछ बुरी न जान पड़ें, उन्हें विद्यालयमें कोई दोष न दिखाई दे; किन्तु मुझे विश्वास है कि समाज अभी ऐसे मनुष्योंसे सर्वथा ज्ञून्य नहीं हो गया है जो किसी बातपर स्वतंत्रतासे विचार कर सकें । ऐसे महाज्ञायोंको अवश्य मानना पड़ेगा कि ये सब बहुत ही बुरी बातें हैं और मुझे दृढ़ विश्वास है कि वे शींघ्र ही अपना स्वर ऊँचा करके समाजको जगा देंगे और ऐसी बड़ी संस्थाका सुधार करनेको बाध्य करेंगे।

(ले॰, श्रीयुत बाबु पदुमलाल बक्षी बी. ए.,)

हरिनाथ बाबू खूब निपुण डाक्टर थे । अपने व्यवसायमें उन्हें यथेष्ट सफलता हुई थी। लोगोंको उन पर बडा विश्वास होगया था। तो भी लोग उनसे संतुष्ट नहीं थे। कुछ तो उनहें नर-पिशाच तक कहते थे। इसमें संदेह नहीं, हरिनाथ बाबुमें थोडी भी दया नहीं थी। चाहे कोई कैसी भी दशामें हो, विना फीस लिये डाक्टर बाबू जाते नहीं थे। कितने ही असमर्थ गृहस्थ उनके पास गये पर सबको हताश होकर हाँट आना पड़ा । उनसे पहले कोई **मी** दवा नहीं कराता था। पर जब रोग अन्य डाक्टर और वैद्योंके लिए असाध्य हो जाता था तब हताश होकर लोग उन्हें ही बुलवाते थे। हरिनाथ बाबुके हाथमें केस आते ही असाध्य रोग भी साध्य हो जाते थे। इसलिए नर-पि-शाच होकर भी हरिनाथ बाबूको कामका अभाव न था।

एक बार मुझे भी उनके पास जाना पड़ा।

मिनीका ज्वर खूब बढ़ गया था। किसीकी
चिकित्सासे कुछ ठाभ नहीं हुआ। तब हरिनाथ
बाबू आये। न जाने उनमें ऐसी कौनसी शिक्त
थी कि थोड़े ही दिनोंमें मिनी अच्छी होगई।
५००) के नोट लेकर में उनसे अपनी कृतज्ञता
प्रगट करनेके लिए गया। कार्ड भेज देनेपर
हरिनाथ बाबू स्वयं आकर मुझे अपने कमरेमें ले
गये। जब हम लोग बैठ गये तब मैंने ५००) के
नोट निकाल कर कहा, "डाक्टर बाबू, आपने हम
लोगोंको आजीवनके लिये अपने उपकार पाशसे



बद्ध कर लिया है। हम लोग आपको दे क्या सकते हैं। पर हम जन्मभर आपका उपकार मानते रहेंगे। "हिर्नाथ बाबू नोट लेकर कुछ देर चुप रहे। मैंने देखा, उनके नेत्रोंमें ऑसू भर आये थे। मैं सोचने लगा 'आज इस नृशंसमें कोमलता कैसी?" इतनेमें हिर्नाथ-बाबूने कहा:—

" विनोद्बाबू मैंने उपकार नहीं किया है। मैं उपकार करता भी नहीं हूँ। मैंने जो कुछ किया सब इन नोटोंके छिए। आपको आश्वर्य होता होगा। इतनी सम्पत्ति रहने पर भी मैं धनसंचय कर रहा हूँ। मेरी न तो कोई संतान है, न कोई बन्धु बान्धव ही है। मैं अकेळा हूँ। मैं जानता हूँ यह मेरी वृद्धावस्था है। मैं जानता हूँ, मेरी मृत्युकाळ सन्निकट है। धनसे मुझे कुछ ठाम नहीं है। तो भी मैं धनसंचय करूँगा, मृत्यु-काळ तक संचय करता रहूँगा। "

यह कहते कहते हारिनाथ बाबू खड़े हो गये। उनका शरीर काँपने लगा। उनकी यह दशा देख मैं डर गया। उन्हें शान्त करनेके लिए मैं कुछ कहना ही चाहता था कि हरिनाथ बाबू फिर कहने लगे, "विनोद्बाबू गुझे शानित नहीं चाहिए। हृदयकी इस विषमज्वालाको लेकर में हो महाँगा। आज ३५ वर्षसे मैं यह ज्वाला हृदयमें रख रहा हूँ। बाबू मैं जानता हूँ आप लोग मुझे कैसा समझते हैं, पर मैंने जैसा कुछ अनुभव किया उसे में ही जानता हूँ। विनोद बाबू, आज तम्हारी बातोंसे मुझे उस घटनाका स्मरण हो आया है जिसे इस धन-तृष्णाकी प्रबल्जवालामें पडकर मैं भूल जाना चाहता था। मैं तुमसे अपनी जीवन-कथा कह देता हूँ । विनोद बाब, तब तुम जान सकोगे में ऐसा नर-पिशाच क्यों हो गया।

"आज ४५ वर्ष हो गये मैं बी. एस सी-पास कर घर लौटा था । मेरा घर हरिपुरमें था । घरमें विधवा माता और वर्षभरकी बहिन थी। पिताकी मृत्यु बहिनके जन्म होते ही हो गई थी, इस लिए मैंने अपनी बहिनका नाम अभागिनी रक्ला था। पिताकी मृत्यु हो जानेपर हम लोग वर्षभर बड़ी तक्लीफमें रहें। माताके अनुरोधसे मुझे कालेज जाना पड़ा और दासीकी वृत्ति स्वीकार कर माता गाँवमें रही । दो चार लड़-कोंको पढ़ा कर मैं अपना खर्च निकाल लेता था। घरके लिए मैं। जो कुछ बचा करता भेज देता। इस प्रकार एक वर्ष व्यतीत कर में घर हौटा ! उस समय माताकी द्शा देखकर मुझे बडी वेदना हुई। गाँवमें कई लोग ऐसे थे जो यदि चाहते तो हमें सहायता दे सकते थे। पर किसीने कुछ नहीं किया । मेरे आनेपर माताको बड़ी प्रसन्नता हुई थी। मैं भी भविष्य सुखका स्वप्न देखने लगा था। इतनेमें मेरी माताको बुखार आने लगा। वर्षा-काल आ गया था। घर खुब ट्रुट फुट गया था। एक कमरेको छोड दूसरा कमरा भी नहीं था। वह भी ऐसा नहीं था कि उसमें मेरी ज्वरसे पीडित माता रह सके। मैंने पडोसके लोगोंसे एक कमरा देनेके लिए बड़ी प्रार्थना की। पर किसीने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी । उन्हें विश्वास हो गया था कि मेरी माताको प्रेग हो गया है। एक दिन माताकी पीडा खूब बढ गई। मैंने पासके गाँवसे एक डाक्टर बुलानका विचार किया। पर कोई भी जानेके लिए उद्यत नहीं हुआ। मैं स्वयं जानेके छिए प्रस्तृत हुआ, पर माता और अभागिनीको किसके आश्रयमें छोड़ें ? मैंने एकसे कहा, ' भाई घरमें स्थान भलेही मत दो; पर हमारे घर जाकर मेरी माताके पास दो घंटेके लिए बैठे रहो। मैं तब तक डाक्टरको बुल होता हूँ। 'पर वह प्रेमके भयसे नहीं

आया। तब मैं जगदीश्वरका नाम ले अभागिनीको माताकी गोदमें छोड़कर दौड़ता हुआ डाक्टरके यहाँ गया। डाक्टर बाबू घरमें विश्राम कर रहे थे। अपने विश्राममें बाधा होते देख कुद्ध हो छो। उन्होंने चिल्ला कर कहा, 'निकाल बाहर करो।' मैं हताहा होकर लौट आया। घर आने पर देखा कि अभागिनी मृतमाताकी गोदमें सो रही है।"

डाक्टर हरिनाथ मित्र आगे कह नहीं सके, कुछ देरतक चुपचाप बैठे रहे। थोड़ी देरके बाद हृदयके उद्देगको रोक कर फिर कहने लगे— "विनोद बाबू, अधिक क्या कहूँ, किसी प्रकार, माताका अंतिम संस्कार कर में कलकत्ते चला आया । मातृ-पितृ-हीन अभागिनीको हृदयसे लगाकर मैंने कुछ दिनोंतक उसकी ज्वाला शान्त की । हूँद्रने पर मुझे ५०) का एक टच्चूशन भी मिल गया। मैंने डाक्टर होना निश्चय कर कालेजमें नाम लिखा लिया । ५ वर्षके अविराम परिश्रमसे में डाक्टर हुआ । तब तक अभागिनी ६ वर्षकी हो गई । तब मैं कुछ ।निश्चिन्त हो गया।

"मुझे अपने व्यवसायमें सफलता होने लगी। संसारमें कुछ नाम कर जानेकी इच्छासे मैं खूब पिरिश्रम किया करता था। अपने उद्योगमें संलग्न होनेके कारण में कुछ ही दिनोंमें अभागिनीकी ओर कम ध्यान देने लगा। एक दिन मुझे विज्ञान-परिषद्की ओरसे निमंत्रण मिला। मुझे उक्त विद्वन्मण्डलीने क्षयरोग पर व्याख्यान देनेके लिए कहा था। नाम करनेका ऐसा सुअवसर पाकर में खूब आनन्दित हुआ। घर आकर में अपने व्याख्यानका विषय देखनेमें लग गया। देखते देखते मुझे एक नवीन बात सूझी। मैं अपने आविष्कारसे अक्षय्य कीर्ति सम्पादन करनेकी इच्छाके वशीभूत हो उसकी परीक्षा करने लगा। इतनेमें अभागिनीने आकर कहा,

'मैय्या '। मैंने स्ष्ट होकर कहा, 'जा, जा, मैं अभी अपने काममें लगा हूँ। '' भैय्यासे अपमानित होकर अभागिनी अपने कमरेमें चली गई। रात भर मैं अपने आविष्कारमें लगा रहा, मुझे अपनी अभागिनीकी सुधि नहीं थी।

" दुसरे दिन मैं शीघ्र भोजन कर विना अभागिनीको देखे विज्ञानपरिषद्-भवनमें अपने अपूर्व आविष्कार पर व्याख्यान देनेके लिए चला गया। कहना नहीं होगा, मेरे उक्त आवि-क्वारसे सर्वत्र मेरा नाम फैल गया । संसारके प्रतिष्ठित विद्वानोंमें मेरी गणना होने लगी। बडे बढ़े डाक्टरोंने आकर मुझे बधाई दी। अनेक लोगोंसे मुझे निमंत्रण मिला। मैं उल्लास-पूर्ण हृद्यसे घर छोटा । घर आते ही दासीने कहा 'अभागिनीको आज दिनभरसे खूब ज्वर है।' मेरा हृदय काँप उठा। मैं शीघ्रतासे अभागिनी-के कमरेमें आया। उसे सुधि नहीं थी। मैंने तुरन्त ही उसे गोदमें उठा लिया । देखा, उसका सब शरीर ज्वर-तापसे जल रहा था। मैंने विदीर्ण-हृद्यसे पुकारा, ' अभागिनी ! ' अभागिनीने आँख खोल कर कहा, 'भैय्या, पानी।' मैंने तुरन्त ही उसे पानी दिया । पानी पीकर अभा-गिनी कहने लगी, 'भैय्या, मुझे छोड़कर मत जाओ। मुझे डर लगता है। भैंने रोकर कहा ' अभागिनी बहिन, मैं अब तुझे छोडकर कभी नहीं जाऊँगा ।''

"में रातमर अभागिनीकी चिकित्सा करता रहा, पर कुछ लाम नहीं हुआ। उसकी दशा सराब ही होती गई। अन्तमें उषः कालके समय, जब समस्त पृथ्वीमें आलोक फैल रहा था, अभागिनीने मुझे सदाके लिए अन्यकारमें डालकर प्राण त्याग दिये। मैं उसके मृत देहको गोदमें लिये बैठा रह गया। लोक-सेवाका फल मुझे मिल गया।

''विनोद बाबू, अब आपका आधिक समय नहीं हूँगा। अभागिनीकी मृत्यु होने पर मेरे हृदयकी प्रसुप्त ज्वाला जागृत हो उठी। संसार



मुझे नर-पिशाच कहता है, कहे। मुझे लोका-पवादका भय नहीं है। संसारने मुझपर कौनसा उपकार किया है कि मैं उसकी सेवा करूँ ? सच तो यह है कि संसार रणभूमि है। द्या-भिक्षासे प्राणोंकी रक्षा नहीं होती। उसके छिए युद करना पड़ता है। द्या, प्रेम, सहानुभूति, अम-मात्र है। यहाँ केवल कुरता है। यदि जगदीश्वर है तो वह अत्यन्त कूर है। कद्याचित् भगवती जगदम्बाके साम्हने हजारों पशुओंका बलिदान केवल इसी आभिप्रायसे किया जाता है कि निर्वेल और निस्सहायका नाश हो । जिसमें शक्ति नहीं है उसकी स्थितिसे लाभ ही क्या ? इस लिए ही भगवती चिण्डिका पशुओंका रक्त-पान करती है। वह संसार-रणभूमिमें निर्वेठ मनुष्योंका भी संहार करती है । विनोद बाबू, कोई इसे माने चाहे न माने, मैं मानता हूँ।

"मैंने उपकार नहीं किया है। में उपकार नहीं करूँगा। मैंने संसारको खूब देख छिया है; संसारने भी मुझे देख छिया। मुझे न तो अब आशा है, न भय है, न संकोच है। भविष्य अंथकार-पूर्ण है। जो कुछ होगा में सह छूँगा। यदि मुझे नरककी विषम यंत्रणा सहनी पहे, तो मैं उसके छिए प्रस्तुत हूँ।

"पर मुझे धनकी तृष्णा नहीं है। लोग सम-झते हैं मेरे पास अतुल सम्पत्ति है। पर सब भूल-में हैं। मैं धनकी लालसा नहीं रखता। मैं किसीको कुछ नहीं देता। पर जो कुछ पाता हूँ नष्ट कर डालता हूँ।"

डाक्टर बाबू फिर कुछ न बोले । मेरी ओर स्थिर-दृष्टिसे देखने लगे । इतनेमें टन टन कर आठ बज गये । में घर जानेके लिए उनसे बिदा माँगने लगा । हारिनाथ बाबूने मुझसे हाथ मिला कर कहा, 'जाइए । में अब इन नोटोंसे यज्ञ करूँगा। ं में घर लौट आया।

अमावस्याकी रात्रि थी। सर्वत्र अंधकार था। मैंने खिड़की खोलकर देखा कि अन्धकारमें पड़कर खंबोत अपनी अल्प ज्योतिको व्यर्थ नष्ट कर रहा है।

(कलकत्ता हाईकोटेंक भूतपूर्व जज सर गुरुदास बनर्जीके बंगला-लेलका अनुवाद ।)

दोमेंसे एक के मर जाने पर, विवाहबन्धनका तोड़ देना उचित है या नहीं, यह विवाह-सम्बन्बी अन्तिम प्रश्न है । मृत्यु हो जानेपर विवाहबन्धन दूर जाता है, यह बात प्रायः सर्वत्र ही मानी जाती है; केवर यूरोपका पोजिटिविस्ट सम्प्रदाय * और हिन्दू शास्त्र इसे नहीं मानते। यग्रपि हिन्दू शास्त्रोंके अनुसार पुरुष एक स्त्रीके मर जानेपर अन्य स्त्री ग्रहण कर सकता है; परन्त इससे यह नहीं समझा जाता कि उसका पहली स्त्रीके साथ सम्बन्ध टूर गया । क्योंकि पहली स्त्रीके रहने पर भी हिन्दू पति दूसरी स्त्री ग्रहण कर सकता है। परन्तु पुरुत्रोंके लिए एकसे अधिक विवाह करना, निषिद्ध न होनेपर भी हिन्द्र शास्त्रोंमें समाहत नहीं है-वह आदरकी दृष्टिसं नहीं देखा जाता × । आगस्ट कोम्टीका यह मत बहुत ही अच्छा है और विवाहके उच्च आदर्शका अनुयायी है कि ' खीके लिए जिस तरह पतिके वियोग होने पर दूसरा पति ग्रहण करना अनुचित है, पतिके लिए भी उसी तरह स्त्रीवियोग होनेपर अन्य स्त्री ग्रहण करना अन-चित है 🗁 परन्तु यह आशा अब भी नहीं की जाती कि इस आदर्शके अनुसार सर्व साधारण चल सकेंगे। प्रायः सभी देशोंमें इसके विपरीत रीति प्रचितित है और हिन्द्समाजमें यह उचाद्-र्शकी प्रथा जो थोड़ी बहुत प्रचालित भी है वह स्त्रीकी अपेक्षा पुरुषके लिए बहुत अनुकूल है। अतः पक्ष-

^{*} कोम्टके 'सिस्टम आफ पाजिटिन पालिटी 'के दूसरे वोल्यूमका अध्याय तीनरा और पृष्ठ १५७ देखो । + मनु, अध्याय ३ श्लोक १२-१३ ।


पातपूर्ण होनेके कारण अन्य समाजके लोगोंकी दृष्टिमें और हिन्द्समाजसुधारकोंकी दृष्टिमें यह बुरा और अन्यायपूर्ण समझी जाती है।

परन्तु यह बात ध्यानमें रखना चाहिए कि यदि देशके आधे छोग (स्त्रियाँ) किसी उच्चा-दर्शानुयायी प्रथाका पालन करते हों और दूसरे आधे (पुरुष) उसका पालन न करते हों, तो इसमें उन लोगोंका (पुरुषोंका) दोष है-इससे वे लोग ही निन्दनीय समझे जायँगे-वह प्रथा निन्दित नहीं हो सकती । जब चिरवैधव्य-पालन उच आदर्शकी प्रथा है तब केवल इसी लिए कि पुरुष पत्नीवियोग हो जाने पर अन्य स्त्री ग्रहण कर लेते हैं, उसे मिटा डालना अच्छा नहीं हो सकता-कर्तव्य नहीं बन सकता। बल्कि जिस उपायसे पुरुष भी उच्चादर्शके अनु यायी बन जावें, वही उपाय करना, समाज.. सधारकोंका कर्तव्य है । अतएव मूल प्रश्न यह है कि-पुरुष कुछ भी करते हों, इससे मत-लब नहीं-स्थियोंका चिखेयव्य पालन जीवनका उचादर्श है या नहीं । इस प्रश्नका वास्तविक उत्तर पानेके लिए हमें विवाहके उद्देश्यकी ओर टाष्ट डालनी होगी।

अवस्य ही संयत भावसे इन्द्रियतृतिसाधन, सन्तानोत्पादन और सन्तानपाठन यह विवाह-का सबसे पहला उद्देश्य हैं; परन्तु विवाहका केवल यही एक और सबसे श्रेष्ठ उद्देश नहीं है। विवाहका द्वितीय और श्रेष्ठ उद्देश है दाम्पत्यप्रेम (पित-परनी-प्रेम) और सन्तानस्नेहसे धीरे धीरे चित्तकी सत्प्रवृत्तियोंका विकाश होते जाना और उनके द्वारा स्वार्थपरताका नाश, परार्थ-परताकी वृद्धि तथा आध्यात्मिक उन्नतिका प्राप्त होना । यदि पहला उद्देश्य ही विवाहका एक मात्र उद्देश्य होता तो सन्तान उत्पन्न हो जानेक पहले पितिवियोग हो जाने पर दूसरे पातिके ग्रहण करनेमें कोई दोष नहीं था, और सन्तान उत्पन्न होनेपर दूसरा पित ग्रहण करनेमें उस सन्तानके पालनमें विद्य पड़ता, अतः उस दशामें चिरवैधन्य केवल उचादर्श ही क्यों प्रयो-जनीय होता । किन्तु विवाहके दूसरे उद्देश्यकी ओर दृष्टि रखनेसे इस विषयमें कोई सन्देह नहीं रहता कि चिरवैधन्यपालन ही उचादर्श है।

जो पतिप्रेमका विकाश धीरे धीरे पत्नीकी स्वार्थपरताको नाज्ञ करनेका और आध्यात्मिक उन्नति करनेका हेतु होगा, वहीं यदि पतिके अभावमें लुप्त हो जाय और पत्नी अपने सुखके लिए उसे अन्य पतिमें न्यस्त कर दे, तो बतला-इए इसमें स्वार्थपरताका नाहा क्या हुआ ? इसके उत्तरमें कभी कभी विधवाविवाहके अनुयायियों द्वारा यह कहा जाता है कि " जो लोग विधवा-विवाहका निषेध करते हैं वे विवाहको केवल इन्द्रियतृप्तिके लिए ही आवश्यक समझते हैं और विवाहका उचादर्श भूल जाते हैं। वास्तवमें विधवाका विवाह करना इसलिए कर्तव्य है कि वह केवल इन्द्रियतृप्तिका कारण नहीं है, किन्त पतिप्रेम सन्तानस्नेहादि समस्त उच्चवृत्तियोंको विकसित करता है। " परन्तु सुधारकोंकी यह बात कुछ विचित्र मालूम होती है। देखना चाहिए, यह कथन कहाँतक ठीक उतरता है कि विधवाविवाहका निषेध विधवाकी आध्यात्मिक उन्नतिके लिए बाधाजनक है और विधवा-विवाहका विधान उस आध्यात्मिक उन्नतिके साध-नका उपाय है।

पतिप्रेम एक ही साथ सुसका आकर और स्वार्थपरताके नाशका उपाय है। यदि वह केवल सुसका आकर माना जायमा, अर्थात् ऐहिक भावसे ही अधिक आदृत होगा, तो उसके द्वारा स्वार्थपरताके नाशकी अर्थात् आध्यात्मिक भावके विकाशकी संभावना बहुत ही कम रहागी।



यदि विधवा आध्यात्मिक भावसे पातिप्रेमका अनुशीलन करना चाहती है तो उसके लिए दसरा पति ग्रहण करना निष्प्रयोजन है, साथ ही बाधाजनक भी है। क्योंकि उसने पहला पति प्राप्त करनेके समय, उसीको पतिप्रेमका पूर्ण आधार माना है और उसे ही आत्मसमर्पण किया है। अतएव उसकी मृत्युके पश्चात् उसे अपने हृद्यमें धारणकीहुई उसकी मूर्तिको जीवित रखना चाहिए और उसीके प्रांत अविचल प्रेम रखना चाहिए; बस यही उसके लिए नि:-स्वार्थ प्रेम और आध्यात्मिक उन्नातिका साधन है। अवस्य ही वह उस प्रेमका प्रतिदान या बदला नहीं षायगी:परन्तु उचाद्र्शका प्रेम बदला नहीं चाहता। यदि वह (विधवा) दूसरा पति ग्रहण कर हेगी, तो पातिप्रेमानुशीलन नहीं कर सकेगी-उसके पातिप्रेममें बड़ी भारी बाधा आ पड़ेगी। उसने जिस पहले पतिको पतिप्रेमका पूर्ण आधार मानकर आत्मसमर्पण किया था उसे उसको मुल जाना होगा, अपने हृदयमें अंकित की पोंछ देना होगा और जो हई मुर्तिको प्रेम अर्पण किया था उसे वापस लेकर दूसरे पात्रमें अर्पण करना पड़ेगा । ये सब कार्य ऐसे हैं जो आध्यात्मिक उन्नातिके मार्गमें बडी भारी बाधा ढालते हैं और इस कारण उसके साधक कभी नहीं हो सकते। यह ठीक है कि मृत पातिकी मुर्तिका ध्यान करते रहना और उसके प्राति प्रेम और मक्ति अचल रखना बहुत ही काउन कार्य है; परन्तु वह सर्वथा असाध्य और असुख-कर नहीं है । हिन्दूविधवाओं के पवित्र जीवनमें इसके अनेक प्रमाण मिल सकते हैं । हम यह नहीं कहते कि सब ही स्त्रियाँ ।चिरवेधव्य पालन करनेमें समर्थ हैं। जो असमर्थ हैं-रँडापा नहीं काट सकती हैं, उनके लिए हृदय अवश्य ही व्यथित होता है और यदि वे दूसरा पति ग्रहण

कर लेती हैं तो उन्हें 'मानवी' ही कहना चाहिए; परन्तु जो पवित्र भावसे चिरवैधव्य-पालनमें समर्थ हैं उन्हें 'देवी' कहना चाहिए और उनके जीवनको ही विधवाजीवनका उच्चा-दर्श मानना चाहिए।

बहुत लोग ऐसे भी हैं जो यह स्वीकार करते हैं कि चिरवेधव्यपालन उच्च आदर्श हैं; परन्तु कहते हैं कि यह उच्चाद्श सर्वसाधारणके लिए अनुसरण योग्य नहीं हैं; इसलिए सर्व साधा-रणके लिए विधवाविवाहका प्रचार होना उचित है । इस विषयमें जो युक्तियाँ दी जाती हैं यहाँ उनके विषयमें, आइए, थोड़ासा विचार कर लें।

उक्त युक्तियोंकी आलोचना करनेके पहलेहम इसी बिषयकी कुछ बातोंका खुळासा कर देना चाहते हैं। विधवाविवाहके सम्बन्धमें अभीतक जो कुछ कहा गया है वह हिन्दूशास्त्रोंका नहीं, किन्त सामान्य युक्तियोंका कथन है, और आगे भी हम जो कुछ आलोचना करेंगे वह सब युक्ति-मूलक होगी, हिन्दूशास्त्रमूलक नहीं । अतएव यहाँ यह प्रश्न नहीं है कि विधवाविवाह कभी-किसी अवस्थामें भी-होना चाहिए या नहीं। प्रश्न है उचादर्शके सम्बन्धमें । चिरवेधव्य उच्चा-दर्श होने पर भी यह नहीं समझा जाता कि उस आदर्शके अनुसार सब ही चल सकते हैं। यह अवस्य स्वीकार करना पडेगा कि दुर्वलदेहधारिणी मानवी स्त्रीके लिए प्रथम अवस्थामें वैधव्य बहुत ही कष्टकर है। वह कष्ट कभी कभी-जैसे कि बालबैधव्यके समय-बहुत ही मर्भविदारक होता है और विध-वाके कष्टमें सबका ही हृदय व्यथित होता है । जो विधवायें आध्यात्मिक बलसे उस कष्टकी धीरतासे सहन करके धर्मत्रतमें जीवन उत्सर्ग कर सकती हैं उनका कार्य अवस्य ही प्रशंसनीय है; पर जो ऐसा नहीं कर सकती हैं-असमर्थ हैं, उनका कार्य प्रशंसनीय नहीं है; परन्त साथ ही उस कार्य-

्की निन्दा करना भी उचित नहीं है। क्योंकि मनुष्य अवस्थाके अधीन है, उसके दोष गुण संसर्गसे उत्पन्न होते हैं। पितामाताके द्वारा जिस प्रकारके मन और शरीरकी प्राप्ति उसे होती है, और शिक्षा दृष्टान्त और आहार व्यवहारके द्वारा उसका वह मन और शरीर जिस प्रकारसे गठित होता है, उसीके ऊपर उसका कार्य अकार्य अवल-म्बित रहता है। अतएव यदि कोई । चिरवैधव्य पालन करनेके लिए असमर्थ होती है तो उसकी उस असमर्थताका दायित्व (जिम्मेवारी) केवल उसी पर नहीं है; वह दायित्व उसके माता पिता पर, शिक्षादाता पर और समाज पर भी जाता है। अतः यदि वह चाहे तो अवश्य ही विवाह कर सकती है। इसमें किसीको भी बाधा डालनेका अधिकार नहीं है और वह विवाह, हिन्दुशास्त्र चाहे जो कहें, सन् १८५६ के १५ वें आईनके अनुसार जायज है । अतएव आवश्यकता होने पर-प्रयोजन होनेपर-विधवाविवाह होना उाचित है या नहीं, यह प्रश्न, अन्य समाजोंकी तो बात ही क्या, हिन्द्समाजमें भी अब उठ नहीं सकता। इस समय प्रश्न यह है कि विधवा-विवाहका प्रचालित प्रथा हो जाना और चिर वैधव्यपालनको उच्चादर्श होनेपर प्रथाका व्यतिक्रमं (अपवाद) बनाकर रखना उचित है, अथवा चिर वैधव्यपालनका ही प्रच-िखत प्रथा होना और विधवाविवाहका उसके व्यतिकम स्वरूपमें रहना उचित है ? बस इसी प्रश्न पर यहाँ विचार होना है।

इस समय जिन सब देशों में विधवाविवाहकी प्रथा प्रचालित है यह संभव नहीं कि वहाँसे वह कभी उठ जायगी। सुप्रसिद्ध पाश्चात्य पाण्डित कोमटी बहुत दिन पहले चिर वैधव्यका श्रेष्ठत्व प्रतिपादन कर गये हैं; परन्तु हम देसते हैं कि उनके कथनसे पाश्चात्य प्रथामें कोई पारिवर्तन

नहीं हुआ । तब इस समय पाश्चात्य देशोंकी स्त्रियाँ अपनी स्वाधीनता स्थापित करनेके लिए जिस प्रकार दृढवता और किटबद्धा हुई हैं, उससे जान पड़ता है कि धीरे धीरे, विधवा क्यों कुमारियाँ भी, विवाहबन्धनमें बँधनेके लिए अनिच्छुक होंगीं और यदि ऐसा हुआ तो शायद उनके उस दृढन्वतका यह भी एक फल हो कि पाश्चात्य देशोंमें भी पवित्र चिरवैधव्यका उच्चादर्श स्थापित हो जाय। किन्तु ये सब बहुत दूरकी बातें हैं। इस समय समीपकी बात यह है कि हिन्दूसमा-जमें जो चिरवैधव्यकी प्रथा प्रचलित है उसे उठा देना उचित है या नहीं?

इस प्रथाके विरुद्धमें जो सब बातें कही जाती हैं उनमेंसे पहली यह है कि इस प्रथाका फल स्त्री और पुरुषोंके लिए बहुत ही असमान है। इस बातका उल्लेख और कुछ आलोचना पहले हो चुकी है। पुरुष स्त्रीवियोगके बाद फिर विवाह कर लेते हैं: इसी लिए स्त्रियोंको भी पतिवियोगके बाद फिर दूसरा पति ग्रहण करलेना चाहिए, यह बडी ही असंगत प्रतिहिंसा (बद्हा) है। प्रकृतिके नियमानु-सार पुरुष और स्त्रीके अधिकारमें सदा ही विषमता रहेगी । यह आनेवार्य है । प्रक्रतिने स्वयं ही सन्तानोत्पादन और सन्तानपालनका भार पुरुषकी अपेक्षा स्त्री पर अधिक डाला है। अण (बालक) का निवास माताके गर्भमें और शिशका आहार माताके वक्षमें रक्खा गया है। यदि स्त्री गर्भवती है या उसका बचा शिश है. तो ऐसी अवस्थामें उसे पतिवियोग होने पर दूसरे पतिको ग्रहण करनेमें अवश्य ही विलम्ब करना पढ़ेगा । इसके बाद इन सब शारीरिक बातोंको छोड़कर यदि हम मन और आत्माकी ओर ध्यान देंगे तो मालूम होगा कि स्त्री पुरुषें में अधिकारकी विषमता अवस्य ही रहेगी और यह बात हम पुरुषोंका पक्ष लेकर नहीं किन्तु

स्त्रियोंका पक्ष लेकर कह रहे हैं।पुरुषोंको इच्छा-पूर्वक या इच्छा न रहने पर भी, जीवननिर्वाह-के लिए समय समय पर कठोर और निष्ठुर काम करने पड़ते हैं आरे इस लिए उनका हृद्य तथा मन निष्ठुर हो जाता है, जिससे कि उनके आत्मोका पूर्ण विकाश होनेमें बाधा पडती है। पर स्त्रियोंको ऐसे काम नहीं करने पड़ते। इस लिए उनके हृदय और मन कोमल रहते हैं। इसके सिवाय स्वभावसे (शायद सृष्टिरक्षाके ार्छए) उनकी माति स्थितिशील और निवृत्ति-मार्गम्खी होती है और उनकी सहिष्ण्ता, स्वार्थत्याम करनेकी जाक्ति और परार्थपरता या परोपकारवृत्ति पुरुषोंकी अपेक्षा बहुत अधिक होती है। ऐसी दशामें उनके छिए स्वार्थत्यागके नियम यदि परुषसम्बधी नियमोंकी अपेक्षा काठिनतर हों तो समझना चाहिए।के वे उनके पाल-नेमें समर्थ हैं, इसी लिए वैसे बनाये गये हैं और यह ानियमोंकी विषमता उनके गौरवकी ही चीज है लाघवकी नहीं। इसी लिए हमने यहाँ पर उन-की प्रतिहिंसाको असंगत कहा है । और जो लोग उन्हें इस असंगत प्रातीहिंसाके लिए उत्ते-जित करते हैं, उन्हें उनके वास्तविक हितेषी माननेमें हमें संकोच होता है।

दूसरी बात यह कही जाती है कि यह आतिशय निर्दय प्रथा, विधवाओं की दु:सह वेधवय-यंत्रणाके प्रति आँख उठाकर भी नहीं देखती । यदि विधवाओं की शारिरिक अवस्थाके प्रति दृष्टि दी जाय तो यह अवश्य स्वीकार करना होगा कि यह आपात्ति बहुत ही प्रवल है। ऐसे द्याहीन हृदय बहुत ही थोड़े होंगे, जो विधवाओं के देहिक दु:समें दुसी न हों। परन्तु हमें यह न भूल जाना चाहिए कि मनुष्य केवल देही ' नहीं है, उसके मन और आत्मा देहकी अपेक्षा आधिक मृत्यवान और अधिक

प्रबल हैं। यह सच है कि देहरक्षाके लिए कितनी ही आवश्यकताओंकी पुर्ति अवस्य करनी चाहिए; परन्तु मन और आत्माके ऊपर देहका स्वामित्व रखनेकी अपेक्षा, देह पर मन और आत्माका स्वामित्व रखना अधिक वाञ्छ-नीय है और यदि देहका किञ्चित कष्ट स्वीकार करनेसे मन और आत्माकी उन्नति होती हो, तो उस कष्टको कष्ट ही न गिनना चाहिए। पशुओंसे मनुष्यजाति इसी कारण तो श्रेष्ट और कमोन्नतिप्राप्त कहलाती है कि मन्ष्य देहका कष्ट स्वीकार करके बुद्धिके द्वारा प्रवृत्तियोंपर शासन करता है और भावी अधिक सुखके उद्देश्यसे वर्तमान अल्पस्यके लोभको रोक करके रखता है। पशु जब है तब अपने परायेका विचार न करके अपने सामने जिस खाद्य पदार्थको पाता है उसीको खा जाता है । असभ्य और बर्बर मनुष्य भी जरूरत होने पर अपने परायेका विचार न करके जिस किसी जरूरी चीजको पाता है. ग्रहण कर लेता है; परन्तु सभ्य मन्ष्य चाहे जितनी जरूरत क्यों न हो, दूसरेकी चीजको नहीं लेता। इसी प्रकार विधवायें यदि कुछ दैहिक कष्ट स्वीकार करके, ।चिरवैधव्यवत-पाल-नेके द्वारा आत्मोन्नति करने और परहितसाधन करनेमें समर्थ हो सकती हैं तो उनके उस कएको कष्ट ही नं समझना चाहिए और इसलिए जो लोग उन्हें उस कष्टके स्वीकार करनेका उपदेश देते हैं वे उनके मित्र ही हैं-शत्रु नहीं ! चिरवैधव्यवतका पालन करनेके लिए विधवा-ओंको और और सत्कर्मोंके समान निमित्त, संयम और शिक्षाकी विशेष आवश्यकता है। विधवाका आहार व्यवहार संयत और ब्रह्मचर्यो-पयोगी होना चाहिए। यदि शारीरिक वृत्तियोंको उत्तेजित करनेवाले पुष्ट आहार और मानसिक

वात्तियोंको जगानेवाले वस्त्र आभूषण विलास-विभ्रमादि व्यवहार त्याग न किये जायँगे, तो चिरवैधव्य पालन नहीं हो सकेगा । इसी लिए विधवाओं के हेत ब्रह्मचर्यकी व्यवस्था की गई है। ब्रह्मचर्यका पालन करनेमें यह ठीक है कि थोड़ेसे इन्द्रियत्प्तिकारक आहारविहारादि दैहिक सुख-भागोंका त्याग करना पडता है: परन्तु इसके बदले नीरोग, सुस्थ, सबल शरीर और तज्जनित मानिसक स्फूर्ति और सहिष्णुता, और इनके फलस्वरूप विशुद्ध स्थायी सुसकी प्राप्ति होती है। इसिलए ब्रह्मचर्य ऊपरसे कठोर जान पढ़-नेपर भी सच्चे स्थायी सुसका आकर है। जो अदुरदर्शी हैं, अज्ञानी हैं वे ब्रह्मचर्यकी निन्दा करते हैं। इस अदुरद्शिता और अज्ञानताके कारण ही भारत व्यवस्थापक सभाके एक सभ्यने विधवाविवाहके कानून बननेके समय हिन्दू विधवाके ब्रह्मचर्यको भयावह बतलाया था।

चिरवैधव्यवतसम्बन्धी एक कठिनाई और है। विधवा कन्या या पुत्रवधूको ब्रह्मचर्य पालन करानके लिए उसके माता-पिताया सास ससुरको भी आहार-व्यवहारमें उसीके समान ब्रह्मचर्य पालन करना पडता है। उनके लिए यद्यपि यह असुसकर है, तो भी परिणाममें शुभकर है और इसे हम उस कन्या या पत्रवधके चिरवैधव्य-पाठनजनित पुण्यका फल कह सकते हैं। ब्रह्मचर्यपालनमें दीक्षित होकर विधवायें अपने सुस्थ सबल शरीरसे अनेक सत्कर्म कर सकती हैं-जसे, परिजनोंकी शुश्रुषा, परिवारके बालबचोंका लालनपालन और रोगियोंकी सेवा, धर्मचर्चा, स्वयं शिक्षा प्राप्त करना और परिवारकी स्त्रियों-को शिक्षा देना, इत्यादि । इस तरहसे तीव किन्तु दु:खामिश्रित ऐहिक सुखमें न सही, पर प्रशान्त निर्मल आध्यात्मिक सुखमें विधवाओंका परोपकारमें लगा हुआ जीवन कट जाता है। पाठक इसे कोई काल्पनिक चित्र नहीं समझें । इस शान्तिमय ज्योतिर्मय पवित्र चित्रने इस समय भी भारतके अनेक गृहोंमें उजेला कर रक्ता है। हमारी अयोग्य लेसनी उसका प्रकृत सौन्दर्य अंकित करनेमें असमर्थ है। अतएव जिस प्रथाका फल विधवाओंके लिए और उनके परिवारके लिए, परिणाममें इतना शुभकर है उसकी ऊपरी कठोरता देसकर उसे निर्दय कहना कदापि उचित नहीं है।

चिरवैधन्य प्रथाके विरुद्ध तीसरी बात यह कही जाती है कि इस प्रथासे गुप्त न्याभिचार, भूण-हत्या आदि अनेक कुफल फलते हैं; परन्तु यह अवश्य मानना होगा कि उनकी संख्या बहुत थोड़ी होती है। अतः कहीं कहीं ऐसा हो जाता है, केवल इसीसे यह प्रथा निन्दनीय नहीं होसकती। विधवाओं में ही क्यों सधवाओं में भी क्या न्य-मिचार नहीं होता है १ परन्तु अब इस विषयमें अधिक कहनेकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों कि विधवाका विवाह अब कानूनसे जायज ठहर गया है, इस लिए जो चिरवैधन्य पालनमें असमर्थ हैं वे इच्छा होते ही विवाह कर सकती हैं। उनके लिए इस प्रथाके परिवर्तन करनेकी तो कोई अवश्यकता नहीं दीखती।

चिरवैधन्य प्रथाके विरुद्ध चौथी और सबसें विछली बात यह कही जाती है कि यह प्रथा जबतक प्रचलित रहेगी, तबतक विधवायें इच्छानुसार विवाह करनेका और उनके मातापिता इच्छानुसार उनको न्याह देनेका साहस नहीं कर सकेंगे। कारण, प्रचलित प्रथाके विरुद्ध काम करनेके लिए सभी संकोच करते हैं और ऐसा काम जनसाधारणकी दृष्टिमें अतिहाय निन्दित और तिरस्कृत समझा जाता है। अतएव समाजसुधारकोंका यह कर्तन्य होना चाहिए कि वे इस विषयमें आन्दोलन करें जिससे कि लोगोंके विचार बदल जायँ और यह प्रथा उठ जाय।



जान पड़ता है इसी लिए, विधवाविवाह कानूनसे जायज हो गया है तो भी, और इसे रोक-नेका किसीको कोई अधिकार नहीं है तो भी, विधवाविवाहके पक्षपाती चिरवैधव्य प्रथाको उठानेके अर्थ इतने यत्नशील हो रहे हैं। यद्यपि वे अथवा उनमेंसे बहुतसे लोग यह स्वीकार करते हैं कि अपनी इच्छासे प्रेरित होकर चिरवैधव्य पालन उचादर्श है, तथापि वे चाहते हैं कि यह उचाद्रीपालन, प्रथा न होकर प्रथाके व्यातिकम स्वरूपमें या अपवाद रूपमें रहे और विधवाविवाह ही प्रचलित प्रथा बन जाय । परन्तु यह बात हमारी समझमें नहीं आती कि जब इच्छा होते ही विधवाओंका विवाह बेरोकटोक हो सकता है, नब वे जिसे उच्चादर्शानयायी प्रथा मानते हैं उसे उठा देकर विधवाविवाहकी प्रथा क्यों प्रचितत करना चाहते हैं। यह कैसी विचित्र बात है कि इधर तो वे चिरकौमार वतकी प्रशंसा करते हैं और उधर चिरवैधव्य प्रथाको उठा देनेके लिए कटिबद्ध हो रहे हैं। यदि यह प्रथा इस विषयमें बाधक होती कि कोई विधवा प्रयोजन होने पर या इच्छा होनेपर भी विवाह नहीं कर सकती, तो इसे उठा देनेकी चेष्टा करना ठीक भी होता। पर इस समय समाजबन्धन इतने शिथिल हैं और समाजकी राक्ति इतनी थोड़ी है कि समाजकी कोई भी प्रथा किसीकी भी इच्छाको रोक नहीं सकती। तब यह अवश्य स्वीकार करना होगा कि यद्यपि उक्त प्रथा विधवाकी विवाहेच्छा होनेपर उसमें बाधा नहीं डाल सकती है, किन्तु उस इच्छाकी उत्पत्तिको अवश्य रोकती है और यही कारण है जो आज विधवाविवाहके कानूनको बने हुए आधी सदीसे अधिक समय बीत गया है, तो भी अब तक हिन्द्र विधवाओंकी विवाहसम्बन्धी अनिच्छा साधारणतः पहलेके ही समान बनी हुई है-उसमें परिवर्तन नहीं हुआ है। इससे तो

यह जान पडा कि हिन्दू विधवाओंकी विवाह-विषयक अनिच्छाको दूर करके उसके स्थानमें इच्छा या प्रवृत्तिको जन्म देना ही समाजसुधार-कोंका उद्देश्य है। परन्तु इस उद्देश्यके साधनका फल भी तो बतलाना चाहिए कि क्या होगा। इससे विधवाओंको थोड़ासा क्षणभंगुर ऐहिक सुख अवश्य प्राप्त हो सकेगा: परन्तु उसके द्वारा न तो उन्हें कोई स्थायी सुख मिलेगा और न समाजका कोई विशेष कल्याण होगा। इसके विरुद्ध, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, चिर-वैधव्यसे उनको स्थायी निर्मल सुख मिलता है और समाजका बहुत कुछ कल्याण होता है। यह समझना कठिन है कि जब हम आत्मसंयम, स्वार्थत्याग, परार्थपरायणता आदि उच गुणोंके विकाशको और और विषयोंमें मनुष्यकी कमो-**न्नातिका लक्षण मानते** हैं, तब विधवाविवा**ह**के विषयमें उससे उलटी प्रणालीका अवलम्बन क्यों करना चाहते हैं। अर्थात विवाह नहीं करके यदि विधवायें आत्मसंयम करती हैं तो इसे हम मनुष्यकी कमोन्नतिका लक्षण क्यों नहीं मानते, बुरा क्यों समझते हैं।

लोगोंका शायद यह स्वयाल होगा कि पाश्चात्य देशोंमें विधवाविवाहकी प्रथा प्रचालित है और उन्हीं सब देशोंकी साम्पात्तिक उन्नित बहुत अधिक हो गई है, अत्रप्व इस देशमें भी इस प्रथाके प्रचलित होनेसे उसी प्रकारकी उन्नित हो जायगी। किन्तु इस बातमें कोई तथ्य नहीं है, कोई युक्ति नहीं है। बाल्यविवाहके साथ देशकी अवनातिका कार्य-कारण-सम्बन्ध तो हो भी सकता है, किन्तु चिरवेधव्यपालनके साथ इसका क्या सम्बन्ध है, यह समझमें नहीं आता। यदि यह बात ठीक होती कि हमारे समाजमें स्त्रियोंकी अपेक्षा पुरुषोंकी संख्या आधिक है, और विधवाविवाह प्रचलित न होगा तो बहुतसे पुरुषोंको आविवाहित रहना पड़ेगा और इससे

देशकी जनसंख्याका ह्रास होगा तो अवस्य ही देशकी अवनतिसे इसका कोई सम्बन्ध है, यह बात मान ली जाती। किन्तु वास्तवमें स्त्रियोंकी अपेक्षा पुरुषोंकी संख्या कम है, अतएव विधवानिवाह प्रचालित होनेसे सभी कुमारियोंको पति नहीं मिल सकेंगे, बहुतोंको आजनम कुमारी रहना पड़ेगा। ऐसी दशामें जब तक यह नमान लिया जाय कि पाश्चात्य देशोंकी सभी रीति-नीतियाँ अनुकरणीय हैं तबतक विधवाविषाह प्रचालित करनेकी चेष्टा निष्कारण है।

शीतोष्णमय जडजगतमें वही शरीर, ' कहलाता है जो बिना कष्टके गर्मी सर्दी-को सहन कर सकता है और रोगी नहीं होता। इसी तरह सुखदु:खमय संसारमें वही सबलमना कहा जाता है जो समभावसे सुखदु:ख भोग सकता हैं; दु:समें जो व्याकुल नहीं होता है और सुसमें विगतस्पृह (इच्छारहित) रहता है। निरवच्छिन्न (अखण्ड) सुख किसीको प्राप्त नहीं है, दु:खका भाग सभीके हिस्सेमें आता है; ऐसी दुशामें वही शिक्षा शिक्षा कही जा सकती है जिसके द्वारा शरीर और मनका ऐसा गठन हो जाय कि दु: खका बोझा उठानेमें कुछ भी कष्ट न हो । सुखाभिलाषा होने पर उसी सुसकी कामना करनी चाहिए जिसका कभी ह्रास न हो और जिसमें दु:खकी कालिमा न मिली हो। एक पतिके मर जानेपर दूसरा पति तो मिल सकता है, परन्तु यदि कोई पुत्र भर गया, तो वह कहाँसे आवेगा ? उसके अभावकी पूर्ति कैसे होगी? जिस मार्ग पर चलनेसे सारे अभावोंकी पूर्ति हो जाती है. अर्थात् अभावका अभावरूपमें बोध नहीं होता है, वही निवृत्तिमुखमार्ग, प्रेय (प्रिय) न होनेपर भी, श्रेय (कल्याणकारी) है। उसी मार्गपर जो चलते हैं वे वास्तवमें स्वयं भी सुसी होते हैं और अपने उज्ज्वल दृष्टांत द्वारा औरोंके दुर्खोंका भार भी, सर्वथा नहीं तो बहुत कुछ, हल्का कर देते हैं । हिन्दूविधवायें अपने शरीर और मनको ब्रह्मचर्य और संयमके द्वारा संशोधित करके उसी

निवृत्तिमार्गका अनुसरण करती हैं। उस सुपथसे लौटाकर उन्हें विपथगामी बनानेकी चेष्टा करना, न तो उनके लिए हितकर है और न साधारण समाजके लिए। इसमें सन्देह नहीं कि हिन्दू विधवाओं के दु:सह कष्टोंका विचार करनेसे हद-यमें अतिशय वेदना होती है; किन्तु उनकी लोकोत्तर कष्टसहिष्णुता और उनके असाधारण स्वार्थत्यागके प्रति दृष्टि डालनेसे मन एक ही साथ विस्मय और भक्तिसे भर जाता है । हिन्दू विधवार्थे ही संसारमें पतिप्रेमकी पराकाष्टा दिखा-ती हैं। उनकी उज्ज्वल मूर्तियोंने इस समय नाना दुःखरूपी अन्धकारसे भरे हए हिन्दु-प्रकाशित कर रक्खा उनके प्रकाशमान् दृष्टान्त हिन्दूनरनारियोंकी जीवनयात्राके पथप्रदर्शक बन रहे हैं। उनका पवित्र जीवन पृथिवीका एक दुर्लभ पदार्थ है । हिन्दु विधवाओंकी चिरवैधव्य प्रथा हिन्दू समाजका देवीमन्दिर है। हिन्दू समाजमें सुधार-के अनेक स्थान हैं और सुधारकोंके लिए काम की कमी नहीं है; न जाने कितने स्थानेंको वर्तमान काल और अवस्थाके अनुकूल उपयोगी बनाना है; इस लिए उनसे हमारी बहुत ही विनयके साथ प्रार्थना है कि वे विलासभवन बनानेके लिए उक्त देवीमान्दिरको तोड फोड हालनेकी कृपा न करें।

इस लेखसे कोई सज्जन हमें समाजसुधारका विरोधी न समझ लें । हम वास्तविक सुधारको बुरा नहीं समझते । हम जानते हैं कि समाज परिवर्तनशील हैं, किसी समय भी वह स्थिर नहीं रह सकता । हमारा विश्वास है कि जगत् निरन्तर गतिशील है और वह गति, बीच बीचमें व्यतिक्रम होते रहने पर भी, परिणाममें उन्नति-मुसी है । हम चाहते हैं कि समाजसुधार या संस्कारका लक्ष्य वास्तविक उन्नाति अर्थात् आध्या-त्मिक उन्नतिकी ओर बराबर बना रहे और इसी लिए किसीको भलीं लगें या बुरीं, हमने समाजसुधारक सज्जनोंसे इतनी बातें कह डालीं।



विविध प्रसङ्ग ।

१ स्याद्वादविद्यालयकी दशा।

अन्यत्र 'स्याद्वाद्-महाविद्यालयकी भीतरी दशा ' शीर्षकका एक लेख प्रकाशित किया जाता है। इसके लेखक श्रीयुक्त बाबू निहाल-करणजी सेठी एम. एस सी. हैं । आपको नव-स्थापित हिन्दू विश्वविद्यालयमें प्रोफेसरका कार्य मिला है, इसलिए अब आप काशीमें ही रहते हैं। उपर्युक्त लेख आपने विद्यालयकी भीतरी दशाका ज्ञान प्राप्त करके बहुत ही निष्पक्ष दृष्टिसे लिखा है। हम आशा करते हैं कि जैनसमाज इसे ध्यानसे पढेगा और देखेगा कि जिन संस्थाओंका उसे अभिमान है, जिनके लिए वह अपनी गाढी कमाईका धन खुले हाथों सर्च करता है और जिनकी सहायताके लिए उससे अपीलोंपर अपीलें की जाती हैं, उनकी भीतरी दशा कितनी खराब है। वे खास खास आदमियोंके हाथोंकी कटपतिलयाँ हैं।

यह बात केवल दिखाने भरके लिए हैं कि उनका प्रवन्ध समाजकी इच्छानुसार होता है। हमारा विश्वास है कि एक 'स्यादाद्विद्यालय' ही नहीं, और भी कई जैनसंस्थाओंकी यही हालत हैं; परन्तु दुर्भाग्यकी बात यह है कि सब जगह उक्त सेठीजी जैसे हितेषी और स्पष्टवक्ता पुरुष नहीं जो जनसाधारणको इस प्रकार निष्पक्ष होकर संस्थाओंकी भीतरी दशाका ज्ञान प्राप्त करानेकी आवश्यकता समझते हों। जहाँ देखिए वहीं संस्थाओंकी भीतरी हालत पर पर्दा डालनेके पक्षपाती ही दिखलाई देते हैं। उन्हें भय रहता है कि भीतरी दशाके प्रकाशित होनेसे संस्था- ओंकी आर्थिक अवस्थाको धक्का लगेगा। यह स्वीकार करना पडेगा कि उनका अभिप्राय अच्छा है; परन्तु इसके साथ ही यह भी कहना पडेगा कि इस प्रकारकी 'चुप्पं कुरु चुप्पं कुरु' की नीतिसे कोई स्थायी लाभ नहीं होता-संस्था-ओंकी दशा कभी नहीं सुधर सकती। वह तभी सुधरेगी जब लोग उनकी भीतरी दशासे समय समय पर परिचित होते रहेंगे, कार्यकर्ताओंपर उनकी जानकारीका प्रभाव पडता रहेगा और कार्यकर्ता इस बातकी चिन्ता रक्खेंगे कि यदि हमारा कोई प्रमाद होगा तो लोग हमसे उत्तर माँगेगे। यह कितने आश्चर्यकी बात है कि जिस संस्थामें ५०० ६०० रुपया मासिक खर्च होता है, उसके सभापति, उपसभापति, अधिष्ठाता, उपधिष्ठाता यहाँतक कि मंत्री भी बाहर रहते हैं और एक धर्माध्यापक महाशय उसके एक मात्र विधाता बन रहे हैं। चाहे जिसको नियत कराना और अलग करवाना उनके वायें हाथका खेल है । वे मंत्रीका अपमान करते हैं, इसके कारण अलग कर दिये जाते हैं; पर अपनी 'चाणक्य-नीति' से वे अपना बाल बाँका नहीं होने देते और अपने विरोधीको अलग कराके छोडते हैं। प्रब-न्धकर्त्ता जान जाते हैं कि उनका अपराध है, पर डर जाते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। उन्हें भय है कि और कोई धर्माध्यापक न मिलेगा! अच्छा होता यदि इसके साथ मंत्री महाशय भी खारिज कर दिये जाते और इस तरह धर्माध्यापक महाशयकी विजय पर एक कलश और चढा दिया जाता।

२ कार्यकर्ताओंका चुनाव।

हमारी संस्थाओंकी अन्यवस्थाका एक बड़ा भारी कारण यह है कि अधिकारियोंका चुनाव योग्यताके खयालसे नहीं किया जाता। यह

वे उस कामको अच्छी तरह कर सकेंगे या नहीं, अथवा उनको काम करनेकी रुचि या अवकाश भी है या नहीं । इस विषयमें संस्थाके लाभकी अपेक्षा ख़ज्ञामद और चापलूसीकी ओर अधिक दृष्टि रक्खी जाती है और ऐसे मौकोंपर खुशा-मदा और चापलुसोंकी ही विजय होती है; उनकी ओरसे जिनका प्रस्ताव किया जाता है, वे ही चुनालिये जाते हैं-निष्पक्ष सम्माति देनेवाले मुँह ताकते रह जाते हैं। केवल सभापतियोंके चुनावमें ही यह बात नहीं होती है, अधिष्ठाता मंत्री आदि काम करनेवाले पदोंका चुनाव भी इसी दंग पर होता है।

सुनते हैं, आनकल विद्यालयके अधिष्ठाता पं० गणेशप्रसादजी न्यायाचार्य हैं जो काशीमें नहीं किन्तु सैकड़ों कोसकी दूरीपर सागरमें रहते हैं । हम उक्त पण्डितजीकी सज्जनता और न्याय-व्याकरणसम्बन्धी योग्यताको बहुत ही आदरकी दृष्टिसे देखते हैं, उनकी निस्वार्थ वृत्तिकी भी हम प्रशंसा करते हैं; परन्तु इस बातको माननेके लिए हम कदापि तैयार नहीं हैं कि उनमें किसी संस्थाको चलानेकी या अधिष्ठाता बननेकी भी कोई अच्छी योग्यता है। पण्डितजी इतने सीधे और सज्जन हैं कि वे स्वयं भी किसीसे अपनी प्रबन्ध-सम्बन्धी योग्यताका सर्टिफिकेट छेना पसन्द नहीं करेंगे। एक सागरकी पाठशाला ही उनके द्वारा अच्छा तरह नहीं चल रही है जिसका लगभग २५०-३०० रुपये मासिकका खर्च है, पर जिसकी ६-७ वर्षोंमें एक भी रिपोर्ट प्रका-शित नहीं हुई है। ऐसी अवस्थामें हमें विश्वास है कि उन्होंने काशी पाठशालाके 'अधिष्ठातापने' का भार अपनी इच्छानुसार कभी नहीं लिया होगा। अवश्य ही खुशामद और चापलूसी करने-वालोंने उनके सिर जबर्दस्ती यह भार मढ

नहीं सोचा जाता कि जो महाशय चुने जाते हैं दिया होगा। फिर भी हम कहेंगे कि पण्डित-जीने यह भार लेकर अच्छा नहीं किया-ऐसे स्वच्छन्द छात्रों और धर्माध्यापकोंपर ज्ञासन करके कीर्ति लाभ करना जरा टेढ़ी खीर है। या तो पण्डितजीको उनके इच्छानुवर्ती बनकर रहना पड़ेगा, या हर समय स्वयं अलग हो जानेके लिए तैयार रहना पड़ेगा । मंत्री महाश-यको हम जानते नहीं हैं; पर यह अवस्य कहना पड़ेगा कि मंत्रीका काम किसी काशीनिवासीके ही हाथमें रहना चाहिए, बाहर रहकर कोई मंत्रीका काम अच्छी तरह नहीं कर सकता।

३ धर्माध्यापककी शक्ति।

पं ॰ उमरावसिंहजीके लिए पाठशालाके कामोंमेंसे किसीको निकलवाकर अलग कर देना बायें हाथका खेल है। इस विषयमें वे सिद्धहस्त हैं। स्याद्वादविद्यालयकी प्रबन्धकारिणी सभामें ब्र० भगवानदीनजी और बाबू दयाचन्दजी गोय-लीय बी. ए., ये दो सज्जन बहुत ही योग्य थे; परन्तु सुनते हैं आपने इनपर यह दोष लगा-कर कि ये विधवाविवाहके पोषक हैं, सभासे अभी कुछ ही महीने पहले अलग करवा दिया है ! बाबू निहालकरणजी सेठीकी भी यही दशा होनेवाली थी। ता० २८ अक्टूबरकी सभामें धर्माध्यायक महाशयने इनको भी अलग कर देनेके लिए प्रस्ताव किया था और सुबूतमें जैनहितै-षीके लेख पेश किये थे; परन्तु उस समय आप स्वयं अपराधी थे इस कारण कुछ न कर सके और सभाने आपकी बात पर ध्यान न दिया। सेठीजीको डर है कि अभी नहीं तो आगे शीव ही मैं अलग कर दिया जाऊँगा, इस लिए उन्होंने उपसभापति महाशयकी सेवामें एक इस्तीफा पेश कर दिया है (जिसकी नकतः आगे दी गई है)।



इस अभिनव उपायके निकालनेके कारण हम पं० उमरावसिंहजीके कौशलकी तारीफ किये विना नहीं रह सकते । अन्यान्य संस्थाओं के एकहत्थी शासकों को भी इस युक्तिसे काम लेना चाहिए। ज्यों ही कोई स्वतंत्र स्वयालों का आदमी दिसलाई दिया और उसने कोई बात अपनी सत्तामें हानि पहुँचानेवाली कही—और ऐसे लोग अक्सर कहते ही हैं—तो उसके ललाटपर चटसे 'विधवाविवाहके पक्ष ' का तिलक लगा दिया! बस काम बन गया। ' न रहेगा बाँस और न बजेगी बाँसुरी।' बाबू लोगों को भी अब इस नये यंत्रके आविष्कारकी सबर सुनकर चेत जाना चाहिए और अपने बोरिया बँधना सँमाल लेना चाहिए।

४ संस्कृतके विद्यार्थी।

संस्कृतके पढ़नेवाले जैनविद्यार्थी उद्धत हो जाते हैं, और वे आगे समाजका क्या उपकार करेंगे, इस विषयमें सेठीजीने जो वाक्य लिखे हैं उनपर पाठकोंको सास तौरसे ध्यान देना चाहिए। संस्कृतके विद्यार्थियोंसे-जो निकटके भविष्यमें पाण्डित बननेवाले हैं-जैनसमाजको बहुत बड़ी आशा है। इस समय जैनसमाज विद्याकी उन्नातिके लिए जितना धन खर्च करता है उसका अधिकांश संस्कृतके लिए ही लगता है। समाजने सबसे अधिक आवश्यकता इसीकी समझी है। यदि इसीके विदानोंसे हमें इतना अधिक निराश होना पड़ा तो बड़े ही दुःसकी बात होगी। हमें इन्हें विनयवान, सहनशील, निरामिमानी और सदाचारी बनानेकी ओर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए। ये हमारे धर्मीपदेशक बननेवाले हैं। यदि इन्हींका चरित्र अच्छा नहीं हुआ तो फिर हम अपनी भलाईकी और क्या आशा रख सकते हैं ?

संस्कृतके विद्यार्थियोंसे अभी तक हमें जो कुछ परिचय रहा है, उससे हमें विश्वास हो गया है कि वे अच्छेसे अच्छे सदाचारी विनयशील और स्वार्थत्यागी बन सकते हैं; परन्तु प्रबन्ध-कर्त्ताओंका इस ओर जरा भी ध्यान नहीं रहता है। उनकी प्रबन्धप्रणाली ही ऐसी है कि वे अतिशय उच्छ्रंबल स्वार्थी और अभिमानी बन जाते हैं। प्रबन्धकर्ता उन्हें मनाकर खुशामद करके रखते हैं तब वे रहते हैं, नहीं तो अन्यत्र चले जाते हैं और वहाँ भी मजेसे छात्रवृत्ति प्राप्त कर लेते हैं। जितनी संस्थायें हैं, उनमें प्राय: परस्पर स्पर्धा रहती है, इस लिए एक संस्थाका अपराधी विद्यार्थी दूसरी संस्थामें मजेसे आदर-पूर्वक ले लिया जाता है। अभिमानकी तो कुछ पुछिए ही नहीं,कोई छोटा मोटा व्याकरण या एकाध काव्य पढ़ पाया कि संस्कृतके छात्रोंका मस्तक आसमान पर पहुँच जाता है और उनकी इस अभिमानवृत्तिको उलटा उत्तेजन मिलता है, उसे दबानेकी कोशिश नहीं की जाती। यदि संस्था-का प्रबन्ध किसी संस्कृत न जाननेवालेके हाथमें रहता है, तो छात्र उससे जरा भी नहीं द्वना चाहते। उन्हें पक्का विश्वास रहता है कि अँगरेजी आदिके विद्वान् विद्वान् ही नहीं हो सकते और उन्हें हम पर शासन करनेका कोई अधिकार ही नहीं है। हमने बहुत कम छात्र ऐसे देखे हैं जो छात्रवृत्ति देनेवाठी संस्थाओंके या दाताओंके प्रति अपने हृदयमें कृतज्ञताका भाव रखते हैं, या उस वृत्तिके बोझेसे अपनेको कुछ दबा हुआ समझते हैं। उनकी समझमें दाताओंका कर्तव्य है कि वे उन्हें वृत्ति देवें, पर स्वयं उनका यह कर्तव्य नहीं कि अपनेको उस वृत्तिके बोझेसे हलके होनेकी भावना भी रक्खें। वे तो अपनी समझमें संस्थाओं पर एक प्रकारकी कपा करते

हैं जो उनमें रहकर पढ़ते हैं ! दो तीन वष पहले काशीके एक छात्रका पत्र यहाँकी एक संस्थाके सैकेटरीके पास आधा था जिसमें स्पष्ट शब्दोंमें लिखा था कि " आपको स्काल-र्शिप देना हो तो दीजिए, हम कोई दूसरा प्रबन्ध कर ये भाव हैं जिन्हें लेकर संस्कृतके छात्र बाहर निकलते हैं और जैनसमाजके धर्मशिक्षक बनते हैं ! हम ऐसे अनेक पण्डितोंके नाम जानते हैं जो ३०-३५ से लेकर ५०-६० रुपये मासिक तककी जीविका करते हैं; पर जिन संस्थाओंसे चार चार छह छह और इससे भी अधिक वर्षों तक छात्रवृत्तियाँ लेकर वे संस्कृतके पण्डित बने हैं, उनको कभी पाँच रुपयेकी भी सहायता करना अपना कर्तव्य नहीं समझते हैं। दो चार पण्डित ऐसे भी हैं रथप्रतिष्ठाओंकी 👚 दाक्षणाओंसे बीस बीस हजार रुपये कमा लिये हैं; पर जिनकी ओरसे कहीं किसी विद्यासंस्थामें दश बीस रूप-योंका दान दिया गया भी नहीं सुना है; यद्यपि वे स्वयं दूसरोंकी सहायतासे पढे हैं! कृतवता और स्वार्थसाधुताके इन भावोंको दूर करनेका जबतक हमारी संस्थायें प्रयत्न नहीं करेंगी. तबतक यही दशा रहेगी।

५ बाबू निहालकरणजीका इस्तीफा।

" बनारस

३०-१०-१६

श्रीमान् उपसभापति महोदय श्रीस्याद्वादमहाविद्यालय काशीकी सेवामें. निवेदन है कि निम्नलिखित कारण मुझे विवश करते हैं कि मैं विद्यालयकी प्रबंधकारिणी सभाका सभासद अब न रहूँ:-

१--ऐसा जान पड़ता है कि इस सभाको मेरी बातोंकी सत्यतापर विश्वास नहीं होता ।

२-इस समयकी घोर अशांतिका ठीक कारणः ज्ञात हो जाने पर भी दोषीको सभा दंड देना उचित नहीं समझती वरन् जिसका इस झगडेसे कोई सम्बंध नहीं उस निर्दोष व्यक्तिको पृथक कर देनेके लिए प्रस्तुत है।

३-सभाने मुझे अशांतिका कारण जानने और उसका उचित प्रबंध करनेको नियत किया था। कारण ज्ञात हो जानेपर सभाको मैंने वह ज्यों-का त्यें। बतला दिया। ऐसा करनेमें मुझे जो अप-राधी था उसका दिल दुलाना पढ़ा था । किन्तु जब सभा अपनेको इतनी शक्तिहीन समझती है कि अपराधीको दंड देनेमें असमर्थ है और उसहीके कहनेके अनुसार चलनेको और अप-राधीहीकी 'खुशामद' करनेको प्रस्तुत है तब में देखता हूँ कि मैं अपने आत्मसम्मानकी रक्षा सभाका सदस्य रह कर नहीं कर सकता।

४-व्यक्तिविशेषके लाभ और हानिपर दृष्टि रसकर सभा विद्यालयके उचित प्रबंधकी ओर ध्यान नहीं देती; ऐसी दुशामें ५००-६०० रु० मासिक व्यय होकर भी उसका लाभ नहीं हो सकता, इस लिए सभा समाजके प्रति दोषी है-मैं इस दोषका भागी नहीं बनना चाहता।

५-में देखता हूँ कि विद्यालयके प्रबन्धमें इतनी गड़बड़ी है कि जिससे उसकी और समा-जकी बहुत हानि होती है और यह भी जानता हूँ कि यह सभा उसका उचित प्रबंध करनेमें बहुत शिथिल है। अतः अब समय आगया है कि इसका यथार्थ चित्र समाजके सम्मुख रक्खा जाय । समाजसे इसके कुप्रबंधकी कथा छपानेसे अब कोई लाभ नहीं हो सकता। इत्यादि। अतः आशा है कि आप क्रपा कर मेरा इस्तीफा स्वीकार करेंगे।

> भवदीय निहालकरणसेठी ।'"



६ संचालकोका और समाज्ञका कर्तव्य।

विद्यालयके संचालकोंको इस मामलेकी ओर पूरा पूरा ध्यान देना चाहिए और यह एक क्षण भरके लिए भी न मूल जाना चाहिए कि समाज विद्यालयको जो कुछ द्रव्य देता है, वह हम लोगोंके विश्वास पर देता है। समाजका भी यह कर्तव्य है कि वह तब तक शान्त न हो जब तक कि उसे भली भाँति यह न मालम होजाय कि विद्यालयकी दशा अच्छी है, और हमारे धन-का सदुपयोग हो रहा है। अधिकारियोंका चुनाव बहुत कुछ सोच विचार कर किया जाना चाहिए। यह दशा बहुत ही असंतोष जनक है कि सभा-पति, उपसभापति, अधिष्ठाता और मंत्री तक संस्थासे दूर रहते हैं और उनका संस्थाके साथ साक्षात् सम्बन्ध बहुत कम रहता है। कमसे कम अधिष्ठाता और मंत्री तो स्थानीय ही रहने चाहिए । हमें आज्ञा है कि किसी भीतरी कार-गसे यह मामला दवा न दिया जायगा।

७ लार्ड बेकनकी सलाह।

सुप्रसिद्ध विचारक लाई बेकनके नीचे लिखे विचार—जो उन्होंने एक ही धर्मके अनुयायियों के बीचकी शान्ति और क्लेशमय स्थितिके सम्बन्धमें प्रकट किये थे—जैनोंके लिए अत्यन्त उपकारक समझकर उद्भृत किये जाते हैं:—" एक ही धर्मके माननेवालों के बीचमें गाली गलोज या मारपीट हो तो उसका दो प्रकारका प्रभाव पड़ता हैं। एक तो उस धर्मि बाहरके मनुष्यें पर पड़नेवाला प्रभाव और दूसरा उसी धर्मके अनुयायियों पर पड़नेवाला प्रभाव। (१) एक ही धर्मके लोगोंको एक दूसरेकी निन्दा करते और एक इसरेकी पूजन

विधियोंको असत्य उहराते हुए देखकर, बाहरके लोगोंके विचार उस धर्मके विषयमें अच्छे नहीं रहेते और (२) उस धर्मके माननेवालोंके बीचमें निन्दा, झगड़ा आदि चलनेसे उनकी शान्ति प्रगति और बलकी हानि होती है। "

V. M. Shah.

८ विधवा-विवाहका प्रश्न।

अन्यत्र प्रकाशित 'विधवाविवाह-विचार' शीर्षक लेखपर विधवाविवाहके अनुयायी और विरोधी दोनोंको ही विचार करना चाहिए। लेख बहुत ही महत्त्वका है और बहुत ही विचारपूर्वक लिखा गया है। परन्तु यह ध्यानमें रखना चाहिए कि यंह मुख्यतः हिन्दूसमाजपर दृष्टि रख कर लिखा गया है। इस लिए इसकी सभी वातें जैन-परिस्थितिके अनुकृत सकतीं । जैसे कि, इसमें यह माना गया है कि हिन्दुओंमें श्वियोंकी संख्या अधिक है और पुरुषोंकी कम है, इसलिए यदि चिरवैध-व्यकी प्रथा उठा दी जायगी तो फिर विधवाओं के बद्ले बहुतसी कुऑरियोंको अविवाहित रहना पढेगा । परन्तु जैनसमाजकी परिस्थिति हिन्दु-ओंसे ठीक उलटी है। अन्यत्र प्रकाशित श्रीयत बाब माणिकचन्द्रजिके व्याख्यानमें दी हुई संख्याओंसे मालुम होगा कि जैनसमाजमें स्त्रियों की संख्या पुरुषोंसे बहुत ही कम है और इस कारण कुआँरोंकी संख्या बहुत ही भयंकर रूपसे बढ़ रही है। ऐसी दशामें इस बातका निर्णय होनेकी आवश्यकता है कि इस लेखमें सिद्ध किये हए उच्च आदर्शकी रक्षा करना अच्छा है; या विधवाविवाह जारी करके जैनसमाजकी घटती हुई संख्याको रोकना अच्छा है। यदि उच्च आद्रीकी रक्षा करना है, और विधवाविवा-हको जारी नहीं करना है, तो फिर कोई तिसरा

उपाय बतलाना चाहिए जिससे जैनसमाज चिर-जीवी बना रहे-सौ सवासौ वर्षों में ही उसका निर्वाण न हो जाय । क्या जैनेतरोंकी लड़ाकि-योंसे विवाह सम्बन्ध करनेकी और इस तरह स्त्रियोंकी कमी पूरी कर लेनेकी समाज आज्ञा दे सकता है ?

९ पं०लक्ष्मीचन्द्रजीकी उपाधियाँ।

सप्रसिद्ध जैन व्याख्याता पं० लक्ष्मीचन्द्रजीको 'दिगम्बरजैनमन्दिर, कूचा सेठ' देहलीकी ओरसे गत आसोज वदी १५ की रातको एक अभिनन्दनपत्र दिया गया था । इस अभिनन्दन पत्रमें उक्त मंदिरने अथवा मन्दिरके जैन भाइ-योंने पण्डितजीको सिद्धान्तरत्नभूषण, व्याख्यान वाचस्पति, सुभाषितसुधासिंधु, ज्ञानसागर, कारु-ण्यरत्नाकर, व्याख्यानकेसरी, और मिथ्यात्वति-मिरमार्तण्ड. इन सात उपाधियोंसे सत्कत किया है और फुटनोटमें प्रकट किया है कि ये उपा-धियाँ पण्डितजीको बुन्देलखण्ड (?), कोटा, कलकत्ता, चांदखेडी, मन्दसीर, रतलाम, और देहली इत्यादि नगरोंसे मिली हैं। अवस्य ही यह फुटनोट पण्डितजीकी डायरीपरसे या उनकी स्मृतिसूचनासे छिखा गया होगा। हमारी सम-झमें उपाधियोंकी संख्या बहुत कम है। पण्डित-जीको और उनके भक्तोंको कोशिश करनी चाहिए जिससे ये कमसे कम एक सौ तो हो जायँ और कलिकाल केवली, सिद्धांतसर्वज्ञ, तर्क-तीर्थंकर, चातुर्यचक्रवर्ती आदि सुन्दर सुन्दर पदिवयाँ तो व्यर्थ न पड़ी रहें । भारतकी राज-धानी देहलीके धर्मात्माओंको तो इस विषयमें सास तौरसे प्रयत्न करना चाहिए । उनकी ्रशोभा इसीमं है!

१० बम्बईका दीक्षामहोत्सव।

कहा जाता है कि स्थानकवासी सम्प्रदायके स्थापकोंने यह देखकर मूर्तिपूजाका किया था कि मुर्तिपूजा और मन्दिरप्रतिष्ठाओं में जैनसमाजकी सीमासे अधिक शक्ति**योंका खर्च** होता है, इनसे आपसी क्लेश और लड़ाई झगड़े भी बहुत होते हैं, और इन गौणकार्योंकी ओटमें जैनधर्मके मुख्य कार्य छुप जाते हैं। उन्होंने यह विरोध इतने जोरके साथ किया कि उनका एक जुदा ही सम्प्रदाय बन गया जो मूर्तिपूजाको सर्वथा अनावश्यक समझता है। यदि इस सम्प्रदायके स्थापकोंने ईसी अभिप्रायसे मुर्तिपुजाका निषेध किया था तो कहना होगा कि उनका मतलब सिद्ध नहीं हुआ। यह संभव है कि शुरू शुरूमें इससे कुछ लाभ हुआ हो, पर इस समय तो स्थानकवासी भाइयोंने उस अभि-प्राथको भुला दिया जान पडता है। जिस तरह मूर्तिपूजक भाई अपनी शक्तियोंको मूर्तिपूजाके रथप्रतिष्ठादि कार्योंमें लगाते हैं उसी तरह स्थान-कवासी माई साधुपूजामें लगाने लगे हैं । अन्तर केवल इतना ही है कि वे मूर्तिपूजक हैं तो ये मनुष्यपूजक बन गये हैं। अभी बम्बईमें जो स्थानकवासी सम्प्रदायकी ओरसे दीक्षा महो-त्सव हुआ था और जिसमें एक श्रावकको दीक्षा देकर साधु बनानेकी खुशीमें लगभग २० हजार रुपयोंका पानी बना दिया गया है, हमारे इस कथनकी पृष्टिके लिए यथेष्ट है। कई दिनों-तक बम्बईकी सड़कोंपर जुलूसोंकी वह धूम रही कि सारा शहर जैनधर्मकी प्रभावनासे चक-चौंधा गया ! यदि यह महोत्सव किसी महा-पुरुषकी- जैनधर्मके वास्तविक उद्धारककी-भक्तिसे प्रेरित होकर किया गया होता, तो भी

सन्तोष होता; पर सुनते हैं कि जिस महापुर-षको दीक्षा दी गई है वह निरा मूर्स नहीं, तो समझदार भी नहीं है! उसमें ऐसा कोई गुण नहीं है जो आगे विकसित होकर जैनधर्मकी प्रभा-वना करनेमें समर्थ हो । यह जानकर पाठकोंको और भी आङ्चर्य होगा कि इस उत्सवके प्रेरक और अनुमोदक मुनि रत्नचन्द्रजी बतलाये जाते हैं जो कि उक्त सम्प्रदायके साधुओंमें सबसे बढे विद्वान समझे जाते हैं।

११ हिन्दी गौरव ग्रन्थमाला।

इस समय हिन्दीमें अच्छे अच्छे ग्रन्थ प्रका-शित करनेके लिए खासा उद्योग हो रहा है। पाठक यह जान कर प्रसन्न होंगे कि सत्यवादीके पुर्वसम्पादक पं॰ उद्यलालजी काशलीवालने अभी थोडे ही समयसे 'हिन्दी-गौरव ग्रन्थमाला ' नामकी माला निकालनेका प्रारंभ किया है जिस में अब तक तीन ग्रन्थ निकाल चुके हैं-१ सफलगृहस्थ, अँगरेजीके प्रसिद्ध लेखक हेल्प्सके निबन्धोंका अनुवाद । अनुवादक, बाबू खुबचन्दजी सोघिया बी. एएल. टी। २ आरोग्य दिग्दर्शन, महात्मा गाँधीकी गुजराती पुस्तकका अनुवाद । अनुवादक, पं० गिरिधर शर्मा। ३ कांग्रेसके पिता मि० ह्यमकी जीवनी। अनुवादक, बाबू द्याचन्द्जी गोयलीय बी.ए. और बाबु चिरंजीलालजी माथुर बी. ए.। पहले दोका मुल्य ग्यारह ग्यारह आने और तीसरेका बारह आने है। तीनों ही ग्रन्थ अच्छे और प्रत्येक मनुष्यके पढने योग्य हैं। ग्रन्थमालाके स्थायी ग्राहकोंको ये और आगे निकलनेवाले तमाम ग्रन्थ 'दो तिहाई, मूल्यसे दिये जायँगे । हम अपने हिन्दी-प्रेमी ग्राहकोंसे ।सिफारिश करते हैं कि वे ग्रन्थ-

मालाके ग्राहक बनकर पण्डितजीके उत्साहको बढ़ावें और विविध विषयके ग्रन्थोंको पढ़कर अपने ज्ञानकी वृद्धि करें। पण्डितजीका ठिकाना 'चन्दावाड़ी पो० गिरगाँव, बम्बई १ हैं।

१२ हिन्द्ीमें नये जैन पत्र।

हिन्दीमें नीचे लिखे तीन जैन पत्रोंने जन्म लिया है और हिन्दी भाषाभाषी जैनसमाजकी सेवा करना प्रारंभ कर दिया है:—

१ जैन मार्तण्ड — जैन बालहितेषिणी सभा हाथरसका मुखपत्र । सम्पादक, श्रीयुत मिश्री-लाल सौगानी, हाथरस (अलीगढ़) । पृष्ठ ३६, डिमाई अठपेजी । वार्षिक मुल्य १॥) रु० ।

२ जैनसंसार—श्वेताम्बर जैन बरार प्रान्तिक सभाका मुखपत्र । सम्पादक, श्रीयुत कृष्णलाल वर्मा, जुबिली बाग, तारदेव, बम्बई । पृष्ठ ३६ रायल बारह पेजी । मूल्य १॥=)

३ मुनि—महावीर मुनिमण्डल, बोदबड़ (सानदेश) का मुखपत्र । सम्पादक, श्रीयुत विश्वं-भरदास गार्गीय, छावनी झांसी । पृष्ठ ३२ डिमाई अठपेजी, मू० २) रु० ।

इनमें पहला दिगम्बर, दूसरा इवेताम्बर और तीसरा स्थानकवासी सम्प्रदायका पत्र है। हम तीनोंका स्वागत करते हैं और चाहते हैं। कि तीनों ही चिरंजीवी होकर जैनधर्म और जैन-समाजका कल्याण करनेमें समर्थ हों। तीनोंके दो दो तीन तीन अंक निकल चुके हैं। पाठकों-को एक एक नमूनेका अंक मँगाकर देख लेना चाहिए और पाहक बनकर सहायता करना चाहिए।

सहयोगी जैनमित्र पाक्षिकसे साप्ताहिक होः गया है और अब सूरतसे निकलने लगा है।



१३ लालाजीकी ललाई।

तीर्थक्षेत्रकमेटीके महामंत्री लाला प्रभुदयालजीको हमारे पाठक अच्छी तरह जानते हैं। पिछले अंकमें हमने उस लेखको अनुचित बतलाया था जो उन्होंने बाबू द्याचन्द्रजी गोयलीयके हिसाब पूळने पर जैन-मित्रमें प्रकाशित कराया था। हमने यह भी लिखा था कि जैनमित्रमें जो लेख छपा है, वह ब्रह्मचारीकी कृपासे ज्योंका त्यों नहीं छपा। उन्होंने उस लेखको बहुत ही ठंडा करके छापा है; असली लेखमें गोयलीयजी पर बहुत बुरी तरहसे आक्रमण किया गर्या था। इस पर ब्रह्मचारी शीतलप्रसादजी पर, देखिए, लालाजी किस तरह लाल हुए हैं:—

" मित्रसंपादककी कुटिलाई।

'जैनिमत्र ' बंबई प्रांतिक सभाका एक मुख्य पत्र है। ब्रह्मचारी शीतलप्रसादजी उसके संपादक हैं। आपका हृदय ऊपरसे तो स्वच्छ और सरल माछ्रम पड़ता है, परंतु उसके भीतरमें न माल्म किस कषाय-पिशाचिनीके कारण कूट-नीतिने प्रवेश कर रक्खा है। यह कहना भी अनुचित न होगा कि आप भी उन भ्रष्टपंथियोंकी हांमें हां मिलानेवाले हैं जो कि विधवा-विवाह आदि ऐसे निषिद्ध कार्यों के पोषक हैं। इसीसे तो जो लेख विधवाविवाह बदरहुड आदि कार्योंके विरुद्ध आपके पास जाता है उसे या तो आप छापते ह्यी नहीं या उसमें काट छाँट कर डालते हैं। आश्विन मासमें एक लेख जातिप्रबोधक पत्रके किये हुए तीर्थक्षेत्र कमेटीके आक्षेपोंके जवाबमें आपके पास मेजा गया था । उसमें आपने कुछ काट छांट कर छापनेकी सम्मति मांगी; और इसी लिये देखनेको वह लेख भी लौटा भेजा। परंतु हमको वह काट छाट मंजूर न थी इसलिये हमने फिर वह लेख उनके पास छापनेको न मेजा। परंतु अफसोसका विषय तो यह है कि जिस लेखको इमने काट छांट कर छपाया नहीं. और उन्होंने अपने संपादकीय बलसे उसे छापा नहीं: फिर भी उस लेखकी कुछ बातको लेकर जैनहितैषाने इमारे ऊपर आक्षेप किया है, जिसमें कि लेखकका नाम छिपाया गया है। बड़े अफसोस और शरमकी बात है कि आप सत्यव्रती ब्रह्मचारी कहलाते

हुए व्यभिचारियों जैसा कार्य करें। अगर हमारे लेखके कुछ अंशको लेकर ही लिखना या दूसरे-से लिखाना था तो हमारा पूरा लेख छ।प कर फिर उसके ऊपर जी चाहे जैसा आक्षेप करते । और फिर देखते कि कैसा मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है । लेकिन आप ऐसा करते ही क्यों, आपको तो अपनी कूट नीतिका परिचय देना था। मालूम होता है कि इसी लिये बिना छपे हुए लेखका आप नहीं तो दूसरों द्वारा प्रतिवाद कराया, सो भी मन माना, और जैनहितैषीमें ! जिसकी कि बम्बई प्रांतिक सभाके तिरस्कार करनेसे हम छोग खरी-दते नहीं। मगर तौ भी आप याद रिखये कि वह जैसा लेख है वैसा ही मजेदार मखमली जवाब भी दिया जायगा । परंतु कृपानिधान ब्रह्मचारी जी ! पहलेसे ही तुम्हारे ब्रह्मचर्यमें कुछ इल्ली लग रही है। अब ज्यादा इन अन्याय-पोषक कार्याध्यक्षोंके सम्मिलित हो अपने चारित्रमें सिवाल और जंग न चढ़ाइये। नहीं तो इसका जो कुछ परिणाम होगा वह आपके लिये और इस भेषके लिये अत्यन्त शोचनीय और लजापद होगा। किम. धिकम्। मु० लखनऊ, ता० १७-११-१६।

समाजसेवक, भागमल प्रभुदयाल, महामंत्री भा॰ व॰ दि॰ जैन ती॰ क्षे॰ कमेटी।"

१ इस लेखमें जो यह कहा गया है कि ब्रह्मचारीजीने दूसरों द्वारा (अर्थात् जैनहितेषी द्वारा)
प्रतिवाद कराया है, सो सर्वथा असत्य है। ब्रह्मचारीजी
उन दिनों बड़ौदेमें थे जब लालाजीका लेख उनके पास
गया था। उन्होंने लेखको काट छाँटकर बम्बई मेज
दिया था और यहाँ आकिस्मक रीतिसे उसका हमको
पता लगगया था। इसमें न उनका कोई दोष था और
न दफ्तरके आदमियोंका। हमारे और ब्रह्मचारीजीके
विचारोंमें बहुत बड़ा अन्तर है। उनकी यह नीति
है कि किसीकी बुराई न की जाय, किसीपर आक्षेप
न किया जाय और हमारी यह नीति है कि बात
साफ साफ और सत्य कही जाय, चोह वह किसीको
बुरी लंगे चोहे मली। ऐसी दशामें यह संभव नहीं
कि वे हमारे द्वारा किसीकी बातका प्रतिवाद करावें।

२ लालाजी कहते हैं कि 'जैनहितैषीको हम लाग बम्बई प्रान्तिक सभाके तिरस्कार करनेसे खरीदते नहीं!' मानों प्रान्तिक सभाके प्रस्ताव करनेके पहले आप हितेषीको खरीदते थे, अथवा जैनसमाजके सारे ही पत्रोंके आप खरीददार हैं! लालाजी साहब, जैनाहतौषीके खरीदनेके लिए सिर्फ रुपये ही खर्च नहीं करने पड़ते, कुछ अक्लकी भी जरूरत होती है। उसके लेखोंके समझनेके लिए बुद्धि चाहिए और उसके भावोंको धारण करनेके लिए विस्तृत हृदय चाहिए । वह न आप जैसोंके लिए निकलता है और न आपकी और आपकी प्रान्तिक सभाकी कुछ परवा ही करता है। जैन-समाजमें सब आपके ही भाईबन्द नहीं हैं। कुछ ऐसे भी सहदय और विचारशील हैं जो हितैषाको ध्यारकी दृष्टिसे देखते हैं और उसके लिए जो परिश्रम किया जाता है-जो स्वार्थत्याग किया जाता है उसकी कदर करते हैं। उन्हींके लिए यह निकलता है। आप जैसोंके सत्कार और तिरस्कार उसकी दृष्टिमें निस्सार हैं। यदि हितैषीमें कुछ 'सार 'है और वह समाजसेवाकी आन्तरिक प्रेरणासे सम्पादित होता है तो उसे हजारों पढ़नेवाले मिल जायँगे।

३ हाँ, वह मजेदार और मखमली जवाब तो आपने अवतक न दिया। हम देखना चाहते हैं कि वह, ब्रह्मचारीजीको जैसा जवाब दिया गया है, बैसा ही है अथवा कुछ और ही 'मजा' रखता है। उससे पता लग जायगा कि आप 'मजेदार' किसे कहते हैं। जिस लेखमें गालियोंके सिवाय कुछ भी न ही, जान पड़ता है आप उसे ही 'मजेदार' कहते हैं। परवा नहीं, आप अपनी इच्छा पूरी कर लीजिए। तीर्थक्षत्रकमेटीके इस महामान्य पदको पाकर कहीं ऐसा न हो कि आप किसी 'मजे' से विवार रह जायँ।

४ नौथी बात हम तीर्थक्षेत्रकंमेटीक मैम्बरीसे फहेंगे कि आप लोग अपने इन मानीते महामंत्रीजीके मुँहमें कुछ लगाम भी लगायँगे, या इसी तरह बकते रहने देंगे। केवल एक हिसाबके पूछनेसे इन्होंने बाबू हयावम्दजीको मनमानी गालियाँ देनेका प्रारंभ किया

और उन्हें भ्रष्टपंथी अदि विशेषण दे डाले और ज्योंही उसमें हकावट डाली गई कि ये ब्रह्मचा-रीजी जैसे समाजसेवकोंको सीधी गालियाँ सुनाने लगे । तुम व्यभिचारियों जैसा काम करते हो, तुम्हारे ब्रह्मचर्यमें इल्ली लग गई है, आप अपने चरित्रमें सिवाल और जंग न चढ़ाइए, ये सब असभ्यों जैसी गालियाँ नहीं तो और क्या हैं? किसी सार्वजनिक संस्थाका-उस संस्थाका जिसमें कि गरीब और अमीर सभीने अपनी गाढी कमाईका कुछ न कुछ हिस्सा दिया है-हिसाब पूछना क्या कोई अपराध है ? जो संस्थाओंका काम करते हैं उन्हें तो सब तरहसे शान्त और क्षमावान होना चाहिए। वे इस तरह बात बातमें उखड़ पड़ेंगे तो काम कैसे चलेगा। अभी तो लोग कमेटीके हिसाब प्रकाशित न करनेके ही कारण आक्षेप कर रहे हैं, यदि आगे कोई यह कह बैठे कि कमेटीके हिसाबमें भी हमें सन्देह है, अथवा कमेटीका कुछ धन उसके कार्यकर्ता अपने उपयोगमें ले आते हैं, तो मालूम नहीं, कमेटी अपने इन लाड़ले लालाजीरो लोगोंको कितनी गालियाँ दिलवावेगी और इस कामके लिए पेम्पलेट आदि छपानेमें कितने रुपये बरबाद करावेगी । इस तरहकी एक बात हमको मालूम भी है,जिसके कारण लोग कमेटी पर सन्देह कर सकते हैं और दुर्भाग्यवश वह लाल-जीके ही सम्बन्धमें है । गतवर्षके कार्तिकर्मे जम्ब स्वामीके मेले पर तीर्थक्षेत्रकमेटीका जो अधिवेशन हुआ था, उसमें कमेटीका हिसाब सुनाया गया था और उसमें लाला प्रभुदयालजी महामंत्रीके नाम ३०००। तीन हजार रुपये निकाले गये थे । लाला-जीने यह रकम कोई तीन चार महीने पहले कमेटीके खजानेसे उठा की थी। इस तरह लगभग डेड् वर्षसे यह रक्षम लालाजीके नामें पड़ रही है। तीर्थक्षेत्र कमेटीकी रिपोर्ट कोई दे। वर्षसे प्रकाशित नहीं हुई है। इसिलए हम नहीं कह सकते कि यह रकम वसूल हुई है था नहीं। पर अहाँ तक सुना सया है, छालाओ इसे दे नहीं सके हैं और शायद इसके सिवाय भी उन्होंने कुछ रकम और लेली है। यह एक ऐसी बात है जिसपर लोग आक्षेप कर सकते हैं और कमेटीसे इसका जबाब तलब कर सकते हैं। पर क्या कमेटीका शह कर्तेव्य

नहीं है कि वह ऐसी बातोंका उत्तर अपने भाइयोंको शाम्तिके साथ देवे ? यदि वह इनका उच्चर देनेके लिए लालाजीको ही छोड़ देगी, तब ता उनकी कृपासे ब्रह्मचारीजीके समान चाहे जिसकी इज्जत धूल फाँकती फिरेगी । कमेटीके मेम्बर महाशयोंको चाहिए कि वे लालाजीको यह समझा दें कि कमेटीके के। वमें गरीब और अमीर सभीने चन्दा दिया है, और उन सबने ही कमेटीको बनाया है, अतः कमेटी उनकी स्वामिनी नहीं हो सकती । प्रत्येक जैनी-भ्रष्ट और धर्मात्मा, तरह-पंथी और वीसपंथी, पण्डितपंथी और बाबूपंथी- आपसे हिसाब पूछ सकता है और आप पर झूठा या सचा सन्देह भी कर सकता है। आपका काम उसका समाधान कर देना है, गालियाँ देना या उलटी सीधी बातें सुनाना नहीं । यदि लालाजी यह न समझें और थोड़ासा काम करनेके कारण अपनेको 'महापुरुष' या 'पद्धर' समझ बैठे हों, तो कमेटीको उनका यह सुखस्वप्र शीघ्र ही भंग कर देना चाहिए । इस्तीफा माँगकर उन्हें आदरपूर्वक अलग कर देना चाहिए और किसी ऐसे सज्जनको यह काम सोंपना चाहिए जो आपको समाजका सेवक समझता हो । कमेटीकी इज्जतमें इससे बद्दा लगता है कि उसके महामंत्री इस तरह गालियाँ बकनेवाले तुच्छ हृदयके आदमी हैं।

१४ जैनी भाइयोंका हिन्दीप्रेम।

हिन्दी-साहित्यसम्मेलन हिन्दीकी उन्नतिके लिए स्थापित हुआ है । वह हिन्दीभाषाभाषी प्रत्येक मनुष्यकी वस्तु है, उसमें धर्मभेद नहीं है । हर्षका विषय है कि हमारे जैनी भाई भी इस बातको समझ गये हैं और उन्होंने अवके जवलपुरके सप्तम हिन्दी साहित्यसम्मेलनमें सन्तोषजनक योग दिया है । सार्वजनिक कार्योंमें अपने भाइयोंको इस तरह योग देते देखकर हमें बहुत ही सन्तोष होता है । लखन-कसे बाबू दयाचन्दजी गोयलीय बी. ए., सागरसे बाबू खूबचन्दजी सोधिया बी. ए. एल. टी., नरसिंहपुरसे बाबू माणिकचन्दजी कोचर बी. ए. एल एल, बी., खंड-वेसे बाबू माणिकचन्दजी बी. ए. एल एल. बी. और सेठ तेजकरनजी, कटकीसे बाबू मैयालालजी, गोटेगाँवसे बाबू मुख्यमचन्दजी, भोपालसे बाबू मोतीलाल

जी, बम्बईसे पं॰ उदयलालजी, बाबू छगनमलजी, और इन पंक्तियोंका लेखक, वर्धासे सेठ चिरजीलालजी बड्जात्या, रहलीसे बाबू द्याचन्दजी बजाज, दमाहसे बाबू भैयालालजी चैाधरी आदि अनेक सज्जन सम्मे-लनमें शामिल हुए थे। खण्डवेसे और भी कई जैनी भाई आये थे जिनके नाम हम नहीं जानते । जबल-पुरके वकील बाबू कन्छेदीलालजी और बाबू कस्तूर-चन्दजीने सम्मेलनकी जीजानसे सेवा की थी। दिग-म्बर जैन बोर्डिंग हाउसकी विशाल इमारत सम्मेलनके प्रतिनिधियोंके ठहरनेके लिए दी गई थी। हिन्दी पुस्तकोंकी प्रदर्शिनी भी जैन बोार्डिंगमें ही खोळी गई थी। जबलपुरके प्रसिद्ध धनी और अगुआ सिंगई गरीबदासजी आदिका भी सम्मेलनसे हार्दिक प्रेम था। स्वागतकारिणी कमेटीके चन्देमें भी जबलपुरके जैनी भाइयोंने चन्दा देनेमें आनाकानी नहीं की । खण्डवेके बाबू माणिकचन्दजी वकील स्वागतकारिणी कमेटीके एक प्रधान कार्यकर्ता थे। उनके प्रयत्न और उत्साह्से खण्डवेके कुछ विद्यार्थियोंने ' कृष्णार्जुन युद्ध 'नामका हिन्दी नाटक खेला जो बहुत ही पसन्द किया गया और जिसकी सारी आमदनी सम्मेलनको दे दी गई।

इस सम्मेलनके पहले झाँसीमें एक प्रान्तीय हिन्दी सम्मेलन भी हुआ था। सहयोगी 'मुनि'से मालूम हुआ कि उसमें भी लखनऊके बाबू अजितप्रसादजी वकील, बाबू दयाचन्दजी, वाबू गुलाबचन्दजी, इटा-वेके बाबू मदनलालजी वकील, और सेठ चान्दमलजी, प्र॰ विक्वंभरदास गार्गीय सेठ मिलापचन्दजी आदि झाँसी निवासियोंने विशेष योग दिया था।

आशा है कि हमारे भाइयोंका यह हिन्दीप्रेम दिन पर दिन बढ़ता ही जायगा और वे आगामी सम्मेलनमें जो इन्दौरमें होनेवाला है इससे भी अधिक योग देंगे।

१५ हिन्दी-सहित्यसम्मेलनकी परीक्षामें जैन विद्यार्थी।

हिन्दी-साहित्यसम्मेलनकी ओरसे एक परीक्षालय स्थापित हुआ है जिसकी ओरसे प्रथमा, मध्यमा और उत्तमा, ये तीन परक्षि।यें की जाती हैं। कई बड़े बड़े शहरों में इसके परीक्षाकेन्द्र नियत हो गये हैं। अभी दो ही तीन वर्षोंमें परीक्षालयने कितनी लोकप्रियता प्राप्त की है, इसका अनुमान पाठक इसीसे कर छेंगे कि इस वर्ष इसकी केवल प्रथमा परीक्षामें ही १४० विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं जिनमें १२ स्त्रियाँ और लड़िकयाँ भी हैं। मध्यमाके परीक्षो-त्तीर्ण विद्यार्थियोंकी संख्या हमें मालूम नहीं है । इन परीक्षाओंका पठनकम देखकर हमारी धारणा हुई कि यदि जैनविद्यार्थी, विशेष करके संस्कृतके वि-द्यार्थी, इन परीक्षाओं के पाठ्यप्रन्थ पढ़ लें तो बहुत उपकार हो । संस्कृतके छात्र हिन्दी साहित्य, व्याक-रण, इतिहास, गणित, भूगोल, विज्ञान, आदिसे कोरे रहते हैं और इस कारण न उनका ज्ञान ही विस्तृत और समयोपयोगी होता है और न उन्हें हिन्दी लिखना ही आता है। इससे समाजका उनके द्वारा कोई भी काम अच्छी तरह नहीं होसकता है। यदि वे केवल प्रथमाके ही ग्रन्थ पढ़ लें और परीक्षा दे लें, तो बहुत लाभ हो। यह सोचकर हमने गत वर्ष एक विज्ञापन निकाला था कि जो जैनविदार्थी हिन्दीकी प्रथमा परीक्षामें उत्तीर्ण होंगे, उन्हें प्रत्येकको २०) बीस रुपया पारितोषिक दिया जायगा । हर्षकी बात है कि इससे उत्साहित होकर कई जैनविद्यार्थी प्रथमापरीक्षामें बैठे और उनमेंसे मदनलाल, निर्मलप्रसाद गार्गीय, गो-विन्ददास, नन्दिकशोर, मुख्यारिसंह, दौलतराम और नानूराम ये सात विद्यार्थी उत्तीर्ण होकर उक्त पारिताषिक प्राप्त करनेके अधिकारी हुए हैं। परन्तु इनमें संस्कृतका विद्यार्थी शायद कोई भी नहीं है, यह जान कर हमें बहुत आश्रर्य हुआ। हमारी कई संस्कृत पाठशालाओं के विद्यार्थी कलकत्ता, बनारस और पंजाबयूनीवर्सिटीकी संस्कृतपरीक्षायें दिया करते हैं। हमारी तुच्छबुद्धिमें उनकी अपेक्षा यह परीक्षा बहुत ही उपयोगी और लाभकारी होगी । यदि पाठशालाओंके संचालक चाहें, तो वे इस विषयमें अपने छात्रोंको उत्साहित भी कर सकते हैं। पठनक्रम और नियमावली आदिकी पुस्तिका सम्मेलन कार्यालय प्रयागसे तीन आनेके टिकट भेजनेसे मिल सकती है । आगामी वर्षके लिए हम फिर भी कुछ पारितोषिक नियत करेंगे, जिसकी सूचना कुछ समय बाद दी जायगी। यदि हमारे हिन्दीप्रेमी पाठकोंमेंसे भी कोई सजन जैन विद्यार्थियोंके लिए इस प्रकारके पारितोषिक देनेकी कृपा करें, तो बहुत लाभ हो। हमें आशा है कि आगामी वर्ष इससे भी अधिक जैन छात्र इस परीक्षामें बैठेंगे और उत्तीर्ण होंगे।

१६ एक पाँच सौ रुपयेका पारितोषिक।

सप्तम हिन्दीसाहित्यसम्मेलन जवलपुरके सभाप-तिको जैनहितेच्छुके सम्पादक श्रीयुत वाडीलाल मोती-लाल शाहने तारद्वारा इस प्रकारकी सूचना दी थी कि " जगत्, जीवन और वर्ताव (कांडेक्ट) इन विष-योंपर जैनफिलासफी, वेदान्त फिलासफी और जर्मन फिलासफर फ्रेडिरिक निट्शेकी फिलासफीके जो सिद्धान्त हैं उनका समन्वय (कम्प्रोमाइज) करके एक हिन्दी निवन्ध लिखनेवाले सर्वश्रेष्ठ लेखकको नकद ५०० रुपयेका पारितोषिक सम्मेलनकी मार्फत दिया जायगा । लेखपरीक्षकोंमें एक नाम मेरा भी रहेगा ।" आशा है कि हमारे जैन प्रेज्युएटोंका ध्यान इस ओर जायगा और वे इस पारितोषिकको प्राप्त करनेका यत्न करेंगे। इस विषयमें विशेष पूछताछ करनेके लिए शाह महाशयसे 'नागदेवी स्ट्रीट वम्बई 'के ठिकानेसे पत्रव्यवहार करना चाहिए।

१७ बागड्में कन्याविक्रय और अपव्यय।

थान्दलानिवासी श्रीयुक्त टीकमचन्दजी तलेरा लिखते हैं कि "में...में कार्यवश आया हुआ हूँ । यहाँ द्वालमें तीन चार सगाइयाँ हुई हैं । तलाश करनेसे मालूम हुआ कि लड़िक्यों के मा-वाप अच्छे व्यापारी हैं, तो भी उनमेंसे एकने २२०० ६०, दूसरेने २००० ६० और तीसरेने १८०० ६० वरपक्षवालोंसे लिये हैं। यहाँ एक और सेट हैं जो कई समाओं के समापतिका आसन सुशोभित कर चुके हैं। आपके पास पूँजी तो पाँच सात हजारहीकी हैं; परन्तु अपने दश वर्षके लड़केकी शादीमें-जो कि शांघ्र ही होनेवालों है-आप कर्ज लेकर कोई दस हजार रुपये खर्च करनेवाले हैं। खूब तैयारियाँ हो रही हैं।" जब तक कन्याओं की संख्या समाजमें थोड़ी हैं, विवाहका क्षेत्र अगणित जातियों के कारण संकार्ण है और एक एक पुक्षको बुटापे तक कई कई शादियाँ

करनेकी स्वतंत्रता है तब तक कन्याविकय बन्द नहा? हो सकता । यह अर्थशास्त्रका नियम है कि जो वस्त कम पैदा होती है और जिसके प्राहक बहुत होते हैं वह अवस्य बहुमूल्य हा जायगी । इसमें पापका डर बतलाना. अधर्म दिखलाना और उपदेश देना प्रायः निरर्थक है। बहुत थोड़े लोग ऐसे हैं जो कन्याविकः यको अधर्म समझकर छोड़ सकते हैं। शेष लोग तो तब छोड़ेंगे जब कन्यायें सुदुर्लभकी जगह सुलभतर हो जायँगी । अपन्यय या फिजूलखर्चीका कारण अज्ञानता है। ऐसे लोग अपनी करनीका फल भोग-कर स्वयं ही सुधर जाते हैं और दूसरोंको सचेत कर देते हैं। यदि इन्हें देशकी दरिद्रताका, किसानों मज-द्रों और शिल्पव्यवसायियोंकी दुर्दशाका ज्ञान कराया जाय और इनके आंगे देशके प्रतिदिन आधा पेट रहकर सो जानेवाले १५ करोड भारतवासियोंका चित्र खड़ा किया जाय, तो संभव है कि इनकी आँखें खुक जायँ और ये अपने लड़कोंकी शादीमें नहीं किन्तु देशके दुःखियोंकी दशा सुधारनेमें अपने धनका लगाने लगें।

१८ मुकद्दमेमें जीत किसकी हुई ?

' जो कुछ होता है सब अच्छेके लिए होता है, ' इस कहावतमें बहुत कुछ सत्य समाया हुआ है। मेरी प्रार्थना यदि सर्वथा स्वीकार कर ली जाती और देशके नेताओं के द्वारा शिखरजी के मुकद्दमें का फैसला कराया जाता तो संभव है कि अपने उचित आधिकारसे अधिक प्राप्त करनेकी आशा रखनेवाले दोनों ही पक्ष यह कहने लगते कि. "यदि इम सरकारी कोर्टके द्वारा और उसके ऊपरकी कोर्ट द्वारा फैसला कराते, तो अवश्य जीतते । हमने बड़ी गलती की जो भान्दोलन करनेवालोंकी बात मान ली । इसमें हम ठगाये गये।" प्रकृतिका यह नियम है कि दिनका महत्त्व रातके बिना, सुखका महत्त्व दुःखके बिना और असलीका महत्त्व नकलीके बिना नहीं मालूम होता । हजारीबागकी सोभाग्यसे इसी कोर्टसे समय शिखरजाके मुकद्दमेका फैसला हो गया फैसलेने दोनोंही पक्षपर अपनी माया फैलाई है।

जिससे कि दिखलाने के लिए तो दोनों ही पक्षवाले जगत्की रंगभूमि पर अपनी अपनी जीवकी प्रसम्रताका राग अलापते हुए उछल रहे हैं; पर वास्तवमें दोनों-का ही हृदय 'हार' की अश्रुधाराओं से भीगं गया है। यद्यपि दोनोंका ही हृदय कहता है कि हमारी माँगें रद कर दी गई हैं—हम जो चाहते थे वह नहीं हुआ है, तो भी बाहरसे जीतकी दुन्दुभी बजानेमें दोनोंको ही कुछ संकीच नहीं हो रहा है।

क्वेताम्बरियोंकी इच्छा यहाँ तक थी कि पर्वतकी सारी मालिकी केवल हमारे हाथमें रहे और हैंमारे सिवाय वहाँ कोई भी पूजन न कर सके। परन्तु कोर्टने आज्ञा दी कि २१ टोंकोंपर पूजन करनेका दिगम्बरि-योंको भी स्वत्व है, और इस तरह खेताम्बरोंकी इच्छा पूर्ण न हुई। इधर जलमंदिरपरसे और चार टोंकोंपरसे दिगम्बरियोंका इक उड़ गया है। 'जैनप्रभात 'के सम्पादकने स्पष्ट शब्दोंमें लिखा है कि " हमने स्वयं जलमान्दिरमें दिगम्बर मूर्तिकी पूजा की है और इन्दौर हाईकोर्टके जज श्रीयुत जुगमंदरलालजी एम. ए. बार-एट-ला ने भी तीन वार जलमन्दिरकी दिगम्बर-मूर्तियों की पूजा की है। इतना ही नहीं बल्कि जिन परसे हमारा हक उठा दिया गया है उन चारों टोंकों-की पूजा भी जज साहबने देवेताम्बरियोंकी किसी रोक टोकके बिना तीन बार की है। " इस तरह दिगम्बरसमाजने एक तो अपना पूजनका हक खो दिया और अब इस मुकद्मेका आधा खर्च भी उसे देना पड़ेगा। इससे यह बात सहज ही समझमें आ जायगी कि वास्तवमें दोनों ही हुई है और दोनों ही मन-ही-मन पछता रहे हैं। तथापि **इधर उधर**से **दबी हुई आ**वाज सुन पड़ती है कि दोनोंही पक्षवाले आगेकी कोर्टमें अपील करेंगे। मुझे विश्वास नहीं है कि कोर्टके फैसलेका यह कडुआ फल चखकर, दोनों पक्षोंके अगुए-समझदार होकर भी-फिरसे इस प्रकारकी गलती करनेके लिए तैयार हो जायँगे। इसमें लाखों रुपया खर्च होनेके सिवाय अगुओंका बहुत ही बहु-मूल्य समय व्यर्थ बरबाद होता है। भाई भाई छड़ते



हैं और उनके दिल दिनपर दिन एक दूसरेसे हटते जाते हैं जिनके कि जोडनेके लिए न जाने कितने समय और श्रमकी जरूरत होगी । और यह सब होने पर भी कोटोंसे तो इस प्रकारकी आशा ही नहीं की जा सकती कि दोनों पक्षोंको सन्तुष्ट करनेवाल। न्याय कभी मिल जायगा । इसलिए में दोनों पक्षों के धर्मात्मा और धनी नेताओंसे एक बार फिर प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग शिखरजी तथा अन्य तीर्थोंके झगड़ोंका फैसला या तो आपसमें ही कर लें या देशके अगुओंमेंसे एक दो सज्जनोंकी चुनकर उनके द्वारा करानेकी तजवीज करें । दोनों पक्षोंके सधी श्रावकों, धनियों और साधुओंको चाहिए कि वे मेरे इस शान्तिके आन्दोलनको नया बल प्रदान करें और जब तक यह पूर्ण रीतिसे सफल न हो जाय, तब तक चुप न बैठें। मुझे विक्वास है कि वे अपनी परोपकारिणा बुद्धि और शक्तिका इस कार्यमें अवश्य उपयोग करेंगे। अन्तमें कुछ विचारणीय बातोंकी फिरसे याद दिलाकर मैं विश्राम लेता हूँ.---

जिन्हें स्वराज्य जैसे महान राजकीय अधिकारोंके पाप्त करनेकी इच्छा हो उन्हें कमसे कम अपनी इतनी योग्यता और पात्रता तो अवश्य दिखलाना चाहिए कि अपने घरू झगड़े बखेड़े आपसमें ही तय कर लिये जाय,

दोकी लड़ाईमें सदा तीसरेका ही भला होता है,

धर्मके लिए धर्मके नामसे कलह करना अधर्म है और वह सर्वथा त्याज्य है। निवेदक,—वाडीलाल शाह।

१९ नये वर्षकी सूचना।

इस अंकके साथ हितैषीका १२ वॉ भाग समाप्त होता है। इसके बादका अंक तेरहवें भागका निकलेगा और वह प्राहकोंकी सेवामें तीन रुपया एक आनेके वी. थी. से पहुँचेगा। उपहारमें 'मणिभद्र ' नामका एक सुन्दर उपन्यास दिया जायमा जो तैयार कराया जा रहा है। यह कह- नेकी जरूरत नहीं कि उपहारका प्रनथ सदाकी व अच्छा और शिक्षात्रद होगा तथा कमसे कम बा आने मृत्यका होगा। यह निश्चय नहीं है कि प कके तैयार होनेतक उपहार भी तैयार हो जायग् यदि तैयार हो सका, तो साथ ही ग्याना कर वि जायगा, नहीं तो अकेला अंक वी. पी. भेजा जायगा।

वी. पी. इस वर्षके तमाम प्राहाकि नाम वि जायगा, किसीकी आज्ञाकी राह न देखी जायगी। महाशय आगामी वर्षमें प्राहक न रहना चाहें उ कृपाकरके इस अंकके पहुँचते ही हों एक कार्डद्र सूचना कर देनी चाहिए।

पिछले वर्ष जो एक और उपहार देनेकी सूच दी गई थी वह अमीतक लिखा नहीं गया है। लेख महारायको अभीतक अवकारा नहीं मिला है। ब प्रयत्न करनेसे तैयार हो गया तो वह भी इस ब उपहारके साथ भेज दिया जायगा।

हमारे सिरपर कामोंका बोझा इतना अधिक है। उसके मारे हम सदा ही दबे रहते हैं और बड़ी को नाईसे अवकाश निकाल पाते हैं। ऐसी दशामें जै हितैषीका समय पर निकालना हमारे लिए एक तरह असंभव है। अतएव जो महाशय हमारे इस होक क्षमा कर सकते हों, हितैषी महीने, दो महीने, अं तीन महीनेमें जब निकले तभी प्रसन्नतापूर्वक करें। हम केवल इस बातका बादा कर सकते हें। वर्षभरमें जितने पृष्ठ निकलने चाहिए उससे दो च फार्म अधिक ही निकाल देंगे, कम नहीं, जैसे इस व प्रतिज्ञासे ४८ पृष्ठ अधिक निकाले गेथे हें। समयप निकालनेकी प्रतिज्ञा हमसे नहीं हो सकती। आशा है कि इस स्पष्टवकतृत्वके लिए पाठक हमें क्षमा करेंगे।